lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005
Hkkx& nks
jktLo foHkkx]
ftyk dk;kZy;] gfj}kj
<u>ikDdFku</u>

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्वों के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम की धारा–4 में प्रत्येक लोक प्राधिकारी को 17 मैनुअल तैयार कर प्रकाशित करने का प्राविधान है। प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना उपलब्ध रहेगी, ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जाएगा तो आधारभूत सूचनाएं इन मैनुअल्स में ही उपलब्ध हो जाएगी तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य स्रोतों का आश्रय लेना होगा।

राजस्व विभाग जिला कार्यालय हरिद्वार द्वारा अधिनियम की धारा–4 में निर्धारित 17 मैनुअलों के अंतर्गत विभागीय विभिन्न सूचनाओं को एक स्थान पर केंद्रित कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर यह कार्य एक अभिनव तथा चुनौतीपूर्ण कार्य है तथापि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुरूप 17 मैनुअलों को तैयार करने में सहभाग करना एक सुखःद अनुभव भी है। जिला कार्यालय हरिद्वार से संबंधित 17 मैनुअलों को निम्नवत् भागों में विभाजित किया गया है।

1– भाग– एक मैनुअल संख्या –1, 2, 3 एवं 4
2– भाग– दो मैनुअल संख्या – 5
   खंड – I, II, III, IV
3– भाग–तीन मैनुअल संख्या – 6, 7, एवं 8।
4– भाग–4 मैनुअल संख्या– 9, 10, 11 एवं 12
5– भाग–5 मैनुअल संख्या– 13, 14, 15, 16 एवं 17।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किए गए उक्तानुसार मैनुअल्स का स्वरूप एक प्रारंभिक अवस्था है, जिसको भविष्य में निरंतर अद्यावधिक किया जाएगा तथा मैनुअलस को कम्प्यूटरीकृत कर बेबसाइट में भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जन सामान्य को संबंधित जानकारियां / सूचनाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त 17 मैनुअल्स को उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों तथा मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के मार्गदर्शन में तैयार करवाया जा सका। मैनुअल्स की सामग्री एकत्रित करने, उन्हें लिपिबद्ध करवाने एवं वर्तमान स्वरूप में उन्हें प्रस्तुत करने में श्री एस0 एन0 पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार तथा श्री गोपालदत्त डंगवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री पंकज राजपूत, राजस्व सहायक–द्वितीय का प्रशंसनीय योगदान रहा। इसके अलावा सभी उप जिलाधिकारियों, कलेक्ट्रेट के अनुभागीय प्रमुखों एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग की भी सराहना की जाती है।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
जिला अधिकारी,
हरिद्वार।

स्थानः हरिद्वार।
दिनांकः अक्टूबर, 2009

tuin gfj}kj ,d nf"V e

tuin gfj}kj dh LFkkiuk fnukd 28-12-1988 dk gqbZ FkhA tuin xBu ds i'pkr rglhy yDlj dh LFkkiuk fnukd 03-08-1989 dk gqbZ FkhA

Ø0l0	lpuk dk fooj.k	tuin dh lefdr fLFkfr	rglhy gfj}kj ls lEcfU/kr lpuk	rglhy :Mdh ls lEcfU/kr lpuk	rglhy yDlj lEcfU/kr lpuk
1	2	3	4	5	6
1.	तहसील	03	हरिद्वार	रूड़की	लक्सर
2.	विकास खण्ड	06	बहादराबाद	भगवानपुर, रूड़की, नारसन	लक्सर, खानपुर
3.	थाना	15	हरिद्वार,रानीपुर,ज्वालापुर, कनखल,श्यामपुर, पथरी, बहादराबाद	रूड़की, गंगनहर, मंगलौर,, भगवानपुर, बुग्गावाला, झबरेड़ा	लक्सर, खानपुर
4.	नगर पंचायत	04	बी0एच0ई0एल0	लंढौरा, झबरेड़ा	लक्सर
5.	नगर पालिका परिषद	03	हरिद्वार	रूड़की, मंगलौर	—
6.	न्याय पंचायत	46	09		11
7.	ग्राम सभा	299	65	167	67
8.	छावनी	01	—	रूड़की	—
9.	कुल ग्राम	639	147	326	166
10.	आबाद ग्राम	497	119	251	127
11.	गैर आबाद ग्राम	143	31	71	31
12.	लेखपाल क्षेत्र	156	40	84	32
13.	राजस्वनिरीक्षक क्षेत्र	08	02	04	02
14.	भौगोलिक क्षेत्रफल	170756है0	51602है0	81512है0	37642है0
15.	कृषित क्षेत्रफल	131717है0	30434है0	70463है0	30320है0
16.	सिंचित क्षेत्रफल	119285है0	27242है0	62449है0	29594है0
17.	असिंचति क्षेत्रफेल	11932है0	3192है0	8014है0	726है0
18.	वन क्षेत्र	12095है0	11146है0	237है0	712है0
19.	जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार	14,44,213	7,73,173 पुरूष	6,71040 महिला	ग्रामीण—9,98,550 नगरीय—11,24,488
20.	जनसंख्या घनत्व	612			

iLrkouk

tuin dk fooj.k%

जनपद हरिद्वार जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी गंगा नदी के दाहिने तट पर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओ की तलहटी में 29.58 उत्तरी अक्षांश तथा 79.10 पूर्वी देशान्तर में बसा हुआ है। शिवालिक पर्वतमाला के छोर पर ''बिल्व'' पर्वत और ''नील'' पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा यह छोटा सा खूबसूरत नगर अपनी प्राकृतिक सुषमा, मनोहारी गंगा तटो, वहां होने वाली पूजा आरतियों के सुन्दर नयनाभिराम दृश्यों, शिवालिक की वन और पहाड़ी वाली प्राकृतिक विरासतों, मन्दिरो आश्रमों और अखाड़ों के कारण यह प्राचीन काल से यायावरो घुमक्कड़ों, तीर्थयात्रियों और गंगा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।

gfj}kj dk HkkSxksfyd Lo:i%

मन्दिरों, घाटों और धार्मिक मान्यताओं के प्रसिद्ध हरिद्वार उत्तर पूर्व में उत्तराखण्ड के देहरादून व पौड़ी जिले की सीमाओं के साथ शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण–पूर्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों की सीमा से लगा हुआ है। 20 दिसम्बर 1988 को अस्तित्व में आये इस जनपद का सृजन सहारनपुर जिले को विभाजित कर बिजनौर और मुजफ्फरनगर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया गया।

gfj}kj dk /kkfeZd Lo:i%

हरिद्वार केवल चार धामों का ही प्रवेश द्वार नही है, बल्कि प्रकृति ने यहां दिल खोलकर कई रमणीक पर्यटन स्थल, आध्यात्मिक केन्द्र और मोक्ष प्रदायिनी गंगा के घाटों का निर्माण किया है। यह पवित्र नगर जीवनदायिनी गंगा के दाहिने तट पर बिल्व और नील पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा है। देशी विदेशी पर्यटक यहां के मनोहारी दृश्य तथा श्रद्धालुओ की अटूट आस्था पर हमेशा मंत्र मुग्ध रहते है। इसे पुलो की नगरी के नाम से भी जाना जाता है।

{k=Qy ,oa iz'kklfud foHkktu%

जनपद हरिद्वार का भौगोलिक क्षेत्रफल 2360 वर्ग कि0मी0 है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को हरिद्वार रूडकी व लक्सर तीन तहसीलों तथा छः विकास खण्ड–बहादराबाद, रूडकी,नारसन, भगवानपुर, लक्सर व खानपुर में बांटा गया है।

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 1444213 है, जिनमें 773173 पुरूष एवं 671040 महिलाएं है। प्रति हजार पुरूष पर महिलाओ की संख्या 866 है। जनसंख्या का घनत्व 612 है। ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 998550 है जबकि नगरीय क्षेत्र के अनुसार कुल जनसंख्या 1124488 थी जिनमें से 242658 अनुसूचित जाति के एवं 2026 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी।

[kM II

vuqdef.kdk

foHkkx&10 dkVl vkQ okMl@ nkrC; fuf/k

foHkkx& 11 jktdh; vkLFkku

foHkkx& 12 i:dh.kl ekufp= ,o: jktLo i:'kklu

foHkkx &13 jktLo vkj vHkko ¼nloh; vkinkk ½

क0सं0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	विषय	पृश्ठ संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जी0आई–03 / आ0प्र0 / 2001 दिनांक 10.10. 2001 उत्तरांचल शासन, देहरादून	प्राकृतिक / दैवी आपदाओं (बाढ़ / अग्निकाण्ड / भूकम्प / शीतलहरी / लू– प्रकोप / ओलावृष्टि / अतिवृष्टि / आकाशीय विद्युत प्रभाव इत्यादि) से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की दरों संशोधन	8–9
2	9 यू0ओ0 / आपदा प्रबन्धन / 2003, दिनांक 15.12.2003 उत्तरांचल शासन देहरादून।	वानाग्नि से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को आपदा राहत कोश से व्यय हेतु भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशानुसार राहत सहायता वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।	10
3	01 / वित्त विभाग / (टी0ए0 सी0) 2003, दिनांक 15.10.2003 उत्तराचल शासन देहरादून	शासन को आगणन प्रेशण के सम्बन्ध में।	11–13
4	03 / वित्त विभाग / (टी0ए0 सी0) 2003, दिनांक 23.10.2003	कार्यालय ज्ञाप।	14–17

foHkkx&14 fu;fDr jktif=r vf/kdkjh

(1)	(2)	(3)	(4)
5	सं0–189 / एक– का – 2001 दिनॉक 4 मई, 2001	उत्तरांचल राज्य क्षेत्र में विद्यमान प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में।	18–19
6	अ0शा0प0 सं0– 1476 / एक–1 –01 दिनॉक3. 6.01	श्री मधुकर गुप्ता को मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के पद पर तैनात करने विषयक।	20
7	अ0शा0प0 सं0– 1475 / एक–1 –01 दिनॉक3. 6.01	श्रीमती पी0 ज्योति राव को मुख्य निवेश आयुक्त एवं स्थानीय आयुक्त उत्तरांचल शासन, नई दिल्ली के पद पर तैनात करने विषयक।	21
8	सं0– 1619 / का –2 / 01 दिनॉक 6 अक्तूबर, 2001	उत्तरांचल लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 4 सदस्य नियुक्त किए जाने की स्वीकृति विषयक।	22
9	संख्याः 1937 / कार्मिक– 2 / 2001 दिनांक दिसम्बर, 05 2001	अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी /अधिकारी की सेवानिवृत्ति।	23–24
10	सं0–84 / कार्मिक –2 / 02 दिनॉक 29 फरवरी 2002	लोक सेवा आयोग को विभिन्न पदों के लिए पद चयन हेतु अधियाचन प्रेषक करने विषयक।	25–26
11	सं0–1113 / कार्मिक2 / 02 दि0 7 अगस्त 2002	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांतर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2002	27–28
12	सं0–1095 / कार्मिक–2 / 02 दिनॉक 06 अगस्त, 02	तदर्थ नियुक्तियों / पदोन्नतियों पर प्रतिबंध विषयक।	29–30
13	सं0–44 / कार्मिक –2 / 03 दिनॉक 05 अप्रैल,, 03	उ0प्र0 राज्य प्रशासन अकादमी नैनीताल का नाम परिवर्तन कर उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल करने की स्वीकृति विषयक।	31
14	सं0–1297 / तीस –2 / 04 दिनॉक 25 अगस्त, 04	लोक सेवकों द्वारा कार्यालयों में स्वच्छता, समयबद्धता एवं शिष्टता के संबंध में।	32–33
15	634 / अमुस / अवि / पीएस –04दिनॉक 6 अक्तूबर, 04	अवस्थापना विकास परिशद के गठन की स्वीकृति विषयक।	34–35
16	सं0–4216 / तीस –1–04 दिनॉक 02 दिसंबर, 04	शासन में शाखाओं का गठन व शाखा प्रमुखों के अधिकार का प्रतिनिधायन।	36–37
17	सं0–2471 / तीस–1 / 05 दिनॉक 21 जून, 05	उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संघ, प्रथम द्विवार्शिक अधिवेशन में भाग लेने हेतु दो दिवसीय विशेश आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।	38
18	सं0–1887 / तीस –2 / 05 दिनॉक 5 जुलाई, 05	अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।	39–42
19	सं0–412 / तीस –2 / 04 दिनॉक 5 मार्च, 05	राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने स्थानांतरण के समय चार्जनोट छोड़ा जाना।	43–44

20	संख्या–48/तीस–(2)/2006 दिनांक 05 मार्च, 2005	लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन हेतु अधियाचन।	45–46
21	सं0–2607/ तीस –2 /05 दिनॉक 26 अगस्त, 05	लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिए जाने विषयक।	47–48
22	सं0–2858/ तीस –2 /05 दिनॉक 23 सितंबर, 05	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा का संचालन विषयक।	49–50
23	सं0–4034/तीस–1–2005 दिनॉक 7 अक्तूबर, 05	श्री एम0 रामचंद्रन, आई0ए0एस0 (उत्तरांचल –72) की दिनॉक 4 अक्तूबर, 05 से मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन के पद पर नियुक्ति।	51
24	2 संख्या– 901/ मु0स0 /विविध /2005 दिनांक 22 अक्टूबर,2005	कार्यालय ज्ञाप	52
25	संख्याः 3493/तीस–(2)/2005 दिनांक 09 नवम्बर,2005	विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन ,गोश्ठी ,सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवको को अनुमति प्रदान किया जाना।	53–54

foHkkx&15 lkekU; i'kklu

(1)	(2)	(3)	(4)
26	बी0सी0 16014/1/82 – एस सी एंड बी सी डी– दिनॉक18/25 नवंबर, 1982	अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रवासित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति /जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में।	55–57
27	सं0 1432/26–3–86–प (वि0 व0)/86 दिनॉक 10 जुलाई, 1986	अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की सूची के संबंध में।	58–60
28	सं0–2626/3 – 88 –77 (प) /83–सा0प्र0अनु0 दिनॉक 28 जून, 1988	अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।	61
29	सं0–670/23–2–97–39 (2) / 84 दिनॉक 19–3–1997	पथकर वसूली के ठेके की नीलामी के लिए हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाना।	62–66
30	संख्या– 429/ वावन –4–98 दिनांक 31 अक्तूबर, 1998	अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में।	67–68
31	सं0–2588/एक–4/सा0प्र0/2001 दिनॉक 20–11– 2001	स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने विषयक नीति।	69–71
32	सं0–यू0ए0 150/एक–4/2002	राज्य के दुर्गम इलाकों में पटवारी चौकियों पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाये जाने एवं	72
	दिनांक 26 सितंबर, 2002	अन्य राजस्व सुविधायें प्रदान किए जाने के संबंध मे।	
33	1540 (1)/कार्मिक–2 दिनांक29 मार्च, 2003	राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र।	73–75
34	3323/स0क0/2003–387 (समाज कल्याण)/2003 दिनांक 16.12.2003	एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार अथवा शिक्षा हेतु विस्थापित होने के फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।	76
35	28/सा0प्रशा0/2004 दि0 9.2.2004	स्थायी निवास प्रमाण पत्र।	77–78
36	300/17(1)/04–09 (43) / 2003 दि0 10. 12.2004	उत्तरांचल राज्य के वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय वित्तीय अनुदान के संबंध में।	79–80
37	409/31(13)/जी/2005 दि0 23.6.2005	राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारेंट आफ प्रिसिडेंट्स) के संबंध में	81–85
38	1739–30(2)/2005 दि0 14.7.2005	लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के अंतर्गत चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में।	86–87
39	28 मु0स0/विसका/36 (2)/2005 दि0 28.7. 2005	प्रशासन तथा सांसदों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के बीच सरकारी कामकाज की उचित कार्यविधि के अनुपालन के संबंध में अनुदेश, सार्वजनिक समारोहों में आमंत्रण	88–92
40	54/भा0स0 31(13) जी /38 (43)/2005 दि0 18 11, 2005	राजकीय/सैनिक/केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की अंत्येष्टि के अवसर पर शव पेटिका अथवा अर्थी पर राष्ट्रीय झंडा लपेटने का सही तरीका	93–96
41	1041/31(13) जी/2005 दि0 21.12.2005	समस्त प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों में माता का नाम भी सम्मिलित किया जाना।	97
42	224/31(13)/18(14)/2006 दि0 23.3.2006	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन	98–101
43	82/31(3)जी/2006 दि0 24.1.2006	राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों के संबंध में दिशा–निर्देश।	102–103

foHkkx&16 ¼xksiuh;½

foHkkx 17 ¼fpfdRlk½

(1)	(2)	(3)	(4)
44	1573 / चि0शि0 / 85 / चि0कि0 / 01 दि0 19 अप्रैल, 01	उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल में निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेंन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना हेतु नीति विषयक	104–106
45	3106 / चि0शि0 / 2001– 452(चि) / 01 दि0 30 जुलाई, 2001	समुचित प्राधिकारी एवं सलाहकार समिति का गठन विषयक।	107–108
46	अधि0स0 340 / चि0–2 / 2002 / 2001 दि0 20. जून 2006	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में प्र्रवतन हेतु लागू किए जाने की सहर्श स्वीकृति।	109
47	1913 / चि0–02–2002 – 440 / 02 दि0 31 दिसंबर, 2002	जन्म मृत्यु पंजीकरण योजना के अंतर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर अंर्तविभागीय समन्वय समिति का गठन विषयक।	110–111
48	236 / चि0–02–2003 – 42 / 03 दि0 24 मार्च, 2003	उत्तरांचल के जिला चिकित्सालयों, राजकीय संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्ध हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्ध समिति का गठन	112–113
49	916 / चि0–02–2002 – 88 / 03 दि0 11 अगस्त, 2003	प्रादेशिक चिकित्सा सेवा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों / दंत, शल्यक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के एवज में प्रैक्टिस बंदी भत्ता का पुनरीक्षण।	114–115
50	4180 / चि0–02–2003 – 437 / 02 दि0 20 दिसंबर, 2003	उत्तरांचल के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्चा के संबंध में दिशा–निर्देश।	116–120
51	1404 चि0 शि0 / 2004 दि0 08 फरवरी, 2004	सुरक्षित मातृत्व हेतु वंदे मात्रम योजना को प्रारंभ करने विषयक।	121–122
52	1136 / 38–2–2005–270 / 2002 दि0 08 जुलाई 2005	73 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारों एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन।	123–124

foHkkx&vV.Bkjg

(1)	(2)	(3)	(4)
53	897 / 10–35 / दुर्घटना / राहत / 2002 दि0 8. 10.2002	वाहन दुर्घटनाओं में सहायता राशि के वितरण / मानक संबंधी निर्देश	125–128
54	6–चार / न्याय अनुभाग / 02 दि0 26 अक्तूबर, 02	अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा शर्तों के संबंध में।	129–130
55	43–एक (1) / न्याय अनुभाग / 2003 दि0 26.2. 2003	मा0 उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष शासन द्वारा आवत किए गए शासकीय अधिवक्ताओं की फीश का निर्धारण।	131–133
56	1167 / टीआर / दस–35 / आ0स0 / 03 दि0 14 अक्तूबर, 03	सडक दुर्घटनाओं में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में संस्तुति।	134–135
57	911 / दुर्घ / रा0रा0 / परि0 / 04 दि0 26 अगस्त, 04	वाहन दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता के संबंध में निर्देश	136
58	396 / गृह–3–12 स्व0 स0 से0 / 2003 दि0 24.2. 04	राज्य स्तर पर स्वतत्रंतता संग्राम सैनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिशद के गठन के संबंध में।	137–138
59	1010 / बीस(3) / 04–18 स्व0स0सै0 / 04 दि0 29. 10.2004	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किए जाने के संबंध में।	139–140
60	सं0–677 / बीस(05) / 05–33 / स्व0 सं0से0 / 2005 दि0 14.11.2005	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के साथ शिष्टिता का व्यवहार तथा उन्हें शासकीय समारोह में आमंत्रित कर उचित स्थान देने के संबंध में।	141
61	सं0–620 / बीस(5) / 05–18 / स्व0 सं0से0 / 2004 दि0 7.10.2005	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों एवं उनके आश्रितों / उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किए जाने के संबंध में।	142–143

foHkkx&19 xg foHkkx ¼tsy½

(1)	(2)	(3)	(4)

62	51–जे/22–96–17 एच आर सी–95 दि0 27.2.96	कारागार में निरूद्ध बन्दियों की घटना की मजिस्ट्रियल जांच निर्धारित अवधि में पूर्ण कर शासन व महानिरीक्षक कारागार को उपलब्ध कराया जाना।	144
63	581/2001 दिनॉक 17 सितंबर 01	न्यायिक बंदीगृह में विचाराधीन बन्दियों की भोजन दरों में वृद्धि किए जाने विषयक।	145
64	534/ 19–06 (90–91) दिनॉक 6 दिसंबर, 2000	जनपद चमोली व रूद्रप्रयाग के विचाराधीन कैदी, जो जिला कारागार पौड़ी व टिहरी में निरूद्ध हैं, को न्यायिक बंदीगृह पुरसाडी में स्थानांतरित किए जाने विषयक।	146
65	2085/14/बीस–4 /कारा0/रिट/06 दिनॉक 7.6.2006	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं0 सी 559/1994 आर डी उपाध्याय बनाम स्टेट आफ ए0पी0 एवं अन्य में पारित निर्णय 13.4.2006 के क्रियान्वयन विषयक (महिला आपराधियों के साथ छोटे बच्चा होने के संबंध में निर्देश)	147–165
66	3049–6–पु0–2–97–700 (9)/97 दि0 11. 8.1997	जिला कारागार में बन्द कैदियों को बाहर उपचार हेतु ले जाने हेतु पुलिस गारद की उपलब्धता के संबंध में।	166–167
67	8–चार–न्याय अनुभाग /2002 दि0 20.11. 02	जनपद स्तर पर शासकीय अधिवक्ताओं के नवीनीकरण के प्रस्ताव समयांतर्गत उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में।	168

foHkkx& 20 ¼ xg foHkkx& fu;fer ifyl@jkt Lo l lcf/kr ifyl dk;½

68	155आर/छः–पु–5–90 दिनॉक 18–1–1991	आग्नेयास्त्रों की प्रकृति परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	169
69	अधिसूचना सं0– 1506/ 17 वि 1–1 (क) 31–1995 दिनॉक. 11.8.1995	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 1995	170–202
70	सं0–4711/छ–पु0से0–2–522 (94)/95 दिनॉक 6.12.1995	जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्यालय छोड़ने की व्यवस्था।	203
71	सं0–1253/छ पु–15 –1997 दिनॉक 4.9. 1997	अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व उसके अंतर्गत बने नियम 1995 का प्रचलन।	204–205
72	सं0–3351/छ–पु–9–97–30 (1) (26)/95 दिनॉक 10.10.1997	उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसका दुरूपयोग रोकना।	206–209
73	सं0–3352/छ–पु–9–1997 दिनॉक 10.10. 1997	उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसका दुरूपयोग रोकना।	210–212
74	जी0आई0–138आर/छः पु0–5– 545/97 दिनॉक:25–11–97	शस्त्र रखने के लिये लाइसेंस स्वीकृत करना,वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 के संगत उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू करने के सम्बन्ध में	213–218
75	सी0एम0–277आर/छः–पु.–5– 1998 दिनॉक 2–9–98	आग्नेयास्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण	219–221
76	संख्या 3068 आर/ छः–पु.–5–1999 दिनांक 18.05.1999	आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियामावली 1962 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले लाइसेन्सों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत दास्तावेज मानते हुए स्टाम्प डयूटी लगाया जाना	222–223
77	संख्या : 173–म0क0 –02 –103 (महिला कल्याण) / 2002 दिनॉक, 08.11.2002	उत्तरॉचल दहेज प्रतिशेध नियमावली,2002	224–231
78	14–एक (1)/न्याय अनुभाग 2003 दि031.1.03	अधिसूचनाः विशेश न्यायालयों के गठन संबंधी	232–233

79	295/गृह–1/सुरक्षा/2003 दिनांकः 4–3–2003	शस्त्र अधिनियम एवं नियम–खेल (शिकार) जंगली जानवरों से मवेशी एवं फसल की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ किसी निशिद्ध शस्त्र एवं गोला बारूद का लाइसेंस जारी किये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के बारे में सिविल रिट याचिका सं0–2491 / 2001 – प्यूपल फॉर एनीमल–बनाम भारत संघ अन्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश।	234–239
80	811/गृह–1/स0ला0/55 /2003 दि0 18. 5.2004	शस्त्र लाईसेंसों का सीमा विस्तार संपूर्ण भारत वर्ष में किए जाने विषयक।	240
81	417/वि0एवं0 सं0 कार्य/ 2005 दि0 27.1. 2005	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974) (संशोधन) संशोधन अधिनियम 2005	241
82	सं0–1688/20 (6)/26/विविध/2005 दिनॉक 21.6.2005	नागरिकता अधिनियम, 1956 में नागरिकता (संशोधन) नियम 2005 में दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र सं0– 26011/03/2005 –आईसी–आई दिनॉक 26.5.2005 एवं भारत के राजपत्र की छायाप्रति	242
83	सं–725/सर्तकर्ता/2005 दिनॉक 12.12.2005	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिक पूर्व स्वीकृति दिया जाना।	243–244
84	691/विधायी एवं संसदीय कार्य/06 दि0 16. 3.2006	सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियिम 2005	245–246

foHkkx&13

महत्वपूर्ण

संख्या–जी0आई0 3 / आपदा प्रबन्धन / 2001

प्रेषक,

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादून : दिनॉक 10 दिसम्बर, 2001.

विषय – प्राकृतिक/दैवी आपदाओं (बाढ़/अग्निकांड/भूकम्प/ भू–स्खलन / शीतलहरी /लू–प्रकोप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि/आकाशीय विद्युत प्रभाव इत्यादि) से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की दरों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राकृतिक विपत्तियों/आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पंहुचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–1476/1–रा0–11/96–46/96, दिनॉक 20.5.1996 एवं 1884/1–रा0–11/ 96–46/96–रा–11, दिनांक 01.07.1996 द्वारा सहायता की दरें निर्धारित की गयी थी, तब से अब तक पर्याप्त समय व्यतीत हो गया है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में काफी वृद्धि हो गयी है तथा पूर्व निर्धारित सहायता की दरें वर्तमान में अपर्याप्त प्रतीत होती हैं। इस सम्बन्ध में ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कृशि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा राहत निधि एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से राहत कार्यो हेतु व्यय किये जाने के लिए पूर्व दरों को पुनरीक्षित करते हुए नयी दरों से सम्बन्धित मदों एवं मानकों हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं, तद्नुसार

राहत दरों से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–1476/1–रा0–11 /96–46/96, दिनॉक 20.5.1996 एवं दिनांक 1.7.1996 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए विभिन्न मदों एवं मानकों हेतु संलग्न सूची के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उपरोक्तानुसार राहत सहायता की संशाधित दरें शासनादेश निर्गत होने के तथा उसके पश्चात घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं से प्रभावित पात्र परिवारों/व्यक्तियों को अनुमन्य होंगे।

3– उपर्युक्त संशोधित दरों के अनुसार सहायता की स्वीकृति रुपये 2,000.00 तक तहसीलदार, रुपये 5,000.00 तक परगनाधिकारी तथा रुपया 5,000.00 से अधिक स्वीकृति जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,
ह0/–
(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक –

1. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमांयूं मण्डल उत्तरॉचल।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरॉचल, देहरादून।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल सत्यनिष्ठा भवन, 5ए थार्न हिल रोड़ इलाहाबाद।
4. वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या–9 यू0ओ0/आपदा प्रबन्धन/2003

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादून : दिनॉक 15 दिसम्बर, 2003

विषय :– वनाग्नि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को आपदा राहत कोश से व्यय हेतु भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशानुसार राहत सहायता वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की विशेश परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त वनाग्नि को दैवी आपदा की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः कृपया वनाग्निसे प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को आपदा राहत कोश से व्यय हेतु भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशानुसार राहत सहायता वितरित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव,

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषक –

1. सचिव, वन विभाग, उत्तरांचल शासन।
2. आयुक्त, कुमांयू मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल।
3. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री को मा. मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से,
(सोहन लाल)
अपर सचिव,

संख्या– 01 / वित्त विभाग / (टी0ए0सी0) / 2003

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

वित्त विभाग–टी0ए0सी0अनुभाग देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003

विषय :– शासन को आंगणन प्रेशण के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त विभाग को प्रेषक होने वाले निर्माण कार्यो से सम्बन्धित आगणनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल एवम पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराने से पूर्व निम्नानुसार अंकित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है ताकि शीघ्र से आगणनों का परीक्षण सम्भव हो सके :–

क– मूल निर्माण (सड़कें, भवन व अन्य कार्यो) से सम्बन्धित प्रथम बार प्रेषक किये जाने वाले आगणनों से सम्बन्धित :–

आगणन Plinth Area Rate या प्रति किलोमीटर दर या अन्य यूनिट दर पर गठित करके टी0ए0सी0 को जांच हेतु भेजने का कोई औचित्य नहीं है। अतः किसी भी मूल निर्माण कार्य का प्राक्कलन टी0ए0सी0 को भेजने से पूर्व कार्यस्थल पर आवश्यक विस्तृत सर्वेक्षण कर Detail Estimate गठित करके इसके Plinth Area Rate या प्रति किलोमीटर या अन्य प्रति यूनित दर के जो मापदण्ड विभाग द्वारा निर्धारित हो उससे औचित्य प्रदर्शित करते हुए प्रेषक किये जाये तथा निम्न सूचनाओं का समावेश आगणन में आवश्यक कर लिया जाय :–

(1) आगणन के साथ क्मजंपस च्संदए स्ैमबजपवदए ब्तवे ैमबजपवद एवम अन्य आवश्यक मानचित्र आदि।

(2) उक्त क्रम एक में सभी क्पउमदेपवदे को भली भांति अंकित किया जाय।

(3) क्रम संख्या–1 के अनुसार उपलब्ध कराये गये च्संदए ैमबजपवदे आदि के अनुसार ठपसस वि फनंदजपजपमे बनाकर आगणन में संलग्न किये जांय।

(4) विभागीय ैबीमकनसम वि त्ंजम के आधार पर दर विश्लेशण बनाकर प्राक्कलन में संलग्न किया जाये तथा दर विश्लेशण नियमानुसार न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से हस्ताक्षरित करा कर भेजे जांय।

(5) आगणन बनाते समय भूकम्प विरोधी प्राविधानों / विशिष्टयों का समावेश कार्य विशेश कर क्मेपहद में करते हुये ही आगणन गठित किये जांय।

(6) Site Developments को भी विस्तार से क्या–क्या कार्य किया जाना प्रस्तावित है, का उल्लेख प्राक्कलन में किया जाय।

(7) प्रथम बार आगणन भेजते समय ही सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुये समस्त विभिन्न आवश्यक मदों का प्राविधान कर लिये जाय ताकि प्राक्कलन को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता यथा सम्भव उत्पन्न न हो।

(ख) मानसून / भूस्खलन / बाढ़ से क्षतिकार्यो के आंगणन से सम्बन्धित सूचना :–

(2) आगणन में क्षति के विवरण का विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न किया जाय एवम प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि क्षति कब और किस तिथि को हुई है तथा कहां कहां मार्ग अवरुद्ध हुआ है तथा मार्ग की वर्तमान स्थिति भी इंगित की जाय।

(3) आगणन में विस्तृत दर विश्लेशण की स्पष्ट प्रति संलग्न की जाय।

(4) आगणन में मानचित्र पैमाने के साथ संलग्न किया जाये तथा क्षतियों को भी दर्शाया जाये मार्ग के प्लान एवं ब्तवे ैमबजपवद अवश्य लगाये जाय (Plane Table Survey)।

(5) यदि भवन क्षतिग्रस्त है तो भवन के प्लान के साथ–साथ क्षतिग्रस्त कार्यो आदि के फोटोग्राफ प्रति भी आगणन में संलग्न की जाय।

(6) मार्ग का सही नाम जिस नाम से मार्ग की स्वीकृति हुई है लिखा जाय, मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों व किलोमीटर एवम चैनेज अवश्य इंगित हो।

(7) दर विश्लेशण में नियमानुसार न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, जिन विभागों में सक्षम अधिकारी उपलब्ध न हो, तो निकटतम लो0नि0वि0 के अधीक्षण अभियन्ता के हस्ताक्षर करा कर आगणन प्रेषक कर सकते हैं।

(8) सामग्री के ढुलान सम्बन्धी दर विश्लेशण में ऊँचाई एवम दूरी का प्रमाण अवश्य दिया जाय।

(9) जिन कार्यो के आगणन में स्लिप तथा टूटे हुये भागों के पुर्ननिर्माण/पुर्नोद्धार हेतु प्राविधान किया जाय, उस दशा में इस समस्त स्लिप व क्षति के रिकार्ड मेजरमेन्ट माप पुस्तिका की संख्या पृष्ठ संख्या का हवाला तथा सहायक अभियन्ता की चैकिंग का प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाय।

(10) जनपद के मानचित्र पर भी मार्ग को इंगित किया जाये।

(ग) <u>पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित सूचना :–</u>

(1) आगणन में तुलनात्मक विवरण संलग्न किया जाय तथा तुलनात्मक विवरण में मूल स्वीकृति का मदवार विवरण पुनरीक्षित आगणन में प्राविधान, वर्तमान में कराये गये कार्यो का पूर्ण विवरण एवम टिप्पणी कालम में स्पष्ट औचित्य दिये जाय कि किसी कारण आगणन को पुनरीक्षित किया गया।

(2) पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र आगणन में संलग्न किये जाय।

(3) कार्य की वर्षवार वित्तीय एवम भौतिक प्रगति प्रतिशत के अलावा भवन कार्यो की प्रगति यूनिट में भी दी जाय।

(4) यदि कार्य पूर्ण होने अथवा पुराने स्वीकृत दरों के आधार पर कार्य कराया गया है तो विस्तृत आगणन प्रस्तुत किये जाय (1) किये गये कार्य (2) अवशेश कार्य।

(5) आगणन में यह स्पष्ट किया जाय कि यदि आंकलित पुनरीक्षित आगणन की राशि स्वीकृत की जाती है तो कार्य को स्वीकृत राशि में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(6) कार्य की वर्तमान वित्तीय एवम भौतिक प्रगति अवश्य प्रतिवेदन में स्पष्ट की जाय।

(7) पुनरीक्षित आगणन के साथ मूल आगणन की प्रति भी प्रेषक की जाय।

उपरोक्त सभी प्रकार के आगणनों से सम्बन्धित पत्रावलियां वित्त विभाग को भेजते हुये पत्रावली के ऊपर कार्य की प्राथमिकता (अति आवश्यक/आवश्यक/सामान्य) अंकित करते हुये आगणन दो प्रतियों में वित्त विभाग को प्रेषक किये जाय तथा आगणन की पत्रावली वापिस प्राप्त होने पर स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश के साथ संशोधित आगणन की प्रति संलग्न कर प्रेषक की जाय।

भवदीय,
ह0/–
(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव वित्त।

<u>संख्या–01/वित्त विभाग (टी0ए0सी0)/2003 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

3. समस्त उत्तरांचल में कार्यरत कार्यदायी संस्थाए।

आज्ञा से,

ह0/–
(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त।

उत्तरॉचल शासन
वित्त विभाग, टी0ए0सी0अनुभाग,
संख्या–03 / वित्त विभाग / टीएसी / 2003
देहरादून : दिनॉक 23 अक्टूबर, 2003

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या–01/वित्त विभाग/टी0ए0सी0/2003 दिनॉक 15.10.2003 में क्रमाँक (क) पर उल्लिखित प्राविधान के स्थान पर निम्नवत् संशोधन हेतु राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं :

''(क) मूल निर्माण (सड़कें, भवन व अन्य कार्यो) से सम्बन्धित प्रथम बार प्रेषक किये जाने वाले आगणनों से सम्बन्धित

(1) प्रति किमी/प्रति वर्ग मीटर पर अन्य यूनिट दर पर आगणन गठित करते समय उनके द्वारा एक ही बार में सभी आवश्यक मदों तथा भूकम्प विरोधी तकनीक आदि के प्राविधानों सहित आंकलित यूनिटर दर निर्धारण करा ली जाये तथा वही यूनिट दर प्राकलन में लगायी जाये तो बाद में प्राक्कलन के पुनरीक्षित की यथा सम्भव आवश्यकता न पड़े।

(2) विभागीय शिडयूल ऑफ रेट के आधार पर दर विश्लेशण बनाकर प्रांकलन में संलग्न किया जाये तथा दर विश्लेशण नियमानुसार न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से हस्ताक्षरित करा कर भेजे जाये।

(3) आगणन बनाते समय भूकम्प विरोधी प्राविधानों/विशिष्टयों का समावेश कार्य विशेश के डिजाईन में करते हुये ही आगणन गठित किये जाय।

(4) स्थल विकास को भी विस्तार से क्या–क्या कार्य किया जाना प्रस्तावित है, का उल्लेख यथासम्भव प्राकलन में किया जावें।

(5) प्रथम बार आगणन भेजते समय ही सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुये यथा संभव समस्त विभिन्न आवश्यक मदों का प्राविधान कर लिये जाये।''

शासनादेश के अन्य प्राविधान व निर्देश पूर्ववत रहेंगे। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

संख्या– 03/वित्त विभाग(टी0ए0सी0)/2003 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल को पूर्व जारी शासनादेश के प्रति सहित।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरॉचल को पूर्व में जारी शासनादेश की प्रति सहित।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. समस्त उत्तरांचल में कार्यदायी संस्थायें।

आज्ञा से,
ह0/–
(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त।

REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF EXPENDITURE FOR ASSISTANCE FROM CALAMITY RELIEF FUND (FRF) AND NATIONAL CALAMITY CONTINGENCY FUND (NCCF)

S.No	ITEMS	Norms of expenditure for assistance from CRF and NCCF
1.	Gratultous Relief	Rs. 50,000/- per deceased
2.	(a) Ex Gratia payment of families of deceased	Rs. 25,000/- per person
3.	persons	(The Gratuitous relief for loss of limb etc.
4.	(b) Ex Gratia payment for loss of a limb or eyes	should be extended only when the disability is
5.	(c) Grievous injury requiring hospitalitalisation for more than a week.	more than 40% and certified by a Govt. doctor or doctors from panel approved by the Govt.)
	(d) Relief for the old, infirm and destitute, children	Rs. 5,000/- per person
	(e) Clothing and utensils for families whose house	Rs. 20/- per adult, Rs. 10/- per child per day
	have been washed away	Rs. 500/- for clothing and
	Supplementary Nutrition	Rs. 500/- for utensils-per family
	Assistance to small and marginal farmers for :-	Rs. 1.05 per day per head as per ICDS norms
	(a) Desilting etc.	25% and 33-1/3% to small farmers and
	(b) Revoval of debris in hill areas, and	marginal farmers respectively of the basis of
	(c) Desilting/Restoration/Repair of fish farms	BANARD pattern subject to seiling of Rs.
	(d) Agriculture input subsidy where crop loss was	5,000/- per hectare.
	50% and above	-Rainfed areas Rs. 1,000/- per hectare
	(i) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	-Rs. 2500/- per hectare in area with assured irrigation
	(ii) Perennial crops	- Rs. 4,000/- per hectare - Rs. 19=0,000/- per hectare
	(e) Loss of substantial portion of land caused by Landslide, avalanch, changes of course of rivers.	As per Jawahar Gram Samridhi Yojana norms.
	Employment Generation	As per pattern of subsidy under –
	(Only to meet additional requirements after taking into account, funds available under Plan Schemes viz. JRY, URY, EAS, etc.	Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana for small and marginal farmers-
	Animal Husbandry	Large animals – Rs. 12.00 per days
	Assistance to small and marginal farmers/ agricultural labourers :-	Small animals – Rs. 6.00 per day
	(a) Fro replacement of draught animals, mitch animals or animals for haulage or for livelihood	
	(b) Fro provision of fodder/fodder concentrate	

6.	(c) Procurement, storage and movement of fodder	To be assessed by NCCM
7.	(d) Movement of useful cattle to other areas	To be assessed by the NCCM for NCCF/by State level Committee for CRF
8.	Assistance to Fishermen :	
9.	(a) For repair/replacement of boats, nets and	Subsidy will be provided other equipments
10.	damaged or lost	subject to ceilings on subsidy per family as per SGSY pattern.
11.	-- Boat	The cost of boats will also be determined
12.	-- Dugout – Canoe	with reference to approved cost under SGSY.
13.	-- Catamaran	Rs. 2,000/- per hectare
	-- Nets	Rs. 1,000/- per person
	(b) Input subsidy for fissh seed farm	Rs. 1,000/- per person.
	Assistance to artisans in handicrafts sector by way of subsidy for repair/replacement of damaged equipments.	Rs. 1,000/- per loom.
	(a) Traditional Crafts	Rs. 1,000/- per loom.
	(i) For damaged equipments	Rs. 10,000/- per house
	(ii) For raw material	Rs. 6,000/- per house
		Rs. 2,000/- per house
		Rs. 1,200/- per house
	(b) For Handloom Weavers	Rs. 800/- per house
	(i) Repairs/replacements of loom equipments and accessories	To be assessed by NCCM Team for NCCF/ by State level committee for CRF.
	(ii) Purchase of yarn and other materials	- do -
	Assistance for repair/restoration of damaged houses	- do -
	(a) Fully damaged housed	- do -
	(i) Pucca house	- do -
	(ii) Kuchha House	
	(b) Severaly damaged houses	
	(i) Pucca House	
	(ii) Kuchha House	
	(c) Marginally Damaged Houses	
	Emergency supply of drinking water including transportation of drinking water in urban areas	
	Provision of medicines, disinfectants, insecticides for prevention of outbreak of epidemics	
	Medical care for cattle and poultry against epidemics.	
	Evacuation of people affected/likely to be affected	
	Hiring of boats for carrying immediate relief and saving life	

14.	Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. of people affected/ evacuated	- do -
15.	Air dropping of essential supplies	- do
16.	Repair/restoration of immediate nature of the damaged infrastructure relating to	-
17.	communication, power, public health, drinking water supply, primary education and	-
18.	community owned assets in the social sector.	do-
19.	Replacement of damaged medical equipments and lost medicines of Govt. hospitals/health	- do
20.	centres	-
21.	Operational cost (of POL only) for Ambulance Service, Mobile Medical Teams and temporary	- do
22.	dispensaries	-
23.	Cost of clearance of debris	- do
	Draining off flood water in affected areas	-
	Cost of search and rescue measures	- do
	Disposal of dead bodies/carcasses	-
	Training to core multidisciplinary groups of the Stte Officers drawn from different cadres- expenditure to be met from CRF	- do -
		- do -
		- do -

NCCM – National Centre for Calamity Management
NCCF - National Calamity Contingency Fund.
POL – Petrol, Oil and Lubricants

foHkkx&14

उत्तराचल शासन,
कार्मिक विभाग,
संख्या– 189/एक –का– 2001,
देहरादून दिनांक 04 मई,2001
कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराचंल राज्य में विद्यमान प्रशिक्षण संस्थानों के संबध में निम्नवत् ब्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी कम्पोजिट प्रशिक्षण संस्थान/अकादमी के रुप में कार्य करेगी ।
(2) उत्तराचल राज्य क्षेत्र में विद्यमान पांच क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान तथा तीन जिला ग्राम्य विकास संस्थान उक्त कम्पोजिट संस्थानों अकादमी के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियंत्रणाधीन रहेंगे।
(3) उक्त कम्पोजिट संस्थान/अकादमी के अधीन आने वाले अधिकारियो और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और सुविधायें उक्त कम्पोजिट प्रशिक्षण संस्थान में नये संस्थान की संरचना के संबध में कोई और श्रेश्ठतर ब्यवस्था के संबध में अन्तिम निर्णय होने तक पूर्ववत् बनी रहेगी ।
(4) उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी के लोक प्रशासन शाखा को बजटीय सहायता समान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग के माध्यम से पूर्ववत् प्राप्त होती रहेगी तथा ग्राम्य विकास से संबधित प्रशिक्षणों के लिये बजट ब्यवस्था केन्द्रीय रोजगार एवं ग्राम्य विकास मंत्रालय,भारत सरकार के द्वारा नये राज्यों के लिये गठित किये जाने वाले राज्य ग्राम्य विकास संस्थानों को दी जाने वाली आवर्ती सहायता (स्टाफ सपोर्ट, तीन संकाय सदस्यों) तथा अनावर्तीय अनुदान दस लाख रूपये) तथा /अथवा मण्डलीय कार्यालयों के पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध सर्प्लस स्टाफ तथा संबद्ध किये जा रहे क्षेत्रीय /जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के संकाय सदस्यों के पद सहित सम्बद्धीकरण के माध्यम से की जायेगी ।
5– कम्पोजिट संस्थान /अकादमी के बोर्ड आफ गवनेर्स तथा कार्यकारणी समिति निम्नवत होगीः–
(1) मुख्य सचिव,उत्तरांचल अध्यक्ष
(2) वन तथा ग्राम्य विकास आयुक्त उपाध्यक्ष
(3) सचिव वित्त सदस्य
(4) सचिव नियोजन सदस्य
(5) सचिव कार्मिक/निदेशक प्रशासन अकादमी सदस्य/सदस्य सचिव नैनीताल।

उक्त के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य भी होगें जो राश्ट्रीय व प्रदेश स्तर के शीर्श प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थानों के संस्थाध्यक्ष होगें ।

ह0/–
(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्याः 189(1)/एक–का–2001 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1– महा लेखाकार उत्तरांचल।
2– सचिव श्री राजपाल उत्तरांचल।
3– सचिव माननीय मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
4– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन।
5– कार्मिक लोक प्रशासन एवं प्रषिक्षण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।

7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– निदेशक उ0प्र0 प्रशासन अकादमी नैनीताल/सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान।
9– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
ह0/–
(आर0सी0लोहनी)
अनु सचिव।

राकेश शर्मा,
उत्तरांचल शासन

अ0शा0पंत्राक–1476 / एक–1–2001
सचिव कार्मिक विभाग, देहरादून।
दिनांक 3–6–2001

प्रिय महोदय,

शासन द्वारा आपको जनहित में मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है। अनुरोध है कि उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

भवदीय
ह0 / –
(राकेश शर्मा)

श्री मधुकर गुप्ता ,
प्रमुख सचिव,एवं आयुक्त,अवस्थापना
उत्तराचंल शासन, देहरादून।
प्रतिलिपिः–

सचिव श्री राज्यपाल को महामहिम के सूचनार्थ ।
सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी ।
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली ।
शासन के समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव ।
पुनर्गठन आयुक्त उत्तराचंल शासन लखनऊ ।
मण्डलायुक्त गढवाल एवं कुमायूँ ।
रजिस्ट्रार मा0उच्च न्यायालय उत्तरांचल नैनीताल ।
समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल ।
मा0 मंत्रीगण एवं मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों मा0 मंत्रीगण एवं मा0 राज्य मंत्रीगण को सूचनार्थ ।
इरला चैक अनुभाग,उत्तरांचल शासन ।

भवदीय,
ह0 / –
(राकेश शर्मा)

राकेश शर्मा,
सचिव

उत्तरांचल शासन कार्मिक विभाग,
देहरादून।
अ0शा0 पंत्राक–1475/एक–1–2001
दिनांक 3–6–2001

प्रिय महोदया,

शासन द्वारा आपको जनहित में मुख्य निवेश आयुक्त एवं स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल शासन नई दिल्ली के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है। अनुरोध है कि उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

भवदीय
ह0/–
(राकेश शर्मा)

श्रीमती पी0ज्योति राव,
स्थानिक आयुक्त, उत्तराचंल शासन,
नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः–
सचिव श्री राज्यपाल को महामहिम के सूचनार्थ ।
सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी ।
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली ।
शासन के समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव ।
पुनर्गठन आयुक्त उत्तराचंल शासन लखनऊ ।
मण्डलायुक्त गढवाल एवं कुमायूँ ।
रजिस्ट्रार मा0उच्च न्यायालय उत्तरांचल नैनीताल ।
समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल ।
मा0 मंत्रीगण एवं मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों मा0 मंत्रीगण एवं मा0 राज्य मंत्रीगण को सूचनार्थ ।
इरला चैक अनुभाग,उत्तरांचल शासन ।

भवदीय,
ह0/–
(राकेश शर्मा)

उत्तराचंल
शासन

कार्मिक विभाग–2,
संख्या–1619 / का–2 / 2001
देहरादून दिनांक 06अक्टूबर,2001
अधिसूचना / प्रकीर्ण

अधिसूचना संख्या–735 / एक–कार्मिक–2001,दिनांक 24मई,2001 के क्रम में श्री राज्यपाल उत्तरांचल लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में एक अध्यक्ष एवं 03 सदस्य के स्थान पर एक अध्यक्ष एवं 04 सदस्य नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

ह0 / –
(राकेश शर्मा)
सचिव

संख्या–1619(1)का–2 / 2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक –
सचिव संघ लोक सेवा आयोग,नई दिलली।
सचिव भारत सरकार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग,नई दिल्ली ।
सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय,नई दिल्ली ।
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ।
सचिव लोक सेवा आयोग,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश / उत्तरांचल,इलाहाबाद ।
समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन ।
सचिव, सूचना को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
निदेशक, मुद्रणालय रुडकी को इस आशय से प्रेषक की कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करा कर उक्त की 500 प्रतियां उपलब्ध कराने का कश्ट करें।
समस्त विभागाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष /जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
उत्तरांचल उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से
ह0–
(राकेश शर्मा)
सचिव।

संख्याः 1937 / कार्मिक–2 / 2001

प्रेषक,

एस0 कृष्णन,
सचिव
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तरांचल शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांलच

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक दिसम्बर, 05 2001

विषय– अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी /अधिकारी की सेवा निवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शासन क अधिसूचना संख्या–1098 / कार्मिक अनुभाग–1 / 2001 दिनांक 28 नवम्बर,2001 द्वारा राज्यधीन सरकारी सेवको की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किए जाने का निर्णय उ0प्र0 शासन द्वारा लिया गया है। उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत सभी संवर्गों के अन्तिम रूप से विभाजन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में कतिपय विभागों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि उक्त अधिसूचना के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही किस प्रकार से की जानी है।

2– भारत सरकार के आदेश संख्या–27 / 9 / 2001–एस0आर0(एस) दिनांक 11 सितम्बर 2001 के द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के समस्त कार्मिकों का अन्तिम आवंटन उत्तरांचल के लिए कर दिया गया है।

(क) जिनका उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 की घारा 73 में विनिर्देश्ट 13 जिलो में से एक जिला स्तर अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है ओर जो दिनांक 9 नवम्बर 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य में आते है अथवा जिनकी सेवायें उपरिनिर्दिश्ट जिला क्षेत्रोंद के भीतर सामन्यः स्थानान्तरण हेत अधीनस्थ है अथवा

(ख) जिनका नियुक्ति प्राधिकारी दिनांक 9 नवम्बर 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के गढवाल और कुमायू डिवीजन का एक प्रभागीय स्तर का अधिकारी है अथवा जिनकी सेवायें उपर्युक्त डिवीजन क्षेत्रों के अन्दर सामन्यः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ हैं अथवा

(ग) जो 9 नवम्बर 2000 तत्काल पूर्व विद्यमान उत्तरांचल राज्य के हिल सब कार्डर से सम्बन्धित है या जिनकी सेवाये 9 नवम्बर 2000 तत्तकाल पूर्व विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के हिल कार्डर जिलों के अन्दर सामन्यतः स्थानान्तरण हेतु अधीनस्थ है अथवा

(घ) जो दिनांक 9 नवम्बर 2000 को और उसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग में विशेश परियोजना अथवा उपक्रम हेतु नियुक्त है और जिनकी सेवाये 9 नवम्बर 2000 औरउसके बाद उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग भौगोलिक क्षेत्र के बाहर सामन्यतः स्थानान्तरण योग्य नहीं है।

3– कतिपय संवर्गो में केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000की धारा 73(1) के अन्तर्गत अधिकारी /कर्मचारियों का अंनन्तिम आंवटन किया है इस सम्बन्ध मे सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सेवा संवर्ग के अधिकारी /कर्मचारी जिनका अनन्तिम /अन्तिम रूप से आवंटन उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है और जो उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी है, 30 नवम्बर 2001 या उसके बाद 58 वर्ष की आयु प्राप्त करेगें उन्हें सम्बन्धित विभाग के नियत्रक अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विभागीय

मुख्यालय में रिर्पोट करने के लिए निर्देशित किया जायेगा इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी दी जायेगी।

4– इस परिपेक्ष्य यह स्पष्ट करना है कि उत्तरांचल शासन के अधीनस्थ राजकीय कर्मचारियों का अधिवर्षता आयु 58 वर्ष ही है।

5– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(एस0 कृष्णन)
सचिव।

संख्या–1937(1)/कार्मिक–2/2001तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु प्रेषक।

1– मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन
2– मुख्य विनिवेश आयुक्त /स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्ली
3– पुर्नगठन आयुक्त उत्तरांचल शासन लखनऊ
4– मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायाल नैनीताल।
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0
(एस0 कृष्णन)
सचिव।

संख्या–84 / कार्मिक–2 / 2002

प्रेषक,

एस0 कृष्णन,
सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उततरांचल शासन ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 29 जनवरी,2002

विषयः– लोक सेवा आयोग को विभन्न पदों के लिये पद चयन हेतु अधियाचन प्रेषक किये जाने के संबध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तिपय विभागों द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये जो अधियाचन कार्मिक विभाग को प्रेषक किये गये हैं उनमें ऐसे पदों के किलये अधियाचन शामिल हैं जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि में नही हैं । अर्थात जहां पद शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं या जहां एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर भर्ती का एक मात्र श्रोत पदोन्नति हों, वहां लोक सेवा आयो के माध्यम से चयन कराने की आवष्यकता नहीं है, बल्कि विभागीय चयन समितियों के माध्यम से ऐसे पदों पर चयन किया जाना होगा ।

इस संबध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम 1992 में निम्न प्रावधान किये गये हैं ।

पदोन्नतियां–

पदोन्नतियां करने में या पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबध में अपनाये जाने वाले सिद्वान्तों के संबध में,, निम्नलिखित मामलों में, आयोग से परामर्श करना आवष्यक नहीं होगा, अर्थात –

(क) समूह ''ग'' के उन पदों पर, जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है,पदोन्नतियां करने में या एक अराजपति पद से दूसरे अराजपति पद पर पदोन्नतियां करने में

(ख) समूह ''ग'' के पदों से समूह ''ख'' के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर जहां भर्ती का एक मा श्रोत पदोन्नति हो, पदोन्नतियां करने में ।

(ग) खण्ड (ख) के अन्तर्गत न आने वाले समूह ''क'' के पदों पर पदोन्नतियां करने में।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया समूह ''ख'' तथा ''ग'' के पदों पर पदोन्नति के संबध में उपरोक्त प्राविधान के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
ह0 /–
(एस0 कृष्णन)

संख्या–84(1) / कार्मिक–2 / 2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषक :–

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

सचिव लोक सेवा आयोग हरिद्वार ।

आज्ञा से

ह0 /–

(आर0सी0 लोहनी) उप सचिव ।

उत्तराचंल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या – 1113/कार्मिक–2 /2002
देहरादूनः दिनांकः 07 अगस्त,2002
अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2002 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ अध्यारोही प्रभाव परिभाशा तदर्थ नियुक्तियों पर विनियमितीकरण

(1) यह नियमावली उत्तरांचल(लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत दों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली ,2002 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(3) यह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों पर राज्यपाल की नियम विधायी शक्ति के अधीन सभी पदों पर लागू होगी ।

2– किसी अन्य नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी इस नियमावली अधिप्रभावी प्रभाव होगा।

3– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो।

(एक)किसी पर के संबध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है।

(दो) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है। (तीन)''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।

4– (1) किसी ब्यक्ति को

(एक)जो सेवा में 30.6.1998 के पूर्व तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्ति किया गया हो और इसका नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को, उस रुप में,निरन्तर सेवारत हो,

(दो) जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्ति के लिये विहित अपेक्षित अर्हताये रखता हो, और

(तीन)जिसने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, या यथास्थिति, पूरी करने के पश्चात किसी स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो उपलब्ध हो नियमित नियुक्ति के लिये, ऐसी रिक्ति में, संगत सेवा नियमों या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्त करने के पूर्व उसके अभिलेख और उपर्युक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

(3) उपनियम(1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा

(4) नयुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों में से एक पात्रता सूची उस ज्येश्ठता– क्रम में तैयार करेगा जैसा कि नियुक्त आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित हो, और यदि दो या अधिक ब्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जांयें तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम मे उनके नाम उक्त नियुक्ति के आदेशों में क्रमबद्व किये गये हों । सूची की अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिसलेखों सहित,जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिये आवष्यक हो,चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा ।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उप नियम(4) में निर्दिश्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी ।

(6) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी । सूची में नाम ज्येष्ठता क्रम में रखे जायेगे, और वह उसके नियुक्त प्राधिकारी को भेजेगी ।

5– नियुक्ति प्राधिकारी नियम 4 के उप नियम (2)के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त नियम के उप नियम (6) के अधीन तैयार की गई सूची से नियुक्तियॉ उस क्रम में करेगा नियुक्तियां नियुक्तियों को संगत सेवा नियमों आदि के अधीन किया गया समझा जाएगा ज्येष्ठतासेवा की समाप्ति जिस क्रम में उनके नाम उक्त सूची में रखे गये हों।

6– इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियॉ संगत सेवा नियमों के आदेशो के यदि कोई हो, अधीन की गई समझी जायेगी।

7 – (1)इस नियमावली के अधीन नियुक्ति कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येश्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।

(2)यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उनके परस्पर ज्येष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायेगी।

(8)ऐसे व्यक्ति की सेवा जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो और जो उपर्युक्त न पाया जाये या जिसका मामला इस नियमावली के नियम –4 के उप नियम (1) के अधीन न आता हो, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और समाप्ति पर यह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

ह0–
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या– 1113(1)/कार्मिक–2/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराचंल शासन।
2– सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल।
5– स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
6– सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार।
7– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषक कि उक्त आदेशक को गजट में प्रकाशित कर इसकी 1000 प्रतियॉ उपलब्ध कराये ।
8– निबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तरांचल नैनीताल।
9– आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन जाति उत्तरांचल देहरादून।
10– सचिव विधान सभा उत्तरांचल देहरादून।
11– समस्त मंत्रीयो के निजी सचिवों को मा0 मंत्रीगणों के सूचनार्थ ।
12– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0/–
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या–1095 / कार्मिक–2 / 2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव /सचिव उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग–2 देहरादून दिनांक 6 अगस्त,2002

बिशयः– तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध विषयक

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवाओं में स्थिरता एव स्थायित्व लाने तथा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के उददुष्य से सभी प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों को हतोशाहित करना शासन की नीति रही है, लेकिन शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के बावजूद भी विभागो द्वारा समय–समय पर तदर्थ नियुक्तियों /पदोन्नतियों की आवष्यकता बतायी जाती है और तदर्थ नियुक्तियॉ की जाती हैं और सम्बन्धित पद पर कभी कभी चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना ही तदर्थ्र नियुक्तियॉ की जाती हैं। तदर्थ नियुक्तियॉ चाहें सीधी भर्ती के माध्यम से की जाये अथवा पदोन्नति के माध्यम से, जहॉ एक ओर तदर्थवाद को बढावा मिलता है वहीं दूसरी ओर सेवाओं में अस्थिरता उत्पन्न होती है और धीरे धीरे तदर्थ नियुक्ति कार्मिको द्वारा भी नियमितिकरण की मांग की जाती है। इसके अतिरिक्त तदर्थ नियुक्तियॉ करने से जहॉ नियमित चयनों में विलम्ब होता है वही ऐसी नियुक्तियों के कारण सम्बन्धित सेवा सर्वगों में सेवा सम्बन्धी विवाद भी उत्पन्न होते है जिसके कारण मामले मा0 न्यायालयों में जाते है और उच्चतर पदों में समय से पदोन्नतियॉ नही हो पाती है।

2– अतः शासन द्वारा समयक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये है

(1) तदर्थ नियुक्तियॉ सामान्यतः नही होनी चाहिए। वर्तमान में इनमे पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है यदि किसी अपरिहार्य परस्थितियों में तदर्थ नियुक्तियॉ किया जाना आवष्यक समझा जाता है तो ऐसा समुचित प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जो यथा सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो, कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात मा0 मंत्री परिशद के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

(2) जिन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसका उल्लंघन करके तदर्थ नियुक्तियां की जाएंगी ऐसी नियुक्तियां करने को गंभीर कदाचार समझा जाएगा, जिसके लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी और तदर्थ नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये व्यय को उनके वेतन से वसूला जाएगा।

(3) आपसे अनुरोध हे कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिष्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0–
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्याः 1095(1) / कार्मिक–2 / 2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।

1– गोपन अनुभाग को उनके पत्र संख्या 4 / 2 / 11 / 2002 सी–एक्स दिनांक 28 जून 2002 के सन्दर्भ में।

2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0/–(रमेश चन्द्र लोहनी)
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग
संख्या–44 / कार्मिक अनुभाग–2 / 2003
देहरादून दिनांक 5अप्रैल,2003
अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की घारा–71(1) में उल्लिखित दसवी सूची में विनिर्दिश्ट उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन अकादमी नैनीताल के नाम को परिवर्तित कर '' उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल ;न्जजतंदबींस ।बंकमउल वि ।कउपदपेजतंजपवद छंपदपजंसद्ध किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं।

ह0–
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या–44(1) / कार्मिक –2 / 2003 तददिनांक
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषक :–
1– महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून
2– सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
3– सचिव मा0मुख्य मेत्री उत्तरांचल
4– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन।
5– कार्मिक एवं लोक शिकायत प्रशासन एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– निदेशक उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को उनके पत्र संख्या 1970 / 1–13 / 2002दिनांक 20–12–2002 के सन्दर्भ में प्रेषक।
9– निदेशक मुद्रणा एवं लेखन सामग्री रूडकी (हरिद्वार)को अधिसूचना की हिन्दी प्रति को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषक कि कृपया अधिसूचना को मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियॉ कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0 / –
(सुरेन्द सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या–1297 / तीस–2 / 2004

प्रेषक,

नृपसिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
2– मण्डलायुक्त, कुमायूं एवं गढवाल मण्डल,उत्तरांचल ।
3– समस्त विभागाध्य, उत्तरांचल ।
4– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25अगस्त,2004

विषयः– लोक सेवकों द्वारा कार्यालयों में स्वच्छता,समयबद्वता एवं शिष्टता के संबध में।

महोदय,

लोक सेवक का आचरण राज्य की छवि को प्रतिबिम्बित करता है ।सभी लोक सेवकों का यह दायित्व है कि वे अपनी कार्यशली और आचरण से राज्य की छवि को प्रतिबिम्बित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, क्यों कि किसी राज्य की छवि उसके लोक सेवकों की कार्यप्रणाली और आचरण पर निर्भर करती है । और इसी के साथ जनता के हितो की रक्षा होती है । लोक सेवकों की कार्यप्रणाली और आचरण मुख्य रुप से कार्यालय की स्वच्छता, समयबद्वता ,कार्यों के निस्तारण में तत्परता,सौहार्दपूर्ण ब्यवहार एवं शिष्टता से परिलक्षित होती है ।

2– अतः इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक लोक सेवक का यह दायित्व होगा कि वे अपने कार्यालय को स्वच्छ एवं सुब्यवस्थित बनाये रखें,कार्यालयों में उपस्थिति के संबध में समयबद्वता सुनिष्चित करें । कार्यों के निस्तारण शीघ्रता से करें ताकि जनता को अपने कार्यों को निरूतारित करने के लिये बार–बार आने की स्थिति उत्पन्न न हो । जनता द्वारा की जाने वाली जिज्ञासाओं के संबध में उन्हें समुचित सम्मान देते हुये स्पश्ट उत्तर दें । कार्यालय कार्यों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारित करें । जनसम्पर्क की सभी बिन्दुओं की छोटी से छोटी इकाई पर आम जनता को समुचित सम्मान दें और जनता के साथ सद्भावपूर्वक एवं शिश्टता के साथ व्यवहार करें।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिष्चित करायें। अपने स्तर पर इस संबध में कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी करा दें ।

भवदीय,
ह0 / –
(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

संख्या (1) / तीस–2 / 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषकः–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराचंल शासन।
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0 / –
(आर0सी0लोहनी)
उप सचिव।

उत्तराचंल शासन,
अपर मुख्य सचिव
(अवस्थापना विकास शाखा)
संख्या– 634 / अमुस / अवि / पीएस–2004
दिनांकः देहरादून : अक्टूबर 06,2004
कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में अवस्थापना विकास की विभिन्न मदों– सडक, ऊर्जा, पेयजल, आवास, नगर विकास, सिचाई, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, औद्यौगिक विकास, सूचना प्रौद्यौगिकी, वायोटेक्नोलांजी, परिवहन(अवस्थापना विकास की रणनीति में दुग्ध विकास कृशि एवं एद्यान में बृद्वि भी सुनिष्चित करते हुये)– के अन्तर्गत नये कार्यों के लिये पहल करने, क्षेत्र विशेश के बिशिश्ट परामर्शदाताओं से परियोजनायें तैयार कराने,योजनाओं को अन्तिम रुप देने, योजनाओं के लिये धनराशि की ब्यवस्था को अन्तिम करने एवं यथा– आवष्यकता कायों को सही दिशा देने आदि के उद्देष्य से श्री राज्यपाल '' अवस्थापना विकास परिशद'' के निम्नानुसार गठन की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– मा0 मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष
2– मा0 वित्त मंत्री जी सदस्य
3– मुख्य सचिव सदस्य
4– अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त सदस्य सचिव
5– प्रमुख सचिव (वित्त) सदस्य
6– सचिव नियोजन सदस्य
7– राज्य सरकार द्वारा नामित दो तकनीकी विशेशज्ञ विशेश आमन्त्रित सदस्य
8– सम्बन्धित विभाग मंत्रीजी विशेश आमन्त्रित सदस्य
9– सम्बन्धित विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव विशेश आमन्त्रित सदस्य

प्रदेश के अवस्थापना क्षेत्र के विकास एवं अवस्थापना– परियोजनाओं के समय नियोजन के लिये यह परिशद शीर्श संस्था होगी तथा इसके कर्तब्य एवं अधिकार निम्नानुसार होगेंः–

1– परिशद अवस्थापना क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयासों,जिसके अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा राज्य सरकार द्वारा आय ब्ययक में की गई ब्यवस्था के अतिरिक्त अन्य स्रोतो से धन की व्यवस्था करना शामिल है, के समन्वय हेतु एक नोडल ऐजेन्सी के रुप में कार्य करेगी। एतदर्थ परिषद,

(1)निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु अवस्थापना–परियोजनाओं का चिन्हीकरण करेगा,

(2)उपभोक्ताओं को उत्तम सेवा प्रदान करते हुये प्रतिस्पर्धा को बढावा देगी एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को अधिकाधिक रुप में सुनिष्चित करेगी,

(3)अवस्थापना क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित करेगी तथा इन समस्याओं के निवारण हेतु राज्य सरकार को नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करेगी ।

(4)अवस्थापना परियोजनायें चिन्हित करते हुये उनका बरीयता क्रम निर्धारित करेगी

(5) अवस्थापना क्षेत्र के संबध में स्पश्ट एवं पारदर्शी नीति निर्धारित करेगी ताकि यह सुनिष्चित हो सके कि परियोजना संबधी जोखिम स्पश्टतः चिन्हित है तथा निवेशकों को आबंटित है, तथा

(6) निजी भागीदारी को आकृश्ट करने तथा उपभोक्ताओं को उचित अवस्थापना– सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु रियायत– ग्राही को क्षेत्रवार छूट को चिन्हित करेगी ।

2– समस्त निविदा प्रपत्र,अनुबन्ध आलेख (राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले विविण अनुबन्धीय ब्यवस्थाओं एवं प्रलोभनों सहित), आन्तरिक रुप से अथवा इस प्रयोजन हेतु नियत परामर्शदाता अथवा सेवा–प्रदेता के माध्यम से तैयार करेगी ।

3– वांछित आंकडे एकत्रित करने सहित प्रस्ताव अवस्थापना परियोजनाओं का पूर्व– सम्भाब्यता एवं सम्भाब्यता अध्ययन करने तथा आख्या तैयार करने हेतु परिशद के नियन्त्रणाधीन ''अवस्थापना विकास निधि'' की सीापना करेगी । इस निधि में विकास निधि, राज्य सरकार के आयब्ययक

स्रोत,सार्वजनिक संस्थाओं तथा बहुउद्देशीय ऋणदाता ऐजेन्सियों तथा वित्तीय संस्थाओं से अभिदान प्राप्त किया जायेगा।

4– सार्वजनिक अवस्थापना ऐजेन्सियों एवं रियायत–प्राप्त संस्थाओं को वैधानिक एवं अन्य अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करेगी ।

5– सार्वजनिक अवस्थापना ऐजेन्सी को नियमानुसार छूट प्रदान करने हेतु संस्तुति करेगी,

6– अवस्थापना परियोजनाओं मे पूर्ण अथवा आंशिक पूजीनिवेश करने वाली निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित राज्य सरकार एवं सार्वजनक संगठनों द्वारा पूजीनिवेश के स्तर को निर्धारित करेगी,

7– राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक अवस्थापना ऐजेन्सियों के साथ समन्वय करते हुये अवस्थापना परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु विशिश्ट उद्देशीय यान (चमबपंस चनतचवेम अमीपबसम) स्थापित करेगी, तथा

8– अवस्थापना विकास निधि का प्रबन्ध एवं संचालन करेगी ।

अवस्थापना विकास की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य मे जिला योजना को भी आवष्यकतानुसार सम्मिलित किया जायेगा ।

ह0/–
(डा0 आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

संख्या 634(1) /अमुस/ अविआ/ पीएस–2004 /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्रीजी उत्तरारंचल ।
2– निजी सचिव,समस्त मा0 मन्त्रीगण, उत्तरांचल ।
3– मुख्य सचिव, उत्तरारंचल शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तरारचल शासन।
5– महालेखाकार,उत्तरांचल सहारनपुर रोड देहरादून।
6– समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरांचल ।
7– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी ।

आज्ञा से
ह0/–
(एम0 रामचन्द्रन)
अपर मुख्य सचिव

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या– 4216 / तीस–1 –2004
देहरादून : दिनांक : 02 दिसम्बा,2004

विषयः– शासन में शाखाओं का गठन व शाखा– प्रमुखों के अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

सचिवालय में अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव वन, एवं ग्राम्य विकास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त शाखा का गठन किया गया है। उपरोकत तीनों शाखाओं के अन्तर्गत निम्न विभाग रखे गये हैं :

1-1 voLFkkiuk fodkl vk;qDr

1 लोक निर्माण विभाग
2 पर्यअन विभाग
3 उद्योग विभाग
4 सूचना प्रौद्यौगिकी
5 वायो–टैक्नोलाजी
6 नगर विकास विभाग
7 नागरिक उद्छयन विभाग
8 ऊर्जा विभाग
9 सिचाई विभाग
10 अपारम्परिक ऊर्जा
11 परिवहन विभाग
12 उच्च शिक्षा
13 विद्यालय शिक्षा
14 तकनीकी शिक्षा
15 पेयजल
16 आवास

1-2& izeq[k lfpo rFkk ou ,oa xzkE; fodkl vk;qDr 'kk[kk

1 वन एवं पर्यावरण विभाग
2 ग्राम्य विकास विभाग
3 पंचायतीराज विभाग
4 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
5 लघु सिचाई विभाग एवं कृत्रिम रुप से भूमिगत जल संवर्धन एवं वर्शा जल संग्रहण
6 जलागम प्रबन्ध विभाग
7 कृशि, कृशि विपणन एवं कृशि शिखा विभाग
8 सहकारिता विभाग
9 गन्ना विकास विभाग
10 चीनी उद्योग विभाग
11 पशुपालन विभाग
12 दुग्ध विकास विभाग
13 मत्स्य पालन विभाग
14 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
15 रेशम विभाग

1-3 izeq[k lfpo rFkk lekt dY;k.k vk;qDr 'kk[kk

1 समाज कल्याण
2 महिला सशक्तिकरण एवं वाल विकास विभाग

3 पिछडा वर्ग विभाग
4 सैनिक कल्याण विभाग
5 अल्प संख्यक कल्याण विभाग
6 विकलांग कल्याण विभाग
7 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग

2. शाखाओं में अपर सचिव व उससे कनिश्ठ स्तर के अधिकारियों के मध्य आन्तरिक कार्य आंबटन का अधिकार क्रमशः अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त को प्रतिनिधानित करते हुये निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः

2.1 आईए0एस0, पी0सी0एस0 तथा अन्य राज्याधीन सेवाओं के अपर सचिव व उनके कनिश्ठ स्तर के अधिकारियों को उक्त तीन शाखाओं में तैनाती कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी और शाखाओं में उसके मध्यम कार्य आंबटन शाखा–प्रमुख के रुप में अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त द्वारा किया जायेगा ।

2.2 सचिवालय सेवा के अधिकारियों अपर सचिव एवं उससे कनिश्ट अधिकारियों की तैनाती उक्त तीन शाखाओं में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की जायेगी और शाखा उनके मध्य कार्य आवंटन अवस्थापना विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव तथा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

2.3 शाखा प्रमुखों द्वारा प्रस्तर 2.1 व 2.2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये जायेगें ऐसे समस्त आदेशों की पत्रावलियों के रख रखाव के लिए अपर शाखा के अधीनस्थ किसी विभाग को नोडल विभाग नामित किया जायेगा। उक्त नोडल विभाग द्वारा शाखा के अन्तर्गत पारित किये जाने वाले समस्त आदेशों की पत्रावलियों का अनुरक्षण किया जायेगा। तथा ऐसे समस्त आदेशों की प्रति अनिवार्य रूप से कार्मिक विभाग को पृष्ठाकित की जायेगी।

2.3 यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या–4216(1)/तीस–1–2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।

1– अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
3– सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तरांचल शासन।
4– मण्डलायुक्त ,कुमायू/गढ़वाल मण्ड़ल।
5– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल

आज्ञा से
ह0
(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2471 / तीस–1 / 2005

प्रेषक,

आर0सी 0लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल।
2–समस्त विभागाध्य, उत्तरांचल शासन।
3–मण्डलायुक्त, कुमायूं / गढवाल मण्डल, उत्तरांचल
4– समस्त समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 21 जून, 2005

विषयः– उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)संघ ,प्रथम वार्षिक अधिवेशन में भाग लेनें हेतु दो दिवसीय विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)संघ, द्वारा दिनांक 24.6.2005 एवं 25.6.2005 को प्रथम वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अधिवेशन में संघ के सदस्यों द्वारा भाग लिया जायेगा।

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त दिनांक 24.6. 2005 एवं 25.6.2005 को अधिवेश में भाग लेनें वाले सदस्यों को विशेश आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कश्ट करे।

भवदीय,
ह0 / –
(आर0 सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–2471 / (1) / तीस–1–05तददिनांक

प्रतिलिपि– डा0 प्रताप सिंह गुसाई, पी0सी0एस0 कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी संघ) देहरादून।

आज्ञा से
ह0 / –
(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1887 / तीस–(2) / 2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक जुलाई 05, 2005

विषयः– अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिष्चित किया जाय। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि सामान्य तया अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने व उसे पूरा करने में तत्परता नही बरती जाती है। बहुत से मामलों में वर्शो पुरानी घटनाओं / आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया जाता है। कई मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारभ्भ करने के बाद लम्बे समय तक जांच कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है। विलम्ब से जांच करने में इस बात की सम्भावना बनी रहती है कि सम्बन्धित आरोपों को सिद्ध कर सकने वाले साक्ष्य ही मिट जायें और दोशी सरकारी सेवक दण्ड पाने से बच जाय। यदि जांच करने का निर्णय ही देर में लिया जाय तो इस बीच सरकारी सेवक को वेतन बृद्धि , स्थाईकरण, पदोन्नति जैसो लाभ मिल चुके होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही का कोई महत्व नही रह जाता है। जहॉ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारभ्भ होने के बाद लम्बे समय तक चलती है वहॉ आरोपित सरकारी सेवक के पदोन्नति आदि के मामले लम्बे समय तक लम्बित रखने पडते है, जिससे उनमें कुण्ठा उत्पन्न होती है और कैडर मैनेजमैंट में समस्यायें उत्पन्न होती है। अतः आवष्यक है कि अनुशासनिक कार्यवाही समय से की जाय और निर्धारित समय सारणी के अनुसार उसे पूरा कर लिया जाय।

यह भी देखने में आया है कि बहूत से मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय अत्यन्न जल्दवाजी में या आवेश में आकर ले लिया जाता है और निर्धारित समय सीमा में आरोप पत्र तैयार नही हो पाता है तथा इस बात की छानवीन होती रहती है कि जो आरोप हैं उनमें किन नियमों / आदेशों की अवहेलना / उल्लधंन निहित हैं तथा उसे सिद्ध करने के लिए आरोप पत्र किन किन साक्ष्यों का उल्लेख / समावेश किया जा सकता है। कुछ मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लेते समय इस विन्दु पर विचार नहीं किया जाता है कि संज्ञान में आये हुए आरोप यदि सिद्ध हो जायेगें तो उनकी गम्मीरता को देखते हुए मात्र कोई लघु शस्ति देना ही तो पर्याप्त नहीं होगा और अन्ततः सभी आरोप सिद्ध होने के बावजूद परिनिन्दा प्रविश्टि जैसा लघु शास्ति दिये जाने का निर्णय होता है जबकि नियमानुसार लघु शस्ति देने के लिए आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही करना आवष्यक नहीं होता है। सरकारी विभाग से जो जांच रिर्पोट प्राप्त होती है उनमें कई मामलों में लघु शास्ति दिये जाने की संस्तुति की जाती है उनमें भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारभ्भ की जाती है। ऐसे मामलों में जहॉ लघु दण्ड शास्ति दिया जाना है, वहॉ अनुशासनिक कार्यवाही प्रारभ्भ करने से अत्यधिक समय नश्ट होता है और सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को कठिनाई का सामना करना पडता है । शास्ति को वर्शो बाद देने से शास्ति लगभग प्रभावहीन हो जाती है और लघु शास्ति के पीछे जो सुधारात्मक दृष्टिकोण निहित होता है वह भी पूरा नहीं हो पाता है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृश्टिगत रखते हुए अनुशासनिक कार्यवाही का निस्तारण शीघ्रता से सुनिष्चित करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही की समय सारिणी को अधिक प्रभावकारी और व्यवहारिक बनाने के उददेष्य से शासन द्वारा निम्न लिखित निर्णय लिये गये है :–

(1) प्रत्येक दशा में यथा सम्भव निलम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी/अधिकारी) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप पत्र अवष्यक प्रेषक किया जाय।

(2) नियत्रक अधिकारी द्वारा यह सूनिष्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी सेवक को प्रशासकीय कार्य में इस सीमा तक न लगाये रखो कि उसे यह कहने का मौका मिले कि वह अपने प्रशासकीय /शासकीय कार्य में व्यस्थ होने के कारण समय से उत्तर नहीं दे सका।यदि जांच पूर्व नियुक्ति के स्थान से सम्बन्धित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दीजाय जहॉ उसे अभिलेख आदि देखने हो।

(3) निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने से पूर्व आरोप पत्र के साथ अिभलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का उल्लेख स्पश्ट रूप से कर दिया जाय और अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रतियॉ भी संलग्न कर भेजी जाय।

(4) किसी सरकारी सेवक के निलम्बन का प्रस्ताव /रिर्पोट भेजने वाले अधिकारी को यह सुनिष्चित करना चाहिए कि वे उन आरापों से सम्बन्धित अभिलेख अपने पास रखे जिनके आधार पर उन्होंने निलम्बन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषक किया है ताकि जांच अधिकारी व अपचारी सरकारी सेवक को समय से वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जा सके ं यदि वे अभिलेख किसी अन्य मामले में वांछित हो तो साक्ष्य के लिए ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियॉ बनाकर प्रस्ताव करने वाले अधिकारी द्वारा अपने पास रख ली जाय।

(5) समस्त कार्यालयों / अधिश्ठानों की मासिक समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों में विभागीय कार्यवहियों की समीक्षा भी की जाय। यह समीक्षा जिला स्तर ,मण्डल स्तर , विभागाध्यक्ष स्तर तथा शासन स्तर पर की जाय। अत्यधिक पुरानी घटनाओं के संबंध में जांच कार्यवाही लघुशास्ति देने की प्रकिया

6. सामान्यतः बहुत पुरानी घटनाओं जब तक कि उनमें कोई गम्भीर दुराचरण या शासन को आर्थिक क्षति का मामला निहित न हो, के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही / जांच प्रारम्भ न की जाये।

7. किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोप संज्ञान में आने पर शस्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सूनिष्चित किया जाये कि क्या आरोपों के सिद्ध होने पर भी मात्र लघु शास्ति दिया जाना ही पर्याप्त होगा ? यदि हॉ तो आरोप पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के बजाय, यदि आवष्यक हो तो सम्बन्धित सरकारी सेवक का स्पश्टिकरण लेकर निम्न लिखित प्रक्रिया अपनाई जाय।

(क) यदि परिनिन्दा प्रविश्टि या वृद्धि का औचित्य पाया जाय तो शास्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपों व उन्हें सिद्ध करने वाले साक्ष्यों आदि का उल्लेख करते हुए सीधे ही दो सप्ताह के भीतर शास्ति जारी कर दिया जाय।

(ख) यदि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य लघु शास्ति(डिसमिसल ,रिमूवल,प्रत्यावर्तन, जो वृहत दण्ड है को छोड कर) देने का औचित्य हो तो अधिकतम तीन सप्ताह का समय देते हुए आरोपित सरकारी सेवक का स्पश्टीकरण मांगा जाय तथा स्पश्टीकरण प्राप्त होने या स्पष्टीकरण देने की अवधि बीतने के दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिया जाय।

8. (1) जहॉ नियुक्ति प्राधिकारी का आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए यह विचार हो कि यदि आरोप सिद्ध हो जोयगें तो बृहद शास्ति देने का औचित्य होगा, तो दो सप्ताह के भीतर आरोप पत्र जारी कर दिये जायें । दीर्घ शास्ति देने की प्रक्रिया

(2) प्रत्येक दशा में यथासम्भव, निलम्बन आरोप पत्र बनाने के बाद ही किया जाय और जब भी किसी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी सेवक (कर्मचारी /अधिकारी) के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित की जाय तो ऐसे प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा आरोप पत्र तैयार कर अवष्य प्रेषक किया जाय।

(3) आरोप पत्र में आरोपित सरकारी सेवक से एक माह के भीतर स्पश्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय तथा अत्यन्न विशेश परिस्थितियों में स्पश्टीकरण के लिए अनधिक एक माह का समय दिय जाने पर विचार कर लिया जाय परन्तु इस हेतु किसी भी दशा में दो माह से अधिक समय न दिया जाय। उक्त अवधि में स्पश्टीकरण दे सकने के लिए उसे पर्याप्त अवसर देने के उददेष्य से सभी संगत अभिलेख आदि आरोप पत्र के साथ ही संलग्न कर उपलब्ध करा दिये जाय। फिर भी यदि किसी अन्य अभिलेख को देखने की अनुमति देना अवष्यक हो तो उन्हें तत्काल अवलोकित करादिया जाय और यदि उनकी तैनाती से भिन्न स्थान पर उपलब्ध हो तो उसके लिए उसे दो सप्ताह के लिए उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहॉ अभिलेख उपलब्ध हों।
(4) आरोपी सरकारी सेवक का स्पश्टीकरण प्राप्त होने के बाद अधिकतम तीन माह के भीतर जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही जिसमें गवाहों का परीक्षण प्रति परीक्षण भी शामिल है, पूरी करली जाय। इस अवधि में जांच पूरी करने के उददेष्य से यह सूनिष्चित कर लिया जाय कि जांच से सम्बन्धित स्थान पर तैनात अधिकारी को ही सामन्यतया जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जहॉ यह सम्भव न हो वहॉ उस स्थान से निकटतम् स्थान पर तैनात अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाय। जांच अधिकारी वैयक्तिक नाम के बजाय केवल पद नाम से नियुक्त किया जाय , ताकि उनके स्थानान्तरण/सेवा निवृत्ति आदि के अवसर पर नयें जांच अधिकारी की नियुक्ति की अवष्यकता न हो।
(5) यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच सम्पन्न न की गई हो तो (क) जांच अधिकारी द्वारा जांच समाप्त होने के दो सप्ताह भीतर अपनी जांच आख्या नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाय।
(ख) जहॉ सेवा से पदच्युत ,सेवा से हटाना किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना या संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोकना में से कोई दीर्ध शास्ति प्रस्तावित हो, तो जांच आख्या रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखित निश्कर्शो की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को उपलब्ध कराते हुए आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाय कि वे इस पर अपना प्रत्यावेदन, यदि देना चाहे तो दो सप्ताह के भीतर अनुशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करा दे।
(6) आरोपित सरकारी सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि बीतने जैसी भी स्थिति हो के प्श्चात अगले दो सप्ताह के भीतर अनुशानिक अधिकारी द्वारा समुचित शास्ति आदेश जारी कर दिये जांय । यदि उक्त सरकारी सेवक की नियुक्ति उस अधिकारी द्वारा प्रदान की गइ हो जो उसे दण्ड देते समय संबधित पद के नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च स्तर के हो, तो बृहद शास्ति के आदेश उस अधिकारी द्वारा ही जारी किये जांय , जिसने उस सेवक को वास्तव में तत्समय नियुक्ति प्रदान की थी ।
(7) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जांच आख्या एचं उस पर अनुशासनिक अधिकारी के अभिलिखित निश्कर्शों की प्रति दिये जाने के अलावा कोई अन्य शो–काज नोटिस दिये जाने की आवष्यकता नही है, क्यों कि सविधान के 42वें शंशोधन के परिणाम स्वरुप अब सेंकेण्ड अपारच्युनिटी दिये जाने की ब्यवस्था समाप्त हो गई है।
(8) जहां कोई शास्ति दिये जाने के लिये लोक सेवा आयोग का परामर्श आवष्यक हो, वहां शास्ति आदेश पारित करने के पूर्व लोक सेवा आयोग को सन्दर्भ किया जाये और उनसे अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर परामर्श प्राप्त किया जाये तथा परामर्श प्राप्त होने के पश्चात दो सप्ताह के भीतर शास्ति आदेश पारित कर दिये जांये ।
9– प्रत्येक विभाग के उपरोक्त समय सारिणी को कडाई से लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो अपने स्तर पर यह सुनिष्चित करेगा कि अनुशासनिक कार्यवाही के लिए निर्धारित समय सारिणी का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं । समय–सारिणी का पालन न करने वाली अधिकारी के विरूद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह सचिव स्तर पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी और जिन प्रकरणों में बिलम्ब दृश्टिगौचर हो , उसकी आख्या मुख्य सचिव स्तर

पर भेजी जायेगी। प्रत्येक अनुशासनिक कार्यवाही का अनुश्रवण किया जायेगा जो कार्यवाहियॉ समय पर नहीं हो पायेगी उसकी सूचना विभागाध्यक्ष, विभागों के सचिव व मुख्य सचिव स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी ताकि अनुश्रवण किया जा सके। सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले मासिक बैठकों में भी अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में होने वाले विलम्ब के संबंध में विचार विमर्श किया जाये और एक अभियान चलाकर सभी लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण सुनिष्चित किया जाय।

10–अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णयों से अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध समस्त अधिकारियों को कृपया अवगत करा दे और यह निर्देश दे दे कि सन्दर्भगत समय सारिणी /उपरोक्त निर्णयों का सभी स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय।

भवदीय
ह0/–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या'1887(1) तीस–(2)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायू(पौडी/नैनीताल) उत्तरांचल।
2– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– अधिशासी निदेशक एन. आई. सी. उत्तरांचल।
6– सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल हरिद्वार।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–412 / तीस–(2) / 2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 05 मार्च, 2005

विषयः– राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने स्थानान्तरण के समय चार्ज नोट छोडा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष वार्शिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभागो एवं जनपदो के अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाते हैं। विभिन्न विभागों एवं जनपदों मे कार्यरत अधिकारी शासन की नीतियों ,विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। पूर्व से ही यह नीति रही है कि स्थानान्तरण के फलस्वरूप अधिकारी अपने उत्तराधिकारी के लिए एक चार्ज नोट लिख कर छोड जाये, जिससे स्थानान्तरण के फलस्वरूप नये अधिकारी को नवीन स्थान एवं पद से समबन्धित विकास कार्यक्रमों / परियोजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा ,उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी हो जाय और उसे अपने कार्य से सम्बन्धित स्थिति की जानकारी तुरन्त प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

2– अतः किसी भी अधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्रूप प्रदेश में चल रहे विकास कार्यक्रमों , परियोजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो, इस उददेष्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनपद /मण्डल स्तर पर अथवा विभिन्न विभागों के मुख्यालयों पर तैनात जो राज पत्रित अधिकारी स्थानान्तरित हो, वे कार्यमुक्त होने से पूर्व अपने उत्तराधिकारी के लिए एक टिप्पणी (चार्ज नोट)अनिवार्य रूप से बनाकर छोड दे ताकि नये अधिकारी को उस विभाग /जनपद /मणडल में कार्यान्वित किये जा रहे विकास कार्यक्रमों /परियोजनाओं तथा ऐसे प्रकरणों, जिन पर तत्काल ध्यान देने की अवष्यकता हो, के सम्बन्ध में, कार्यभार ग्रहण करते ही जानकारी प्राप्त हो जाय।

3– उपर्युक्त प्रथा अन्य उच्चाधिकारियों तथा विभागाध्यक्षो द्वारा भी अपनाई जानी उपयुक्त होगी।

4– आपसे अनुरोध हे कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय।

भवदीय,
ह0
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 412–(1) / तीस(2) /2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1– मण्डलायुक्त कुमायू /गढ़वाल उत्तरांचल।

2– समस्त जिलाधिकारी उत्तराचंल।

आज्ञा से
ह0
(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–48 / तीस–(2) / 2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 05 मार्च, 2005

विषयः– लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन हेतु अधियाचन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन हेतु अधियाचन प्रेषक किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 375 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 10 अप्रैल ,2002 द्वारा निर्देश किये गये हैं। सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के पदों पर चयन किये जाने के प्रत्येक चयन वर्ष में 01 जुलाई को उपलब्ध रिक्तियों तथा 30 जून तक घटित होने वाली परिणामी रिक्तियों के लिए प्रतिवर्ष लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषक किया जाना आवष्यक है ताकि आयोग द्वारा प्रति वर्ष चयन करने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियॉ शासन को प्रेषक की जा सके। प्रति वर्ष चयन होने के आधार पर जहॉ एक ओर पद लम्बे समय तक रिक्त नहीं रहते है वही दूसरी ओर पात्र कार्मिको की पदोन्नति भी सयम से सुनिष्चित होती है। ऐसा करने से शासन का कार्य भी प्रभावित होने की सम्भावना नहीं रहती हैं प्रयाः यह देखने में आया है कि अनेक विभागो द्वारा सीधी भर्ती तथा पदोंन्नति कोटे की रिक्तियों को आंगणित करके चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रतिवर्ष प्रेषक नहीं किये जाते है फलस्वरूप पद रिक्त रहने के कारण कार्य प्रभावित होता है।

2– अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृप्या लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर चयन हेतु प्रतिवर्ष रिक्तियॉ आगणित करते हुए प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में अधियाचन लोक सेवा आयोग को अवष्य प्रेषक कर दिय जाय ताकि आयोग द्वारा समय से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियॉ सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करायी जा सके।

भवदीय,
ह0
(नृपसिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 48(1) तीस(2) / 2006 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1– सचिव लोक सेवा आयोग हरिद्वार
2– मण्डलायुक्त कुमायू / गढवाल
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग
4– समस्त जिलाध्किारी उत्तरांचल
5– अधिशासी निदेशक एन0आई0सी0 देहरादून

आज्ञा से
ह0
(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या– 2607 / X X X (ii)/2005
dk;ky; Kki A

अधोहताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयेग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

(1) किसी चयन वर्ष विशेश में घटित होने वाली रिक्तियों की सही गणना सुनिष्चित करने के उपरान्त ही लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाय। अधियाचन भेजे जाने के उपरान्त यथा सम्भव रिक्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाय।

(2) चयनित अभ्यथियों की संस्तुतियॉ प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें कार्ग्रभार अवष्य काराया जाय। शिवाय उन मामलों के जहॉ सम्बन्धित विभाग /संस्था /संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये गये हो। सम्बन्धित विभाग /संस्था /संगठन को समाप्त किये जाने अथवा न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये जाने की स्थिति में अधियाचित पदों को ही समाप्त किये जाने अथवा रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित किये जाने के निर्णय लिये जाने की दशा में तत्काल आयोग को सूचित किया जाय।

3– सम्बन्धित विभागो द्वारा संस्तुतियॉ /आवंटन प्राप्त होने के एक माह अन्दर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना सुनिष्चित किया जाय तथा अभ्यर्थि को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान किया जायेगा जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक और बढाने पर विचार किया जा सकता है।

4– निर्धारित अवधि में कार्यभाग ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करते हुए घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दिया जाय।

5– चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों की विरूद्ध किया जाय जिसके लिए अधियाचन भेजा गया हो /चयन किया गया हों।

6– एकल संवर्ग के पदो को छोडकर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतिक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न हीं किसी प्रकार के रिशफलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

2– उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय।

ह0–
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2607/XXX/2005 तददिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–
1– अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव उत्तरांचल शासन।
3– सचिव लोक सेवा आयोग ,उत्तरांचल हरिद्वार।
4– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल।
5– मण्डलायुक्त, कुमायू एवं गढवाल।
6– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
7– सचिव विधान सभा उत्तरांचल ।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से
ह0
(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 2858 / तीस(2) / 2005

प्रेषक,

डा0 आर0एस0टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 23 सितम्बर,2005

विषय– अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा का संचालन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के पश्चात परिवेक्षा अवधि पूर्ण होने तथा पदोन्नति के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर कतिपय पदों के समबन्ध में सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। राज्य गठन से पूर्व ऐसी विभागीय परीक्षाओं का आयोजन अध्यक्ष विभागयी परीक्षाएं एवं आयुक्त इलाहाबाद मण्डल द्वारा लोक सेवा आयोग उ0प्र0 के माध्यम से किया जाता था। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उत्तरांचल राज्य के विभिन्न विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभगीय परीक्षा वर्ष 2000,2001,2002, एवं 2003 में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से करायी गई थी तथा वर्श 2004 की परीक्षा के आयोजन हेतु आवेदन पत्र सक्षम अधिकारियों के माध्यम से अग्रसारित कराकर लोक सेवा आयोग उ0प्र0 को प्रेषक किये गये हैं।

2– अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के प्रक्रम में परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जिन सेवाओ एवं पदों में व्यवस्था विद्यमान है ऐसी सेवाओं एवं पदों पर विभागीय परीक्षा का आयोजन वर्ष 2004 तक के लिए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा, परन्तु वर्ष 2005 से समस्त सेवाओं एवं पदों पर विभागीय परीक्षा आयोजन उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा किया जायेगा।

3– अतः आपसे अनुरोध हे कि कृपया भविश्य में अधिकारियो / कर्मचारियो की विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने के प्रस्ताव उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को प्रेषक करने का कश्ट करे।

भवदीय,
ह0
(डा0आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या –2858 / तीस–(2) / 2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1– निदेशक उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।

2– डा0 ललित बर्मा अध्यक्ष विभागीय परीक्षायें / आयुक्त इलाहाबाद

मण्डल,इलाहाबाद उ0प्र0

3– समस्त जिला अधिकारी उत्तरांचल।

4– सचिव श्री राज्यपाल

5– सचिव विधान सभा उत्तरांचल ।

6– सचिव लोक सेवा आयोग उत्तरांचल, हरिद्वार।

7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह0
(आर0सी0लोहनी)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या– 4034 / X X X –1-/ 2005
देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर,2005
विज्ञप्ति
नियुक्ति

श्री एम0रामचन्द्रन, आई0ए0एस0(उत्तरांचल–72) को दिनांक 04 अक्टूबर, 2005 की पूर्वान्ह से मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन,देहरादून के पद पर नियुक्ति किया गया है।

ह0
(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–4034(1) / 30–1–2005 तददिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।
1– सचिव कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
2– समस्त प्रदेशों के मुख्य सचिव।
3– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून।
4– स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल नई दिल्ली।
5– सचिव श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
6– आयुक्त कुमायू / गढवाल उत्तरांचल।
7– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
8– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल देहरादून
9– महा निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
10– सम्बन्धित अधिकारी।
11– उप निदेशक राजकीय प्रेस रूडकी को इस आशय से प्रेषक कि कृपया विज्ञप्ति को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ ।

आज्ञा से
ह0
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सिचव

उत्तरांचल शासन
मुख्य सचिव
संख्या– 901 / मु0स0 / विविध / 2005
दिनांक 22 अक्टूबर,2005
कार्यालय ज्ञाप

प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न विभागो द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जाते है उनकी जानकारी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को नहीं दी जाती है।

कृपया समस्त विभाग यह सुनिष्चित कराये कि जो भी शासनादेश एवं स्वीकृतियॉ जारी की जाती है उसकी प्रतियॉ सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से प्रेषक कर ली जाय।

ह0
(एम0रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।
1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल शासन।
2– मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल पौडी / कुमायू मण्डल नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

ह0
(एम0रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

संख्याः 3493 / तीस–(2) / 2005

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तरांचल शासन।

कार्मिक अनुभाग –2 देहरादून दिनांक 09 नवम्बर,2005

विषय– विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन ,गोश्ठी ,सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवको को अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 662 / का–2–2002 दिनांक 18.7.2002 तथा शासनादेश संख्या 1009 / कार्मिक–2 / 2003 दिनांक 8.7.2003 द्वारा विदेश प्रशिक्षण,विदेश सेवायोजन, गोश्ठी,सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रतिपादित की गई है । उक्त शासनादेशों द्वारा यह भी स्पश्ट किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा ,अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ,प्रादेशिक सिविल सेवा ,विभागाध्यक्ष,निगमो के अध्यक्ष,एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बन्धित विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण सेमिनार ,विचार ,गोश्ठी ,सेवायोजन, स्टडी दूर, सिम्पोजियम वर्कशाप ,इसकालरशिप ,प्रतिनियुक्ति तथा नीजी कार्य एंव नीजी व्यय पर विदेश यात्रा से सम्बन्धित प्रस्ताओं पर कार्मिक विभाग तथा मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विदेश प्रशिक्षण विदेश सेवायोजन,गोश्ठी ,सेमिनार, तथा व्यक्तिगत कार्यो से विदेश जाने के प्रस्ताओं पर सीधे ही अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त पत्रावली कार्मिक विभाग को प्रेषक की जाती है, जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी के विदेश यात्रा के प्रस्ताव का परीक्षण उक्त शासनादेशों में दी गई व्यवस्थानुसार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निद्रेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेशों में की गई व्यवस्थानुसार भविश्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा ,अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ,प्रादेशिक सिविल सेवा , विभागाध्यक्ष, तथा निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के विदेश प्रशिक्षण गोश्ठी ,सेमिनार इत्यादि प्रस्तावों को सर्वप्रथम कार्मिक विभाग को प्रेषक किया जाय। कार्मिक विभाग द्वारा ही प्रस्ताओं पर उच्चानुमोदन प्राप्त किया जायेगा

भवदीय
ह0
(एम0 रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव।

संख्या–3493 / तीस(2) / 2005 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशिष्त :–

1– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ,उत्तरांचल।
2– समस्त मण्डालायुक्त / जिलाधिकारी उत्तराचंल।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

foHkkx&15

अतितत्काल

सं0 बी सी 16014/।/82–एस सी एंड वी सी डी–।
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 18/25 नवंबर, 1982

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवं।

विषय– अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रवासित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय को अध्यावेदन दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रोजगार शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का उस राज्य से जहां पर वे प्रवासी हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पत्र संख्या– सं0 बी सी 12025/2/76–एस सी टी–। दिनांक 22.3.1977 और पत्र सं– सं0 बी सी 112025 /।।/79–एस सी एंड वी सी डी–।, IV दिनांक 29.3.1982 के तहत जारी हुए अनुदेशों में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन के निर्धारित प्राधिकारी उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, जो अन्य राज्यों से प्रवासित होकर आए हों, यदि वे अपने पिता/माता के मूल निवास राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अपने पिता/माता को जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, सिवाय उन मामलों में जहां पर निर्धारित प्राधिकारी का यह विचार हो कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मूल राज्य के माध्यम से आवश्यक जांच–पड़ताल करना जरूरी है। ऐसा प्रमाण पत्र इस बात पर ध्यान दिए बगैर ही जारी किया जाएगा कि जिस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में वह व्यक्ति आकर रहने लगा है, वहां पर उसकी जाति/जनजाति अनुसूचित है या नहीं। इस सुविधा से एक राज्य या अन्य राज्य के संबंध में उस व्यक्ति के अनुसूचित जाति/जनजाति दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का संशोधित फार्म संलग्न है।

भवदीय
ह0/बी के सरकार
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं0 बी सी 16014/1/82–एस सी एंड बी सी डी–।

प्रतिलिपि प्रेषक–

1– कार्मिक तथा ए आर (स्टे0) एस सी टी अनुभाग अनुरोध है कि पूर्वोक्त पैराओं में लिखित स्थिति, जहां आवश्यक हो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण ब्रोशर में जोड़कर आवश्यक संशोधन कर दिया जाए।
2– सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस नई दिल्ली।
3–सचिव, कर्मचारी चयन आयोग सी जी ओ कंपलैक्स ब्लाक नं0 12 लोधी रोड नई दिल्ली।
4– भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
5– सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नारायण भवन नई दिल्ली।
6– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त आर0के0पुरम नई दिल्ली।
7–गृह मंत्रालय के एस0 सी एंड बह सी डी प्रभाग/टी डी प्रभाग के सभी अनुभाग।

ह0/बी के सरकार
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

जाति के प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री..... .....निवासी गांव/शहर.....जिला/मंडल.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....की.....जाति/जनजाति का/की है, जो निम्नलिखित आदेश के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोषित की गई है।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ शासित क्षेत्र आदेश 1951
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 1956 बुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब, पुनर्गठन अधिकारी 1966, हिमाचंल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिकारी 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित।
संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश 1956
संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जातियां आदेश 1959
संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश 1962
संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1962
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश 1964
संविधान अनुसूचित जातियां (उत्तर प्रदेश)आदेश 1967
संविधान (गोवा, दमण, तथा द्वीप) अनुसूचित जातियां आदेश 1968
संविधान (गोवा, दमण, तथा द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1968
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1970

.....

2– यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....को उसके माता/पिता श्री/ श्रीमती.... ..... निवासी गांव/शहर.....जिला/मंडल..... राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....को दिए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया है और जो जाति/जनजाति के हैं, जिसे..... .....राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति घोशित किया गया है।

(निर्धारित प्राधिकारी का नाम) द्वारा अपने पत्र
संख्या– दिनांक के अंतर्गत जारी किया गया।

हस्ताक्षर
पद
मोहर
स्थान
राज्य/संघ शासित क्षेत्र
दिनांक

कृपया राष्ट्रपति के संबंधित आदेश का उल्लेख करें।

प्रतिलिपि– शासनादेश संख्या–1432/26–3–86–11 (वि0स0)/86 दिनांक लखनऊ 10 जुलाई 1986, जो अनु सचिव उ0प्र0शासन हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग–3 से समस्त जिला अधिकारी उ0प्र0 को प्रेषक एवं अन्यों को पृष्ठांकित है।

विषय— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की सूची के संबंध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—634/26—3—86—11 (वि0स0) / 86 दि0 31.3.86 में आंशिक संशोधन करते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न पिछड़ी जातियों की सूची में हिन्दू वर्ग के अंतर्गत क्र0सं0—36 में भोटिया तथा क्र0सं0—37 में कोरी (आगरा, मेरठ और रूहेलखंड डिवीजन में) सम्मिलित होने का उल्लेख किया गया है। चूंकि भोटिया जाति उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों की सूची में तथा कोई जाति उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित है। अतः उक्त कोरी जाति तथा भोटिया जाति पिछडे वर्ग की जातियों की सूची में नहीं रह गई है।

2— अतः अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की पिछडी जातियों की सूची उक्त अंश तक संशोधित समझी जाए। आपके मार्गदर्शन हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियां तथा पिछड़ी जातियों की संशोधित सूची पुनः संलग्न है।

शासनादेश संख्या 1432/26—3—86—11 (वि0स0)/86 दिनांक लखनऊ 10 जुलाई 1986 का संलग्नक

mRrj izns'k dh vuqlwfpr tkfr;ksa dh lwphA

1— अगरिया 34 धरमी
2— बधिक 35—धसिया
3— बादी 36—गोंड
4— बहेलिया 37—ग्वाल
5— बैगा 38—हबुडा
6— बैसवार 39—हरि
7— बजनिया 40—हेला
8— बाजगी 41—कलाबाज
9— बलहर 42— कंजड
10—बलई 43— कपडिया
11—बाल्मीकि 44— करवल।
12—बंगाली 45— खरैता
13—बनमानुश 46— खरवार (वनवासी को छोड़कर)
14—बांसफोर 47— खटिक
15— बरवार 48— खरोट
16— बसोड 49— कोल
17— बावरिया 50— कोरी
18— बेलदार 51— कोरवा
19— बेडिया 52— लालबेगी
20— भांतू 53— मझवार
21— भुईया 54— मजहवी
59
22— भुईयार 55— मुसहर
23— बोरिया 56— नट
24— चमार, धूसिया, 57— पंखा झुसिया, जाटव
25— चीरों 58— परहिया
26— दवगर 59— पासी, तरमाली।
27— धांगर 60— पंतरी
28— धानुक 61— रावत
29— धरकार 62— सहरिया

30– धोबी
31– डोम
32– डोमर
33–दुसाध
63– सनोरिया
64– सांसिया
65– शिल्पकार
66– तुरैहा

mRrj izn'k d vuqlfpr tutkfr;k dh lph

1– थारू
2–बोक्सा
3– भोटिया
4–राजी
5–जौनसारी

mRrj izn'k d fiNMh tkfr;k dh lph& fgUn

1–अहीर
2– अरख
3– बंजारा
4– बढ़ई
5–बारी
6– बैरागी
7– भर
8– विन्द
9– भुर्जी या भडभूजा
10– छीपी
11– दर्जी
12– धीवर
13– गडेरिया
14– गोसाई
15– गुजर
16– हलवाई
17– जोगी
18–काछी
19– कहार
20– केवट या मल्लाह
21– किसान
22– कोइरी
23– कुम्हार
24– कुर्मी
25– लोध, लोध, लोधी, लोद, लोधी–राजपूत
26– लोहार
27– लोनिया
28– माली
29– मनिहार
30– मुराव या मुराई
31– नाई
32–नायक
33– सोनार
34– तमोली
35– तेली

eqLye

1–भठियारा
2–बढ़ई
3–चिकवा (कस्साव)
4–दर्जी
5–डफोली
6–फकीर
7–गद्दी
8–हज्जाग (नाई)
9– झोजा
10– कसगर
11– कुजड़ा अथवा राइन
12–किसान
13–मनिहार
14– मिरासी
15– मौमिन (अंसारी)
16– मुस्लिम कायस्थ
17– नद्दाफ (धुनिया)
18– नक्काल
19– नट
20– रंगरेज
21– स्वीपर

नोट– कुमायूं डिवीजन में मारछा, नायक, गिरी और पिछड़े मुसलमानों (मुस्लिम, लोहार, सोनार माली, छीपी तथा तेली) भी पिछड़ी जातियों में ही माने जायेंगे।

संख्या– 2626 / तीन–88–77 (1) / 83–सा0प्र0अनु0

प्रेाक,

एस0एन0हसनैन
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आयुक्त,
गढ़वाल मंडल पौडी

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 जून, 1988

विषय– अधिवास प्रमाण जारी करने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– आर–2324 / 15–64 दिनांक 20 मई, 1987 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि एम0जी0ओ0 के प्रस्तर संख्या– 668 (नवीन संस्करण के पैरा 383) एवं इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा –11 के अंतर्गत डोमिसाइल ग्रहण करने की विशेश प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत में डोमिसाइल अधिग्रहित करना चाहता है वह प्रांतीय सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय में इस आशय की घोशणा प्रस्तुत करेगा कि वह भारत की डोमिसाइल अधिग्रहित करना चाहता है। शर्त यह है कि वह घोशणा प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम एक वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–5 एवं सक्सेशन एक्ट की धारा –6 से 19 तक का सामूहिक निर्वचन करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत में केवल एक ही डोमिसाइल है। जिला अथवा राज्य के आधार पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। भारत के किसी भी स्थान का मूल निवासी होने का केवल एक ही डोमिसाइल है और वह है भारतीय डोमिसाइल। यदि इस प्रकार का डोमिसाइल प्राप्त कोई व्यक्ति अथवा नागरिक एक प्रांत से दूसरे प्रांत अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद में आकर निवास करता है तो उसके डोमिसाइल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2– स्पष्टतः चमोली जनपद में बसे उपर्युक्त प्रकार के निवासियों को धारा–11, सक्सेशन एक्ट सपठित एम0 जी0ओ0 383 के अंतर्गत डोमिसाइल प्रमाण पत्र दिए जाने का औचित्य नहीं है। जिलाधिकारी अपने विवेक से यह संतुष्टि होने पर कि संबंधित व्यक्ति स्थायी रूप से जनपद में निवास कर चुका है। तो वह केवल स्थायी निवास विषयक प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं इसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

भवदीय
(एस0एन0 हसनैनन
अनुसचिव

संख्या– 2626 / तीन–87–77(1)–83 सा0प्र0अनु0 / उक्त तिथि

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक

आज्ञा से
(एस0एन0 हसनैनन)
अनुसचिव

प्रतिलिपि शासनादेश संख्या 670/23–2–97–39 (2)/84 दिनांक लखनऊ 19 मार्च, 1997, जो लोक निर्माण अनुभाग –2 से समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को संबोधित है।

विषय– पथकर वसूली के ठेके की निलामी के लिए हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाना।

प्रदेश के विभिन्न सेतुओं पर पथकर वसूली के ठेके को सार्वजनिक निलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं की नियमानुसार संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित होता है। पूर्व में शासन के संज्ञान मे यह तथ्य लाये गए थे कि उक्त निलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों के पक्ष में वांछित प्रमाण पत्र प्रदान करने में कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा स्वयं अपने स्तर से रूचि न लेकर अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों को प्राधिकृत कर दिया जाता है, जबकि शासनादेश संख्या– 2893/23–सा0नि0वि0–2–59/80 दिनांक 28 जून 1982 तथा संख्या– 2503 / लो0नि0वि0–2–39 (2)/84 दिनांक 29 जुलाई 1992 में उल्लिखित निर्देशानुसार संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदनुसार प्रमाण पत्र न दिए जाने के परिणामस्वरूप वैद्य प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण संबंधित व्यक्ति निलामी में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं और इस प्रकार कड़ी प्रतिस्पर्धा की कमी हो जाने के कारण राजस्व की क्षति होती है, जो शासकीय हित में नहीं है।

2. उपरोक्त प्रकार के वांछित प्रमाण पत्र अपने ही हस्ताक्षर से जारी करने की अपेक्षा शासन के पत्र संख्या–5051 / 23–2 –95–39 (2)/84 दिनांक 11 जनवरी, 1986 में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से पुनः की गई थी, किन्तु शासन के संज्ञान में अब भी यह तथ्य समय–समय पर लाये जा रहे हैं कि कतिपय जिला अधिकारी स्पष्ट निर्देशों के बाद भी अपने हस्ताक्षर से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में उनकी हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र जारी न कर अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों को प्राधिकृत कर रहे हैं, जो अत्यंत आपत्तिजनक व शासन के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना है।

3. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई जिलाधिकारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को उपरोक्त प्रकार के प्रमाण पत्र देने के लिए लिखित अथवा मौखिक आदेश जारी करते हैं तो शासन इसे गंभीरता से लेगा और संबंधित जिलाधिकारी के विरूद्ध शासनादेश की अवहेलना करने के लिए कार्यवाही करने के लिए वाध्य होगा।

4. अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया संबंधित व्यक्ति के पक्ष में उसकी हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र अपने ही हस्ताक्षर से जारी करें। इस संबंध में पूर्व में जारी उक्त शासनादेश संख्या–2893/23–सा0नि0वि0–2–59/80 दिनांक 28 जून 1982 तथा संख्या– 2503 / लो0नि0वि0–2–39 (2)/84 दिनांक 29 जुलाई 1992 तथा संख्या–5051 / 23–2 –95–39 (2)/84 दिनांक 11 जनवरी, 1986 की प्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

भवदीय
(बृजेंद्र सहाय)
मुख्य सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य प्रकीर्ण वर्ग)
पत्र संख्या–509 एमटीजी/70 एम–83 दि023.11.1984

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता, (क्षेत्र)
सार्वजनिक निर्माण विभाग

विषय– सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदा प्राप्त किया जाना।

उपरोक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या–3428 एमएस/23 सा0नि07 दिनांक 20 अक्तूबर 1984 का अवलोकन करें, जो शासन द्वारा आपको पृष्ठांकित है (प्रतिलिपि प्रपत्र सहित संलग्न की जाती है) इस संबंध में सूचित करना है कि इन शासनादेशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु अपने स्तर से भी अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी कर दें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

कृते–प्रमुख अभियन्ता,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषकः–

1– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2– समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्याधीक्षक सा0नि0वि0।
3– निदेशक, आई0पी0पी0/अन्वेशणालय सा0नि0वि0
4– क्वालिटी कंट्रोल सेल सा0नि0वि0 लखनऊ

सलंग्नक–उपरोक्तानुसार

कृते–प्रमुख अभियन्ता,

संख्या– 3428 एम0एस0/23 सा0नि0–7

प्रेषक,

एम0के0अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उ0प्र0लखनऊ।

सार्वजनिक विभाग अनुभाग–7 लखनऊ दिनांकः 20 अक्तूबर, 1984

विषय– सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदा प्राप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5638 एम0एस/23 सा0 नि0 –7 दिनांक 1.1.83 में शासन द्वारा किये गये जिन निर्णय का उल्लेख किया गया है, उनमें मद संख्या–4 के अनुसार यह निर्णय भी लिया गया था कि विभाग में ठेकेदार के पंजीकरण के समय संलग्न प्रपत्र में ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए तथा

2– उक्त विषय में शासन द्वारा विचारोपरान्त अब यह भी निर्णय लिया गया है कि यह चरित्र प्रमाण पत्र जिलाधिकारी अथवा अतिरिक्त जिलाधिकारी अथवा उप जनपद अधिकारी में से किसी एक अधिकारी को होनी चाहिए तथा हस्ताक्षर करने वाले अथवा प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए अन्यथा यह प्रमाण पत्र अवैध माना जायेगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्रमाण पत्र के प्रपत्र में उल्लेख है कि हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की सोच भी स्पष्ट होनी आवश्यक है। संशोधित प्रपत्र संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ठेकेदारों के पंजीकरण करते समय आप कृपया उनसे प्राप्त किये जाने वाला चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(एम0के0अग्रवाल)
संयुक्त सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग
pfj=&iek.k i= dk ii=

संख्या / चरि0प्र0प0 / दिनांक 2000

थाना / प0क्षे0 .... तहसील...................................... जनपद ....
से प्राप्त लिखित सूचना दिनांक .... के आधार पर :—
प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र श्री....................
.... निवासी. / ग्राम ....प0क्षे0 / थाना...................... तहसील...........................
...... जनपद— हरिद्वार के एक संभ्रान्त व्यक्ति हैं, उनके विरूद्ध न कभी कोई दण्डनीय कार्यवाही की गई और न कोई सम्प्रति विचाराधीन अथवा जांचाधीन है और न कोई चरित्र या आर्थिक स्थिति के विषय में अभी तक ऐसी बात या तथ्य प्रकाश में आया है, जो उनके नाम के शासनादेश / नियमावली / टैंण्डर शर्तों के अनुपालन में विभागीय सूची में पंजीकरण में बाधा या अवरोध उत्पन्न करे।

दिनांक
(स्पष्ट अक्षरों में नाम / पदनाम)
....
सील

नोट— हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिये, अन्यथा यह प्रमाण पत्र अवैध माना जायेगा।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग

रजिस्टर्ड

संख्या— 3428 एम0एस0 / 23 सा0नि0—7 तद्दिनांक
प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।
1— समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
4— मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) सार्वजनिक निर्माण विभाग—4 लखनऊ।
5— मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ।
6— मुख्य अभियन्ता, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग—4 लखनऊ।

आज्ञा से
(एम0के0अग्रवाल)
संयुक्त सचिव

संख्या– 429 / .वावन–.....33, 98

प्रेषक,

श्री कृष्ण
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 31 अक्तूबर, 1998

विषय– अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–2015 / चालीस–2–94–14 (5) 91 दिनांक 7 अक्तूबर, 1994 द्वारा चिन्हित अल्पसंख्यकों–मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संलग्न प्रपत्र में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्श जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जन्मा हो को अधिकृत करते हैं। यह प्रमाण पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट , जो संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो अथवा संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है।

धवत प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमन्य लाभों / आरक्षण से संबंधित अभ्यर्थी को लाभांवित किया जाए।

शासन के उपरोक्त निर्णयों से सभी संबंधित अधिकारियों को कृपया अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित अल्पसंख्यकों को इस संबंध में कोई असुविधा न हो।

संलग्न– उपर्युक्त

भवदीय
(श्रीकृष्ण)
सचिव

संख्या– 429(1) वावन–4–98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।

1– निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय लखनऊ
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम, लखनऊ
4– सर्वे कमीश्नर, वक्फ उ0प्र0 लखनऊ
5– सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, उ0प्र0लखनऊ
6– नियंत्रक शिया / सुन्नी वक्फ बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ
7– अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग 1 / 2 / 3

आज्ञा से
(अरविन्द विक्रम सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
ग्राम/तहसील/नगर.....जनपद.....उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तथा राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–2015 चालीस –2–94–14 (5)/91 दिनांक 07 अक्तूबर 1994 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।
श्री/श्रीमती.....सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक
मोहर पूरा नाम
पदनाम
(शासनादेश सं0–429/वावन–4–98–33/98 दिनांक 31 अक्तूबर, 1998 में इंगित सक्षम अधिकारी में से एक)

संख्या–2588 / एक–4 / सा0प्र0 / 2001

प्रेषक

सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 20 नवंबर, 2001

विषय– स्थाई निवास प्रमाण पत्र

महोदय

समय–समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तरांचल में स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के विषय में अलग–अलग व्यवस्थायें की जाती रही हैं, जिनके चलते इस संबंध में लगातार भ्रम एवं अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई थी। इस विषय को लेकर भी भ्रांतियां विद्यमान रही हैं कि स्थाई निवास प्रमाण पत्र का क्या तात्पर्य है और इसकी आवश्यकता किस प्रयोजन हेतु होनी चाहिए। सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु अर्हताओं एवं प्रक्रिया के विषय में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(1) निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का शीर्शक स्थाई निवास प्रमाण पत्र होगा।

(2) यह प्रमाण पत्र उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तरांचल के सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) हों इस श्रेणी में वह व्यक्ति आयेंगे जिनका स्थाई आवास (permament Home) उत्तरांचल में हो इसमें वे उत्तरांचल निवासी भी सम्मिलित होंगे जो उत्तरांचल में कम से कम 15 वर्ष से निवास कर रहे हों अथवा जिनका उत्तरांचल में स्थाई आवास (permament Home) हो किन्तु वे अपनी आजीविका के लिए प्रदेश से बाहर निवास कर रहे हों स्थाई आवास (permament Home) का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो उत्तरांचल में पैत्रिक रूप से रह रहे हों / जिनका उत्तरांचल में पैत्रिक आवास हो।

(3) स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा इस आशय की घोशणा आवश्यक होगी कि उसने किसी भी प्रयोजन हेतु किसी अन्य राज्य का स्थाई निवास ग्रहण नहीं किया है।

(4) बिन्दु (2) में की गई व्यवस्था के अपवाद स्वरूप विशिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी उत्तरांचल का सद्भाविक निवासी (Bonafide Residents) माना जायेगा जो राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हों केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तरांचल में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवायें उत्तरांचल से बाहर अस्थानांतरणीय है भी इस श्रेणी में शामिल होंगे इस आशय का समुचित साक्ष्य आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(5) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसी दशा में होगी जहां किसी संस्था / पाठ्यक्रम विशेश के लिए उत्तरांचल के निवासियों के लिए सीटें / कोटा आरक्षित हो इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा समय– समय पर यथा आवश्यकता आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

2– मुझसे यह भी कहने की अपेक्षा की गई है कि सामान्यतया इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता कतिपय संगठनों, यथा सेना व अर्द्ध सैनिक बलों में राज्यों के लिए निर्धारित कोटे के आधार पर भर्ती के क्रम में तथा कुछ शिक्षण संस्थाओं / विशिष्ट पाठ्यक्रमों हेतु राज्य के लिए निर्धारित कोटे के संदर्भ में पड़ती है, इसके अतिरिक्त कतिपय सेवाओं यथा सेना, अर्द्धसैनिक बलों व पुलिस में विशेश वर्गों के व्यक्तियों के लिए शारीरिक अर्हताओं में छूट की व्यवस्था की गई है,

जिसके लिए संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्ववत चल रही प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाते रहेंगे और इन निर्देशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3– उपरोक्त निर्देशों के अनुसार स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न–1 प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होंने पर तथा इसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर भली भांति जांच के उपरान्त संलग्न– 2 में इंगित प्रारूप में निर्गत किया जायेगा।

4– अनुरोध है कि कृपया स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपरोक्त निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय
(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

शासनादेश संख्या–2588/एक–4/सा0प्र0/2001 का संलग्नक–1

सेवा में

.....

.....

विषय– स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

महोदय

.....

(1) आवेदक का नाम

(2) आवेदक की जन्म तिथि व जन्म स्थान

(3) आवेदक के पिता का नाम

(4) आवेदक के पिता का जन्म स्थान

(5) यदि पिता का जन्म स्थान उत्तरांचल से भिन्न है तो वह कब से उत्तरांचल में निवास कर रहे हैं।

(6) 1. आवेदक का स्थाई पता

2. आवेदक की शिक्षा–दीक्षा कहां हई है (हाईस्कूल व आगे की शिक्षा के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम, जनपद , वर्ष का विवरण दें)

(7) क्या आवेदक के माता/पिता/दादा/परदादा की यहां पैतृक संपति है ध यदि हां तो कहां तथा कब से है (यहां संपति का संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जायेगा)

(8) क्या आवेदक के माता/पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका उपार्जित कर रहे हैं यदि नहीं तो वे कहां अपनी आजीविका उपार्जित कर रहे हैं तथा कब से (यहां उनके व्यवसाय का विवरण भी दें)

(9) क्या आवेदक के माता/पिता सरकारी सेवा में है यदि हां तो किस जनपद में किस विभाग में किस पद पर तैनात हैं।

(10) स्थाई निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण

हस्ताक्षर

पता.....

1– मैं घोशणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें सत्य है

2– मैं घोशणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उत्तरांचल के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास/डोमीसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

दिनांक

स्थान हस्ताक्षर

शासनादेश संख्या–2588/एक–4/सा0प्र0/2001 का संलग्नक–2

स्थाई निवास प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी ग्राम/मोह0/वार्ड.....तहसील..... जिला. .....उत्तरांचल के स्थाई निवासी हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व निर्धारित समस्त मानदंडों की भली भांति जांच कर ली गई है और जांच से पूर्णतया संतुष्ट हूं।

जिलाधिकारी/परगनाधिकारी

मुहर

सं0–यू0ए0 150 / एक–4 / 2002

प्रेषक,

भास्करानन्द
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांकः 26 सितंबर, 2002

विषय– राज्य के दुर्गम इलाकों में पटवारी चौकियों पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाये जाने एवं अन्य राजस्व सुविधायें प्रदान किए जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में लाया गया है कि राज्य के दुर्गम इलाकों में स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाये जाने में ग्रामीण जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इन परेशानियों को दूर करने हेतु स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उप जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर न्याय पंचायत क्षेत्र पर कैम्प लगाने का भी सुझाव दिया गया है। इस पृष्ठ भूमि में कृपया जनपद स्तर पर स्थिति की समीक्षा कर ली जाए। यदि ऐसे अनुभव हो कि बड़ी संख्या में स्थाई निवास प्रमाण पत्र लंबित रह रहे हों तो निस्तारण हेतु उपयुक्त व्यवस्था अपनाई जाए। व्यवस्था बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों से स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए आने वाले निवासियों को प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने और उसे प्राप्त करने के लिए बार–बार न अना पड़े। उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकतायें एक बार में ही पूर्ण करा दी जाएं तथा एक निर्धारित तिथि में उन्हें प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना आवेदन करते समय ही दे दी जाए और निर्धारित तिथि के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं। यदि प्रक्रिया से संबंधित कोई विशेश कठिनाईयां आ रही हों तो इनके निराकरण के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाएं।

2– कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय
(भास्कारानन्द)
अपर सचिव

सं0– यू0ए0 150(1) / एक–4 / 2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि मंडलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

आज्ञा से
(भास्कारानन्द)
अपर सचिव

संख्या– 1540(1)/कार्मिक–2

प्रेषक,,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन
समस्त जिलाधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक : 29 मार्च, 2003

विषय– राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र।

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथा अनुकूलित एवं संशोधित) में की गई है। अन्य पिछड़े वर्ग का विवरण उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में अंकित है, परन्तु अनुसूची–एक में समाविष्ट वर्ग का सदस्य होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं है, जो उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित अनुसूची–दो से आच्छादित होते हैं।

2– उक्त आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण सुविधा प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा–9 में यह प्राविधानित है कि ऐसा जाति प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति तथा प्रारूप में जारी किया जायेगा जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करें।

3– उक्त धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां उसका जन्म हुआ हो द्वारा सभी वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करा कर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा। अनाधिकृत रूप से जारी किये गये प्रमाण पत्रों पर आरक्षण की कोई सुविधा न दी जाए। शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप निर्धारित किये गए हैं, जो संलग्न हैं।

4– अनुरोध है कि निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी किये जायें व इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उपर्युक्त अधिनियम के तहत आरक्षण के संबंध में नियमानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय से सभी संबंधित/सक्षम अधिकारियों, जो आपके अधीनस्थ हो को अवगत कराने का कष्ट करें तथा विशेश रूप से अपने जनपद के प्रत्येक अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार को सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाये ताकि उक्त नीति के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में तथा अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किए जाने में कोई असुविधा न हो।

भवदीय
(आलोक कुमार जैन)
अपर सचिव

संख्या– 1540(1)/कार्मिक–2/तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–
1– सचिव, श्री राज्यपाल महोदय
2– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल
3– सचिव, मंडलायुक्त, उत्तरांचल
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
(आर0सी0 लोहनी)

उत्तरांचल की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...../सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला..... .....उत्तरांचल की..... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उसका परिवार उत्तरांचल के .... ग्राम..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उत्तरांचल की अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...../सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला..... .....उत्तरांचल की..... जाति के व्यक्ति हैं।यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची–1 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 से आच्छादित नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उसका परिवार उत्तरांचल ग्राम.....तहसील..... नगर..... .....जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

संख्या–3323 / स0क0 / 2003–387(समाज कल्याण) / 2003

प्रेषक,

एस0के0मुट्टू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांक : 16 दिसंबर, 2003

विषय– एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार अथवा शिक्षा हेतु विस्थापित होने के फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि वे व्यक्ति जो रोजगार अथवा शिक्षा हेतु किसी अन्य राज्य से उत्तरांचल में विस्थापित हुए हैं, उनके पुत्र / पुत्रियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, जिससे वे शिक्षा व रोजगार हेतु उक्त जातियों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित हो रहे हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के शासनादेश संख्या– B C- 16014/I /82- SC& BCD-1 दिनांक 6 अगस्त 1984 में यह व्यवस्था दी गई है कि रोजगार अथवा शिक्षा हेतु एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापित होने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति / जनजाति का दर्जा समाप्त नहीं होगा, किन्तु उक्त जाति विशेश का लाभ उसे उसके पैतृक राज्य में ही प्राप्त होगा न कि विस्थापित होने के फलस्वरूप अंग्रीकृत राज्य में। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 6 अगस्त 1984 के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप में उल्लेख है कि पिता / माता को जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके बच्चों को भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1984 में निहित प्राविधानों के अनुसार पिता / माता को जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके बच्चों को भी नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(एस0के0मुट्टू)
सचिव

संख्याः 3323(1) / स0क0 / 2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।

1– आयुक्त गढ़वाल / कुमायूं मंडल, पौड़ी / कुमायूं
2–निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल हल्द्वानी (नैनीताल)
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(विनोद चंद्र रावत)
अपर सचिव

संख्या–28 / सा0प्रशा0 / 2004

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 9 फरवरी, 2004

विषय– स्थाई निवास प्रमाण पत्र।

महोदय

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या– 2588 / एक–4 / सा0 प्रशा0 / 2001 दिनांक 20 नवंबर, 2001 एवं पत्र संख्या–यू0ओ0 150 / एक–4 / 2002 दिनांक 26 सितंबर, 2002 जिनके अंतर्गत उत्तरांचल राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं की ओर आपका ध्यान आकर्शित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि जनपद स्तरों पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। अतः उक्त स्थिति के निराकरण हेतु शासन द्वारा विचारोपरान्त स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण किए जाने तथा समयबद्ध आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

1– स्थायी निवास प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या– – 2588 / एक–4 / सा0 प्रशा0 / 2001 दिनांक 20 नवंबर, 2001 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार निर्गत होगा।

2– स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने संबंधी आवेदन पत्र शासनादेश दिनांक 20 नवंबर, 2001 की संलग्नक–1 पर दिए गये प्रारूप पर स्थानीय लेखपाल को उनके मुख्यालय पर अथवा तहसीलदार को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– लेखपाल अथवा तहसीलदार जैसी भी स्थिति हों के द्वारा इस निमित्त बनाये गये रजिस्ट्रर पर इस प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जायेगा तथा इसकी प्राप्ति रसीद संबंधित आवेदक को दी जायेगी, जिसमें प्रमाण पत्र आवेदक को दिए जाने का भी उल्लेख होगा।

4– स्थानीय लेखपाल अपनी आख्या कारण सहित तहसीलदार को अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी प्रवृष्टि अपने अभिलेखों में करेंगे।

5– तहसीलदार अधिकतम एक सप्ताह के अंतर्गत अपनी आख्या संबंधित उप जिलाधिकारी को भेजेंगे। उचित होगा कि तहसीलदार इस संबंध में सप्ताह का एक दिवस प्रख्यापित कर लें, जिससे कि आवेदनकर्ता उस दिन उस समय उपस्थित होकर यदि कोई भ्रांतियां हो तों उनको दूर कर सके।

6– तहसीलदार से आख्या प्राप्त होने पर संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा अधिकतम दो दिवस के अंतर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा। यदि किसी आवेदक को स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो तो कारण सहित संबंधित आवेदन को सूचित कर दिया जायेगा।

7– जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी के आदेश की विवेचना कर सकते हैं तथा इस संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

8– स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जहां आवश्यकता हो उप जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर न्याय पंचायत क्षेत्र में कैम्प लगाने की कार्यवाही भी करें।

9– उप जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से सप्ताह में एक बार ऐसे प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों के रजिस्ट्रर का निरीक्षण करेंगे तथा लंबित आवेदक पत्रों की समीक्षा करेंगे।

10– जिलाधिकारी द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि दूरस्थ क्षेत्रों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आने वाले निवासियों को प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने और उसे प्राप्त करने के लिए बार–बार लेखपाल/तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी के पास न जाना पड़े।

11– समस्त औपचारिकतायें अनिवार्य रूप से एक ही बार में पूर्ण करा ली जाए और निर्धारित तिथि पर आवेदक को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सूचना अनिवार्य रूप से उसी दिन प्रदान कर दी जाए।

12– संबंधित जिलाधिकारी इस संबंध में यदि उन्हें जनपद में कोई विशेश कठिनाई आ रही हो तो उपरोक्त समय सीमा के अंतर्गत ही उसका निराकरण करने हेतु आवश्यक उपाय करें।

2– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय
(पी0सी0 शर्मा)
सचिव

संख्या–28(1)/सा0प्रशा0/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि मंडलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक

आज्ञा से
(गोविन्द बल्लभ ओली)
अनु सचिव

संख्याः 300 / XVII(1) / 04–09(43) / 2003

प्रेषक,

एस.के.मूट्टू
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तरांचल, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 10 दिसम्बर,2004

विषयः उत्तरांचल राज्य के वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय वित्तीय अनुदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1023 / रा.सै.प.बै. / सै.क.–1 दिनांकः 28 अगस्त 2003 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तरांचल राज्य के वीरता पुरस्कार प्राप्त अलंकृत सैनिकों को दिये जाने वाले एकमुश्त अनुदान एवं वार्शिकी को तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार निर्धारित करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र.सं.	अलंकरण	एक मुश्त अनुदान	प्रत्येक वर्ष देय धनराशि(वार्षिकी)
1	परमवीर चक्र	1,72,500	1,000
2	अशोक चक्र	1,45,000	800
3	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,27,000	600
4	महावीर चक्र	1,15,000	400
5	कीर्ति चक्र	87,000	350
6	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	75,000	350
7	वीर चक्र	57,000	300
8	शौर्य चक्र	45,000	250
9	युद्ध सेवा मेडल	34,000	250
10	सेना / नौसेना / वायुसेना मेडल	23,000	250

2– निशुःल्क भूमि के स्थान पर उक्तानुसार एक मुश्त अनुदान अनुमन्य होगा।

3– पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेश व्यवस्था पूर्ववतः रहेगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 493 / वि0अनु0–2 / 2004 दिनांक 06 दिसंबर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय
एस0के0मुट्टू
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या– 300 / ग्टप्प्(1) / 04–09(43) / 2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल देहरादून।

2– निजी सचिव, मा0 मंत्री, सैनिक कल्याण उत्तरांचल, देहरादून।

3– सचिव, सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग उत्तरांचल शासन, देहरादून।

4– अपर सचिव, वित्त विभाग–2 उत्तरांचल शासन।
5– समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तरांचल।
6– समस्त वरिष्ठ कोशाधिकारी/कोशाधिकारी, उत्तरांचल
7– समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उततरांचल
8– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से
राधा रतूडी
सचिव।

संख्या–409 / XXXI(13)/G/2005

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त,
कुमायूं एवं पौड़ी,
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभागः देहरादूनः दिनांकः 23जून, 2005

विषयः राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारेन्ट ऑफ प्रिसीडेन्ट्स) के संबंध में।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र पृथक से जारी न होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्याः 73 / सा0प्र0 / 2003 दिनांकः 31, जनवरी,2003 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–5333 / तीन–72(1) –73 सा0प्र0अनु0 दिनांक 30, सितम्बर,1978 द्वारा जारी साहयक पूर्वताधिपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित की गयी थी।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय अवसरों पर पूर्वताधिपत्र में वर्णित कोटिक्रम मे अनुरूप विशिष्ट व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था नही की जाती। इस संबंध में सचिव, लोकायुक्त द्वारा भी शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अनुरोध किया गया है कि मा0 लोकायुक्त के लिये पूर्वताधिपत्र के अनुरूप बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–5333 / तीन–72(1)–73 सा0प्र0अनु0 दिनांक 30 सितम्बर, 1978 द्वारा जारी राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारेन्ट ऑफ प्रिसीडेन्ट्स) की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेशित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राजकीय समारोहों आदि में पूर्वताधिपत्र में उल्लिखित कोटिक्रम के अनुरूप ही विशिष्ट व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव,

संख्या–409 (1) / XXXI(13)/G/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रशित।

2– सचिव, लोकायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 03 मई,2005 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेशित।

3– स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

4– स्टाफ आफिसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।

5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

6– गार्ड फाइल

संलग्न–यथोक्त

आज्ञा से,
(राजीव गुप्ता)प्रमुख सचिव,

संख्या–5333 / तीन–72(1)–73 सा0प्र0अनु0 दिनांक

प्रेषक,

चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन विभाग लखनऊ दिनांकः,30, सितम्बर,1978 ।

विषयः– राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारेन्ट ऑफ प्रिसीडेन्ट्स)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे इस राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र आपके सूचनार्थ एवं मार्ग दर्शन हेतु संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2– मुझे यह भी सूचित करना है कि इस पूर्वताधिपत्र का क्रम केवल राजकीय समारोहों के लिये है और यह क्रम सरकार के दिन–प्रति–दिन के कार्य संचालन में लागू नहीं होता है।

भवदीय,
चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या–5333(1) / तीन–72(1)–73 सा0प्र0अनु0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1–सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2–सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
3–संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों / प्रशासनों को (कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें)।

संख्या–5333(2) / तीन–72(1)–73 सा0प्र0अनु0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु प्रेशितः–

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2–सचिव, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4–निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें)।

संख्या–5333(3) / तीन–72(1)–73 सा0प्र0अनु0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु प्रेशितः–

1–समस्त मंत्रियों के निजि सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2–समस्त राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को राजय मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
3–सचिवालय के समस्त अधिकारीगण।
4–सचिवालय के समस्त विभाग।
(कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें)।

आज्ञा से
चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश का सहायक पूर्वताधिपत्र

कोटिक्रम	पदनाम
(1)	(2)
4.	राज्यपाल
6.	मुख्यमंत्री
16.	विधान परिशद् के सभापति विधान सभा के अध्यक्ष उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति
16–अ	लोक आयुक्त
17.	राज्य के मंत्रीगण
17–अ	नेता विरोधी दल (विधान परिशद् / विधान सभा)
19	प्यूनी जजेज उप सभापति, विधान परिषद् उपाध्यक्ष, विधान सभा राज्य के राज्य मंत्री उप मंत्री महापोर– अपने क्षेत्र में
20–अ	अध्यक्ष, जिला परिशद् (अपने क्षेत्र में,) अध्यक्ष, नगरपालिका (अपने क्षेत्र में)
22.	संसद सदस्य
22–अ	विधान परिशद् तथा विधान सभा के सदस्य
24	मुख्य सचिव
24–अ	अध्यक्ष, राजस्व परिशद्
25	लेफ्टिनेंट जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी
26	एडवोकेट जनरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
28	सदस्य, राजस्व परिषद अध्यक्ष लोक सेवा अधिकरण विश्वविद्यालय के कुलपति
29	राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलायुक्त, उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष, भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, सदस्य न्यायिक राजस्व परिशद्, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी,
30	राज्य सरकार के सचिव / विशेश सचिव अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अन्य विभागाध्यक्ष (जो ऊपर क्रमसंख्या 15 में सम्मिलित नहीं है) भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष।
31	जिलाधिकारी जिला न्यायाधीश

उप पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस अधीक्षक
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,।

पी0एस0यू0पी0——ए0पी0——86 सा0प्रशासन—26—10—76—(2511)—1978—9,000 (मैग0)।

संख्या–1739 / XXX (2) / 2005

प्रेषक,

डा0आर0एस0टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह एवं चिकित्सा / वित्त / कार्मिक / श्रम एवं सेवायोजन
परिवहन / राजस्व / खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग।
सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग / सूचना / सहकारिता
ग्राम्य विकास / पंचायतीराज / कृशि / महिला सशक्तीकरण
एवं बाल विकास / आबकारी विभाग।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 जुलाई, 2005

विषय– लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के अंतर्गत चयनित / संस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के संबंध में पत्र दिनांक 28.06.2005 आपको भेजा जा चुका है और आप द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही होगी।

2– इस संबंध में आपका ध्यान कार्मिक विभाग के आदेश संख्या 1540 / कार्मिक–2 / 2002 दिनांक 29.03.2003 की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संदर्भित शासनादेश की निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप में इस हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया मान्य है। लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा 2002 के आधार पर चयनित आरक्षित श्रेणी के प्रति चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संबंधित जिलाधिकारी को तत्काल भेजकर उसकी पुष्टि तहसीलों / जिला मुख्यालयों में रखी पत्रावलियों व पंजिकाओं से कराई जाए जिसे संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी ने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाई है तो ऐसे अभ्यर्थियों की सूचना विभाग द्वारा प्राप्त कर उसे उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल को तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी जाए। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध संबंधित जिले में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी जाये।

3– आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र की जांच जिलाधिकारी एक माह में पूरा करके संबंधित विभाग के सचिव को अवगत कराया जायेगा।

4– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय
डा0 आर0एस0टोलिया
मुख्य सचिव।

संख्या– 1739 / XXX (2) / 2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक।

1– समस्त मंडलायुक्त, उत्तरांचल

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचलं

आज्ञा से
सुरेंद्र सिंह रावत
अपर सचिव।

संख्या–28 मु0स0 / विसंका / 36(2) / 2005

प्रेषक,

यू0सी0ध्यानी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन,
आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमायूं मण्डल
समस्त विभागाध्यक्ष / जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग दिनांकः देहरादून 28 जुलाई, 2005

विषयः– प्रशासन तथा सांसदों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों क बीच सरकारी काम–काज की उचित कार्य–विधि के अनुपालन के संबंध में अनुदेश–सार्वजनिक समाराहों में आमन्त्रण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के पत्र संख्या–11013 / 6 / 2005 –स्थापना (क) दिनांक 27 जून, 2005 तथा सम संख्यक पत्र दिनांकः 23 मई, 2000 की प्रतिलिपि प्रेशित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में अपेक्षानुसार संदर्भित अनुदेशों का पूर्ण रूप से गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय
(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

संख्या– (1) / विसंका / 36(2) / 2005 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निजि सचिव, मा0 मंत्री जी... समस्त मंत्रालय, उत्तरांचल को अवलोकनार्थ प्रेषक।

आज्ञा से,
(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

संख्या– (2) / विसंका / 36(2) / 2005 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, (स्था. 11) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंश्न मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या–11013 / 6 / 2005– स्थापना (क) दिनांक 27 जून, 2005 के क्रम में सूचनार्थ।

भवदीय
(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव।

11013/6/2005–स्थापना (क)
भारत–सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

————

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून, 2005
कार्यालय–ज्ञापन

विषयः– प्रशासन तथा सांसदों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के बीच सरकारी काम–काज की उचित कार्य–विधि के अनुपालन के संबंध में अनुदेश – सार्वजनिक समाराहों में आमन्त्रण।

————

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांकः 25 अगस्त, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/2000–स्थापना (क) (प्रति संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया था कि सरकारी कार्यालयों द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोहों में अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों/विधान मंडलों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए तथा ऐसे सदस्यों के लिए सार्वजनिक समारोह में समुचित आरामदेह सीटों की व्यवस्था की जाए। इन अनुदेशों में यह भी प्रावधान किया गया कि संसद सदस्यों को सार्वजनिक बैठकों/समारोह के संबंध में सूचनाएं/आमंत्रण को द्रुतगामी संचार माध्यमों से भेजा जाना चाहि ताकि यह सूचना उन्हें नियत समय से पहले मिल सके। सदस्य द्वारा जानकारी प्राप्त करने की पुष्टि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जानी अपेक्षित है।

2– महासचिव, लोक सभा द्वारा बताया गया है कि इन अनुदेशों के बावजूद, संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें, उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित समारोहों में आमंत्रित नहीं किया जाता है। माननीय अध्यक्ष ने यह इच्छा व्यक्त की कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय/विभाग/सरकारी कार्यालयों के समक्ष इस मसले को रखे। यह भी दोहराने की आवश्यकता है कि सरकारी विभागों, उनके अधीनस्थ कार्यालयों और इन विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आयोजित सार्वजनिक समाराहों में क्षेत्र के संसद सदस्यों/विधान मंडलों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए और ऐसी सार्वजनिक बैठकों/समारोहों की सूचना सभी संबंधित सदस्यों को अग्रिम यप से भेजी जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सदस्यों द्वारा जानकारी प्राप्त करने की पुष्टि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जाए। ऐसे समारोहों का आयोजन जहॉ तक सम्भव हो तब किया जाए जब संसद–सत्र न हो।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त संदर्भित अनुदेशों का सभी पूर्ण रूप से गम्भीरता से अनुपालन किया जाए ताकि भविष्य में संसद–सदस्यों को शिकायत करने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहए।

(हरि कुमार)
निदेशक (स्था.।।)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान/केन्द्रीय सतर्कता आयोग / केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

3. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव।
4. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय।
5. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
6. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।

(हरि कुमार)
निदेशक (स्था.।।)

11013/2/2000–स्थापना (क)
भारत–सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 25, 2000

कार्यालय–ज्ञापन

विषयः प्रशासन तथा सांसदों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के बीच सरकारी काम–काज की उचित कार्य–विधि के अनुपालन के संबंध में अनुदेश।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांकः 23 मई, 2000 के समसंख्यक कार्यालय–ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें इस विषय–वस्तु से संबंधित पूर्वानुदेशों का सारांश दोहराया गया है। पैरा 2(अ) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि सरकारी कार्यालयों द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोहों में अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों/विधान मंडलों के सदस्यों का अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए तथा ऐसे सदस्यों के लिए सार्वजनिक समारोह में समुचित आरामदेह सीटों की व्यवस्था की जाए जो भारत–सरकार के सचिव के रैंक से ऊपर के स्तर के होते हैं जैसा कि पूर्वता अधिपत्र (वारंट ऑफ प्रेसीडेंस) में दिया गया है। माननीय सांसद द्वारा विशेशाधिकार के नोटिस के प्रश्न पर कि उसे एक सार्वजनिक समारोह का आमंत्रण अग्रिम रूप से नहीं भेजा गया था, के संदर्भ में लोक–सभा के माननीय अध्यक्ष ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि अपेक्षित अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को उपयुक्त संशोधनों सहित दोहराया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनकी संबंधित कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उपयुक्त तरीके से कड़ाई से अनुपालना की जाती है।

2– इस संबध में गृह–मंत्रालय के दिनांक 27.03.1968 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या–25/6/68–स्थापना (क) की ओर ध्यान आकर्शित किया जाता है जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि जब कभी सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक की तारीख, समय, स्थान इत्यादि के बारे में उन्हें पर्याप्त समय पूर्व सूचना भेजी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार का व्यौरा, चाहे वह कितना छोटा ही क्यों न हो, भेजने में कोई चूक न हो। अतः मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध है कि–

(प) मानीय सदस्यों को सार्वजनिक बैठकों/समारोह के संबंध में सूचना, द्रुतगामी संचार माध्यमों से भेजी जाए ताकि यह सूचना उन्हें समय रहते मिल सके।

(पप) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सदस्य द्वारा प्राप्त जानकारी की पुशिट संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जाए।

यह अनुरोध है कि उक्त अनुदेशों को कड़ी अनुपालना के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(श्रीमती एस. बन्दोपाध्याय)
निदेशक

सेवा में,

भारत–सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेशण–व्यूरो, नई दिल्ली।

5. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
6. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।

(श्रीमती एस. बन्दोपाध्याय)
निदेशक

संख्या–54 / भा0स0XXXI(13)G/38(43)/2005

प्रेशक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2005

विषयः– राजकीय / सैनिक / केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की अंत्येष्टि के अवसर पर शवपेटिका या अर्थी पर राष्ट्रीय झण्डा लपेटने का सही तरीका।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या– 15 / 16 / 05–पब्लिक,दिनांक 07 सितम्बर, 2005 द्वारा अवगत कराया गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में कुछ ऐसे दृष्टांत लाये गये है, जिनमें राजकीय अंत्येष्टियों के दौरान अर्थी या शवपेटिका को राष्ट्रीय झण्डे से गलत ढंग से ढका गया था। भारतीय झण्डा संहिता के भाग–।।। की धारा ग के पैराग्राफ 3.58 के अनुसार अंत्येष्टियों के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झण्डे से ढक दी जायेगी और झण्डे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झण्डे को कब्र में उफनाया या चिता में जलाया नहीं जायेगा।

भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेशित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तद्नुसार सभी सम्बन्धित को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

15/16/2005–पब्लिक,
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
''''

7 SEP, 2005
नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली
दिनांक 7 सितम्बर, 2005

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र
प्रशासनों के मुख्य सचिव

विषयः– राजकीय/सैनिक/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की अंत्येष्टि के अवसर पर शवपेटिका या अर्थी पर राष्ट्रीय झण्डा लपेटने का सही तरीका।

महोदय,

मुझे भारतीय झण्डा संहिता के भाग–III की धारा XI के पैराग्राफ 3.58 की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करने का निदेश हुआ है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया हैः–

''राजकीय/सैनिक/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्येष्टि के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झण्डे से ढक दी जाएगी और झण्डे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झण्डे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नही जाएगा।''

2. कुछ ऐसे दृष्टांत इस मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए हैं जिसमें राजकीय अंत्येष्टियों के दौरान अर्थी या शवपेटिका को राष्ट्रीय झण्डे से गलत ढंग से ढका गया था अर्थात ऊपर भारतीय झण्डा संहिता में यथा उल्लिखित ढंग से भिन्न ढंग से ढका गया था। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त उपबंधों को नोट कर लें तथा संबंधित सभी को इन उपबंधें का ध्यानपूर्वक पालन करने के अनुदेश जारी करें।

भवदीय,
(एस. के. भटनांगर)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23092035

प्रतिलिपि– इसी प्रकार की कार्यवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. रक्षा मंत्रालय ख्संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं सी.ए.ओ. ,। अनुरोध है कि इस पत्र के संगम उपबंधों को राजकीय/सैनिक अंत्येष्टियों की व्यवस्था से संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में ला दिया जाए।
3. संयुक्त सचिव (पी) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र के संगत उपबंधो को सभी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के ध्यान मे ला दिया जाए।
4. 10 अतिरिक्त प्रतियां

(एस. के. भटनांगर)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23092035

15 / 16 / 2005–पब्लिक,

Government of India

Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

North Block, New Delhi.

Dated 7th September, 2005.

To,

The Chief Secretaries of

All State Governments / UT Administrations.

Subject: Correct method of draping over the coffin or bier with the National Flag on occasions of State/ Military/ Central Para-Military Forces funerals.

Sir,

I am directed to invite your attention to Paragraph 3.58 of Section XI of Part IIIof the Flag Code of India, reproduced below:-

"On occasions of State/Military/Central Para-Military Forces funerals, the Flag shall be draped over the bier or coffin with the saffron towards the head of the bier or coffin. The Flag shall mot be lowered into the grave or burnt in the pyre."

2. Some instances have been brought to the notice of this Ministry where the biers or coffins were draped with the National Flag wrongly i.e. other than the method provided in the Flag Code of India as indicated above during State funerals, etc. You are, therefore, requested to take note of the above provision and issue instructions to all concerned to follow this provision scrupulously.

Yours faithfully,

(S. K. Bhatnagar)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Tel. No. 2309 2035

संख्या 1041 / XXXI(13) G / 2005

प्रेषक,

एम0रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग : देहरादूनः दिनांकः 21 दिसम्बर, 2005

विषय– समस्त प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों (Documents) में माता का नाम भी सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जारी किये जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों में पिता के साथ माता का नाम भी अंकित किया जाये।

2– कृपया इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एम.रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

संख्या–224 / XXXI (13) / 18 (14) / 2006

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दि0 23 मार्च, 2006

विषय– विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–766 / एक–1–2001 दिनांक 09 मई, 2001 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा विदेशों को प्रेषक किए जाने वाले प्रमाण पत्रों (यथा जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र / निकाहनामा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अभिलेख आदि) को सत्यापित किए बगैर प्रतिहस्ताक्षरित अथवा प्रमाणित करके शासन को भेज दिया जाता है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने नाम तथा पदनाम की स्पष्ट मुहर न लगाकर कृते जिलाधिकारी की मुहर लगा दी जाती है। फलतः शासन स्तर से ऐसे अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो पाता है और उसे पुनः संबंधित जिलाधिकारी को वापस करना पड़ता है, जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलंब होता है। ऐसे अनावश्यक विलंब के कारण संबंधित व्यक्तियों को असुविधा होती है।

2– इस प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासन को सत्यापनार्थ प्रेषक किए जाने वाले इस प्रकार के प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया / कार्यवाही सुनिश्चित करने के उपरान्त ही शासन को संदर्भित किये जायें–

(क) ऐसे प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जाने एवं उनकी सत्यता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही जिला मजिस्ट्रेट स्वयं अथवा उनके द्वारा इस कार्य के लिए नामित अधिकारी (कम से कम अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर का) द्वारा सत्यापित शब्द लिखकर स्पष्ट पूर्ण हस्ताक्षर किये जायें एवं केवल पदनाम की मुहर न लगाकर नाम व पदनाम की मुहर लगाई जाए साथ में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की मुहर भी लगायी जाए।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्रमाण पत्रों के सत्यापनार्थ प्राधिकृत किये गए अधिकारी के पूर्ण नमूना हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जब भी प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जाए तो यही प्रक्रिया दोहराई जाये। कृपया बिना नमूना हस्ताक्ष्झर कोई प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु न भेजे जायें क्योंकि हस्ताक्षर के नमूनें की उपलब्धता के अभाव में शासन स्तर से सत्यापन संभव न होगा।

(ग) प्रायः यह देखा गया है कि आवेदक अपने प्रमाण पत्रों को संबंधित जिलाधिकारियों से प्रमाणित कराकर स्वयं सीधे शासन को प्रस्तुत कर देते हैं। यह स्थिति संतोशप्रद नहीं है क्योंकि इस प्रकार सत्यापित कराकर प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सत्यता प्रायः संदिग्ध होने की संभावना बनी रहती है। अतएव यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि ऐसे प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति का शासन में उपलब्ध कराने हेतु कदापि हस्तगत न किये जायें ताकि मामले में किसी प्रकार के संदेह की संभावना न रहे।

(घ) जिन प्रमाण पत्रों को सत्यापित किया जाए उनके संबंध में यह अवश्य देख लिया जाए कि प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से पुष्ट हों, प्रासंगिक हो विधिक हों और नियमानुसार निर्गत हों ताकि कोई भी व्यक्ति किसी गलत अभिलेख के आधार पर पोसपोर्ट बीजा आदि प्राप्त न कर सके और अवैधानिक

रूप से देश से बाहर न जा सके। प्रमाण पत्रों/ विलेखों आदि को प्रमाणित कराने का प्रयोजन उनकी वास्तविकता प्रमाण करना है। संबंधित अभिलेखों को शासित करने वाले विनियमों/अधिनियमों की व्यवस्थानुसार उसका प्रमाणीकरण शासन का उद्देश्य नहीं है।

(ड़ं) किसी भी प्रमाण पत्र को जिलाधिकारी के अग्रसारण पत्र के बिना न भेजा जाए। अग्रसारण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि संबंधित व्यक्ति किस देश में एवं किस प्रयोजन से जाना चाहता है। अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में संवेदनशीलता का बिन्दु निहित होने के कारण किसी भी प्रमाण पत्र पर सत्यापित शब्द अंकित करने से पूर्व प्रमाण पत्र की सत्यता गहराई से जांच कराकर सुनिश्चित करा ली जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार ही प्रमाण पत्र सत्यापनार्थ शासन को संदर्भित किये जायें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय
राजीव गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–766 / एक–1–2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग देहरादून दिनांक 09 मई, 2001

विषय– विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। शासन स्तर पर सत्यापित करने से पूर्व ऐसे प्रमाण पत्रों को संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रमाण पत्रों को त्रुटि रहित एवं युक्त संगत बनाने के उद्देश्य से आप कृपया ऐसे अधिकारी जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम का न हो, को प्रमाण पत्र सत्यापित किए जाने हेतु अधिकृत कर दें और उक्त अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर नमूना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में तीन प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे प्रमाण पत्रों का सत्यापन या तो स्वयं जिलाधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाए, अन्य अधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन शासन को मान्य नहीं होगा।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि आवेदक अपने प्रामण पत्रों को सत्यापन हेतु सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें और प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण पत्रों की औपचारिकताओं को पूर्ण कर भलीभांति परीक्षण / निरीक्ष्ज्ञण करके उसे सत्यापित करने के उपरान्त पत्र के माध्यम से शासन को सत्यापन हेतु सूचित करें। शासन द्वारा ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषक किया जायेगा। जो संबंधित व्यक्ति को अपने स्तर से उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय
राकेश शर्मा
सचिव

संख्या–766 / एक–1–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि

1– स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषक कि प्रश्नगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संदर्भ में सेंट्रल पासपोर्ट आफिस एवं विदेश मंत्रालय भारतसरकार के संबद्ध कार्यालय द्वारा इस विषय में प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाकर उनके कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित करा दें ताकि संबंधित नागरिक को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में विहित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हो सकें।

2– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल लखनऊ

3– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
राकेश शर्मा
सचिव।

संख्याः 82 / XXXI(13)जी / 2006

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांकः 24, जनवरी, 2006

विषय– राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित की जानी वाली बैठकों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जनपद स्तरीय अधिकारीगणों को विभिन्न बैठकों के लिये बार–बार राज्य मुख्यालय पर बुलाया जाता है जिससे कि जनपदों में उनकी उपलब्धता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इससे जहॉ एक ओर विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वही दूसरी ओर आम जनता को अधिकारियों से मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः शासन द्वारा ससम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैंः–

1– अधिकतम बैठके वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सम्पन्न कराई जाय तथा राज्य स्तर पर माह में केवल एक बार ही जिला स्तरीय / समकक्षीय अधिकारियों की नियमित बैठक आयोजित की जाय। यदि माह में दोबारा समस्त अधिकारियों या कुछ अधिकारियों की बैठक की आवश्यकता हो तो सचिव / विभागाध्यक्ष इसकी सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारियों को देते हुए उनसे सम्बन्धित अधिकारियों को बैठक में भेजने का अनुरोध करेंगे।

2– जिलाधिकारियों को राज्य स्तर पर बैठक में बुलाने के लिये मुख्य सचिव का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3– जनपद स्तर पर भी अत्यधिक संख्या में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठकें आहूत न की जाय। जिलाधिकारी जिला स्तर पर समस्त विभागों की समन्वित बैठकें आहूत करें ताकि एक साथ विभिन्न विभागों की समीक्ष की जा सके तथा बार–बार बैठकें बुलाने की आवश्यकता न रहे।

4– सचिवालय में प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन (अवकाश दिवसों को छोड़कर) अपरान्ह् में सभी अधिकारी अपने–अपने कार्यालय कक्षों में उपलब्ध रहेंगे तथा उस समय कोई बैठक आयोजित नहीं की जायेगी, ताकि आम जनता को अधिकारियों से मिलने में सुविधा हो सके। उस समय विभागाध्यक्ष भी अपने मुख्यालयों पर जनता से भेंट हेतु उपलब्ध रहेंगे।

5– जिलाधिकारी भी जनपद के अधिकारियों के अपने कार्यालयों में जनता से भेंट के लिये उपस्थित रहने हेतु सप्ताह में एक दिन निर्धारित करेंगे तथा उस दिन समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने–अपने कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में इसका व्यापक प्रचार भी किया जाय।

6– वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाने वाली विभागीय समीक्षा बैठकों में जिला स्तर से केवल विभागीय अधिकारियों को ही बुलाया जाय तथा केवल विशेश परिस्थितियों में ही जिलाधिकारियों / मुख्य विकास अधिकारियों को बुलाया जाना चाहिए। ग्राम्य विकास विभाग में कुख्य विकास अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति को देखते हुए वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा की मासिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग लगातार दो–तीन दिन एक साथ कर ली जाय जिससे कि बार–बार मुख्य विकास अधिकारियों को कान्फ्रेंसिंग हेतु मुख्यालय पर बना रहना न पड़े।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
(एम0 रामचन्द्रन)

मुख्य सचिव

संख्याः 82 / XXXI(13)जी / 2006,तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
2– निदेशक, सूचना, उत्तरांचल को उपरोक्त आदेशों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी / समस्त मा0 मंत्री जी।
5– व्यवस्थाधिकारी, सचिवालय प्रशासन को शासनादेश के प्रस्तर–4 की व्यवस्था को सचिवालय सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

foHkkx&17

संख्या–1573 / चि0शा0 / 85 / चिकि / 2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

1– महानिदेशक,
चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल ,देहरादून।
2– निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग देहरादन दिनांक 19 अप्रैल,2001

विषय– उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल में निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना हेतु नीति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल शासन राज्य के सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य एवं राज्य के वर्तमान वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए राज्य में निजी क्षेत्र में नये मेडिकल / डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना हेत इन कालेजों के स्थापित होने के पश्चात चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरांचल राज्य के नवयुवकों को अपने ही राज्य में एक अच्छी चिकित्सा शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो एवं निजी क्षेत्र में पूंजी विनियोग को आकर्शित किये जाने के उददेश्य से उत्तरांचल राज्य में निजी क्षेत्र में मेडिकल / डेन्टलएवं आयुर्वेदिक कालेजो की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया है।

निजी क्षेत्र में मेडिकल / डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेज खोले जाने के संबंध में निम्न श्रेणियों की संस्थाओं को काालेज खोले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(1) क–विश्वविद्यालय राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र।

ख–केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सर्थित स्वायत निकाय।

ग– सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटीज भारतीय न्यास अधिनियम 1982 वक्फ आदि के अन्तर्गत पंजीकृत धार्मिक अथवा धर्माथ सार्वजनिक न्यास।

वर्तमान में निजी क्षेत्र की कम्पनियों को मेंडिकल / डेन्टल कालेज खोलने हेतु अर्ह नहीं है परन्तु इन कम्पनियों अथवा किसी वित्त द्वारा सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत न्यास / समिति स्थापित कर उसके माध्यम से मेडिकल / डेन्टल कालेज खोलने पर काई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) अर्ह संस्थाओं के आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात यह सुनिश्चित करने के लिये कि आवेद संस्था संबंधित काऊसिल के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संसाधन / सुविधायें रखती है अथवा व्यवस्था किये जाने में समक्ष है मेडिकल / डेन्टल कालेजों के सम्बन्ध मं महानिदेशक चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें ,उत्तरांचल से आवेदन पत्रों की जांच करायेगी तथा उनके द्वारा संस्तुति किये गये प्रार्थना पत्रों पर शासन द्वसारा समुचित विचारोपरान्त इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें।

(3) आवेदन संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर विचार –विमर्श करके चयन मुख्य सचिव,उत्तरांचल की अध्यक्षता में गठित कमेटी (इम्पावर्ड कमेटी) द्वारा किया जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी निम्न प्रकार होगी :–

1– मुख्य सचिव अध्यक्ष
2– सचिव,वित्त सदस्य
3– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य सदस्य
4– सचिव चिकित्सा शिक्षा सदस्य
5– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सदस्य/संयोजक
(मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों के संबंध में)
6– राज्य के मेडिकल/डेन्टल संकाय के दो वरिष्ठ सदस्य
विशेशज्ञ/चिकित्सक जो शासन द्वारा नामित किये
7– आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में निदेशक आयुर्वेदिक सदस्य/संयोजक
एवं यूनानी सेवायें
8– राज्य के आयुर्वेदिक संकाय का एक विशेशज्ञ/ सदस्य
चिकित्सक जो शासन द्वारा नामित हो
यह समिति आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियो/विशेशज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।
इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति पर माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी उत्तरांचल द्वारा इस विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा कि इम्पावर्ड कमेटी द्वारा चयनित किये अवेदन संस्थाओं को महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में उत्तराचंल राज्य की अनापत्ति संबंधित काऊंसिल को भेजी जायें।

(4) संबंधित काऊंसिल का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात निजी क्षेत्रकी संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले मेडिकल /डेन्टल कालेज एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्रबन्धक,शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति ,सेवा शर्ते निर्धारित करने ,दिन प्रति दिन के कार्यो के संचालन में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नही होगा। राज्य सरकार द्वारा ऐसी आवेदन संस्थाओं को जिन्हें कि संबंधित काऊंसिल से महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई हों, आवश्यक उपकरण एवं सामग्रली के क्रय पर व्यापार कर में छूट की सुविधा अनावर्तक व्यय पर उसी प्रकार प्रदान की जायेगी जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र में मेडिकल/डेन्टल एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को अनुमन्य है।

(5) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले मेडिकल/डेटल एवं आयुर्वेदिक कालेजों को राज्य सरकार की अनापत्ति तब ही दी जायेगी जब संबंधित आवेदक संस्था द्वारा मेडिकल कालेज के संबंध में मेडिकल काऊंसिल आफ इन्डिया ,डेन्टल कालेजों के संबंध में डेटल काऊंसिल आफ इन्डिया एवं आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में भारतीय चिकित्सा कन्द्रिय परिश (सी0सी0आई0एम0) द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो के अनुरूप भूमि एवं भवन कालेजो को केवल उतनी ही सीटीों पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी, जितने के लिए उन्हें संबंधित काऊंसिल से अनुमति प्राप्त हुई है एवं इस प्रकार आवंटित सीटों में उत्तरांचल शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाना संस्था का दायित्व होगा।

(6) आवेदक संस्थाओं को विधार्थियों की भर्ती ,शुल्क निर्धारण अर्हता परीक्षा संचालन एवं संबंधित परिशदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्धारित विस्तर वाले अस्पतालों की व्यवस्था विभिन्न न्यायालयों के निर्णय एवं संबंधित काऊंसिल द्वारा निर्धारित विनियम दिश्याा निदेर्शो के अनुसार करना होगा सामान्यः आवेदक संस्था को किराये के भवन में कालेज खोले जाने के संबंध में अनापत्ति नहीं दी जायेगी जब तक कि इस प्रकार की कोई छूट/सुविधा काऊंसिल द्वारा नीतिगत रूप से उन्हें न प्रदान की गई हो । सी0सी0आई0एम0 द्वारा प्रथम चरण में किराये के भवन में कालेज खोले जाने संबंधी नीति है अतः ऐसे मामलों में संस्था से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि वह द्वितीय चरण में अपनी निजी भूमि पर भवनों का निर्माण पूरा कर लेगी।

(7) निजी क्षेत्रों में खाले गये कालेजों की भर्ती की प्रक्रिया राज्य स्तर पर आयोजित की जाने वाली पी0एम0टी0 की परीक्षा के माध्यम से ही की जायेगी तथा इसमें सबंधित कोंसिल के नियम /विनियम एवं दिशा निर्देशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेन्टल एवं आयुर्वेदिक कालेजों के विधार्थियों की भर्ती तथा शुल्क निर्धारण मं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से 15 प्रतिशत सीटे अप्रवासी भारतीयों हेतु 50 प्रतिशत सीटें योग्यता/विकल्प के आधार पर फ्री सीटस एवं शेश सीटे अधिक शुल्क (पेड सीट्स) वाली सीटें होगी।

कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए यथावश्यक सर्वसाधारणके सूचनार्थ समाचार पत्रों एवं अन्य प्रसार माध्यमों से कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
3– समस्त जिलाधिकारी उत्तराचंल।
4– प्राचाय्र राजकीय गुरूकुल /ऋशिकुल आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार।
5– सूचना निदेशक उत्तरांचल शासन देहरादून को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से
ह0
(पंचम लाल)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
संख्या 3106चि0शा0 / 2001–452(चि) / 2001
देहरादूनः दिनांक 30 जुलाई,2001
अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा पारित प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा –17 (2) एवं 17(5) के अन्तर्गत तथा उक्त अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एवं दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रवृत्त नियमों के क्रम में उत्तरांचल सरकार द्वारा समुचित प्राधिकारी (एप्रोप्रियेट अथोरिटी) एवं सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

मण्डल स्तर पर प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।

एप्रोप्रियेट अथोरिटी उक्त एप्रोप्रियेट अथोरिटी को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक मण्डल पर एक सलाहकार समिति गठित होगी और एप्रोप्रियेट अथोरिटी सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(1) प्रदेश के मण्डलीय मुख्यालय स्थित जनपद के महिला अस्पताल सदस्य की प्रमुख / मुख्य / वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षिका।
(2) मण्डलीय मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल के बालरोग सदस्य विशेशज्ञ / पैथालाजिस्ट।
(3) मण्डलीय मुख्यालय के जनपद स्थित जिला अस्पताल के वरिष्ठतम सदस्य रेडियोलोजिस्ट।
(4) मण्डलीय मुख्यालय स्थित जनपद के जिला शासकीय सदस्य अधिवक्ता।
(5) मण्डलीय मुख्यालय स्थित जनपद के जिला सूचना एवं सदस्य जनसम्पर्क अधिकारी।
(6) मण्डलीय मुख्यालय स्थित जनपदके तीन सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें सदस्य से कम से कम दो महिला संगठन से सम्बन्धित हो । इनका चयन मण्डलायुक्त की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

एप्रोप्रियेट अथोरिटी के निर्देशानुसार बैठक आहुत की जायेगी तथा सलाहकार समिति द्वारा जनपदां की संस्थाओं का पंजीकरण निरस्तीकरण ,निलम्बन,शिकायतों का निराकरण तथा तत्सम्बन्धी सलाह अथवा निर्देश दिये जाने का कार्य किया जायेगा।

एप्रोप्रियेट अथोरिटी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :–

(1) जेनेथिटक सलाह केन्द्र ,जेनेटिक प्रयोगशाला अथवा जेनेटिक क्लीनिक का पंजीकरण करना, निलम्बन तथा निरस्त करना।
(2) जेनेटिक सलाहकार केन्द्र जेनेटिक क्लीनिक तथा जेनेटिक प्रयोगशाला हेतु निर्धारित मानकों का क्रियान्वयन कराया जाना ।
(3) प्रीनेटल सेक्स डिटमिनेशन, प्रीवेशन आफॅ मिसयूज अधिनियम की शिकायतों पर जॉच एवं अधिनियम का उल्लधन होने पर तुरन्त कार्यवाही किया जाना ।

<u>जनपद स्तर पर</u>

मण्डलों के मुख्यायलय जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों को छोडकर शेश समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को समुचित प्राधिकारी (एप्रोप्रियट अथोरिटीनियुक्त किया जाता है तथा समुचित उक्त प्राधिकारी को सहायता एवं परामर्श हेतु प्रत्येक जनपद पर (सलाहकार समिति गठित होगी) एप्रोप्रियेट अथोरिटी सलाहकार समिति के सदस्यो में से एक सदस्य को अध्यक्ष नामित करेगें।

(1) जनपद के महिला अस्पताल की प्रमुख / मुख्य / वरिष्ठ सदस्य चिकित्सा अधीक्षिका।
(2) जिला अस्पताल के बालरोग वशेशज्ञ / पैथालाजिस्ट। सदस्य
(3) जनपद के वरिष्ठतम रेडियोलोजिस्ट। सदस्य
(4) जिला शासकीय अधिवक्ता। सदस्य

(5) जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी। सदस्य
(6) जनपद के तीन सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम से कम दो सदस्य महिला संगठन से सम्बन्धित हो । इनका चयन जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
समुचित प्राधिकारी के निर्देशानुसार बैठक आहुत की जायेगी तथा सलाहकार समिति द्वारा जनपदों की संस्थाओं का पंजीकरण निरस्तीकरण ,निलम्बन,शिकायतों का निराकरण तथा तत्सम्बन्धी सलाह अथवा निर्देश दिये जाने का कार्य किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या 3016(1)चि0शा0/2001 तददिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
(1) सचिव परिवार कल्याण ,भारत सरकार ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन।
(3) सचिव श्री राज्यपाल महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषक कि वे कृपया इस अधिसूचना से महामहिम श्री राज्यपाल को अवगत काने का कष्ट करे।
(4) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ,उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित कि वे कृपया इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार/प्रसार कराने का कष्ट करें।
(5) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
(6) समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी।
(7) महानिदेशक ,चिकित्सा स्वास्यथ्य एवं परिवार कल्याण ,उत्तरांचल देहरादून।
(8) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल।
(9) मुख्य सचिव के निजी सचिव को मा0 मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
(10) चिकित्सा विभाग के समस्त अधिकारी /अनुभाग।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0
(अर्जुन सिंह)
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
चिकित्सा अनुभाग
संख्या–340 / चि–2–2002 / 219चि0 / 2001
देहरादूनः 20 जून,2002
अधिसूचना
प्रकीर्ण

''मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994'' (केन्द्रीय अधिनियम 42 सन 1994) की धारा –1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय अधिनियम 42 सन 1994 को सम्पूर्ण राज्य में प्रर्वतन हु लागू किये जाने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से
आलोक कुमार जैन,
सचिव।

संख्याः 340(1) / चि–2–2002–219चि / 2001 तददिनांक
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– सचिव महामहिम राज्यपाल,उत्तरांचल ,देहरादून।
2– प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन देहरादून।
3– समस्त निजी सचिव मा0 मंत्रीगण,उत्तरांचल शासन।
4– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तरांचल शासन।
5– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव महोदय,उत्तराचल देहरादून।
6– मण्डलायुक्त कुमॉयू / गढ़वाल मण्डल,नैनीताल / पौडी।
7– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,उत्तरांचल देहरादून।
8– समस्त जिलाधिकारी उत्तराचंल।
9– समस्त अनुभाग उत्तरांचल शासन।
10– निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस आशय से प्रेषक कि उक्त अधिसूचना को गजट मे प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा इसकी 200 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध करायी जायें।
11– गार्ड फाईल

आज्ञा से
ह0
(अतर सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 1913 / चि–2–2002–440 / 2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प0क0,
उत्तरांचल एवं
मुख्य रजिस्ट्रार जन्म –मृत्य, उत्तरांचल।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 31 दिसम्बर ,2002

विषय– जन्म मृत्यु पंजीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर अर्न्तविभाग (INTER DEPARTMENT) समन्वय समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपक के पत्र संख 17प / पी0 / 5 / 86 / 2002 / 28942 दिनांक 26नवम्बर 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन्म–मृत्यु पंजीकरण योजनाको सफल बनाने तथा उसके लिये अन्य विभागों केबीच समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तर पर अर्न्तविभागीय कमेटी के गठन से संबंधित पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के शासनादेश संख्या 2225 / 16–10–157 / 62 दिनांक 28.06.1974 जो कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराचंल में भी लागू है, का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय राज्य स्तर पर निम्नवत् अर्न्तविभागीय समन्वय समिति का गठन करते है :–

1– सचिव चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प0क0 अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य
3– सचिव नगरविकास विभाग सदस्य
4– महारजिस्ट्रार, भारत सरकार के प्रतिनिधि,उत्तरांचल सदस्य
5– आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य
6– महानिदेशक,उत्तरांचल पुलिस अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
7– महानिदेश, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प0क0 सदस्य
8– निदेशक, जनगणना कार्य,उत्तरांचल सदस्य
9– निदेशक शिक्षा विभाग,उत्तरांचल सदस्य
10–निदेशक,पंचायती राज,उत्तरांचल सदस्य
11–निदेशक,सूचना विभाग,उत्तरांचल सदस्य
12– निदेशक,अर्थ एवं संख्या विभाग सदस्य
13– अपर निदेशक,राष्ट्रीय कार्यक्रम ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,उत्तरांचल सदस्य
14– सहायक निदेशक / संख्याधिकारी,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव / सदस्य

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ हैकि उक्त प्रयोजनार्थ राज्यपाल महोदय प्रदेश के प्रत्येक जिलों में निम्नवत जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन भी तात्कालिक प्रभाव से करते है :–
1– जिलाधिकारी अध्यक्ष
2– पुलिस अधीक्षक सदस्य

3– मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य
4– जिला विकास अधिकारी सदस्य
5– जिला सूचनाधिकारी सदस्य
6– जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य
7– पंचायत जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी।
8– जिला संख्याधिकारी सदस्य
9– बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य
10– उप मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर जिला रजिस्ट्रार नगरीय सदस्य/सचिव

3– राज्य स्तर पर गठित समन्वय समिति की बैइक शासन के मुख्यालय(देहरादून) में तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक जिलों के मुख्यालयों पर त्रैमासिक हुआ करेगी और इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों को कोइ यात्रा भत्ता देय न होगा।

भवदीय

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्याः 1973(1)/चि–2–2002–440/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषक :–

1– प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास ,उत्तरांचल शासन।
2– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उत्तरांचल शासन
3– सचिव नगर विकास उत्तरांचल शासन।
4– महारजिस्ट्रार, जनगणना आयुक्त, भारत सरकार ,2 मानसिंह रोड ,नई दिल्ली।
5– पुलिस महानिदेशक,उत्तरांचल देहरादून।
6– महानिदेशक, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प0क0उत्तरांचल देहरादून
7– निदेशक जनगणना कार्य उत्तरांचल।
8–निदेशक,पंचायती राज,उत्तरांचल
9– निदेशक,अर्थ एवं संख्या विभाग उत्तरांचल
10– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
11–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तरांचल।
12– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरांचल
13–समस्त जिला विकास अधिकारी उत्तरांचल
14–कार्मिक अनुभाग–1/पंचायती राज अनुभाग

आज्ञा से

(अतर सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 236 / चि–2–2003–42 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प0क0
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 24मार्च,2003

विषय– उत्तरांचल के जिला चिकित्सालयों, राजकीय संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेंस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के जिला चिकित्सालयों,संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेंस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन में लोच एवं गतिशीलता तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने के उददेश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया हैकि राज्य के उक्त चिकित्सा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु संलग्न की जा रही सूची के अनुसार प्रत्येक जिले मं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जाये। अतःइस हेतु चिकित्सा प्रबन्धन समिति का संगम ज्ञापन तथा चिकित्सा प्रबन्धन समिति के संगम अनुच्छेद का प्रारूप इस निर्देश के साथ संलग्न किये जा रहे है कि कृपया चिकित्सा प्रबन्धन समितियों का गठन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनतर्गत 01 माह के अन्दर पंजीकरण सुनिश्चित कर शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में उल्लेखित चिकित्सालयों का यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली समस्त धनराशि समिति को दी जायेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कियूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राजकोश में जमा की जाती है । अतः यूजर चार्जेज के रूप में अतिरिक्त 50 प्रतिशत दी जाने वाली धनराशि को शासन से चिकित्सालय को मिलने वाले अनुदान में से उसी अनुपात में घटा दी जायेगी तथा समिति को चिकित्सालय के संचालनार्थ विभिन्न मानक पदों के स्थान पर एक मुश्त बजट अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत अतिरिक्त यूजर चार्जेज घटाकर दियाजायेगा। चिकित्सालयों में सृजित पदों पर कार्यरत समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों की सेवा शर्ते पूर्ववत रहेगी तथा वर्तमान में उन्हे जो वेतन एवं परिलब्धियॉ आदि राज्य बजट से दी जा रही है भविष्य मे भी इसी प्रकार दी जाती रहेगी।

3– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2346 / वि0अनु0–2 / 03 दिनांक 21 मार्च 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय
(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्याः 236(1)/चि–2–2003–42/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल।

2– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

3– निदेशक ,कोषागार,उत्तराचल देहरादून।

4– अपर निदेशक, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प0क0,गढवाल/कुमायू मण्डल/पौडी गढवाल,नैनीताल।

5– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरांचल।

6– समस्त वरिष्ठ कोशाधिकारी/कोशाधिकारी उत्तरांचल।

7–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,जिला चिकित्सालय चमोली ,जिला चिकित्सालय पौडी,गढवाल/हे0न0बस चिकित्सालय,श्रीनगर पौडी गढ़वाल/संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार,पौडी गढ़वाल/संयुक्त चिकित्सालय, श्रीनगर गढवाल/महिला चिकित्सालय,पोडी गढवाल/जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर,टिहरी गढवाल/ संयुक्त चिकित्सालय,बोडाई टिहरी गढवाल/जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/दून चिकित्सालय देहरादून /महिला चिकित्सालय देहरादून/एस पी एस चिकित्सालय ऋशिकेश /कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून/एच एम जी चिकित्सालय हरिद्वार/जे एन एल नगर /बी डी पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल/महिला चिकित्सालय नैनीताल सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल/महिला चिकित्सालय हल्द्वानी/ संयुक्त चिकित्सालय रामनगर नैनीताल /जिला चिकित्सालय अल्मोडा/नागरिक चिकित्सालय रानीखेत/जिला पुरूश चिकित्सालय पिथोरागढ/महिला चिकित्सालय पिथोरागढ/नागरिक चिकित्सालय टनकपु ,चम्पावत /रूद्रप्रयाग/चम्पावत/बागेश्वर।

8– वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन

9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0
(अतर सिंह)
अनु सचिव

संख्या 916 / चि–2–2003–88 / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 11 अगस्त,2003

विषय– प्रादेशिक चिकित्सा सेवा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों / दन्त शल्यक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध के एवज में प्रैक्टिस बन्दी भत्ता का पुनरीक्षण।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 5584 / सेक–2–पां.च–323 / 83 दिनांक 31.08.1989 द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा सेवा, प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा,दन्त चिकित्सा सेवा के अधिकारियों तथा राजकीय मेंडिकल कालेजो के अध्यापकों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के एवज में प्रैक्टिसिंग बन्दी भात्ता उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दरों के अनुसार स्वीकृत किया गया है। अविभाजित उ0प्र0 में विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण पर संस्तुति हेतु गठित वेतन समिति (1997–1999) के 11 वें प्रतिवेदन के माध्यम से चिकित्सा सेवा के अधिकारियों पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाये गये प्रतिबन्ध के एवज में अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दरों में पुनरीक्षण हेतु की गयी संस्तुतियों के क्रम में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों / दन्त शल्य चिकितसको को उक्त शासनादेशों दिनांक 31.8.1989 द्वारा दिया जा रहा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0सं0	पूर्व वेतन सीमा (रूपया)	पूर्व स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्रतिमाह पर	वर्तमान वेतन सीमा (रूपया)	वर्तमान स्वीकृत / पुनरीक्षित प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
1	रू0 3000 / –से कम	रू0 600 / –	रू0 10000 / –से कम	रू0 1000 / –
2	रू0 3000 / –और इससे अधिक किन्तु 3700 / – से कम	रू0 800 / –	रू0 10000 / –से 11999 / –तक	रू0 2000 / –
3–	रू0 3700 / – और इससे अधिक	रू0 900 / –	रू0 12000 / –एवं उससे अधिक	रू0 2250 / –

उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के योग की सीमा रू0 26. 000 / – मासिक होगी।

1– उपर्युक्त प्रैक्टिस बन्दी भत्ता निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीनद देय महगाई भत्ता ,यात्रा / दैनिक भत्ता एवं अन्य भत्तों की गणना के लिए वेतनमान माना जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता पुनरीक्षित वेतनमान में इस प्रतिबन्ध के साथ माना जायेगा कि इसकी अनुमन्यता प्रत्येक सरकारी चिकित्सालय ,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिसपेन्सरी आदि में चिकित्सकों को स्वीकृत पदों तक ही सीमित होगी।
3– प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की पुनरीक्षित व्यवस्था /दरें दिनांक 01 फरवरी 2003 से प्रारम्भ होगी।
4– प्रदेश के दुर्गम /अति दुर्गम क्षेत्राों में स्थित चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारी शासनादेश संख्या 748/चि0–2–2002–277/2002 दिनांक 08 नवम्बर 2002 दिया गया विशेश नॉन प्रैक्टिस बन्दी भत्ता पूर्व की भांति दिया जाता रहेगा।
3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 391/वि0 दिनांक 07 अगस्त 2003 के प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
(आलोक कूमार जैन)
सचिव।

संख्या 916(1)/चि–2–2003–88/2003 तददिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी उत्तराचंल।
3– अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 गढवाल /कुमॉयू मण्डल ,पौडी /नैनीताल।
4– समस्त वरिष्ठ कोशाधिकारी /कोशाधिकारी उत्तरांचल।
5– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरांचल।
6– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षीका, जिला चिक्त्सिालय महिला उत्तरांचल।
7– वित्त अनुभाग–2
8– चिकित्सा अनुभाग–1/31
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(आलोक कूमार जैन)
सचिव।

संख्या 4180चि0–2 / 2003–437 / 2002

प्रेषक,

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महा निदेशक ,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 20 दिसम्बर, 2003

विषय– उत्तरांचल के सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचार्य के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या)नियमावली 1946 तथा संशोधित 1968 जो कि उत्तरांचल में भी उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत लागू है जिसके प्राविधान चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही दिनों दिन परिवर्तन / प्रगति को देखते हुये पर्याप्त नहीं रह गये हैं इस कारण से कर्मचारियों को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रायः नियमों को शिथिलीकरण अपेक्षित हो जाता है । ऐसी दशा में आधुनिक चिकित्सा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुऐ उत्तरांचल सरकारी सेवक चिकित्सा परिचार्य नियमावली 2003 बनायी जा रही हें जिसके प्रख्यापन में अभी पर्यापत समय लगने की सम्भावना है अतः प्रस्तावित चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2003 प्रख्यापित होने तक की अवधि के लिये चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने तथा प्रगतिपूर्ति से संबंधित मामलों में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिकोण से श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश प्रदान करते है :–

1– चिकित्सा अग्रिम –

सरकारी सेवक के उपचार हेतु उसके लिखित आवेदन पर देश के अन्दर चिकित्सा विभाग द्वारा विशिष्ट उपचार के लिये चिन्हित / सन्दर्भित चिकित्सालय / संस्थान के प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / प्रभारी प्रशासन द्वारा दिये गये व्यय प्राक्कलन के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा रू0 50,000–00 तक की सीमा तक अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है । रू0 50,000–00 से अधिक के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी। चिकित्सा उपचार अग्रिम हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पांच भाग एक के प्रस्तर –249 में निर्धारित सीमा रू0 25,00 / – को इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

उपरोक्त अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न शर्तो का अनुपालन आवश्यक ह्येगा (क) ऐसे अग्रिम की धनराशि अनमानित व्यय आगणन के 75 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(ख) अग्रिम स्वीकृत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर ,जो भी पहले हो उसके समायोजन हेतु प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) अग्रिम का समय से समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय हेतु अधिकृत आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अग्रिमों का एक रजिस्टर सेवारत कर्मचारियों के लिए परिशिष्ट '' क'' में निर्धारित प्रपत्र पर रखा जायेगा, जिसकी जांच प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह मे उनके द्वारा जायेगी। निर्धारित समय के अन्दर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के प्रस्तुत न किये जाने पर अग्रिम की वसूली संबंधित कर्मचारियों के वेतन से एक मुश्त कर ली जायेगी। और एक मुश्त वसूली सम्भव न होने के कारणों के विस्तृत परीक्षण के बाद औचित्यपूर्ण स्थिति में मासिक किश्तों में नयूनतम सम्भव वसूल किया जायेगा।

(ध)जब तक एक अग्रिम पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि स्वीकृत अग्रिम की प्रविष्टि अग्रिम के निर्धारित रजिस्टर में कर ली गयी है।

2– चिकित्सा उपचार के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्यता :–
प्रदेश के भीतर चिकित्सा उपचार–
(क) प्रदेश के भीतर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने पर अनुमन्य मदों पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी, सामान्य बीमारी अथवा सामान्य के कैश मौमों पर प्रतिपूर्ति अस्वीकर की जाय।
(ख) प्रदेश स्थित चिकित्सालयों द्वारा उपचार के दौरान ऐसे उपचार प्रणालियों /परीक्षणों जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भित किये जाने पर गैर सरकारी चिकित्सालयों में किये गये उपचार के संबंध की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो पर की जायेगी।
(ग) प्रदेश के भीतर गैर सरकारी चिकित्सालयों निजी चित्सिालयों /नर्सिंग होम के करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति उन दरों पर की जायेगी जिन दरों पर इस प्रकार की चिकित्सा राजकीय चिकित्सालयों में कराने पर व्यय आता है प्रतिपूर्ति की धनराशि /दरों में से जो भी कम हो देय होगी, किन्तु ऐसे उपचार प्रणालियॉ /परीक्षण जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो पर व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।
प्रदेश के बाहर विशेश चिकित्सा–
असाध्य एवं गम्भीर रोगों के उपचार प्रदेश स्थित चिकित्सालयों एवं राजकीय मेडिकल कालेजों में समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रदेश स्थित चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों के सम्बन्धित रोग के विशेशज्ञ जो प्रोफेसर /विभागाध्यक्ष से निम्न स्तर का न हो की संस्तुति पर प्रदेश के बाहर के राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा विशेशज्ञ उपचार हेतु अनुमोदित शासकीय/अशासकीय चिकित्सा संस्थानों में उपचार की अनुमति शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जा सकेगी। और चिकित्सा विभाग के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की संस्तुति पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने की दशा में अशासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने पर वास्तविक व्यय अथवा अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्था नई दिल्ली के अध्यतन दरों पर दोनों में से जो भी कम हो की दरों पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी, आपातकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण यदि किसी रोगी को बिना पूर्व अनुमति के उपचार हेतु ले जाना पड़े तो ऐसे संस्था का आकस्मिकता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जिसपर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के प्रतिहस्क्षार होने के उपरान्त ही सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
4– उक्त उपबन्ध उन्हीं कार्यरत अवकाश पर अथवा निलम्बित सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्य पर लागू होंगे, जिन पर उ0प्र0 कर्मचारी (चिकित्सा परिचार्या) नियमावली 1946 यथासंशोधित 1968 या तो मूलत: या बाद के शासनादेशों द्वारा लागू है, किन्तु राज्य के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सेवायोजित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर यह नियमावली उसी सीमा तक लागू होगी, जहां तक ऑल इण्डिया सर्वेसेज (मेडिकल एटेन्डेट) रूल्स 1954 में अन्यथा व्यवस्था न दी गयी हो।
5– प्रदेश के भीतर तथा बाहर कराई गयी चिकित्सा व्यय के प्रतिपूर्ति के दोनों दावों के स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया भी निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते है।
1–प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि रू0 2000.00 प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी राजकीय चिकित्सालय कार्यालयाध्यक्ष के अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी जहां उपचार किया गया हो अथवा जहां से सन्दर्भित किया गया हो।शासकीय चिकत्सालयों के प्रकरण में राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी
2. रू0 2,000.00 से अधिक किन्तु 10,000.00 तक उपचार प्रदान करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक विभागाध्यक्ष

3. रू0 10,000.00 से अधिकारी किन्तु रू0 50,000.00 से कम कुमायूं मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमायू मण्डल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल मण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शासन के प्रशासकीय विभाग
4. रू0 50,000.00 से अधिक –तदैव–शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति

6. प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सा एवं संस्था जिसके द्वारा उपचार प्रदान किया गया, से संलग्न अनिवार्यत् प्रमाण पत्र के प्रारूप पर बाउचर सत्यापित करवाकर व सक्षम स्तर का सन्र्दभन तथा प्रमाण पत्र तथा आपातकालीन परिस्थिति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्याल्याध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष जैसी स्थिति हो, को 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगें। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष प्रस्ताव 05 के अनुसार दावों को प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करेंगें।
7. उपर्युक्त प्रस्ताव पांच में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के पश्चात विलम्बतम एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण कराकर इसे प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त सरकारी सेवक के कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगें। जो सम्बन्धित स्वीकृता अधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त करेंगें।
8. सेवानिवृत्त सरकारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे सम्बन्धी कार्यालयाध्यक्ष को अथवा उस कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगें। जहां से वह सेवानिवृत्त हुये हों। उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 के प्रस्तर 54 के साथ पठित शिड्यूल 8 के अनुसार उत्तरांचल राज्य के भोगौलिक क्षेत्र से पेंशन प्राप्त करने वाले पैंशनर्स जिस कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहें, यह प्रमाणित करने पर उक्त पेंशनर्स किसी विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है, तथा सम्बन्धित कार्यालय उत्तरांचल के भौगोलिक क्षेत्र मे ंनहीं है। तथा उत्तरांचल क्षेत्र में स्थित विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 10,000.00 तक तथा उससे अधिक धनराशि का दावा प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा ऐसे भुगतान पेंशन के सुसंगत लेखाशीर्शक से करने के बाद दोनों राज्यों की मध्य धनराशि जनसंख्या के आधार पर परिभाजित की जायेगी।
9. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रितों, सदस्यों तथा मृतक सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों का तकनीकी परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल वह मण्डल माना जायेगा जहां से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी की पेशंन आहरित की जाती है। प्रदेश से बाहर आहरित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के सम्बन्ध में उनका मण्डल वही माना जायेगा जिस मण्डल से कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हों।
10. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 636/बी–अुन0–2/2003 दिनांक 17.10.2003 मे ंप्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,
(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1180(1)/चि0–2–2003–437/2002 तद्दिनांक
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल।

3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूश एवं महिला चिकित्सालय उत्तरांचल।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अतर सिह)
अनुसचिव।

परिशिष्ट ''क''

देश के अन्दर चिकित्सा परिचर्या हेतु स्वीकृत अग्रिमों का रजिस्टर

क0सं0	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	अग्रिम स्वीकृति आदेश संख्या एवं तिथि	स्वीकृत अग्रिम की धनराशि	अग्रिम आहरण की तिथि एवं वाउचर संख्या	प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि	प्रतिपूर्ति के दावे कार्यालयध्यक्ष के कार्यालय से प्राप्त होने की वास्तविक तिथि	प्रतिपूति के दावे भुगतान अग्रिम की वसूली हेतु कृत कार्य वाही का विवरण	उपचायर व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति आदेश की संख्या एवं तिथि	प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि	समायोजन हेतु अग्रिम की अवशेश यदि हो	अग्रिम की अवशेश धन राशि यदि कोई हो जमा करने संबंधी ट्रेजरी चालान की संख्या एवं तिथि तथा जमा की गई धनराशि	समायोजन बिल की सं0 एवं तिथि	अ वि अ द्व ज ह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1

कार्यालय का नाम
संख्या 1404 चि0शा0 /2004

संख्या 1404 चि0शा0 /2004

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

चिकित्सा अनुभाग– देहरादून दिनांक 8 फरवरी,2004

विषय– सुरक्षित मातृत्व हेतु बन्दे मातरम् योजना को प्रारम्भ किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय सचिव, परिवार कल्याण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अद्ध शा0 प0 संख्या 12015/4/2003 एम0सी0एच0दिनांक 12 जनवरी 2004 जो कि समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित है का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा देश में उच्च मातृ तृत्यु की दर तथा सरकारी क्षेत्र में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेशज्ञ चिकित्सको की कमी को देखते हुए गर्भवती माताओं को सुरक्षित मातृत्व सेवायें प्रदान कराये जाने के उद्धेश्य से फैडरेशन आफ आब्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिस्ट सोशाइटी आफ इण्डिया (FOGSI) के सहायोग से 09 फरवरी से बन्दे मातरम् योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है इस योजना का मुख्य दद्धेश्य निजी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेशज्ञों द्वारा प्रत्येक माह की 09 तारीख को गर्भवती सहित अन्य महिलाओं के निःशुल्क चेकअप तथा उन्हें परिवार कल्याण सेवायें ओ0पी0डी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है । इस प्रकार प्रत्येक माह की 09 तारीख बन्दे मातरम दिवस के रूप में आयोजित की जायेगी तथा इस दिवस पर गर्भवत माताओं को निजी चिकित्सको एवं राजकीय सुविधाओं से प्राथमिक के आधर पर लाभान्वित किया जायेगां। योजना के कियान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा उक्त पत्र के द्वारा आपको प्रेषक किये गये है।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार से दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार अपने जनपद में अधिक से अधिक निजी चिकित्सकों को प्रेरित कर इस योजना में पंजीकरण करवायें। साथ ही सरकारी क्षेत्र में समस्त चिकित्सालयों /एफ0आर0यू0 को सक्रिय कर समस्त गर्भवती महिलाओं को,प्राथमिकता के आधार पर सेवायें उपलबध कराना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसर निम्न विन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1 वन्दे मातरम योजना को ध्यान पूर्वक पढे तथा प्रतियों प्रिट करवा ले ओर सभी अवश्यक तेयारी कर लें।

2 09 फरवरी 2004 को बन्दे मातरम योजना को लागू करने के लिये विस्तृत योजना तैयार करें।

3 09 फरवीर 2004 बन्दे मातरम योजना को लागू करने के लिये निजी चिकित्सकों ,स्वयं सेवी संगठनों ,अन्य समाज के प्रतिनिधि प्रेस प्रतिनिधि ,वरिष्ठ राजकीय चिकित्सकों की योजना के कियान्वयन पर विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन करें।

4 यदि इस बैठक में आयोजन हेतु किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे प्रसारित किया जाय

5 बैठक में आयोजन से पूर्व पंजीकरण की घोशणा हेतु फार्म तेयार कर लिये जाय अैर बैठक के दौरान ही चिकित्सकां का पंजीकरण किया जाय तथा बैठक के बाद अनुपस्थित चिकित्सकों हेतु फार्म वितरित किये जाय।

6 दिये गये सेम्पल के अनुसार लोगों बोर्ड (प्रम2ग्2ण्5जि) को तैयार करने हेतु आदेश परित कर दें।

7 पंजीकृत किये गये चिकित्सकों हेतु बन्दे मातरम मैटरनल केयर कार्ड वितरण हेतु पूर्व में ही तैयार कर ले।

8 बन्दे मातरम् योजना के सदस्यों द्वारा जो लाभार्थी लाभान्वित होगें उन्हें गर्भनिरोधक और आयरन फोलिक एसीड की गोली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है जिसकी व्यवस्था मुख्य चिक्त्सिाधिकारी द्वारा की जायेगी।

भवदीय,
(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1404 चि0–2–2004 /2004 तददिनांक

प्रतिलिपि–

1– मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2–' महानिदेशक ,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण ,उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1136 / XXVII-2-2005-270 / 2002

प्रेषक,

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 08 जुलाई,2005

विषय– 73 वे संविधान संशोधन के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारों एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

सविधान के 73वें संशोधन में नीहित सत्ता के विकेनद्रीकरण की मूल भावनाओं को रूप देने के लिए पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 622 / पं0ग्रा0अ0से अनु0 / 92(25) / 2003 दिनांक 29 अक्टूबर,2003 के दिशा निर्देशों के अनुरूप जारी शासनादेश संख्या 3379 / XXVII–2–2004–270 / 2004 टी0सी0दिनांक 11 फरवरी 2004 के क्रम में पुनः विभाग में करायी गयी एक्टीविटी मैपिग एवं परामर्श को दृष्टिगत रखकर, उक्त शासनादेश दिनांक 11 फरवरी 2004 को संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल के चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जिला पंचायत /क्षेत्र पंचायत /ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सरकारी /कर्मचारी निर्दिष्ट कार्यो का निर्वहन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अनुरूप संपादित करेगें, तथा विभाग के साथ–साथ पंचायत व्यवस्था के प्रति भी उत्तरदायी होगें।

जिला पंचायत स्तर :–

सामान्य प्रबधन कार्य (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण)

1– विषयों से संबंधित सभी कार्यक्रमों /योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा अनुश्रवण एवं निरीक्षण करना ।

2– जिला सेक्टरों / राज्य सेक्टर एवं केन्द्रीय योजनाओं आदि को कार्यक्रमों का मानकों के अनुसार कार्यान्वयन तथा लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित कराना।

3– समस्त विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्यो का निष्पादन करना तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार मांगों को अग्रसारित करना। जिला पंचायत की स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बैठक का आयोजन करना तथा कार्यों की प्रगति से समिति को अवगत कराना

ख– चिकित्सा :–

1– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के माध्यम से समस्त जनपद की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं की योजना बनाना।

2– क्षेत्र पंचायत से प्राप्त मांगों का मानको एवं लक्ष्यों के आधार पर जिला स्वास्थ्य योजना का निर्माण।

124

3– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के लिए क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से भूमि एवं भवनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ग– स्वास्य :–

1– स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी विभागों से समन्वय कराना।

2– विभिन्न निर्माण कार्यों एवं रख–रखाव का पर्वेक्षण एवं समन्वय करवाना।

3– समस्त जिले की स्वास्थ्य सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित कर अग्रसारित करना एवं जिला बिन्दुओं पर जनपद स्तर पर कार्यवाही होनी है, उन्हें सम्पादित करना।
4– सम्पूर्ण जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित निरीक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करवाना।
5– स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी विभागों से समन्वय करवाना।
6– स्वास्थ्य सेवाओं की परिसम्पत्तियों का रख–रखाव सुनिश्चित करना तथा इनका दुरूपयोग होने पर आवश्यक कार्यवाही करना।

घ– परिवार कल्याण :–

1. जनपद स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के माध्यम से सम्पूर्ण जनपद की परिवार कल्याण योजना का निर्माण/कार्यान्वयन कराना/करवाना तथा इसे अग्रसारित कराना।
2. समस्त जनपद मे परिवार कल्याण योजना की स्थापना हेतु मांग अग्रसारित कराना।
3. राज्य स्तर से प्राप्त लक्ष्यों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना

<u>क्षेत्र पंचायत स्तर :–</u>

सामान्य प्रबन्धन कार्य (मूल्याकन एवं अनुश्रवण)

1. विभागीय योजनाओं में गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से निरीक्षण एवं समीक्षा करना।
2. जिला पंचायत स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
3. क्षेत्र पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के माध्यम से प्रबन्ध कार्य सुनिश्चित करना तथा संस्तुति के साथ अग्रसारित करना।

foHkkx& 18

कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तरांचल
228 मोहितनगर देहरादून

संख्या–897 / दस– 35 / दुर्घटना / राहत / 2002 दिनांक अक्तूबर 08, 2002

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (चमोली)
उत्तरांचल

विषय वाहन दुर्घटनाओं में सहायता राशि का आवंटन

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के संबंध में निवेदन है कि प्रत्येक जिलाधिकारी की ओर से अपने जनपद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वाहनों से घटित दुर्घटनाओं के संबंध में मृतक / घायलों को सहायता राशि दिए जाने हेतु संस्तुति की जाती है, जिनमें कुछ प्राइवेट वाहन / ट्रक आदि भी होते हैं। इस संबंध में विभिन्न जिलाधिकारियों की ओर से दुर्घटना में राहत दिए जाने संबंधी शासनादेशों, सार्वजनिक सेवा यान के अधीन दुर्घटना होने पर कराधान नियमों आदि के संबंध में जानकारी चाही गई है। इस संबंध में निवेदन है कि मोटर यान कराधान नियमावली 1998 के नियम–30 में दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को राहत की हकदारी हेतु अधिनियम संख्या–1337 / 30 –4 –99 दिनांक 28.4.99 द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:–

30– राहत की हकदारी– (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान, जिसके संबंध में धारा–6 की उपधारा (1) या (2) के अधीन अतिरिक्त कर या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अधिभार का भुगतान किया जा चुका है, के दुर्घटना में अंतर्गस्त होने से पीडित यात्री या कोई अन्य व्यक्तियों ऐसे यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी राहत पाने के हकदार होंगे।

(2) प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में उप नियम (1) के अधीन राहत की मात्रा ऐसी होगी जैसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

31– रीति जिससे निधि प्रशासित होगी और उपयोग की जाएगी–

(1) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो नियम–30 के उप नियम (1) के अधीन राहत के लिए व्यक्तियों की हकदार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेगा जो डिविजनल मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति का न हो और राहत की धनराशि के आवंटन के संबंध में परिवहन आयुक्त को अपनी संस्तुति करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट से संस्तुति प्राप्त होने पर .....उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से धनराशि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के निस्तारण पर आवंटित करेगा जो ऐसा होने पर इसे स्वीकृत, आहरित और ऐसे राहत के हकदार व्यक्तियों के मध्य वितरित करेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट पूर्ववर्ती मास में उसकी अधिकारिता में हुई दुर्घटनाओं का विवरण प्रत्येक उत्तरवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन परिवहन आयुक्त को भेजेगा और परिवहन आयुक्त दुर्घटनाओं का समेकित मासिक विवरण प्रत्येक उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन सरकार को भेजेगा।

126

अतः अपने जिले में घटित दुर्घटनाओं में उपरोक्त कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें तथा जनपद में हुई प्रत्येक दुर्घटना का ब्योरा इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें।

उत्तरांचल में घटी विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से संबंधित डाटा मांगा गया है, जो मुख्यतः निम्नवत् है:–

1– दुर्घटना का समय (ग्रामीण / शहरी क्षेत्र)
2– सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय / राज्जीय या अन्य मार्ग पर) समतल अथवा उबड–खाबड भूमि
3– स्थानानुसार (यथा स्कूल, कालेज, धार्मिक जगह, सिनेमा, अस्पताल, खुली जगह आदि)

4– मौसमानुसार (यथा स्वच्छ, धुंध, कोहरा, हल्की वर्शा, भारी वर्शा, बर्फ, ओले आदि)
5– वाहन का प्रकार– यथा साईकिल,पैदल यात्री/पेड आदि
या आबजेक्ट जिससे दुर्घटना हुई
6– माडल
7– दुर्घटना की प्रकृति– यथा आगे/पीछे टकराने के कारण, दांये बांये टकराने से या अन्य कारण
8– अन्य कारण– यथा चालक की गलती, अन्य वाहन की गलती, यांत्रिक खराबी, हल्की रोशनी के कारण, दांये, बांये मोड़ने से, ओवरटेकिंग, रिवर्सिंग आदि।
9– चालक की गलतियां– नशे में, अधिक गति से, अन्य वाहन/ राहगीर को उचित रास्ता न देने पर गलत मोडने पर, गलत सिग्नल पर, हैड लाइट का गलत प्रयोग अन्य चालक की गलतियां
10– अन्य गाडी का विवरण जिससे घटना हुई – ओवर लोडिंग,/ओवरकाउडेड, ब्रैकों में खराबी, पंचर अथवाबर्स्ड टायर अन्य गंभीर यांत्रिक खराबी, व्यावसायिक वाहन की दशा में फिटनेश।
11– दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों की आयु।
12– रोड कंडीशन्स– यथा मेटिल्ड कच्चा, सुखी सलह, गीली सतह, मिट्टी अथवा कीचड में सडक निर्माण पर, मोड/गहराई लिए हुए, हल्का झुकाव, सिंगल/डबल मार्ग, टी/वाई जंकशन, मानव सहित/रहित रेलवे क्रासिंग इत्यादि।
13– दुर्घटना में अंतर्गत वाहन चालक के अनुसार– चालक की उम्र/पैदल चलने वाले की उम्र, चालक की शैक्षिक योग्यता, वालन चलाने वाला व्यक्ति–प्राइवेट वाहन स्वामी अथवा पेड चालक या अन्य एवं लाईसेंस का प्रकार।
अतः निवेदन है कि दुर्घटनाओं की जांच आख्या प्रेषक करते समय अन्य बातों के साथ–साथ जांच अधिकारी को उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषक किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करेंगे। राहत से संबंधित अनुसूची संलग्न की जा रही है।

भवदीय
आर0तिवारी
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तरांचल।

तेरह– तर्जनी उंगलियों की हानि तीन अंगुलस्थि दो अंगुलस्थि एक अंगुलस्थि
2000 1200 800 500 300 200

क0सं0	दुर्घटना/ क्षति का विवरण		देय राहत की धराशि
किसी यात्री की दशा में	अन्य व्यक्ति की दशा में		
1	यात्री की मृत्यु	20,000	–
2	अन्य व्यक्ति की मृत्यु	–	5,000
3	निःशक्त यात्री और अन्य निःशक्त हुए व्यक्ति	20000	5,000

	को देय राहत की धनराशि	
एक– ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्ता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में राके उत्पन्न करें		
दो– दो अंगों की हानि	20000	5,000
तीन– दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	20000	5,000
चार–अखने के ऊपर एक पैर की हानि	20000	5,000
पांच– पैर की समस्त अंगुलियों की हानि पैर के	4,000	1000
अंगूठे की दोनों बडी अंगुलस्थि	1000	250
एक बडी अंगुलस्थि	400	100
बड़ा से भिन्न अंगुलस्थि	200	50
यदि पैर के अंगूठे से अधिक अंगुलयिों की हानि हुई हो		
छः– एक नेत्र की हानिी	10,000	2500
सात– दोनों कानों के सुनने की हानि	10,000	2500
आठ– एक कान की हानि	3000	750
नौ– दाहिनी कलाई से ऊपर एक भुजा की हानि	10,000	2500
दस– एक हाथ का अंगूठा और चार अंगुलियों की हानि	8400	2100
ग्यारह–अंगूठे की दोनों अंगुलस्थि एक अंगुलस्थि की हानि	2000	500
बारह– चार अंगुलियों की हानि	7000	1600

vulph

(नियम 30 देखिये)

निःशक्त को और मृत यात्रियों के वारिसों को और अन्य मृतकों या निःशक्त व्यक्तियों के आश्रितों को देय राहत की धनराशि

तीसरे चौथे या पांचवे

250	पन्द्रह– अनामिका की	1000
200	हानि	800
100	तीन अंगुलस्थि	400
	दो अंगुलस्थि	
	एक अंगुलस्थि	
सोलह– कनिष्ठका की हानि	800	200
तीन अंगुलस्थि	600	150
दो अंगुलस्थि	400	100
एक अंगुलस्थि		

चौदह– मध्यिका उंगली की हानि	1200	300
तीन अंगुलस्थि	.....	.....
दो अंगुलस्थि	800	200
एक अंगुलस्थि	400	100
सत्रह– प्रथम या द्वितीय (अतिरिक्त) (अतिरिक्त) मेटा–कारफल्स की हानि	400	100

संख्या–6–चार / न्याय अनुभाग / 2002

प्रेषक,

आर0पी0पांडेय
सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तरांचल शासन, देहरादून

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल
न्याय विभाग देहरादूनःदिनांकः 26 अक्टूबर, 2002

विषय– अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा शर्तों में संशोधन

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल नीचे स्तंभ–1 में दिए गये विधि परामर्शी के प्रस्तर 7.08 तथा 7.13 (1) के प्राविधानों के स्थान पर स्तंभ–2 में अंकित प्राविधान प्रतिस्थापित करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

स्तंभ–1 वर्तमान प्राविधान	स्तंभ–2 एतद्द्वार प्रतिस्थापित प्राविधान
7.08– पदावधि का नवीनीकरण (4) यदि शासन जिला अधिकारी की इस सिफारिश से सहमत हो कि सरकारी अधिवक्ता को पदाविध का नवीनीकरण किया जाए तो वह तीन वर्शों से अनाधिक अवधि के लिए उसकी पुनः नियुक्ति के आदेश प्राप्त करेगा।	7.08– पदाविधि का का नवीनीकरण (4) यदि विधि परामर्शी जिला अधिकारी और जिला न्यायाधीश द्वारा सरकारी अधिवक्ता के अच्छे कार्य, परिश्रम और सत्यनिष्ठा के संबंध में दिए गए प्रमाण पत्र और इस सिफारिश से सहमत हो कि सरकारी अधिवक्त की पदावधि का नवीनीकरण किया जाये तो वह उसकी पदावधि एक बारम्` 5 वर्ष से अनाधिक अवधि तक बढ़ाये जाने के संबंध में शासन के आदेश प्रापत करेगा किन्तु पदावधि का नवीनीकरण किसी भी अधिवक्ता को किसी भी समय बिना कारण बताये हटाने का अधिकार होगा।
7.13– अधिवर्षता की आयु– (1) किसी भी विधि व्यवसायी को जिला सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक हो, न ही उसका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु के पश्चात बढ़ाया जायेगा जब तक कि शासन किन्हीं विशेश कारणों से किन्हीं मामलों में अन्यथा निर्देश न दे दें।	7.13– अधिवर्षता की आयु– (1) सरकारी अधिवक्ता की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष होगी एवं सामान्यतः उसकी पदावधि का नवीनीकरण 62 वर्ष की आयु के पश्चात नहीं किया जायेगा, किन्तु अच्छे स्वास्थ्य तथा लगातार अच्छे कार्य का प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिलाधिकारी से प्राप्त होने पर उसे 62 वर्ष के पश्चात अग्रेतर तीन वर्शों तक अर्थात 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए कार्यरत रखने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकेगा। 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सरकारी अधिवक्ता स्वयंमेव कार्यमुक्त हो जायेगा।

2– उक्त संशोधन तात्कालिक रूप से प्रभावी होंगे।

3– मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि इस संशोधन के जारी होने की तिथि या उसके ... पूर्व आदेशों द्वारा तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ाये जाने के फलस्वरूप जिन अधिवक्ताओं का कार्यकाल 26.10.2002 के पश्चात तीन वर्ष की अवधि से पूर्व अर्थात 25.10.2005 या उसके पूर्व होगा उन अधिवक्ताओं का कार्यकाल इस संशोधन के फलस्वरूप 03 वर्ष के स्थन पर 05 वर्ष के लिए स्वमेव नवीनीकृत माना जायेगा। उदाहरार्थ यदि पूर्व के आदेश द्वारा किसी अधिवक्ता का नवीनीकरण 26.10.2002 के पश्चात एवं 25.10.2005 के पूर्व की तिथि तक के लिए जैसे 30.6. 2004 तक के लिए किया गया हो तो ऐसे अधिवक्ता का कार्य का नवनीकरण स्वमेव 30.6.2006 तक के लिए माना जाएगा एवं तदनुसार उनके नवीनीकरण के आदेश संशोधित किये जाएंगे। किन्तु ऐसे अधिवक्ता जिनका कार्य अच्छा नहीं है उनके विषय में जिला अधिकारी अन्यथा निर्णय लेने हेतु अपनी संस्तुति शासन को प्रेषक करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिनके आधार पर शासन द्वारा अंतिम निर्णय के उपरान्त ही उनके कार्यकाल की अवधि संशोधित की जाएगी।

4– दि0 26.10.2002 या उसके पूर्व 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने वाले अधिवक्ता को शासनादेश का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

5– कृपया इन आदेशों के अनुसार समुचित कार्यवाही करते हुए अपने जिले के समस्त शासकीय अधिवक्ताओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
आर0सी0पांडे
सचिव

संख्या– न्याय अनुभाग/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महाधिवक्त, उत्तरांचल नैनीताल।
2– शासन के समस्त सचिव/प्रमुख सचिव।
3– समस्त मंडलायुक्त, उत्तरांचल।
4– समस्त जिला न्यायाधीश।
5– गार्ड फाइल

आज्ञा से
यू0सी0ध्यानी
अपर सचिव

संख्या.. 43–एक(1)/न्याय अनुभाग/2003,

प्रेषक,

भरोसी लाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तरांचल, उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग– देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2003

विषय– माननीय उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष शासन द्वारा आबद्ध किये गये शासकीय अधिवक्ताओं की फीस का निर्धारिण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–डी–679/ सात –न्याय–3–99–53/93 दिनांक 26 अप्रैल 1999 को उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय तथा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष सभी प्रकार के मुकदमों में शासन की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को निम्नलिखित दरों पर फीस बिलों का भुगतान करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि दिनांक 09.11.2000 से प्रभावी है।

उच्च न्यायालय रिटेनर फीस

1– मुख्य स्थायी अधिवक्ता/लोक अभियोजक रू02250/प्रतिमाह

2–अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर लोक अभियोजक

रू0 1880/प्रतिामह

3–स्थाई अधिवक्ता रू0 1500/प्रतिमाह

विशेश अधिवक्ता/..... को रिटेनर अनुमन्य नहीं होगा।

.....

.....

बहस

7– मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/स्थायी अधिवक्ता विशेश अधिवक्ता, एमीकस्क्यूरी/ वाद धारक रू0 600 प्रतिदिन याचिकाओं तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु उक्त फीस तभी अनुमन्य होगी जब यह प्रमाणित किया जाय कि संबंधित अधिवक्ता ने कम से कम दो वादों में बहस की हो, अन्यथा एक याचिका में बहस हेतु उक्त फीस की आधी फीस ही अनुमन्य होगी।

जिला न्यायालय दीवानी/राजस्व/फौजदारी तथा अर्बन सीलिंग (भूमि अर्जन) रिटेनर फीस।

1– जिला शासकीय अधिवक्ता रू0 1500/प्रतिमाह

2–अपर जिला शासकीय अधिवक्त रू0 1200/प्रतिमाह

3–सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रू01050/प्रतिमाह

4–उप जिला शासकीय अधिवक्त रू0900/प्रतिमाह

डाफटिंग

1– वाद/अपील/मेमो/प्रार्थना पत्र/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र (रिवीजन) रू0 240 प्रतिकेस

2– लिखित विवरण/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र (रिव्यू) रू0120/– प्रतिकेस

उपर्युक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्रार्थना पत्र का आशय केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–9, नियम 13 के प्रार्थना पत्र में होगा। अन्य किसी प्रार्थना पत्र के लिए कोई फीस अनुमन्य नहीं होगी।

3– जिला न्यायालयों में कार्यरत प्रत्येक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी / फौजदारी/राजस्व) को आशुलिपिककार्य हेतु रू0 2000/– प्रतिमाह तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य हेतु रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से भत्ता भी देय होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त भत्ता केवल उन्हीं जिला शासकीय अधिवक्ताओं को अनुमन्य होगा जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आशुलिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। भत्तों का भुगतान यह प्रमाणित करने पर होगा कि उन्होंने उक्त धनराशि इस कार्य हेतु व्यय की है–

बहस

1– जिला शासकीय अधिवक्ता वादों तथा प्रकीर्ण
वादों में बहस हेतु रू0370 प्रतिदिन

2– अपर/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता/ विशेष अधिवक्ता/एमीकसक्यूरी/नामिका वकील (दीवानी/फौजदारी/राजस्व) वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु रू0340 प्रतिदिन

3– उप जिला शासकीय अधिवक्त वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु रू0 300 प्रतिदिन

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2002–03 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–04 के अंतर्गत निम्नांकित लेखा शीर्शकों के नामे डाला जायेगा–

1– माननीय उत्तरांचल न्यायालय में कार्यरत शासकीय अधिवक्तओं हेतु–
2014/न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–00–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) –03–महाधिवक्ता–00–16 व्यावासिक तथा विशेश सेवाओं के लिए भुगतान

2– अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं हेतु–
2014/न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–00–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) –04–विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता –00–16 व्यावासिक तथा विशेश सेवाओं के लिए भुगतान

4– यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–9/574–1–दस–99 दि0 23 अप्रैल 99 (जो कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा–86 के अंतर्गत उत्तरांचल राज्य में भी अनुकूलित है) में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं

भवदीय
भरोसी लाल
सचिव

संख्या– 43–एक(1)/न्याय अनुभाग/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
2– समस्त जिला जज उत्तरांचल
3– अपर महाधिवक्ता, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4– निबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल
5– मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय नैनीताल
6– लोक अभियोजनक उच्च न्यायालय नैनीताल। कोशाधिकारी नैनीताल।
7– महालेखाकार ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून
8– वित्त अनुभाग–3/गार्ड फाइल

आज्ञा से यू0सी0ध्यानी अपर सचिव

कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तरांचल
228 मोहितनगर देहरादून

संख्या–.1167 / टी0आर / दस–35 / आ0स0 / 2003 दिनांक अक्तूबर 14,2003

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

विषय– सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने के संबंध में संस्तुति महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक–626 / टीआर / दुर्घटना / राहत–निधि / 2003 दिनांक 13.7.2003 दि0 13.7.2003 द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृतक आश्रितों के परिवार को वर्ष 2003–04 हेतु आवंटित आर्थिक सहायता राशि आवंटित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि राहत के हकदार व्यक्ति सार्वजनिक सेवा यान में पीडित व्यक्ति होंगे तथा सार्वजनिक सेवा यान का तात्पर्य परमिट से आच्छादित वाहन है जिसका प्रयोग भाडे / पारिश्रमिक पर यात्रियों को वहन करने के लिए किया जाता है एवं इसके अंतर्गत यात्री वाहन, ठेका वाहन, मैक्सी कैब, जीप टैक्सी, आटोरिक्शा व टैम्पो टैक्सी है एवं जिसका अतिरिक्त कर मोटर यान अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कर जमा कर दिया गया हो। इस श्रेणी में यूटिलिटी व जनभार नहीं आते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्कूलबस व फैक्ट्री से संचालित बसें इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। संदर्भित उपरोक्त पत्र में यह भी बताया गया है कि संबंधित वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच आख्या अपनी संस्तुति के साथ प्रेषक की जाए तथा इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 898 / दस–35 / दुर्घटना–राहत / 2002 दि0 8.10.2002 द्वारा भी वाहन दुर्घटना के संबंध में प्रेषक किए जाने वाले विवरण एवं संस्तुति केनियम का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त संदर्भ पुनः निवेदन है कि परिवहन आयुक्त से आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार जिलाधिकारी की संस्तुति प्राप्त होना आवश्यक है तथा पुनः उत्तरांचल मोटर कराधान सुधार नियमावली 2003 के नियम–31 निम्नवत सूचनार्थ प्रस्तुत है–

31– निधि के प्रशासन और उपयोग की रीति।

(1) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो नियम–30 के उप नियम (1) के अधीन राहत के लिए व्यक्तियों की हकदार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेगा जो डिविजनल मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति का न हो और राहत की धनराशि के आवंटन के संबंध में परिवहन आयुक्त को अपनी संस्तुति करेगा।

उप नियम (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट से संस्तुति प्राप्त होने पर .....उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से धनराशि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के निस्तारण पर आवंटित करेगा जो ऐसा होने पर इसे स्वीकृत, आहरित और ऐसे राहत के हकदार व्यक्तियों में वितरित करेगा।

अतः उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि प्रायः जिलाधिकारी स्तर से दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच आख्या संलग्न कर परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषक की जाती है, जिसमें प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में संस्तुति / टिप्पणी नहीं होती है अतः कृपया उपरोक्त प्राविधानानुसार प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु अपनी संस्तुति भी देने का कष्ट करें, ताकि परिवहन आयुक्त से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तरांचल

पृष्ठांकन संख्या / (1) टी आर / 2003 सम दिनांकित

प्रतिलिप– परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर परिवहन आयुक्त

संख्या–911 / दुर्घटना / रा0रा0 / परि0 / 2004
दिनांकः देहरादूनः अगस्त 26 2004

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल
परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल

सेवा में,

जिलाधिकारी
अल्मोडा / बागेश्वर / चंपावत, / पिथौरागढ़ / नैनीताल / ऊधमसिंहनगर
देहरादून / हरिद्वार / टिहरी / पौडी / चमोली / उत्त्रकाशी / रूदप्रयाग।

विषय– वाहन दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि वाहन दुर्घटनाओं में पीडित परिवाहरों को आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध हो सके इस उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा अग्रिम रूप से धनराशि जनपदों को उपलब्ध कराई जाती है। जबकि प्राविधानानुसार यह राशि संबंधित दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच आख्या व आपके स्तर से संस्तुति प्राप्त होने पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन के संबंध मे ंदेय अतिरिक्त कर जमा होने की दशा में स्वीकृत किए जाने का प्राविधान है।

दुर्घटनाग्रस्त वाहन के संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध मे ंसमय–समय पर भेजे गये दिशा–निर्देशों के अंतर्गत यद्यपि प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सहायता राशि उन वाहनों के संबंध में देय होगी जो सार्वजनिक सेवायान के अंतर्गत आते हैं तथा जिनका अतिरिक्त कर कराधान अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जमा किया गया है तथा सार्वजनिक सेवा यान का अर्थ भी परिभाशित करते हुए बताया गया है कि सार्वजनिक सेवायान (पब्लिक सर्विस व्हीकल) का तात्पर्य ऐसे मोटर यान से अभिप्रेत है जिसका उपयोग भाडे या पारिश्रमिक पर यात्रियों को वहन करने के लिए किया जाता है तथा इसके अंतर्गत यात्री वाहन, मैक्सी / टैक्सीकैब ठेका वाहन कांटेक्ट कैरिज, टैम्पोटैक्सी, आटोरिक्शा वाहनें हैं तथा निजी जीप, कार तथा जनभार वाहन इसके अंतर्गत नहीं आते है।

उपरोक्त संदर्भ में आवंटित धनराशि के अंतर्गत प्रदान की गई आर्थिक सहायता के संबंध में कुछ जिलाधिकारी स्तर से उन वाहनों में सहायता प्रदान की गई है जो सार्वजनिक सेवायान नहीं हैं तथा वाहनों के संबंध में जमा करों की स्थिति भी स्प्ष्ट नहीं है जो आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु निहित प्राविधानों के विरूद्ध है। अतः इस संदर्भ मे कृपया स्पष्ट कर लें कि आर्थिक सहायता उन्हीं मामलों में देय होगी जो उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सेवायान के अंतर्गत आती है और जिनका अतिरिक्त कर जमा हो। अतः आवंटित की गई धनराशि के अंतर्गत सहायता प्रदान करने से पूर्व संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी से दुर्घटनाग्रस्त वाहन के संबंध में विवरण प्राप्त कर लिया जाना उचित होगा तथा वाहन दुर्घटना संबंधी मजिस्ट्रेटी जांच आख्या अपनी संस्तुति के साथ इस कार्यालय को प्रेषक कर दी जाए।

भवदीय
एन0एस0नपलच्याल
परिवहन आयुक्त

उत्तराचल शासन
गृह अनुभाग–3
संख्या : 396 / गृह–3–12 / स्व0सं0से0 / 2003
देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2004

कार्यालय ज्ञाप

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शासन द्वारा स्वीकृत सुविधायें सुममता से सुलभ किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय जारी होने की तिथि से राज्य स्तर पर ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कलयाण परिशद'' के निम्नानुसार गठन किये जाने का आदेश सहर्श प्रदान करते हैं :–

1. मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल पदेन अध्यक्ष

2. मा0 मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, उत्तरांचल पदेन कार्यवाहक अध्यक्ष

3. उपाध्यक्ष दो

(राज्य सरकार द्वारा नामित)

4. मा0 मंत्री, राज्य मंत्री (वित्त), उत्तरांचल सदस्य

2– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिशद के कार्यों के सम्पादन हेतु पृथक से निदेशालय की स्थापना नहीं की जायेगी, बल्कि सचिवालय स्तर पर ही गृह विभाग के सम्बन्धित अनुभाग में यह कार्य कराये जायेंगें, जिसके लिये सम्बन्धित अनुभाग में एक अतिरिक्त प्रवर वर्ग सहायक एवं एक अवसर वर्ग सहायक के, अर्थात कुल दो पद सृजित किये जायेंगें।

3– परिशद के कार्य निम्नलिखित होंगें :–

(क) स्वतंत्रता संग्रम सेनानियों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करके शासन को परामर्श देना।

(ख) शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जो सुविधायें उपलबध कराई गई हैं, उनके सम्बन्ध में उनकी कठिनाईयों का निवारण करना।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्बन्ध में रिकार्ड रखना और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से पत्र व्यवहार करना और सम्पर्क स्थापित करना।

(घ) शासन द्वारा सौंपे गये वित्तीय अधिकारों का उपयोग करना तथा अन्य सम्बन्धित कार्यो को संभालना।

(च) सेनानियों के कल्याणार्थ कार्य करने के लिये शासन को परामर्श देना तथा उनके और उनके आश्रितों को सहातता पहुंचाना।

(छ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिचय पत्र देना।

4– परिशद को शासन द्वारा जो निदेश दिये जायेंगें उनका पालन परिशद की ओर से किया जायेगा। इन उपबन्ध के अधीन परिशद को उनके क्षेत्र में आने वाले विषयों पर और मामलों के

सम्बन्ध में निर्णय लेने और कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा। परिशद अधीनस्थ शाखाओं को अपनी जिम्मेदारियों तथा अधिकारों का प्रतिनिधायन भी कर सकती है।

5– वित्तीय पुस्तिका खण्ड–3 के नियम–20बी के अधीन राज्यपाल महोदय ने यह भी आदेश दिया है कि समिति/परिशद की बैठक में उपस्थिति होने के लिये तथा सम्बन्धित अल्प कार्य हेतु यात्रा करने पर गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्त तथा दैनिक भत्ता नियमुनसार प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को दये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के समान मिलेगा। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य विधान सभा/संसद का भी सदस्य है, तो उसको रेल से यात्रा करने के लिये रेल का किराया नहीं मिलेगा। बल्कि उक्त आदेशानुसार प्रासंगिक व्यय देय होगा। क्योंकि उनको रेल यात्रा के लिये मुक्त कूपन/पास मिलते हैं प्र0वि0 इस हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था सुनश्चित कर लेंगें।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–164/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 24.2.04 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
एस0के0 दास,
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनाक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल।
3. मा0 मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तरांचल।
4. आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एस0के0 लाम्बा),
अपर सचिव।

संख्या :1010 / XX(3) / 04–18स्व0सं0से0 / 2004

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–3 देहरादून : दिनॉक : 29 अक्टूबर, 2004

विषय– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र के अभाव में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा स्वंतत्रता संग्राम पेंशन सम्बन्धी नियमावली में, अनुमन्य सुविधायें प्राप्त होने में हो रही कठिनाई को देखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नियमावली में यथा परिभाशित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के आश्रितों / उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारियों के माध्यम से परिचय पत्र निर्गत किये जायं।

2– उक्त प्रयोजन हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहीं माने जायेंगे, जो उत्तरांचल राज्य में निवास कर रहे है, तथा राज्य अथवा केन्द्र सरकार से पेशंन प्राप्त कर रहे है, और उनकी पेंशन का आहरण उत्तरांचल राज्य की किसी ट्रेजरी से हो रहा हो। परिचय पत्र निर्गत करने का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारियों का होगा। जिलाधिकारी स्वयं परिचय पत्र मुद्रित करायेंगे और इनका व्यय भार उन्हें स्वीकृत कार्यालय व्यय से ही वहन करना होगा।

भवदीय,
(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

संख्या :1010(1) / ग्ग(3) / 04–18स्व0सं0से0 / 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोशाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल।
5. वित्त अनुभाग–1
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

संख्या : 677 / XX(05) / 05–33स्व0सं0से0 / 05

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–5 देहरादून : दिनॉक : 14 नवम्बर, 2005

विषय– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ शिष्टता का व्यवहार तथा उन्हें शासकीय समारोहों में आमंत्रित कर उचित स्थान देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–5625जेड / 6–82–259जी / 81 दिनांक 29 अक्टूबर, 1982 के अनुक्र में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला स्तर पर सभी राष्ट्रीय पर्वों / सरकारी उत्सवों / समारोहों के अवसर पर स्तंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके उत्तराधिकारियों को ससम्मान आमंत्रित कर उन्हें उचित स्थान दिया जाय तथा उनके साथ शिष्टता का व्यवहार किया जाय।

2– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से इस संबंध मे शिकायतें शासन को प्राप्त हो रही है। अतएव अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियो / कर्मचारियों को पुनः स्पष्ट निर्देश जारी कर दें कि वे उपरोक आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

कृपया इस पत्र की शीघ्र प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

संख्या : 677(01) / ग(05) / 05–33स्व0सं0से0 / 05

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल को उनके कार्यालय के पंजी संख्या–2803 / मुख्य सचिव / 2005 के सन्दर्भ में।
2. मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–1 को उनके कम्प्यूटर संख्या–802249 / XXXV / 1 / 2005 दिनांक 6.4.2005 के सन्दर्भ मे।

आज्ञा से,
(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

संख्या : 620 / XX(5) / 05–18स्व0सं0से0 / 2004

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–5 देहरादून : दिनॉक : 7.10.2005

विषय– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों / उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1010 / ZXX(3) / 04–18स्व0सं0से0 / 2004 दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 के संबंध में कतिपय भ्रांतियों एवं कठिनाइयों को दूर किये जाने हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल एवं दून स्वतंत्रता सेनानी समिति की ओर से प्राप्त प्रकरणों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एव उनके आश्रितों / उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को तथा मृत्यु के बाद उनकी विधवा को परिचय पत्र / डुप्लीकेट परिचय पत्र पूर्व की भॅति उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–137 पी0पी0 / 1991, दिनांक 23.3.1991 के संबंध में स्पष्ट निर्देशानुसार ही जारी किये जायं।
2. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों / उत्तराधिकारियों द्वारा परिचय पत्र हेतु आवेदन किये जाने पर उनकी जॉच अवश्य करा ली जाय और जॉच के लिए अधिकतम एक माह की समय सीमा निर्धारित की जाय। निर्धरित समय सीमा के अन्दर जॉच एवं संस्तुति प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि आवेदन का कथन सही है और तद्नुसार जिलाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाय। ऐसा निर्णय हो जाने के बाद यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आता है तो, जिस स्तर के अधिकारी / कर्मचारी के पास जांच एवं संस्तुति अथवा आवेदन–पत्र लम्बित था उसके विरूद्ध जिलाधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करेंगें ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके आश्रितो / उत्तराधिकारियों की सरकारी अधिकारियो / कर्मचारियों द्वारा परेशान किये जाने की शिकायतें समाप्त हो जायं।
3. जिलाधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके आश्रितो / उत्तराधिकारियों को जारी कये जाने वाले परिचय पत्र का प्रारूप उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नियमानुसार स्वयं निर्धारित करेंगें।
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नियमावली के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों / उत्तराधिकारियों की श्रेणी में उसकी पत्नी या विधवा (यदि महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसके पति या विधुर) अविविाहित पुत्री या उस

पर आश्रित माता–पिता, आश्रित विधवा पुत्र वधू, अवयस्क पुत्र, आश्रित बहन तथा आश्रित पोता जिसके पिता जीवित न हों, पोती तथा विधवा पुत्री की पुत्री को परिभशित किया गया है।

अतएव कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एस0 राजू)
सचिव।

संख्या : 620(1)/XX(5)/05–18स्व0सं0से0/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तांचल शासन।
4. श्री डूँगर सिंह, उपाध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिशद, पिलिग्रम लौज, मल्लीताल, नैनीताल।
5. श्री जुगत किशोर अरोड़ा, उपाध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिशद, 88–कांवली रोड, देहरादून।
6. श्री मूलचन्द गुप्ता, अध्यक्ष, दून स्वतंत्रता सेनानी समिति, 6 फालतू लाइन, सरस्वती प्रेम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

foHkkx&19

संख्या–51 जे0/22–96–17 एच0आर0सी0/95

प्रेषक,

श्री नृपेन्द्र मिश्र
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (कारागार) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 27 फरवरी, 1996

विषय– कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की मृत्यु की घटना की मजिस्ट्रीयल जांच निर्धारित अवधि में पूर्ण करके शासन एवं महानिरीक्षक कारागार को उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की मृत्यु की घटना की मजिस्ट्रीयल जांच प्रायः दीर्घ अवधि में पूर्ण की जाती है, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/शासन में प्रकरण काफी समय तक अनिस्तारित रहता है तथा ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित नहीं हो पाता है। अतः अनुरोध है कि कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच घटना की तिथि से 15 दिन की अवधि में अवश्य पूर्ण/ सम्पन्न कर ली जाए तथा मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की आख्या सहित शासन एवं महानिरीक्षक कारागार को तुरन्त उपलब्ध करा दिया जाए।

भवदीय
(नृपेन्द्र मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या–581 / गृह / 2001

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव, गृह
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

गृह विभाग देहरादूनः दिनांकः सितंबर 17,2001

विषय– न्यायिक बन्दीगृह में विचाराधीन बन्दियों की भोजन दरों में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय न्यायिक बन्दीगृह में विचाराधीन बन्दियों की भोजन दरों में वृद्धि रूपये 10 (रू0दस मात्र) प्रतिदिन से बढ़ाकर 17.60 (रू0 सत्रह साठ पैसे मात्र) प्रतिदिन किये जाने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से कृपया शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय
मंजुल कुमार जोशी
अपर सचिव, गृह

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2– सचिव,मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
3– पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
4– अपर महानिरीक्षक (कारागार) उत्तरांचल देहरादून।

मंजुल कुमार जोशी
अपर सचिव, गृह

प्राथमिकता
संख्या–2085 / 14 / XX–4 / कारा0रिट / 2006

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार, उत्तरांचल।
समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल
वरिष्ठ अधिीक्षक, संपूर्णानन्द शिविर सितारगंज,
उधमसिंहनगर /अधीक्षक जिला कारागार
देहरादून / हरिद्वार / पौड़ी / टिहरी / नैनीताल / अल्मोडा / उपकारागार
रूड़की / हल्द्वानी।

कारागार विभाग देहरादूनः दिनांक 07 जून, 2006

विषय– रिट पिटीशन (सी) संख्या–559 / 1994 आर0डी0उपाध्याय बनाम स्टेट आफ ए0पी0 एवं अन्य में पारित निर्णय के संबंध में।

महोदय,

सहायक रजिस्ट्रार माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 2006 जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन (सी) संख्या–559 / 1994 आर0डी0उपाध्याय बनाम स्टेट आफ ए0पी0 एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13 अप्रैल, 2006 की प्रति भी संलग्न है, आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषक की जा रही है कि कृपया निर्णय निर्णय में दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराकर, अनुपालन कार्यवाहियां एक माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषक करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
भास्करानन्द,
अपर सचिव,

D. NO 1966/1994/SC/PLIC
SUPREME COURT OF INDIA
NEW DELHI
DATED: 26 APRIL, 2006

From: Vinod Kumar,
Assitant Registrar (PILL CELL)
TO:

1. Union of India though the Secretary Ministry of Home Affiars, Central Secretariat, New Delhi.
2 Chief Secretary to the State Government of Andhra Pradesh, State Government Secretariat, Hyderabad-500 041
3 Chief Secretary to the State Government of Arunachal Pradesh, State Government Secretariat Itanagar- 791 111
4. Chief Secretary to the State Government of Assam, State Government Secretariat Zoo Narangi Road, Dispur, Guwahati.
5. Chief Secretary to the State Government of Bihar, State Government Secretariat 8, Circular Road, Patna, Bihar.
6. Chief Secretary to the State Government of Chhatisgarh, Raipur (M.P)
7. Chief Secretary to the State Government of Goa, State Government Secretariat, Goa-403 004
8. Chief Secretary to the State Government of Gujrat, State Government Secretariat Sector 9, Gandhinagar (Gujrat)
9. Chief Secretary to the State Government of Haryana, State Government Secretariat,Sector -7, Chandigarh.
10. Chief Secretary to the State Government of Himanchal Pradesh, State Government Secretariat, Shimla.
11. Chief Secretary to the State Government of Jammu & Kashmir, State Government Secretariat Sonwar, Srinagar.
12. Chief Secretary to the State Government of Jharkhand, Jharkhand, Ranchi.
13. Chief Secretary to the State Government of Karnataka, State Government Secretariat Frazor Town, Banglore - 560 005
14. Chief Secretary to the State Government of Kerala, State Government Secretariat, Jawahar Nagar, Trivandrum.
15. Chief Secretary to the State Government of Madhya Pradesh, State Government Secretariat, Swami Dayanand Marg, Bhopal.
16. Chief Secretary to the State Government of Maharashtra, State Government Secretariat, Gen J Bhosale Marg, Bombay- 400 021
17. Chief Secretary to the State Government of Manipur, State Government Secretariat Imphal- 795 001
18. Chief Secretary to the State Government of Meghalaya, State Government Secretariat Shillong - 793 001

19. Chief Secretary to the State Government of Mizoram, State Government Secretariat Aizawal.

20. Chief Secretary to the State Government of Nagaland, State Government Secretariat, Kohima.
21. Chief Secretary to the State Government of Orrisa, State Government Secretariat Bhubneshwar.
22. Chief Secretary to the State Government of Punjab, State Government Secretariat Chandigarh.
23. Chief Secretary to the State Government of Rajasthan, State Government Secretariat Jaipur.
24. Chief Secretary to the State Government of Sikkim, State Government Secretariat, Gangtok.
25. Chief Secretary to the State Government of Tamil Nadu,, State Government secretariat, Madras.
26. Chief Secretary to the State Government of Tripura, State Government Secretariat, Agartala.
27. Chief Secretary to the State Government of Uttar Pradesh, State Government secretariat Lucknow.
28. Chief Secretary to the State Government of Uttaranchal,Dehradun (Uttaranchal)
29. Chief Secretary to the State State Government Secretariat Union Territory of Daman & Diu, Union Territory of Andaman & Nicobar,
30. Administrator, Daman & Diu Adminstration, Panji.
31. Administrator, Island Adminstration, Port Blair. Lakshdweep Adminstration, Kavarati. Chandigarh Adminstration, Chandigarh.
32. Administrator, Union Territory of Lakshdweep,
33. Administrator, Union Territory of Chandigarh,
Government of West Bengal, Calcutta - 700 019
34. Administrator, Union Territory of Pondhicherry, Pondicherry Adminstration, Pondicherry
35. Administrator, Union Territory of Dadra & Nagar Haveli,
36. Govt. of NCT of Delhi, Through its Chief Secretary, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
37. The Registrar Calcutta High Court, Calcutta (West Bengal)
38. The Registrar High Court of Bombay, Bombay (Maharashtra) High Court of Allahbad, Allahbad (U.P.)
39 The Registrar High Court of Andhra Pradesh, Bilaspur (Chhattisgarh)
40. The Registrar Hyderabad (A.P.)
41. The Registrar High Court of Chhattisgarh,Delhi High Court , Sher Bahadur Road, New Dehi.
42. The Registrar Ranchi (Ranchi) Dadra & Nagar Haveli Administration, Silvassa.
43. The Registrar High ourt of Jharkhand,
44. The Registrar High Court of Madhya Pradesh Jabalpur (M.P.)
45. The Registrar High Court of Panjab & Harayana Chandigarh.
46 The RegistrarHigh Court of Rajasthan,Jodhpur (Rajasthan)
47. The Registrar High Court of Patna, Patna (Bihar)
48. The Registrar High Court of Madras, Chennai (Tamil Nadu)
49. The Registrar High Court of Kerla, Ernakulam.
50. The Registrar Karnataka High Court Banglore (Karnataka)

51. The Registrar Gujrat High Court, Ahmadabad (Gujrat)
52. The Registrar The Gauhati High Court, Gauhati (Assam)
53. The Registrar Himanchal High Court, Shimla (H.P.)
54. The Registrar Jammu & Kashmir High Court, Srinagar (J&K)
55. The Registrar Sikkim High Court, Gangtok(Sikkim)
56. The Registrar High Court of Uttaranchal, Nainital (Uttaranchal).
57. The Registrar Orrisa High Court,Cuttack (Orrisa)
58. Registrar, (Judicial) & Secretary, A.P. State Legal Aid & Advice Board, High Cout Buiding, Hyderabad - 500 066
59. Member Secretary, Arunachal Pradesh Stae Legal Service,Authority, Law & Justice Department Govt of Andhra Pradesh.
60. Member Secretary, Legislative Department, Assam Behind Shrikrishnapuri Police Station, Shrikrishnapuri, Patna, Ware Bosne Road, Assam Legal & Advice Board, Dishpur, Gauhati - 781 006
61. Member Secretary, Bihar Stae Legal Aid Board, Law (Legal Aid) Department, "Ashram" 51(A)/C, (Bihar)
62. Member Secretary, Chhattisgarh State, Legal Services Authorities, Bilaspur, Chhattisgarh.
63. Member Secretary, Goa Free Legal Aid & Advice Board, Law Department, Pundalik Niwas, Rua De Qurem, Panaji, Goa.
64. Member Secretary, Gujrat State Legal Aid & Advice Board, High Court Compound, Navarangpura, Ahmedabad - 380 009
65. Member Secretary, Haryana State Level Legal Service Authoritym,SCD 142-143 Sector 34-A, City Centre, Chandigarh - 160 022
66. Member Secretary, H.P. State Legal Service Authority, Block-22, SDA Complex, Kusumpti Shimla - 171 009
67 Member Secretary, J & K Legal Aid Service Authority, DISCO Poad, Janipura, Jammu. (Karnataka) Ernaculam (Kerla)
68. Secretary, Karnataka Legal Aid Board, Technical Education Board, Palace Road, Banglore - 560 001
69. Member Secretary, Kerla State Legal Aid & Advice Board,High Court Complex, 374, South Civil Lines Jabalpur, (M.P.) Maharastra Legal Aid & Advice Board, Mantralaya, Bombay - 400 032
70. Member Secretary, M.P. Legal Aid & Advice Board,
71. Member Secretary, (Law & Judiciary Dept.) (Maharashtra)
72. Dy. Rememberence to the Govt. of Manipur & Member Secretary, Imphal - 795 001 and Secretary (Law) Shillong - 793 001 Judicial Department, Manipur Legal Aid & Advice Board, Secretariat, Law & Legislative Dept, Govt of Manipur, Aizawl,
73 Secretary, Meghalaya State Legal Aid Board, Room No 222, Main Secretariat Building, (Meghalaya)
74. Law Secretary, (Mizoram) Nagaland State Legal Services Authority, Dept. of Law & Justice New Secretariat Building, Kohima - 797 004
75 Member Secretary, Chandigarh - 1600 022
76 Member Secretary, Orrisa Legal Aid & Advice Board, SO 11-B/1, Cantonment Road, Cuttack - 753 001, (Orrisa)
77. Member Secretary, Punjab Legal Service Authority, SCD No 3001, SECTION-22-D,

78 Member Secretary, Rajasthan Legal Aid & Advice Board, High Court Bench, Jaipur. (Rajasthan)
79. Member Secretary, Jharkhand State Legal Service Authority, Andrey House, Kanke Road, Ranchi.
80. Joint Secretary (Law), Sikkim State Legal Aid & Advice Board, Tashilling, Secretariat, Gangtok, (Sikkim)
81 Secretary, U.P. Legal Aid & Advice Board,
82. Under Secretary to the Govt. of Tripura, Tripura Legal Aid & Advice Board,
Law Department, Civil Secretariat Agartala West - 799 009 Tripura.
83. Member Secretary, 510, Jawahar Bhawan, Lucknow - 226 001 Uttar Pradesh.
84. Member Secretary, W.B. State Legal Aid & Advice Board, Dy. Secretary, Judicial Department, Writers Building, Calcutta - 700 001
85. Judicial Secretary, Secretariat, Port Bliar. Chandigarh.
86 Member Secretary,State Legal Services Authority, Union Territory of Chamdigarh,
Additional Deluxe Building, 4th Floor, Sector - 9,
87. Law Secretary, Dadra & Nagar Haveli, Silvassa
88. Member Secretary, Delhi Legal Aid & Advice Board, New Delhi - 110 001 \
89. Member Secretary, Lakshadweep State Legal Services Authority, Department & Session Judge, Lakshadweep, Kavarati Island - 682 Dist. Court Building, Pondicherry,
90. Member Secretary,ponicherry Legal Aid & Advice Board, Bal Kalyan Samiti, 12/11, Jam Nagar House New Delhi.
91. Member Secretary, Uttaranchal State Legal Services Authority Bhawan, Birla Road Haridwar, Uttaranchal.
92. Member Secretary, National Legal Services Authority Room no-1, Patiala House,
93. Member Secretary,
Supreme Court Legal Aid Commitee, 109, Lawyers Chamber, Post Office wing,
Supreme Court Compound, New Delhi. 110 001

IN MATTER OF

WRIT PETITION (CIVIL NO 559 OF 1994
(Under the Article 32 of the Constitution of India)
With
WRIT PETITION (CIVIL NO 133 OF 2002
(Under the Article 32 of the Constitution of India)

R.D. Upadhayay ..... Petitioners Versus
State of A.P. & Ors .....Respondents
Sir.

As directed by the Court, I am forward for your information and neccessary action a certified copy of the order of the Supreme Court as contained in the record of Proceeding of the Court's order, dated 13th April 2006, passed in Writ Petition above mentioned.

You are requested to file compliance Report within the time granted by this Court.

Yours's faithfully
Assistant Registrar.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION
WRIT PETITION (C) NO. 559 OF 1994

R.D. Upadhayay .....Petitioners
Versus
State of A.P. & Ors .....Respondents
[With WP (C) No. 133/02, SLP (C) Nos. 14303-14305/98, CA No. 2468/98, SLP (C) NO...../98 (CC-5347/98) Crl.A.No. 69/2000 and WP (C) No. 84/98]

EXTRACT OF THE JUDGEMENT PASSED BY THE HON' BLE SUPREME COURT DATED 13.04.06 IN WRIT PETITION (CIVIL) NO. 559 OF 1994 R.D. UPADHAYAY VERSUS STATE ANDHRA PRADESH AND ORS

In light of various report referred to above, affidavits of various State Government, Union Territories, Union of India and submission made, we issue the following guidelines:

1 A child shall not be treated as an under trial/convict while in jail with his/her mother. Such child is entitled to food, shelter, medical care, clothing, education and recreational facilities as a matter of right.

2 Pregnancy

a: Before sending the women who is pregnant to a jail, the concerned authorities must ensure that jail in question has the basic minimum facility for child delivery as well as for providing pre-natal and post-natal care for both, mother and the child.

b. When a woman prisoner id found or suspected to be pregnant at the time of her admission, or at any time, the lady Medical Officer shall report the fact to the superintendent. As soon as possible, arrangement shall be made to get such prisoner medically examined at the female wing of the District Government hospital, for ascertaining the state of her health, pregnancy, duration of pregnancy, probable state of delivery, and so on. After ascertaining the necessary particulars, a report shall be sent to Inspector General of Prisons, stating the date of admission, term of sentence, date of release, duration of pregnancy, possible date of delivery, and so on.

c: Gynecological examination of female prisoners shall be performed in the District Government Hospital. Proper pre-natal and post natal care shall be provided to the prisoners as per medical advice.

3: Child birth in prison:

a: As far as possible and provided she has suitable option, arrangement for temporary release/parole (or suspended sentence in the case of minor and casual offender) should be made to enable an expectant prisoner to have her delivery outside the prison. Only exceptional cases constituting high security risk or cases of equivalent grave descriptions can be denied this facility.

b: Birth in prison, when they occur, shall be registered in the local birth registration office. But the fact that the child has been born in the prison shall not be recorded in the certificate of birth that is issued. Only address of the locality shall be mentioned.

c: As far as circumstances permit, all facilities for the naming rites of children born in the prison shall be extended.

4 Female prisoners and their children:

a: Female prisoner shall be allowed to keep their children with them in jail till they attain age of six years.

b: No female prisoners shall be allowed to keep a child who has completed the age of six years. Upon reaching the age of six years, the child shall be handed over to a suitable surrogate as per the wishes of the female prisoner or shall be sent to a suitable institution run by the Social Welfare Department. As far as possible, the child shall not be transferred to an institution outside the town, or city where the prison is located in order to minimize undue hardships on both mother and child due to physical distance. c: Such children shall be kept in protective custody until their their mother is released or the child attains such as to earn his/her own livelihood.

d: Children kept under the protective custody in a home of the Department of Social, Welfare shall be allowed to meet the mother at least once a week. The Director, Social Welfare Department shall ensure that such children are brought to the prison for this purpose on the date fixed by the Superintendent of Prisons.

e: When a female prisoner dies and leaves behind a child, the Superintendent shall inform the District Magistrate concerned and he shall arrange for the proper care of the child. Should the concerned relatives(s) be unwilling to support the child, the District Magistrate shall either place the child in an approved institution/home run by State Welfare Department or hand the child over to responsible person for care and maintenance.

5 Food, clothing, medical care and shelter:

a: Children in jail shall be provided with adequate clothing suiting the local climatic requirement. for which State Government shall lay down the scales.

b: State / U.T. Government shall lay down dietary scales for children keeping in view the calorific requirements of growing children as per medical norms.

c: A permanent arrangement needs to be involved in all jails to provide separate food with ingredients to take care fo nutritional needs of children who reside in them in regular basis. d: Separate utensils of suitable size and material should also be provided to each mother prisoners for using to feed her child. f: Children shall be regularly examined by the Lady Medical Officer to monitor their physical growth and shall also receive timely vaccination. Vaccination charts regarding each child shall be kept in the records. Extra clothing, diet and so on may also be provided on the recommendation of the Medical Officer. i: Children of prisoners shall have right of visitation.

e: Clean drinking water must be provided to the children. This water must be periodically checked.

g: In the event of a woman prisoners falling ill, alternative arrangement for looking after any children falling under her care must, be made by the jail staff.

h: Sleeping facilities that are provided to the mother and the child should be adequate, clean and hygienic.

j: The Prison Superintendent shall be empowered in special cases and where circumstances warrant admitting children of women prisoners to prison without court orders provided such children are below 6 years of age.

6: Education of recreation of children of female prisoners:

a: The child of female prisoners living in the jails shall be

given proper education and recreational opportunities and while their mother are at work in jail shall be kept in crèches under the charge of a matron/female warder. The facility will also extended to children of warders and other female prison staff.

b: There shall be crèche and a nursery attached to a prison for women where the children of women prisoners will be look after. Children below three years of age shall be allowed in the crèche and those between three and six years shall be looked after in nursery. The prison authorities shall preferably run the said crèche and nursery outside the prison premises.

7: In many state small children are living in sub-jails that are not at all equipped to keep small children. Women prisoners with children should be kept in such sub-jails, unless proper facilities can be ensured which would make for a conductive environment there, for proper biological, psychological and social growth.

8. The stay of children in crowded barracks amidst women convicts under trial offenders creating to all types of crime including violent crimes is certainly harmful for the development of their personality. Therefore children deserve to be separated from such environment on a priority basis

9: Diet: Dietary scale for institutional infants / children prepared by Dr. A.M. Dwarakadas Motiwala, M.D. (Pediatrics) or fellowship n Neonatology (USA) has been submitted by Mr. Sanjay Parikh. The document submitted recommends exclusive breastfeeding on the demand of the baby day and night. If for some reasons, the mother

cannot feed the baby, undiluted fresh milk can be given to the baby. It is emphasizes that "dilution is not recommended, especially for low social-economic groups who are also illiterate, ignorant, their children are already malnourished and are prone to gastroenteritis and other infection due to poor living condition and unhygienic food habits. Also, where the drinking water is not safe/ reliable since source of drinking water is a question mark. Over dilution will provide more water than milk to the child and hence will lead to malnutrition and infections. This in turn will lead to growth retardation and development delay both physically and mentally". It is noted that since an average Indian mother produces approximately 600-800 ml of milk per day (depending on her own nutritional state), the child should be provided at least 600 ml of undiluted fresh milk over 24 hours if the breast milk is not available. The report also refers to the "Dietary Guidelines for Indians- A Manual", published in 1998 by the National Institution of Nutrition, Council of Medical Research, Hyderabad, for a balanced diet for 164 infants and children ranging from 6 months to 6 years of age. It recommends the following portions for children from the age of 6-12 months, 1-3 years and 4-6 years, respectively. Cereals and Millets- 45, 60-120 and 150-210 grams respectively; Pulses 15, 30, and 45 grams respectively; Milk 500 ml (unless breast fed, in which case 200 ml); Roots and Tubers- 50, 50 and 100 grams respectively; Green Leafy Vegetable- 25, 50, and 50 grams respectively; Other vegetables - 25, 50, and 50 grams respectively, Fruits 100 grams; Sugar- 25, 25 and 30 grams respectively; Fats/oils (visible) - 10, 20 and 25 grams respectively. One of the portion of pulse may be exchanged with one portion (50grams) of egg/ meat/ chicken/ fish. It is essential that the above food groups to be provided in the portion mentioned in order to ensure that both macronutrients and micronutrients are available to the child in adequate quantities. 12 The State Legal Services Authorities shall take necessary measures to periodically inspect jails to monitor that the directions regarding children and mothers are complied with in letter and spirit 13 The Court dealing with cases of women prisoners whose children are in prison with their mothers are directed to give priority to such cases and decide their cases expeditiously.

10. Jail Manuals and/ or other relevant Rules, Regulation, instruction etc shall suitably amended within three months so as to comply with the above directions. If in some jails, better facilities are being provided, same shall continue.

11. Schemes and laws relating welfare and development of such children shall be implemented in letter and spirit. State Legislatures may consider passing of necessary legislations, wherever necessary, having regard to what is noticed in the judgment.

14. Copy of the judgment shall be sent to Union of India, all State Government/ Union Territories High Court.

15 Compliance report stating the steps taken by the Union of India, State Governments, Union Territories and State Legal Services Authorities shall be filled in four months where after matter shall be listed for direction.

In view of above, Writ Petition (Civil) No. 133 of 2002 is disposed of.

.....CJI [Y.K. Sabharwal]

.....J.

[C.K. Thakker] .....J.

[P.K. Balasubramanyan

New Delhi;

April 13, 2006

संख्या– 3049 / छः–पु0–2–97–700 (9) / 97

प्रेषक,

हरीश चंद्र गुप्त,
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश

गृह (पुलिस) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 1997

विषय– जिला कारागार में बन्द कैदियों को बाहर उपचार हेतु ले जाने के लिए पुलिस गार्ड की उपलब्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन कारागार विभाग द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि जिला कारागारों में बन्द कैदियों जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिनका उपचार जिला कारागार में संभव नहीं है को उपचार हेतु अन्यत्र जनपद यथा मेडिकल कालेज अथवा एसजी, पी0जी0आई0 भेजना पड़ता है। इस संबंध में बन्दियों को समुचित उपचार प्रदान किए जाने के संदर्भ में मा0 न्यायालय द्वारा भी समय–समय पर निर्देश दिये जाते हैं। इन बन्दियों को बाहर उपचार हेतु ले जाने के लिए तात्कालिक पुलिस गार्ड उपलब्ध नहीं हो पाती है और बन्दी रक्षकों की अभिरक्षा में ही इन्हें समुचित उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजना पड़ता है। जिला कारागार के बन्दी रक्षक बन्दियों की वाह्य सुरक्षा में प्रशिक्षित नहीं होते हैं और न ही कैदियों के आपराधिक इतिहास से परिचित होते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कैदियों के प्रतिस्पर्धी गुट द्वारा कैदियों पर प्राणघातक हमला करने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में पुलिस गार्ड की आवश्यकता अपरिहार्य हो जाती है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिला कारागार में बन्द कैदियों को समुचित उपचार प्रदान किये जाने हेतु जिला कारागार अधीक्षकों द्वारा जब भी पुलिस गार्ड की मांग की जाय उनकी आवश्यकतानुसार पुलिस गार्ड तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। 2– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

भवदीय
हरीश चंद्र गुप्त
प्रमुख सचिव

संख्या–3049 (1) / छः –पु0–...–97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन गृह (कारागार) विभाग को उनके पत्र संख्या– 1118 जे / 22 / 77 / 97–दिनांकः–22जुलाई,1997के–संदर्भ–में।
3– समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, उ0प्र0।
4– समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
5– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त जिला कारागार अधीक्षक, उ0प्र0।

आज्ञा से
मुमताज अहमद
विशेश सचिव

संख्या–8–चार/न्याय अनुभाग/2002

प्रेषक,

आर0पी0 पाण्डेय,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

अनुभाग देहरादूनः दिनांक 12 नवंबर, 2002

विषय– जनपद स्तर पर शासकीय अधिवक्ताओं के नवीनीकरण के प्रस्ताव समयांतर्गत उपलब्ध न कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कतिपय जनपदों से शासकीय अधिवक्ताओं के नवीनीकरण के प्रस्ताव उनके कार्यकाल समाप्त होने की अवधि के उपरान्त प्राप्त हो रहे हैं, जो कि विधि परामर्शी निर्देशिका में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप नहीं है। शासन स्तर पर इस गंभीरता से लिया गया है।

अतः इस संबंध में कृपया विधि परामर्शी निदेशिका में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शासकीय अधिवक्ताओं के नवीनीकरण के प्रस्ताव उनके कार्यकाल समाप्ति की अवधि से कम से कम तीन माह पूर्व शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
आर0पी0पाण्डेय
सचिव

foHkkx& 20

संख्या–155 आर/छः पु–5–90

प्रेशक,

गंगाराम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 18,जनवरी,1991

विषय– आग्नेयास्त्रों की प्रकृति परिवर्तित करने के संबंध में।

महोदय,

शासन की जानकारी में यह लाया गया है कि कतिपय लाइसेंसी अपने शस्त्र लाइसेंस पर शस्त्र अंकन कराने के पश्चात प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उक्त शस्त्र के बदलें दूसरा शस्त्र क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाय।

2– इस संबंध में मुझे आपको ध्यान आयुध अधिनियम 1959 की धारा–17 के साथ पठित आयुध नियमावली 1962 के नियम–52 उपनियम–2 की ओर आकर्शित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली में यह व्यवस्था है कि लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसी को यह निर्देश दिये जायेंगे कि एक निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंसी ऐसा शस्त्र क्रय करें जो लाइसेंस से आच्छादित हो और लाइसेंसी ऐसे शस्त्र को लाइसेंसिंग के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह भी प्राविधान है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर यदि लाइसेंसी उस शस्त्र से भिन्न क्रय करना चाहता है जो लाइसेंस से आच्छादित है और लाइसेंसिंग प्राधिकारी को कोई आपत्ति न हो तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे शस्त्र क्रय करने की अनुमति दे सकता है। स्पष्ट है कि लाइसेंस स्वीकृत होने और उस पर शस्त्र के बारे मे प्रविष्टि होने के बीच की अवधि में लाइसेंसी स्वीकृत शस्त्र से भिन्न शस्त्र क्रय कर सकता है, किन्तु लाइसेंस पर प्रविष्टि अंकित होने के बाद दूसरा शस्त्र क्रय नहीं कर सकता। यदि कोई लाइसेंसी उस शस्त्र की जगह दूसरा शस्त्र क्रय करना चाहता है तो उसके लिये एक ही विकल्प है कि वह वर्तमान शस्त्र के लाइसेंस को निरस्त कराकर दूसरे शस्त्र के लाइसेंस की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे और यदि शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत लाइसेंसी का मामला आता है तो जिला मजिस्ट्रेट अपने विवेकानुसार लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।

3– आपसे अनुरोध है कि शस्त्र परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय
(गंगाराम)
संयुक्त सचिव।

रजि0न0एल0डब्लू0 / एन089पी0561
लाईसेन्स न0डब्लू0पी0–41
लाईसेंन्स टू पोस्ट एवं कन्सेशनल स्टेट

सरकारी गजट,उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–1,खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)
लखनऊ,शुक्रवार 11 अगस्त, 1995
श्रावण 20,1917 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1
संख्या–1506 / सत्राह–वि0–1–1(क)31,1995
लखनऊ 11 अगस्त, 1995
अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित ज0जा0 आयोग विधेयक , 1995 पर दिनांक 07 अगस्त,1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 जून,1995 के रूप में सर्वसााधाण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम,1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–16 सन्,1995)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना और उससे संबंधित और आनुशंगिक विषयों की ब्यवस्था करने के लिए।

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय एक

प्रारम्भिक संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार और परिभाशाएं

1– यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम,1995 कहा जायेगा। (2)इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। (3) यह 8 अगस्त 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

–2–इस अधिनियम में–:

(क)''आयोग'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित आयोग से है।

(ख)''सरदस्य'' का तात्पर्य आयोग के सदस्य है और इसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित है।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग आयांग का गठन आयोग की संरचना अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते

3– राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सॉपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा।

4– (1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगेः–
(क) अध्यक्ष अनूसूचित जातियों के ब्यक्तियों में सेः–
(ख) अध्यक्ष अनूचित जातियों का अनुसूचित जनजातियों के ब्यक्तियों में सेः– (ग) तीन अन्य सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जनजातियो के ब्यक्तियों में से होगा औरः–
(घ) एक अन्य सदस्य महिलाओं में से।
2– सदस्य को नियुक्ति ऐसे योग्य निष्ठावान और प्रतिष्ठावान ब्यक्तियों में से की जायेगी जिन्होने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया है।
3– उपधारा (1) के अधीन नियुक्तियॉ और सूचित आदेश द्वारा की जायेगी।
5– (1) प्रत्येक सदस्य उस दिनांक से जब वह पद ग्रहण करें तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।
(2) कोई भी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को समबन्धित अपनी हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
(3) राज्य सरकार किसी ब्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह ब्यक्ति–
(क) अनुसूचित दिवालियॉ हो जायः–

(ख) किसी अपराध के लिये जिसमें , राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हां सिट्धदोश और कारावास से दण्डित किया जायः
(ग) विकृत चित्त हां जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोशित किया जाय।
(घ) कार्य करने से इनकार कर दें या कार्य करने के अयोग्य हो जायः
(ड़) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना,आयोग की निरन्तर तीन बैंठकों से अनुपस्थित रहेंःया
(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूप्रयोग करें जिसमें उस ब्यक्ति का पद पर बने रहना अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के हित या लोक हित के लिए हानिकारक हो जायः परन्तु किसी भी ब्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामलें में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय।

4– उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा
(5) सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निवंन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जाये।आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदान से किया जाएगा रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाही अवधि मान्य नहीं करेगी। प्रक्रिया का आयोग द्वारा नियमित किया जाना राज्य सरकार का आयोग से परामर्श करना। आयोग के कर्तव्य और कृत्य
6–(1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिये आवश्यक हो।
(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निवन्धन और बाते ऐसी होगी जैसी विहित की जायं।
7– सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का और धारा 6 वेतन और भत्तो के निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का भुगतान अनुदान को देय वेतन भत्ते और पेंशन को सम्मिलित से किया जायेगा करते हुए प्रशासनिक ब्ययों का भुगतान धारा 13 की उपधारा(1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से किया जायेगा।

8– आयोग के गठन में मात्रा किसी रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही अविधिमान्य न होगी।
9–(1) आयोग जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर बैंठक करेगा जैसा अध्यक्ष उचित समझे।
(2) आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा।
(3) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तब्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उन कर्तब्यों का उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जायेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्मान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं सम्भालता है।
(4) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनो के पद रिक्त रिक्त हो जाते है तो अध्यक्ष के पद के कर्तब्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करें, किया जायेगा। (5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेगे।
10– राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और राज्य सरकार का आयोग अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित्त करने वाले सभी समस्त के परामर्श कराना मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय–तीन
आयोग के कृत और शक्तियां

11–(1) आयोग के निम्नलिखित कर्तब्य होगें।
(क)संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेपण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षापायों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करनाः
(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षापायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करनाः
(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उन विकास की प्रगति का मूल्याकंन करना।
(घ) राज्य सरकार को उस रक्षापायों की कार्य प्रणाली पर वार्शिक और अन्य समयों पर तैयार आयोग उचित समझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करनाः
(झ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उन रक्षापायों और अन्य उपायों प्रभावी कियान्तयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायं सिफारिश करनाः
(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण विकास औरा अभिवध के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसकों निर्दिष्ट किये जायं, निर्वहन करना।
(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष आयोग रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई था किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण यदि कोई हां का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी। आयोग की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा अनुदान
12–किसी वाद का विचारण करने के में सिविल न्यायालय को प्राप्त सरकारी शक्तियों आयोग की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेशण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जो करने में विशेशतः निम्नलिखित मामलों के संचय में, प्राप्त होगी, अर्थातः–
(क) किसी ब्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने या शपथ पर उसकी परीक्षा करनेः–

(ख) किसी दस्तावेज के स्पष्टीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करनेः–
(ग) शपथ पत्रा पर साक्ष्य प्राप्त करनेः–
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसके प्रति की अपेक्षा करनेः–
(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जो करने : और
(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।

अध्याय–चार

वित्त लेखा और लेखा–परीक्षा

13(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक द्वारा अनुदान विनियोजन किये किये जाने के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए उपाय किये जाने के लिए उचित समझे।
(2)आयोग ऐसी राशि को जैसी वह अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादन के लिए उचित समझे खर्च कर सकता हैं और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) मे ं निर्दिष्ट अनुदान से ब्यय के रूप में देय समझा जायेगा।

14–(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों की रखेंगा और लेखें का एक वार्शिक विवरण एंसे प्रपत्रा में, जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा। लेखा और लेखापरीक्षा वार्षिक रिपोर्ट वार्शिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी आयोग के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारी लोक सेवक होगे . शक्ति अपराधों का संज्ञान सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण नियम बनाने की शक्ति
(2) लेखे के वार्शिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी जो उसका लेखा परीक्षण करवायेगी।
15–आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्रा में और ऐसे समय पर जॉच विहित किया जाय अपनी वार्शिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्वतर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का पूरा लेखा दिया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
16–राज्य सरकार वार्शिक रिपोर्ट आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ और ऐसी किसी सलाह के अस्वीकार किये जाने का कार्य यदि कोई हो, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र जैसी ही वे प्राप्त हो विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगी।

अध्याय–पॉच

प्रकीर्ण

17–आयोग के अध्यक्ष सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

18–जो कोई धारा 12 के अधीन आयोग के किसी आदेश का पालन करने में विधिक रूप से बाध्य होते हुए जान बुझकर ऐसा नहीं करता है सिद्घदाघ होने पर यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता की धारा174 ,175,176,179 या 180 के अधीन दण्डित किया जायेगा।

19–कोई न्यायालय अध्यक्ष या किसी सदस्य या इस निमित्स आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिबाद पर संक्षान के सिंघाल धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
20–किसी ब्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई बाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
21–(1)राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्तिक करने के लिए नियम बना सकती है।

(2)विशेश रूप से और पूर्वर्ती शक्तियों की ब्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की ब्यवस्था की जा सकती है अर्थातः–
(क)धारा 5 की उपधारा(5) के अधनी सदस्यों को और धारा 6 की उपधारा (3)के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय पंतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निवंन्धन और शर्तेः
(ख)धारा 12 के खण्ड(च) के अधीन कोई विषयः
(ग) प्रपत्रा जिसमें धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्शिक विवरण पत्रा तैयार किया जायेगा।
(घ) प्रपत्रा जिसमें और समय जब धारा 15 के अधीन वार्शिक रिपोर्ट तैयार कि जायेगी।
(ड़) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।
22–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यनिवयन में कोई कठिनाई उत्तपन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो कर सकती है। जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीहत हो। कठिनाईयो को दूर करने की शक्ति निरसन और अपवाद
(2)उपधारा(1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।
(3)उपधारा (1)के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र , राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधाररण खण्ड अधिनियम,1904 की धारा 23 क की उपधारा(1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होगें जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंधि में प्रवृत्त होते है।
23–उत्तर प्रदेश अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के आयोग के अध्यादेश 1995 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।
(2)ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्विष्ट अध्यादेश के ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश ,1994 के या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (द्वितीय) अध्यादेश,1994 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्काल उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी यानी इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

रजिस्ट्री सं.डी. एल.–33004/95

Regd. No.–33004/95

Hkkjr dk jkti=

असाधारण
भाग–दो खण्ड–3 उपखण्ड(1)
प्राधिकार से प्रकाशित
ubl fnYyh 'kdokj ekp]31]1995@pir 10]1917

कल्याण मंत्रालय अधिसूचना
नई दिल्ली ,31 मार्च 1995

सा0का0नि0 316(अ)–केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989(1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1)द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती। अर्थातः–

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम , 1995 है।

(2)ये राजपत्रा में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाशाएंः– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क)''अधिनियम'' से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989(1989 का 33) अभिप्रेत है।

(ख)''आश्रित'' में, इसके ब्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों के साथ पत्नी , बालक चाहे विवाहित हों या अविवाहित आश्रित माता–पिता, विधवा बहन तथा अत्याचार से पीड़ित पूर्वमृत पुत्रा की विधवा और बालक सम्मिलित है।

(ग)''परिलक्षित क्षेत्रा'' में से ऐसा क्षेत्रा अभिप्रेत है जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि वहां अत्याचार हो सकता है। या अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है अथवा ऐसा क्षेत्रा अत्याचार उन्मुख है।

(घ)''गैर सरकारी संगठन'' के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या दस्तावेजो या ऐसे संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्तसमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कल्याण संबंधी कियाकलाप में लगा हुआ कोई स्वैच्छिक संगठन अभिप्रेत है।

(ङ)''अनुसूची'' से इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(च)''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(छ)''राज्य सरकार'' से, किसी संघ राजक्षेत्रा के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्य क्षेत्रा का प्रशासक अभिप्रेत है।

(ज)उन शब्दों और मदों के जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाशित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाशित है, वही अर्थ होगें जो क्रमशः अधिनियम में है।

(टप)परिलक्षित क्षेत्रा में विधि ब्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी और विशेश अधिकारी को सूचित करनाः

(टपप)विभिन्न अधिकारों द्वारा किए गए अन्वेशण और स्थल पर किए गए निरीक्षणों के बारे में पूछताछ करनाः

(टपपप)नियम 5 के उपनियम(3) के अधीन उन मामलों में जहां पुलिस जाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया है,पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ करना।

(पग)किसी लोक सेवक द्वारा जान बूझकर की गई उपेक्षा के बारे में पूछताछ करनाः

(ग)अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनःविलोकन करनाः

(ग्प)उपर्युक्त के संबंध में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी को की गई /की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

9&ukMy vf/kdkjh dk ukekfun'ku&

राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्वेशण अधिकाररियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो नोडल अधिकारी नाम निर्देशित करेगी। प्रत्येक तिमाही में नोडल अधिकारी निम्नलिखित का पुनर्विलोकन करेगा।

(1)नियम 4 के उपनियम(2)और उपनियम (4),नियम 6 नियम 8 के खण्ड(ग्प) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्टः

(2)अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थितिः

(3)परिलक्षित क्षेत्रा में विधि ब्यवस्था की स्थितिः

(4)अत्याचार से पीड़ित ब्यक्तियों या उसके आश्रित को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायः

(5)अत्याचार से पीड़ित ब्यक्तियों या उसके आश्रितों को राशन, वस्त्रा आश्रय, विधिक सहायता, यात्राा भत्ते दैनिक भत्ता तथा परिवहन सुविधाओं जैसी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तताः

(6)अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर सरकारी संगठनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष विभिन्न समितियों और लोक सेवको का कार्यापालन।

10&fo'k'k vf/kdkjh dh fu;fDr

परिलक्षित क्षेत्रा में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून का एक विशेश अधिकारीकी नियुक्ति, जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक सा अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों, विभिन्नन समितियों और अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए की जाएंगी । विशेश अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तर दायी होगाः–

(1)अत्याचार से पीड़ित ब्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान
करना और अत्याचार के पुनः होन को निवारित करने या उससे बचने के आवश्यक उपाय करनाः

(2)अनुसूति जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित ब्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अधिनियमितियों या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के उपबंधों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्रा में चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(3)गैर सरकारी संगठना के के साथ समन्वय् करना और केन्द्रों के रख रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाओं वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

11–अत्याचार से पीड़ित ब्यक्ति उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्राा भत्ता दैनिक भत्ता भरण पोशण ब्यय और परिवहन सुविधाएंः

(1)अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक ब्यक्ति उसके आश्रित और साक्षियों उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेशण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक का एक्सप्रेस/ मेल/ यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने –जाने का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक बस या टैक्सी भाड़े का संदाय किया जायेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट अत्याचार से पीड़ित ब्यक्तियों और साक्षियों को अन्वेशण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन सुविधाएं देने अथवा उसके पूरे संदाय की प्रतिपूर्ति की आवश्यक ब्यवस्था करेंगे।

(3)प्रत्येक महिला साक्षी,अत्याचार से पीड़ित ब्यक्ति या उसकी आश्रित महिला या अन्वेशण् ब्यक्ति साठ वर्ष की आयु से अधिक का ब्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे अधिक की निःशक्त ब्यक्ति अपनी पसंद का परिचर अपने साथ आने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की

सुनवाई, अन्वेशण और विचारण के दौरान बुलाए जानें पर साक्षी अथवा अत्याचार से पीड़ित ब्यक्ति को देय यात्राा और भरणपोशण ब्यय का संदाय किया जाएगा।

(4)साक्षी, अत्याचार से पीड़ित ब्यक्ति या उसका/ उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेपण सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भरण पोशण ब्यय का संदाय किया जाएगा जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृशि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नहीं होगा।

(5)साक्षी, अत्याचार से पीड़ित ब्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आश्रित) और परिचर को दैनिक भरण पोशण ब्यय के अतिरिक्त आहार ब्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर नियत करें।

(6)पीड़ित ब्यक्तियों ,उसके आश्रितों/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेशण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकारियों या पुलिस अधीक्षक /उप पुलिस अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य संबंधित अधिकार के पास अथवा विशेश न्याायलय जाने के दिनों के लिए यात्राा भत्ता, दैनिक भत्ता,भरणपोशण ब्यय तथ्बाा परिवहन सुविधाओं की प्रतिपूर्ति जिला मैजिस्ट्रेट अथवा उप खण्ड मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों में किया जाएगा।

(7)जब अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो जिला जिला मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित ब्यक्तियों के लिए औशधियों विशेश परामर्श रक्ताधान बदलने के लिए आवश्यक वस्त्रा भोजन और फलों के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे। 12&ftyk i'kklu }kjk fd;k tkus okys mik;%& (1)जीवन हानि और सम्पति के हुए नुकसार का निर्धारण करने और राहत के लिए पात्रा पीड़ित ब्यक्तियों उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्रा में जाएंगें जहां अत्याचार किया गया है। (2)पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम इतिला रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने की बही में रजिस्ट्रीकृत की गई है। और अपराधी को गिरप्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए है। (3)पुलिस अधीक्षक मौके पर निरीक्षण के पश्चात् तत्काल एक अन्वेशण अधिकारी नियुक्त करेगें और उस क्षेत्रा में ऐसा पुलिस बल तैनात करेगा और ऐसे अन्य निवारक उपाय करेगा जिन्हें वह उचित और अवश्यक समझे। (4)जिला मजिस्ट्रेट या उप खण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट इन नियमों (उपाबंध 2 के साथ प्राप्ति उपाबंध 1) से उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए मान के अनुसार अत्याचारों से पीड़ित ब्यक्तियों उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों को नकद या वस्तु अथवा दोनों रूप में तत्काल राहत देने की ब्यवस्था करेगा। ऐसी राहत में भोजन, जल, 179 कपड़े, आश्रय, चिकित्सा सुविधा,परिवहन सुविधा और अबन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित होगी जो मानक के लिए आवश्यक है। 14–राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्वा राज्य सरकार अपने वार्शिक बजट में अत्याचार से पीड़ित ब्यक्तियों को अपने वार्शिक बजट में अत्याचार से पीड़ित ब्यक्तियों के राहत और पुनर्वास सुविधाअें की ब्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी। यह एक कलेन्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त विशेश लोक अधियोजनक के कार्यपालक जिला मजिस्ट्रेट उप खंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट किए गए अन्वेशण और निवारण के लिए उठाएं गए कदमों, दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा संबंधित अधिकारियों की और से की गई गलतियों के संबंध में रिपोर्टो का पुनविलोकन करेगी। (1)राज्य सरकार अधिनियम के उपबंन्धों के कार्यान्यवन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के राजपत्रा में अधिसूचित करेगी। इसे विभिन्न विभागें और विभिन्न स्तरों पर उनके अधिकारियों की भूमि का और जिम्मेदारी ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करना चाहिएं इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को शमिल करके राहत कार्यो का एक पैकेज होगाः–

(5)उप नियम (4) के अधीन अत्याचार पीड़ित ब्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित को मृत्यु या क्षति अथवा सम्पति को नुकसान के लिए राहत तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा।

(6)उप नियम 4 में उल्लिखित राहत और पुनर्वास सुविधाएं जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों की उपबद्ध अनुसूची में दिए गए मान के अनुसार प्रदान की जाएंगी।

(7)जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट अथवा अधीक्षक द्वारा पीड़ित ब्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की एक रिपोर्ट विशेश न्यायालय को अग्रसारित की जायेगी। यदि विशेश न्यायालय का समाधान हो जाता है कि राहत का संदाय पीड़ित ब्यक्ति अथवा उसका/उसकी आश्रित को समय पर नहीं किया गया और साथ राहत या प्रतिरक पर्याप्त नही था अथवा राहत और प्रतिकर के केवल एक भाग का संदाय किया गया तो यह राहत अथवा कोई अन्य प्रकार की सहायता का पूर्ण अथवा आंशिक संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

13–अत्याचार से संबधित कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयनः–

(1)राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अत्याचार प्रवण क्षेत्रा में नियुक्त किये जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के प्रति सही प्रवृत्ति और समझ है।

(2) राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ब्यक्तियों का प्रशासन तथा पुलिस बल में सभी स्तरों पर विशेश रूप से पुलिस चौकियों और पुलिस थाने में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्वा हो।

15&jkT; ljdkj }kjk vkdfLedrk ;ktuk%&

(क)नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत, प्रदान करने की योजना,

(ख)कृशि भूमि पर तथा गृह स्थलों का आवंटन,

(ग)पुनर्वास पैकेज

(घ)सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित ब्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार के लिए स्कीम

(ड़)विधवाओं के मृतक के आश्रित वालकों विकलॉग ब्यक्तियों या अत्याचार से पीड़ित वृद्धो के लिए पेंशन स्कीम

(च)पीड़ितों के लिए अज्ञापरक प्रतिकर

(छ)पीड़ित की सामाजिक व आर्थिक हालत को सुदृढ करने के लिए स्कीम

(ज)पीड़ित ब्यक्तियों को ईट/पत्थर चिनाई गृहों के लिए उपबंध

(झ) स्वास्थ्य की देखभाल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विद्युतीकरण,पर्याप्त, पेयजल सुविधा, अन्तयेष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिक वास तक संपर्क मार्ग जैसी सुविधाएं।

(2)राज्य सरकार आकस्मिकता योजना की अथवा उसके सार की एक प्रति और इस स्कीम की एक प्रति यथाशीघ्र कल्याण मंत्राालय केन्द्रीय सरकार तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों उपखंड मजिस्ट्रेटों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को अग्रेशित करेंगी।

16&jkT; Lrjh; lrdZrk vkj ekuhVjh lfefr dk xBu%&

(1)राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्चच शक्ति प्राप्त समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होगेः–

(प)मुख्य मंत्राी प्रशासक –अध्यक्ष

(राष्टपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा):

(पप)गृह मंत्राी,वित्त मंत्राी और कल्याण मंत्राी सदस्य (राष्टपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होगे)

(पप)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद,राज्य विधान सभा और विधान परिशद् के सभी चुने गए सदस्य–सदस्य

(पअ)मुख्य सचिव गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक,निदेशक/उप निदेशक,राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग–सदस्य

(अ)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के प्रभारी सचिव–संयोजक

(2)उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैंठक, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित ब्यक्तियों को दी गई राहत और पुर्नवास सुविधा तथा उससे सबद्ध अन्य मामलें, अधिनियम के उवंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार विभिन्न अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो पर विचार करने के लिए एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी।

17&ftyk Lrjh; lrdZrk vkSj ekuhVjh lfefr dk xBu%&

(1)राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन पीड़ित ब्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन अधिनियम के उपदंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो के पुनविलोकन के लिए अपने जिले में सतर्कता और मानीटरी समिति की स्थापना करेगा।

(2)जिला स्तरीय सतर्कता और मानिटरी समिति में संसद राज्य विधान सभा तथा विधान परिशद के चुने गए सदस्य पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह ''क'' अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसूचित जाति और अनुससूचित जनजाति से संबंधित अधिक से अधिक 5 गैर–सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगे जो गैर सरकारी संगठनों के सबद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे।

(3)जिला स्तरीय समिति की तीन मास में कम से कम एक बार बैंठक होगी।

18&okf"kZd fjiksVZ dk fy, lkexh%&

राज्य सरकार प्रत्तेक वर्ष 31 मार्च से पहले केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेशित करेंगी।

(फा0सं011012/12/89पी0सी0आर0(डेस्क))
गंगा दास संयुक्त सचिव

mikcU/k&1

vuqlwph

(नियम 12(4) देखिए)

राहत राशि के लिए मापदण्ड क्रम संख्या अपराध का नाम राहत की न्यूनतम राशि

1. खाद्य या घृणात्मक पर्दा पीना या खाना(धारा3(1)(i))प्रत्येक पीड़ित को अपराश के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए 25,000 रूपये या उससे अधिक और पीड़ित ब्यक्ति द्वारा अनादर अपमान क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा।

2. क्षति पहुचाना अपमानित करना या क्षुब्ध करना (धारा 3 (1)(ii)) दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा।

3. अनादरसूचक कार्य (धारा 3 (1)(iii)) 1. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्रा न्यायालय को भेजा जाय

4. सदोश भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृशि करना आदि (धारा 3(1)(iv)) 2. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोशसिद्ध ठहराया जाय

5. भूमि परिसर या जल से संबंधित (धारा3 (1)(v)) अपराध के स्वरूप व गंम्भीरता को देखते हुए कम से कम 25.000रू0 या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जाएगी। जग आरोपत्रा न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाय

6. बेकार या बलातश्रम या बुंधवा मजदूरी (धारा3 (1)(vi)) प्रत्तेक पीड़ित ब्यक्ति को कम से कम 25.000रू. / प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोश सिद्ध होने पर।

7. मतदान के अधिकार के संबंध में (धारा3 (1)(vi)) प्रत्येक पीड़ित ब्यक्ति को 20,000 रूपये तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर हो।

8. मिथ्या द्वेश पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही (धारा 3(1)(viii) मिथ्या या तुच्छ जानकारी (धारा 3(1)(ix)

9. 25,000रूपये या वास्तविक विधिक ब्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के चिारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।

10. अपमान अभित्राास(धारा 3(1)(x)अपराध के के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित ब्यक्ति 4 को 25,000रूपये तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्रा न्यायालय को भेजा जाए और शेश दोश सिद्ध होने पर।

11. किसी महिला की लज्जा भंग करना (धारा 3(1)(xi)

12. महिला का लेंगिक शोशण (धारा 3(1)(xii)) अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 50,000 रू0।
चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेश 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाय।

13. पानी गंदा करना(धारा 3(1)(xiii)) 1,00,000रूपये तक जब पानी को गंदा कर दिया जाय तो उस साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जायं भुगतान किया जाय।

14. मार्ग के रूढ़िजन्म अधिकार से वंचित करना(धारा 3(1)(xiv) 1,00,000 तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसार हुआ है। यदि कोई हो उसका पूरा प्रतिकर ।50 प्रतिशत जब आरोप पत्रा न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोश सिद्ध होने पर।

15. किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना (धारा 3(1)(xv)) स्थल बहाल करना ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित ब्यक्ति को 25,000 रूपये का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुननिर्माण यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्रा भेजा जाय।

16. मिथ्या साक्ष्य देना (धारा 3(2)(1)(ii)) कम से कम 1,00,000 रूपये या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्रा न्यायालय में भेजाजाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोशसिद्ध होने पर ।

17. भारतीय दंड सहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अविधि के कारावास से दंडनीय अपराध कराने (धारा(2)अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित ब्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 50,000रूपये यदि अनुसूची में विशिष्ट। अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा।

18. निर्योग्यता। कल्याण मंत्राालय भारत सरकार की समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या–4–2–83एच0 डब्लू0–3 तारीख 06.08.1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्ताओं का उल्लेख किया गया है। अधिसूचना की एक प्रति अनुमन्य–2 पर है।

(क) 100 प्रतिशत असमर्थतता

(i) परिवार का कमाने वाला सदस्य अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000 रू। 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोशसिद्ध होने पर।

(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,00,000 रूपये 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोशसिद्ध होने पर।

(ख) जहां असमर्थतता 100 प्रतिशत से कम हो

उपर्युक्त क (ii) में निर्धारित दरों को उसी भी अनुपात में कम किया जायेगा भुगतान के चरण भी वही रहेगे। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000 रूपये से कम नही और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 30,000 से कम नहीं होग।

(क) हत्या/मृत्यु परिवार का न कमाने वाला प्रत्येक मामले में कम से कम 1,00,000 रूपये । 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोशसिद्ध होने पर।

(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य प्रत्येक मामले में कम से कम 2,00,000 रूपय। 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोशसिद्ध होने पर।

21.हत्या/मृत्यु ंहार,बलात्संग सामूहिक बलात्संग गेंद द्वारा किया गया
उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की ब्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन
बलात् संग,स्थायी असमर्थतता औ डकैती।
माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाएः–

(i)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्यके विधाव और /या अन्य आश्रितों के 1,000 रूपये प्रतिमास की दर से ,या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृशि भूमि एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा

(ii)पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोशण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रय ,स्कुलों / आवासीय स्कूलों मे दाखिल किया जाय।

(iii) तीन माह की अवधि तक वर्तनों,चावल,गेंहूं,दालों,दलहनों आदि की ब्यवस्था।

22. पूर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान

जहां मकान को जला दिया हो या नष्ट कर दिया गया हो । वहां सरकारी खर्च पर ईट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या सरकारी ब्यवस्था की जाय।

तक नही की जानी चाहिए जब तक इस प्रकार की अस्थाई क्षति को उचार अथवा दृश्य सहायक मंत्राो की सहायता से दूर किया जा सकता है।

दृष्टि विकंलांगतामें के मुल्यांकन एवं श्रेणीकरण संबंधी दिशानिर्देश परिशिष्ट–3 में दिए गए है।

2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता का मूल्यांकन और निर्धारण।

समिती के सिफारिश की है कि श्रवण और वाणी संबंधी क्षति के मूलयांकन एवं श्रेणी करण के लिए अर्न्तराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करना अपनाई गई परिभाशाएं इस देश में भी अपनाई जा सकती है।

श्रवण संबंधी क्षति के मूल्यांकन के बारे में संस्तुत वर्गीकरण और दिशानिर्देश परिशिष्ट–2 में दिए गए है कि समिति ने श्रवण विकलांग ब्यक्तियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाअें/रियायतों पर भी विचार किया । पुनर्वास के लिए श्रवण विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी सुझााव भी परिशिट–2 में दिए गए है।

3.अस्थि विकलांगता का मूल्यांकन और निर्धारण

समिति यह सिफारिश करती है कि अस्थि विकलांगता के मूल्यांकन के लिए एक सामान्य आर्ददर्शी सिद्धान्त स्वरूप केसलर विधि को अपनाया जा सकता है। चूंकि विकलांगता की श्रेणी के निर्धारण के बारे में कई मुदे उठाएं गये है। इस लिए प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड किसी अन्य उपयुक्त विधि से भी परामर्श कर सकता है और केसलर विधि को एक आधारी भूत दिशानिर्देश के रूप में माना जा सकता है। समिति को यह मालून है कि निर्धारण की ऐसी अन्य विधियां भी जो केसलर के निशानिर्दशें के प्रतिकूल है। तथापि, विकलांगता की विभिन्न श्रेणीयों के मूल्यांकन की दृष्टि से केसलर के मार्गदर्शी सिद्वान्त/जैसी कि आया है, अधिक समय तक उपयोगी होंगे। कोई चिकित्सा बोर्ड विशेश अन्य विधियों पर भी विचार कर सकता हैं जिनसे किसी ब्यक्तिगत मामलें में विकलांगता के मूल्यांकन में सहायत प्राप्त हो सकें।

ikf/kdkjh }kjk izek.k i=k fn;k tkukA

स्थाई विकलांगता संबंधी प्रमाण–पत्रा किसी ऐसे बोर्ड द्वारा जारी किया जायेगा जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विधिवत् गठित किया गया हो। सिफारिश की जाती है कि विकलांगता मूल्यांकन संबंधी चिकित्सा बोर्ड कम से कम जिला स्तर पर उपलब्ध हो। यह भी सिफारिश की जाती है कि बोर्ड में कम से कम 3 सदस्य हों जिनमें से कम से कम एक चलन/दृष्टि/श्रवण एवं वाणी विकलांगता जैसी भी स्थिति हो के निर्धारण के क्षेत्रा विशेश में विशेशज्ञ हों। 184 यह भी सिफारिश की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी एक अपीटीय मैडिकल बोर्ड भी स्थापित कर सकता है ताकि किसी विवाद का विपहार किया जा सकें।

विकलांगता ब्यक्तियों को दी जाने वाली रियायते/सुविधाएं सिफारिश की जा रही परिभाशाओं और श्रेणीकरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रााालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों को वे सुविधाएं और रियायतें विनिर्दिष्ट करनी होंगी जो विभिन्न श्रेणीयों के विकलांगों को उपलब्ध कराई जायेगी। समिति सिफारिश करती हैं कि यदि किसी विशेश मामलें में किसी ब्यक्ति की विंकलांगता 40 प्रतिशत से कम हो तो उसे इस प्रकार का कोई भी लाभ/रियायत नहीं दिया जाये। अन्य सभी श्रेणियों को छात्रावृति नौकरी व आरक्षण, सहायक यंत्रों एवं उपकरणें से संबंधित रियायतें/सुविधायें या तो निःशुल्क या रियायती दरों पर प्रदान की जायें। साथ ही वाहन भत्ते इत्यादि प्रदान किये जायें श्रवण विकलांगों के लिए यह स समिति सिफारिश करती है कि त्रिभाशा सूत्रा में संशोधन किया जाये ताकि श्रवण विकलागों को केवल एक भाशा का अध्यन करना पडे। सामाजिक और महिला कल्याण मंत्रााालय इन सिफारिशों के आधार पर त्रिभाशा फार्मूला नीति में आवश्यक संशोधन संबंधी प्रस्ताव उपयुक्त मंत्रााालय को प्रस्तुत कर सकता है।

समिति ने यह भी सिफाारिश की है कि स्थास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रााालय सभी श्रेणियों के हल्के विकलांग ब्यक्तियों के लिए आवश्यक रियायतों के संबंध में चिकित्सा मानदंडों व संशोधन भी कर सकता है ताकि वह विकलांगता के आधार पर वे उस स्थिति में व छोड दिये जायें कि एक ओर जाहं उन्हें नौकरी में आरक्षण सुविधा प्राप्त न हो सके तो दूसरी और अन्यथा वे सामान्य श्रेणी की सेवाओं में प्रवेश

करने से वंचित रह जायें। चिकित्सा नियमों को भी यहां स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करना होगा कि एक नेत्रा का न होना किसी पद विशेश के लिए तब तक आयोग्य न मानी जाये जब तक वह पद पास तकनीकी प्रकृति का न हो जिसमें किसी ब्यक्ति के दोनों आंखों का प्रयोग त्रिाआमी दृष्टि आवश्यक हों। जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड किसी पद विशेश कें लिये एक नेत्रा से हीन ब्यक्तियों उपयुक्ता का परीक्षण कर सकता है।

तीनों प्रकार की विकलांगताओं अर्थात् दृष्टि,श्रवण और अस्थि संबंधी विकलांगताओं की मात्राा और सीमा निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट हैः–

(क) हल्की40 प्रतिशत से कम,
(ख) मध्यम 40 प्रतिशत और इससे अधिक,
(ग) उप 75 प्रतिशत और इससे अधिक,
(घ) गम्भीर/कुल 100 प्रतिशत,

फेफड़े के रोगों से पीड़ित ब्यक्तियों के लिये नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं होगा। तथापि, ऐसे लोगों के लिये टंकण इत्यादि से छूट जैसी अन्य रियायतों पर विचाार किया जा सकता है।

परिभाशाओं /वर्गीकरणों /मूल्यांकन जांचों आदि के संबंध में किसी विवाद/सन्देह के उत्पन्न होने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय अन्तिम प्राधिकारी होगा।

केवल 40 प्रतिशत और इससे अधिक विकलांगता वाले ब्यक्ति ही रोगार कार्यालयों में विकंलागों की श्रेणी में पंजीकरण कराने के पात्रा होंगे और सार्वजनिक क्षेत्रा में शारीरिक रूप से विकलांग ब्यक्तियों के लिये आरक्षित नौकरियों के सम्मुख इन्हीं खोजो पर विचार किया जायेगा।

अनुबन्ध–1

डी0वी0विष्ट, अध्यक्ष
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, (तीनों उप समितियों के लिए)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय,
निमार्ण भवन नई दिल्ली।

दृष्टि विकलांगों पर

1. डा0 मदन मोहन, सदस्य
आपथालमोलॉजी के विभागाध्यक्ष,
अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली।
2. डा0 जी0 एच9 गिवानी, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा सहायक महानिदेशक,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय,
निमार्ण भवन ,नई दिल्ली।
3. श्री आर0एस0 श्रीवास्तव, सदस्य
संयुक्त निदेशक,
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
श्रम मंत्राालय, श्रम शक्ति भवन ,नई दिल्ली।
4. निदेशक, सदस्य
राष्ट्री दृष्टि विकलांग संस्थान, राजपुर रोड़,
देहरादून (प्रतिनिधित्व श्री एस0आर0
शुक्ला सहायक निदेशक द्वारा)
5. डा0 जी0 वेंकटास्वामी, सदस्य
अरबिन्द नेत्रा हास्पिटल, मदुराई,
तमिलनाडू।
6. डा0 जे0एस0 पाहवा, सदस्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,गांधी नेत्रा अस्पताल,
अलीगढ़
7. श्री चरणजीतसिंह, सदस्य सचिव

अपर सचिव,
समाज और महिला कल्याण मंत्रालय।

Jo.k fodykxrk ij

1. डा0 जी0एस0गिवानी, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा सहाय महानिदेशक,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निमार्ण भवन नई दिल्ली।
2. श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव, सदस्य
संयुक्त निदेशक,
रोजगार एंव प्रशिक्षण महानिदेशालय,
श्रम मंत्रालय , श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली।
3. डा0 एस0के0 कचेर, सदस्य
अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली।
4. डा0 एस0निथ्या शीलन, सदस्य
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली।
5. डा0 एस0 रत्ना, सदस्य
निदेशक,
अली यावर अंग श्रवण विकलांग संस्थान,
हाजी अली पार्क महा लक्ष्मी, बम्बई
(दिनांक 25.06.94 को डा0 एम0एन0 नागराजन,
उप निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व)
6. श्री रचणजीतसिंह, सदस्य–सचिव
अपर सचिव,
समाज और महिला कल्याण मंत्रालय, नई दिल्लीं। (क)संपूर्ण दृष्टिहीनता

vfLFk fodykxrk ij&

1. डा0 जी0 एच0 गिडवानी, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा सहायक महानिदेशक,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निमार्ण भवन नई दिल्ली।
2. आर0 एस0 श्रीवास्तव, सदस्य
संयुक्त निदेशक,
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक,
श्रम मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली।
3. डा0 नरेन्द्र कुमार, सदस्य
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिशद,
अंसारी नगर, नई दिल्ली।
4. निदेशक, सदस्य
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान,
वी0टी0 रोड़ बोन डृग्री कलकता।
5.डा0 एस0के0 मूखर्जी, सदस्य
निदेशक,
ऑल इडिया फिजीकल मैडीसीन एंड,
रिहेब्लीशैन, हाजी अली पार्क बम्बई

6.डा0 एस0 के0 शर्मा, सदस्य
फिजीकल मैडीसिन एड रिहैब्लीटेशन,
के विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुविज्ञान,
संस्थान नई दिल्ली।
7. डा0 वी0पी0 यादव, विशेश आमंत्रित
अध्यक्ष,पुर्नवास विभाग,
सफदरजंग हास्पिटल, नई दिल्ली।
8. डा0 जे0 एस0 गुलेरिया, विशेश आमंत्रित
प्रोसर एवंड हैड आफ डिपार्टमेंट ऑफ मैडिसीन,
डीन, अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली।
9. श्री चरणजीतसिंह, सदस्य सचिव
अवर सचिव,
समाज एवं महिला कल्याण मंत्राालय।
अनुमन्य–2
1.दृष्टि विकलांगः
रियायत छात्रावतियां समन्वित शिक्षा प्रणाली में दाखिला रोजगार में आरक्षण सहायक यंत्राों एवं उपकरणेां की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता प्रदान करने की दृष्टि से दृष्टि विकलांगता की परिभाशा इस प्रकार स्वीकार की गई है।
दृष्टिहीन वे लोग है जो निम्नलिखि कें से किसी से पीड़ित होः–
(ख)वेहतर नेत्रा में दोशनिवारण का लेकसों सहित दृशि दोश 6/60 अथवा 20/200(स्नेलेन) से अधिक न हो–
(ग)दृबिष्ट अथवा डिग्री संबंधी काण का सीमित होना अथवा बदतर स्थिति में होना।
छात्रावृत्तियों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत श्रवण विकलांग की परिभाशा। वधिर से लोग है जिनकी श्रवण क्षमता जीवन के सामान्य उद्देश्यों के लिए क्रियाशील होती है वे और से कही कई बात भी सुन/समझ नहीं सकते है। इस श्रेणी के तहत शमिल मामलों में वे है जिनकी श्रवएा संबंधी शति बेहतर कम (गम्भीरता शक्ति) में 70 डसिबल्स से अधिक हो अथवा दोनों ही कार्यो से सुनाई व पडता हों।
सहायक यंत्राों /उपकरणों की खरीद /फिटिंग के लिए विकलांग ब्यक्तियों की सहायताः– 1 2 मामूली क्षति बेहतर कानमें 30 से अधिक लेकिन 45 के सिबल्स से अधिक नहीं इस प्रकार अस्थि विकलांग ब्यक्तियों के लिए स्वीकृत परिभाशा एक समान नहीं है क्योकि सभी अस्थि विकलांग ब्यक्ति छात्रावृति प्राप्त करने के पात्रा है लेकिन नौकरियों में आरक्षण की सुविधा केवल उन अस्थि विकलांग ब्यक्तियों को दी जाती है जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत हो। राज्य सरकारों में स्थिति
आंशिक रूप से वधिर ब्यथ्कत वे है जो निम्न विनिदिष्ट श्रेणियों में से किसी एक के अन्तर्गत आते हैः–

श्रेणी
श्रवण दोश

मम्भीर क्षति
बेहतर कान में 45 से अधिक लेकिन 60 डेसिबल्स से अधिक नहीं
उग्र क्षति
बेहतर कान में 60 से अधिक किन्तु 90 डेसिबल्स से अधिक नहीं
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये आररक्षण संबंधी अधिकार ।
वधिर वे लोग जिनकी श्रवण क्षमता के सामान्य उददेश्यों के लिए अक्रिशशील होती ळै। वे और से कहीं बात सुन/समझ नहीं सकते है। इस श्रेणी के तहत शमित्स मामलों में वे लोग है जिनकी श्रवण संबंधी क्षति बेहतर काम (गम्भीर क्षति) में 90 डेतिसबल्स से अधिक हो अथवा दोनो ही कान से बिल्कुल सुनाई न पडता हो।
चलन विकलांगता
विभिन्न राज्य सरकारों ने भी विभिन्न प्रकार की परिभाशाएं अपना रखा है। उदाहरणार्थ तमिलनाडू सरकार ने एक नेत्रा से हीन ब्यक्तियों को दृष्टिहीनों की ही श्रेणी में रखा है और राज्य सरकार के अधीन नौकरियों

में आरक्षण सहित अन्य सिकायतें एक नेत्रा से हीन ब्यक्तियों को भी प्रदान की है। दूसरी और केन्द्र सरकार ने घोशण की है कि एक और वाला ब्यक्ति जबकि उसकी दूसरी ऑख की दृष्टि से आयोग्य नहीं माना जाएगा और उन नौकरियों के लिए उस पर विचार किया जा सकता है। जिनमें नौकरियों की अपेक्षानुसार त्रिाआयामी दृष्टि का होना अपेक्षित न हों।

परिशिष्ट–3

दृष्टि क्षति विकलांगता की इसकी तीव्रता पर आधारित श्रेणियां तथा प्रस्तावित प्रतिशतताएं

सभी दृष्टियों के साथ

अच्छी दृष्टि खराब दृष्टि प्रतिशत क्षति
श्रेणी–0 6/9–6/8 6/24से6/36 20 प्रतिशत
श्रेणी–1 6/18–6/36 6/60 से शून्य 40 प्रतिशत
श्रेणी–2 6/60–4/60 8/60 से शून्य 75 प्रतिशत
या
फील्ड ऑफ वीजन
110–20
श्रेणी–3 3/60 से 1/60 एफसी.1फुट पर 100 प्रतिशत
या
फील्ड ऑफ वीजन शून्य तक
100
श्रेणी–4 एफ.सी. एक फुट पर फील्ड आफ वीजन
100 100
एक नेत्र वाले ब्यक्ति 6/6 एफ.जी. 1 फुट पर 30 प्रतिशत
मूल्यांकन विधि वहीं होगी बिसकी चिकित्या जांचों की हैंड बुक सिफारिश की गई। केवल 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत और उससे कम की क्षति यंत्राों और उपकरणें के लिए मात्रा बनाएगी।

अनुबंध–4

क.श्रेणियों और अपेक्षित परीक्षणों के बारे में सिफारिशें

1.संस्तुत बर्गीकरण
क्र0सं0 श्रेणी क्षति की किस्म डीवी स्तर और/या वाणी विभेद क्षति की प्रतिशता
1 2 3 4 5 6
1.1 हल्की श्रवण क्षति डीवी0 26 से 40 डीवी0 बेहतर कान में 80 से 100 प्रतिशत अच्छे कान में 40 प्रतिशत से कम
2. 2 मध्यम श्रवण क्षति 41 से 55 डीवी0 बेहतर काम में 50 प्रतिशत 50 से 80 प्रतिशत अच्छे कान में 40 प्रतिशत से 3. 3 उग्र श्रवण क्षति 56 से 70 श्रवण क्षति में बेहतर कान 40 से 50 प्रतिशत 50 से 75 प्रतिशत 4. 4 (क)पूरा बहरापन बिल्कुल नहीं सुनता कोई विभेद नहीं 100 प्रतिशत
(ख)पूरे बहरेपन के समीप
91 डीवी0 तथा बेहतर कान में इससे अधिक
कोई विभेद नहीं
100 प्रतिशत 71 से 90 डीवीव
(ग)गम्भीर श्रवण क्षति
बेहत्तर कान में 40 प्रतिशत से कम
75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
(परीक्षण सिफारिशें के अनुसार एयर कंडीश्न द्वारा 500,1000 तथा 2000 एच. जेड़. में श्रवण का औसत शुद्व टोन को आधार रूप में लेना चाहिएं।)
इसके अतिरिक्त इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि–
(क)बेहतर कान एक या दो फीक्वेंसियों में जब श्रवण का केवल एक आईलैड हो तो इसें कुल श्रवण क्षति समझाा जाना चाहिए।

(ख) जब भी 3 फ्रीक्वेंसियों (500,1000,2500 एच.जेड.)में से किसी में से कोई प्रत्यु उत्त्र नहीं (एन.आर.) हो तो इसें विकंलांगता के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए तथा औसत को निकालने में 130 डी0वी0 की है। और कुछ आडियोमीटरों में परीक्षण क लिए 20 डी0वी0 की अतिरिक्त सुविधाएं है।

2.विकलांगता की श्रेणियों के बारे में सिफारिशें (श्रवण अति केवल शारीरिक पहलू–संस्तुत परीक्षण)

(क) शुद्व औन आडियोंमीटर (आई0 एस0 ओ0 आर0 –82–1970) जिसे अधिकांश आडियोंमोटरों में वर्तमान में आडियोंमीटक मानक के रूप में प्रयोग में खाया जा रहा हैं इस लिए परीक्षण में उपयोग किए जाने वालें आडियोमीटरों को तदनुसार होना चाहिए। श्रेणीकरण के लिए एयर कंडीशन (ए0डी0) द्वारा 500,1000,तथा 2000 पर तीव्र फ्रीक्वंधी औसत का प्रयोग किया जाएगा।

(ख)जब कभी संभव हो विशुद्व टौन आडियोमीट्रिक परिभाओं का सम्पूर्ण आजी विभेद स्कोर–जिनकी जांच सम्बन्धी स्तर (ह्एचएल0) जैसे वाणी विभेद संबंधी जोच रोगी के कर्णद्वार के दोशी उपर को जाती है। द्वारा किया जाना चाहिए। प्रयुक्त उत्प्रेरक या तो भाशा विशेश का दुरभाशीय संतुलन शब्द हो अथवा इसके समकक्ष सामग्री के रूम में हों। इस समय जांच की दृशि से केवल कुछ भारतीय भाशाओं को ही मानक वाणी सामग्री प्राप्त है। अत जहां कही मन की कृत सामग्री उपलब्ध हें तो ऐसी स्थित में अंग्रेजी जाने वाली जनसंख्या के लिए मानकीकृत भारतीय अंग्रजी जांच अथवा पीवी के लिए समकक्ष सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

(ग)जहां कहीं बच्चों की जांच की जा रही ह हे और प्योर टोन आडियोमेट्री सम्भव व हो तो मुक्त क्षेत्रा जांच का प्रयोग किया जाना चाहिए।

पुनर्वास के लिए विकलांगों को दी जाने सुविधाओं के बारे में सुझााव।

श्रेणी–1 कोई विशेश लाभ नहीं

श्रेणी–2निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर केवल श्रवण सहायक यत्राों पर विचार।

श्रेणी–3 श्रवण सहायक यंत्रा निशुल्क अथवा रियायती दरों पर नौकरी में आरक्षण विशेश रोजगार कार्यालयों के लाभ स्कूल में छात्रावृत्ति एकल भाश फार्मूला ।

श्रेणी–4श्रवण सहायक यंत्रा आरक्षण के लाभ–विशेश रोजगार कार्यालयों स्कूलों में छात्रावृत्ति की विशेश सुविधाएं श्रवण सहायक क्षेत्रा त्रिभाशा फार्मूले से छूट (संस्तुत एकल भाशा में अध्यन हेतु)

यह महसूस किया जाता है कि भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान(आई0आई0टी0)एवं अन्य संस्थानों द्वारा चलाए जा रहें पाठ्यक्रमों की विशेश श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश पर विचार के मामलें में सीटों पर आरक्षण का विचार केवल 1 से 2 श्रेणियों के लिए किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अन्य शैक्षिक अनिखंड पूरा करते हों

हमने विभिन्न प्रकार के श्रवण संबंधी दोशो तथा कार्यालयों बनाम संदेदनात्मक म्यूरल पर विचार किया है और इस बात पर सहमति ब्यक्त करते है कि विकंलागंता का निर्णय रेफरल और कलापों के असफल होन की स्थित में रोगी पर विचार किया जाएगा और उसका श्रेणीकरण संस्तुत जांचों के आधार पर किया जायेगा।

परिशिष्ट–5

विकलांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश

(1)विकलांगता

1.1 ऊपरी अंश 1.स्थाई श्रति का आंकलन कार्यात्मक क्षति की आपन्द पर निर्भर करता है और यह एक ब्यक्गित राय की अभिब्यक्ति रही है। 4.भुजा घटक के कार्यहानि मापन में पति क्षमता पेशी तथा समन्वित कार्य शामिल है। 5.हस्त घटक के कार्य हानि का ज्ञापन बोध अनुभूमि और शक्ति का निर्धारण करने में होती है। बोध के आंकलन के लिए प्रतिकूलनता पारिवारिक चुटकी सिलिन्डरी पकड गोलीय पकड़ तथा हुक पकड़ का का मुल्याकन करना पड़ता है जैसा कि प्रोफार्मा के ''बोध घटक'' के कालम में दर्शाया गया है। 6.सम्पूर्ण अंग्रांग की क्षति दोनों घटकों की कार्यात्मक क्षति (कमी) पर बिनर्भर रहती है। भुजा घटक भुजा घटक का कुल मान 90 प्रतिशत है। जोड़ो की गतिशक्ति के दायरे के मूल्यांकन के सिद्वान्तः 1.भुजा घटक में अधिकतम आर0ओ0एम0 का मान 90 प्रतिशत है। 2. भुजा के तीनों जोड़ो में प्रत्येक जोड़ पर भार बराबर (30 प्रतिशत)है। उदाहरणः– दाहिने कंधे के जोड़ का एक अस्थिभंग (फैक्चर)गतिशक्ति के दायरे को प्रभावित कर सकता है इसलिए वह सक्रिय अपवर्तन 90 प्रतिशत है। बाया कंधा 180 प्रतिशत के एक दायरे को

प्रदर्शित करता है। इसलिए दाहिने कंधे के अपवर्तन संचाल में 50 प्रतिशत की क्षति होती है। भुजा घटक की प्रतिशतता क्षति 50ग्0.30 अथवा भुजा घटक के लिए गतिशक्ति 15 प्रतिशत है। यदि एक से अधिक जोड़ शामिल है। जो वही पद्वाति लागू की जाती है। तर्थातः– कंधे में अपवर्तन की क्षति 60 प्रतिशत कलाई के विस्तार की क्षति 40 प्रतिशत अतः भुजा के लिए गतिशक्ति के दारयरे की क्षतित्र(60ग्0.30)(40.ग्0.30)त्र30 प्रतिशत पेशियों के मुलयाकंन का सिद्वान्त 1. पेशियों की शक्ति का परीक्षण0,–5 श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) जैसे हस्त परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। 0 त्र 100 प्रतिशत 1 त्र 80 प्रतिशत 2 त्र 60 प्रतिशत 3 त्र 40 प्रतिशत 4 त्र 20 प्रतिशत 5 त्र 0 प्रतिशत

2. जब कोई रोग विषयक स्थिति स्थिर तथा अपरिवर्तनीय हो तब आंकलन तथा मापन किया जाना चाहिए।

3.ऊपरी संग्राम की दो घटक हिस्सों –भुजा घटक तथा हस्त घटक में बांटा जाता है।

2.हस्त पेशी श्रेणीकरणों को प्रतिशतता दी जा सकती है, जैसे

3. पेशी शक्ति क्षति की मध्य प्रतिशतता को 0.30 से गुणा किया जाता है।

4. यदि एक जोड़ से अधिक की पेशी शक्ति में क्षति रही है तो मानो को जोड़ लिया जाता हैं जैसा कि गतिशक्ति के दायरे की क्षति के लिए बताया गया है।

lefUor dk;k d ey;kdu d fl}kUr&

1. समन्वित कार्यो के लिए कुल मान 90 प्रतिशत होगा ।

2. दस अलग–अलग समन्वित कार्यो का परीक्षण करना होता है, जैसा कि प्रोपार्मा में दिया गया है।

3. प्रत्येक कार्य का मान 90 प्रतिशत होता है।

भुजा घटक के लिए मानों को मिलताः–

1.भुजा घटक की कार्य शक्ति की क्षति का नाम संकलन के दायरे के कार्य की हानि का मूल्य के मानपों, पेशी शक्ति तथा समन्वित कार्यो को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। मिलाने वाले निम्नलिखित सूत्रा का प्रयोग किया जाता है।

ख(90–क)

क = 90 प्रतिशत

जिसमें क = उच्चतर मान

तथा ख = निम्नतर मान

उदाहरणः–

हम कल्पना करें कि दाहिने कंधे के जोड़ में अस्थिभंग (फ्रेक्चर) वाले एक ब्यक्ति की भुजा में 16.5 प्रतिशत गतिशक्ति के अतिरिक्त 8.3 प्रतिशत पेशी शक्ति की क्षति और 5 प्रतिशत समन्वय क्षति है। हम इन मानों को इस प्रकार मिला लेते है।

संचालन का दायराः16.4 प्रतिशत

$$16.5 - \frac{8.3(90-16.5)}{90} = 23 - 3 \text{ प्रतिशत}$$

पेशियों की शक्तिः8.3 प्रतिशत

5(90–23.3)

समन्वय :5 प्रतिशत 23.3..... = 27.0 प्रतिशत

90

अतः भुजा घटक का का कुल मान त्र 27.0 प्रतिशत हस्त घटक

हस्त घटक का कुल मान 90 प्रतिशत है।

हाथ की कार्यात्मक क्षति को बोध की क्षति के रूप में अभिब्यक्त किया जाता है।

बोध के मुल्यांकन के सिद्वान्त

बोध का कुल मान 30 प्रतिशत है। इसमें शमिल हैः

(क)प्रतिकूलता(8 प्रतिशत) जिसका परीक्षण निम्नलिखित अंगुलियों से किया जाता हैः–

तर्जनी (8 प्रतिशत) मध्यमा (2 प्रशिशत)

अनामिका(2 प्रतिशत)तथा

कनिष्ठका (2 प्रतिशत)

(ख) पार्श्व चुकटी (5प्रतिशत) जिसका परीक्षण रोगी को एक पकड़ने से किया जा सकता है।
(ग) सिलिन्डरी पकड (6 प्रतिशत) जिसका परीक्षण निम्नलिखित के लिए किया जाता है।
(क)4 इंच के आकार की बड़ी वस्तु (3 प्रतिशत)
(ख)एक इंच के आकार की छोटी वस्तु (3 प्रतिशत)
(ग)गोलीय पकड़ (6 प्रतिशत) जिसका परीक्षण निम्नलिखित के लिए किया जाताहैः–
(क)4 इंच के आकार की बड़ी वस्तु (3 प्रतिशत)
(ख)1 इंच के आकार की बड़ी वस्तु (3 प्रतिशत)
(ड़)हुक पकड़ (5 प्रतिशत) जिसका परीक्षण रोगी से एक थैला उठाने के लिए कहकर किया जाता है।
अनुभूतियों के मुल्यांकन के सिद्वान्तः–

1. अंगूठे के बाहर की और (4.8 प्रतिशत)
2. अंगूठ के अन्दर की और (1.2 प्रतिश)
3. प्रत्येक अुंगुली की बाहर की और(4.8 प्रतिशत) 4. प्रत्येक अंगुली की अन्दर की तरफ(1.2 प्रतिशत) शक्ति के मल्यांकन के सिक्षान्त 1. पकड़ शक्ति(20 प्रतिशत) 2. चुटकी शक्ति(10 प्रतिशत) शक्ति का परीक्षण हाथ से डायनामोमीटर या चिकित्सीय पद्वति (पकड़ पद्वति) द्वारा किया जायेगा। निम्नलिखित बातों को 10 प्रतिशत अधिक महत्व दिया जाना होता है। 1. संरक्षण 2. विकृति 3. अलाइनमेंट का ठीक न होना 4. सिकुड़ने 5. असामान्य गतिशीलता 6. प्रभावी अंग्रांग(4 प्रतिशत) हस्त घटकों के मानों को जोड़ना भजा घटक की क्षति तथा हस्त टक की क्षति के मानों को मिलाने के सूत्रा का प्रयोग करके जोड़ा जाना है। 27.(90–64)

शक्ति का कुल मान 30 प्रतिशत है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैः–
हस्त घटक के कार्य की क्षति का अन्तिम मान बोध की क्षति के मानों को जोडकर प्राप्त किया जाता है।
अंग्रांग के लिए मानों को जोड़ना
उदाहरणः–
भजा की क्षति– –27.0 प्रतिशत
64– – – – – – – = 71.8 प्रतिशत
90
रक्त क्षति 64 प्रतिशत
निचलें अंगो में स्थायी शारीरिक क्षति के मूल्यांकन के लिए दिशनिर्देश।
निचलें अंग्रांग को दो घटकों अर्थात गतिशीलता घटक और स्थिरता घटक में विभाजित किया जाता है।

xfr'khyrk ?kVd

गतिशीलता घटक का कुल मान प्रतिशत 90 प्रतिशत है। इसमें संचलन का दावरा और पेशी शक्ति शामिल है।
संचलन के दायरे के मूल्यांकन सिद्वान्तः–

1. गतिशीलता के घटक में संचलन के अधिकतम दायरे का मान 90 प्रतिशत है।
2. तीनों जोड़ों अर्थात कूल्हा घुटना टखना घटक में प्रत्येक का भार बराबर है।– –0.30

उदाहरणः–
दाहिने कूल्हे के जोड़ के अस्थिभंग (फैक्चर) संचलना के दायरे को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वह सक्रिय अपर्वतन 27 है। बायां कूल्हा54 के सक्रिय अपवर्तन के दायरे को प्रदर्शित करता है। इसलिए दाहिने कूल्हे के दायरे को प्रदर्शित करता है। इसलिए दाहिने कूल्हें के अपवर्तन संचलन में 50 प्रतिशत की क्षति होती है। कूल्हे गतिशीलता घटक की प्रतिशतता क्षति 50ग्0.30 या गतिशीलता घटक के लिए गतिशक्ति की 15 प्रतिशत क्षति है। यदि
एक से अधिक जोड़ शमिल हो तो वही प्रक्रिया अपनाई जाए तथा प्रत्येक प्रभावित जोडों की क्षतियों को जोड़ लिया जाता है।
उदाहरण के लिएः–
कुल्हें के अपवर्तन की क्षति 60 प्रतिशत
घुटनों के विस्तार की क्षति 40 प्रतिशत गतिशीलता घटक के लिए गति 60ग्0.30– – 1. स्थिरता घटक का कुल मूल्य 90 प्रतिशत। खण्ड(स्पाइन की स्पाइन) की स्थायी शाररीक क्षति के मूल्यांकन के दिशा

निर्देश मेरूदण्ड की क्षतियों के स्थानीय प्रभागों को क्षतिज और गैर क्षतिज क्षतियों में बांटा जा सकता है। क्षतिज क्षतियां ग्रीवा मेरूदण्ड अस्थिभंग (फेक्चर)
शक्ति के मुल्यांकन का सिद्वान्त (40 X 0.30) = 3 प्रतिशत
पेशियों के शक्ति के मुल्यांकन के सिद्वान्त

1. पैर में अधिकतम पेशी शक्ति के लिए मान 90 प्रतिशत है।
2. पेशियों की शक्ति का परीक्षण 0–5 श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) जैसे हस्त परीक्षण द्वारा किया जा सकताहै।
3. हस्त पेशी श्रेणीकरणों की प्रतिशतता दी जा सकी है,जैसे
   श्रेणी0 100 प्रतिशत
   श्रेणी1 80 प्रतिशत
   श्रेणी2 60 प्रतिशत
   श्रेणी 3 40 प्रतिशत
   श्रेणी 4 20 प्रतिशत
   श्रेणी 5 0 प्रतिशत
4. पेशी शक्ति क्षति की मध्य प्रतिशतता को 0.30 से गुणा किया जात है।
5. यदि एक जोडे से अधिक की पेशी शक्ति में क्षति रही है तो मानों को जोड लिया जाता हैं जैसा कि गति शक्ति के दायरे की क्षति के लिए बताया गया है।

गतिशीलता घटक के लिए मानों के मिलानाः–
हम कल्पना करें कि दाहिने कुल्हें के जोड में अस्थि अतिरिक्त 8 प्रतिशत गतिशक्ति के अतिरिक्त 8 प्रतिशत पेशी अधिक शक्ति की क्षति है।
इन मानों के मिलाकर :–
गतिशक्ति 10 प्रतिशतः–
8(90–1)

$$16+ - - = 2.6 \text{ प्रतिशत}$$

90
शक्ति 8 प्रशित
जब क = उच्चतर मूल्य,
ख = निम्नतर मूल्य
स्थिरता घटक

2. इसका परीक्षण दो पद्वतियों से किया जाता है।
1. स्केल पद्वति पर आधारित
2. चिकित्सीय पद्वति पर आधारति

कुल शरीर के भार को तोलने के लिए तीन विभिन्न रीडिगे (किलोग्राम में) की जाती है। स्केल ''क'' तथा स्केल ''ख'' रीडिंग।
प्रतिशत सम्पूर्ण शरीर में स्थायी
शारीरिक क्षति तथा सम्पूर्ण
शरीर के शारीरिक कार्य को क्षति
क. कशेरूक संपीडन (बंर्टब्रल कॉप्रेशन)25 20
प्रतिशत, एक या दो कशेरूक आसन्न
बस्तुए कोई विखंडन नहीं पश्व अवश्य शमिल नही ं कोई तंत्रिाका मूल शमिल (क) कोई अपशिष्ट चलन या संवेदी परिवर्तन नहीं 35 (ग) जैसा कि उपर्युक्त(ख) में दिया है तथा हानि के लिए अतिरिक्त रेटिंग निर्धारित करना। ग्रीवा अंतराकशेरूक डिस्क 1. क्रियात्मक सफलतापूर्वक डिस्क को हटाना 10 कोई तंत्रिाका संबंधी अवशिष्ट नहीं। अंगुलियों में कमजोरी। वसीय तथा पृष्ट–कटि मेरूदण्ड डिस्क अस्थिभंग क. संपीडन 25 प्रतिशत एक या दो कशेरूक 10 बस्तुएं मद कोई विखंडन नहीं रोग
नहीं सामान्य ग्रीवा दृढता तथा लगातार
दर्द
ख. सामान्य आंशिक विस्थापन के पश्च आवयव
एक्श–रे प्रमाण के साथ

(क) कोई तंत्रिाका मूल वहीं 15
(ख) लगातार दर्द के साथ चलन तथा अंवेदी 25 अभिब्यक्ति
(ग) विलयन(प्यूजन) के साथ ठीक हो 20 जाना कोई स्थायी चलन या अंवेदी परिवर्तन नहीं
(ग) तीव्र विस्थापन शल्य विलयन के साथ सामान्य 25 से अच्छा घटाव।
(ख) विलयन के साथ मामलू घटाव, लगातार यूलांकुरीय दर्द केवल चलन उलझाव, थोडी सी कमजोरी तथा सुन्नता अंग्रांगों तथा अवरोधिनियों के प्रयोग की तीब्र पीड़ा से आराम कोई विलयन नहीं,
2. जैसा कि उपर्युक्त (1) में दिया गया है, 20 तंत्रिाकीय अभिब्यक्तियों लगातार दर्द सुन्नता प्रतिशत सम्पूर्ण शरीर में स्थायी, शारीरिक क्षति तथा सम्पूर्ण शरीर के शरीरिक कार्य की क्षति मुक्त कोई वंत्रिाकीय अभिब्यक्तियों नहीं
ख. संपीडन 25 प्रतिशत कोई तंत्रिाका मूल 20 शामिल नहीं लगातार दर्द विलयन निर्दिष्ट
ग. पीठ में जैसा कि उपर्युक्त (ख) में दिया 20 गया है। विलयन के साथ केवल भारी
प्रयोग की स्थिति में दर्द
घ. पूर्ण लकवा 100
ड. पार्श्व्र अवयन विलयन रहित अथवा सहित आंशिक लकवा अग्रांगों और अवरोधियों के प्रयोग की क्षति के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिएं
कमर के नीचेः
1. अस्थिभंग(फेक्चर)
क. कशेरूक संपीडन 25 प्रतिशत एक या दो 15
आसन्न कशेरूक वस्तुएं कम या खंडम कोई पिश्चित पैटर्स अथवा तंत्रिाकीय
ख. संपीडन पार्श्व अवयन खंडन सहित लगातार दर्द कमजोरी और सम्ती रोग मुक्त कोई विलयन नहीं 25 प्रतिशत पौण्ड में अधिक मार लगातार दर्द तंत्रिाका संबंधी कोई लक्षण नहीं 35 आंशिक पक्षाघात, अग्रागों तथा अवराधिनियों तेज एपिसोड तथा लगातार शरीर में झुकाव कोई विलियन नहीं अच्छे परिणाम,कोई नितम्द दर्द नहीं 10 कोई वलयन नहीं भारी बोझ उठाए घ. विलयन सहित डिस्क का शल्य क्रिया विधि से उच्छेदन भार उठाए जाने संबंध गतिविधियों फलस्वरूप लगातार दर्द ओर सख्ती में वृद्वि भारी बोझ उठाए जाने संबंधी सभी नहीं 40
ग. जैसा कि (ग) में दिया गया है विलयन सहित रोग मुक्त इल्का दर्द 25
घ. जैसा कि (ख) में दिया गया है निचले अंग्रांगों को तंत्रिाका मूल शामिल अंगांगों को ओद्योगिक क्षति के लिए अतिरिक्त मूल्यांकन निर्धारित करना।
ड़ जैसा कि (ग) में दिया गया है पार्श्व अवयंवों के खंडन सहित विलयन के पश्चात
च. जैसा कि (ग) में दिया गया है निचले अगांग्रो को तंत्रिाका मूल शामिल अंगांगों की क्षति के साथ मूल्यांकन
छ. सम्पूर्ण अधरांगघात 100
ज. पश्व अवयन, विलयन सहित या रहित, के प्रयोग की क्षति के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
2. तंत्रिाका जनित पीठ के निचलेक हिस्से मे दर्द–डिस्क क्षति
क. शारीरिक परिसीमा और तेज दर्द के साथ
नितम्ब दर्द के लिए परीक्षण , 5 से 8
दिन में अस्थायी आरोग्यता 5
ख. डिस्क का शल्य क्रिया विधि से उच्छेदन
ग. डिस्क का शल्य क्रिया विधि से उच्छेदन,
जाने के फलस्वरूप लगातार हल्का दर्द
और सकती, कार्यकलापों में आवश्यक वृद्धि 20
में मामूली सुधार। 15
ड़ विलयन सहित डिस्क का पश्य क्रिया विधि से उच्छेदन भारी बोझ उठाए जाने के

एक और झुकाव 0 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत

दुर्वल 5 प्रतिशत
पक्षाघात 10 प्रतिशत
ग्रीवा मेंरूदंड की पेंशियों का पक्षाघात ग्रीवा मेंरूदंड के लिए प्रेरक शक्ति की मूल्यांकन पर निम्नानुसार हैः—

सामान्य दुर्वल
पक्षाघात
प्लेक्सार्स 0 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत
एक्टेसर्स 0 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत
रोटेटर्स 0 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत

कार्य कलापों में सुधार की आवश्यकता
गैर क्षतिज क्षतियां 25
मेरूदण्ड की पार्श्वकुज्जता
सम्पूर्ण मेरूदण्ड को 100 प्रतिशत की मूल्यांकन दर प्रदान की गई और क्षेत्रावार प्रतिशतता निम्न प्रकार की गई है। पृष्ट मेरूदण्ड 50 प्रतिशत ग्रेव वक्षीय कटि 50 से अधिक(गम्भीर) 5 प्रतिशत 25 प्रतिशत 33 प्रतिशत 60 से अधिक वक्र होने पर कार्डियों पुलामेनरी समस्याओं को अलग से श्रेणीवद्वा किया जाना है। वक्र के शीर्श के स्तर पर निर्भर रहते हुए संबंधित वक्रों को वह श्रेणी दी जानी है। उदाहरण के लिए यदि पृष्ट कटि वक्र का शीर्श पृष्ट मेरूदंड में पड़ता है। तो वक्र को पृष्ट वक्र के रूप में माना जा सकता है। मेरूदंड की पार्श्वकुब्जता की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति से जाती है। तो अंतिम मूल्यांकन में 5 प्रतिशत की कमी की जाय मूल्यांकनों के लिए प्राथमिक वक्रों पर मूल्यांकन हेतु विवेचना किया जाता है। काईफोसिन
कटि मेरूदण्ड 30 प्रतिशत
ग्रैव मेरूदण्ड 20 प्रतिशत
खड़ी स्थिति में वक्र कोण को नापने के लिए कोण की विधि का उपयों ग किया जाना है। वे तक्र तीन उप समूहों में बांटे गए हैः—

	मेरूदण्ड	मेरूदण्ड	मेरूदण्ड
30प्रतिशत से कम(सामान्य)	2 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
31 से 61 (मध्यम)	3 प्रतिशत	15 प्रतिशत	12 प्रतिशत

वहीं कुल मूल्यांकन(100 प्रतिशत) जैसा कि पाश्व्रकुब्जता हेतु सुझााव गया है। कोईफोसिसा हेतु किया जाए शारीरिक रूप से विकांगता की क्षेत्रावार प्रतिशतता इस प्रकार हैः—

पृष्ट मेंरूदंड 50 प्रतिशत
पीवा मेंरूदंड 30 प्रतिशत
कटिं मेंरूदंड 20 प्रतिशत

पृष्ट मंरूदंड के लिए निम्नलिखित श्रेणियां हैः—

20 से कम 10 प्रतिशत
21—40 15 प्रतिशत
41—60 25 प्रतिशत

कटिं तथा ग्रैव मरूदंड के काईफोसिस के लिए क्रमशः5 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत किया गया है।
पृष्ठ तथा कटिं मेरूदंड का फलेन्सोर्स और एक्टेन्सोर्स का पक्षाघात
इन पेंशियों की प्रेरक शक्ति निम्नानुसार वगीकृत की जाएंः—
सामान्य —
197

(ड़) जैसा कि ''घ'' में दिया गया है, पूरा 30 प्रतिशत

विविध
मेंरूदंड की उन स्थितियों को जो सख्ती तथा दर्द इत्यादि का कारण होती हैं का मूल्यांकन नीचें दिया गया है।

शारीरिक विकंलागता

विकलांगता
का प्रतिशत

(क) दर्द के वास्तविक लक्षण गैर स्वैच्छिक 1 प्रतिशत
पेशी में कोई आकुंचन नहीं प्रमाण्य
संरचनात्मक पैथोलाजी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता (ख) दर्द पेशी में लगातार आकुंचन और 10 प्रतिशत (ग) जैसा कि (ख) में दिया गया है तथा 10 प्रतिशत रेडियोलॉजीकरण परिवर्तन शामिल तथा मेंरूदंड के किसी एक हिस्से में (ग्रीवा
मेंरूदंड की अकड़न सामान्य रेडियो
लॉजीकल परिवर्तनों द्वारा प्रमाणित
किया जा सकता है।
सामान्य रेडियोलॉजीकृत परिवर्तनों के
साथ।
(घ) जैसा कि (ख) में दिया गया है , गम्भीर
पृष्ठ अथवा कटिं) 20 प्रतिशत
मेरूदंड शामिल
काइफी–पार्श्वकुब्जता में दोनों पक्षों का अलग से कूल्यांकन किया जाय और फिर विकलांगता को प्रतिशतता को छोड़ा जाय। छिकांगों(एम्पुटीज) में स्थायी शारीरिक विकलांगता के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश मूल दिशा में निर्देश। 4. अकड़न, तंत्रिाका संक्रमण इत्यादि के रूप में किसी समस्या के लिए कुल 10 प्रतिशत अतिरिक्त और छोड़ा जाना।

1. अनेक विभागों के मामले में यदि स्थायी शारीरिक विकलांग प्रतिशतता का कुल योग 100 प्रतिशत से अधिक है तो इसे 100 प्रतिशत मापना चाहिए।
2. कृत्रिाम अंगों को शरीर में लगाने और इनका उपयोग करने पर ठीक न होने वाली विकलांगता से किसी स्तर पर अंगोच्छेदन को 100 प्रतिशत स्थायी शारीरिक विकलांगता मानना चाहिएं।
3. एक से अधिक अंग में अंगोच्छेदन करने के मामलें में प्रत्येक अंग की प्रतिशतता को गिना जाता है। तथा उसमें 10 प्रतिशत और जोड़ दिया जाता है लेकिन जब केवल पैर का अंगूठा अथवा अंगूलियां शमिल हों तो वहां केवल 5 प्रतिशत जोड़ना होगा।
5. प्रमुख अंकित अंग के लिए 4 प्रतिशत की अधिक प्रतिशतता दी गई है।

ऊपरी अंग का विच्छेदन स्थायी शारीरिक विकलांगता 4. घुटने के ऊपर जांघ के 1/3 नीचे तक 80
प्रतिशत तथा प्रत्येक अंग के वास्तविक रूप से कार्य करने में कमी की प्रतिशता
1. अग्र–चौथाई छित्राांगता 100 प्रतिशत
2. कंधे में अस्थि भंग 90 प्रतिशत
3. कुहनी से ऊपर भुजा के 1/3ऊपर तक 65 प्रतिशत
4. कुहनी के ऊपर 1/3 नीचे तक 80 प्रतिशत
5. कुहनी में अस्थिभंग 75 प्रतिशत
6. कुहनी के नीचे अग्र भुजा के 1/3 ऊपर तक 70 प्रतिशत
7. कुहनी के नीचे अग्र भुजा के 1/3 नीचे तक 65 प्रतिशत
8. कुहनी में अस्थि भंग 60 प्रतिशत
9. कार्पल अस्थियों द्वारा हाथ 55 प्रतिशत
10. एम0सी0द्वारा अथवा प्रथम एम0सी0जोड़ द्वारा अंगूठ में अस्थिभंग 30 प्रतिशत
11. इंटर मेटाकार्पालंगियल्स जोड़ द्वारा अथवा समीपस्थ अंगुलास्थि द्वारा अंगुठे में 25 प्रतिशत
12. अंतर अंगुलास्थि जोड़ अथवा दुरस्थ अंगुलास्थि द्वारा अंगूठे में अस्थिभंग 15 प्रतिशत तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका
13. मध्य अंगुलास्थि 15 प्रतिशत 5 प्रतिशत 3 प्रतिशत 2 प्रतिशत द्वारा अंगोछेदन अथवा एम0पी0 जोड़ द्वारा अस्थिभंग
14 मध्य अंगुलास्थि 10 प्रतिशत 4 प्रतिशत 2 प्रतिशत 1 प्रतिशत द्वारा अंगोच्छेदनअथवा पी0आई0पी0 जोड़ के द्वारा अस्थिभंग

15. दूरस्थ अंगुलास्थि 5 प्रतिशत 2 प्रतिशत 1 प्रतिशत 1 प्रतिशत द्वारा अंगोच्छेदन अथवा डी0आई0पी0 जोड़ द्वारा अस्थिभंग

निचले अंग का अंगोच्छेदन

1. पश्च चौड़ाई 100 प्रतिशत
2. निप अस्थिभंग 90 प्रतिशत
3. घुटने से ऊपर जांच के 1/3 ऊपर तक 85 प्रतिशत
5. घुटने द्वारा 75 प्रतिशत
6. बी0के0 8 से0मी0 तक 70 प्रतिशत
7. बी0के0 टांक के 1/3 नीचे तक 60 प्रतिशत
8. टखने द्वारा 55 प्रतिशत
9. साइमेज 50 प्रतिशत
10. मध्य पैर तक 40 प्रतिशत
11. अग्र पैर तक, 30 प्रतिशत
12. सभी पैर की अंगुलियां 20 प्रतिशत
13. पैर की पहली अंगुली की क्षति 10 प्रतिशत
14. पैर की दूसरी अंगुली की क्षति 5 प्रतिशत
15. पैर की तीसरी अंगुली की क्षति 4 प्रतिशत
16. पैर की चौथी अंगुली की क्षति 3 प्रतिशत
17. पैर की पांचवी अंगुली की क्षति 2 प्रतिशत

तंत्रिका संबंधी परिस्थितियों में शारीरिक रूप से विकलांगता का मुल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश।

1. तंत्रिका संबंधी परिस्थितियों में मूल्यांकन करना बीमारी का मूल्यांकन नहीं है। परन्तु वह प्रभावों अर्थात क्लीनिकल अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन है।
2. कोई तंत्रिका संबंधी मूल्यांकन प्रारम्भ से छः माह तक करना पड़ता है।
3. इन दिशानिर्दशों का प्रयोग केवल मध्य तथा ऊपरी मोटर तंत्रिाका संबंधी क्षतियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।
4. प्राफार्या''क'' तथा ''ख'' का उपयोग निचले मोटर तंत्रिाका संबंधी क्षतियों तथा पेशी का अध्यवस्थित होने तथा अन्य चलन संबंधी परिस्थितियों के मुल्यांकन के लिए किया जाएगा।
5. तंत्रिाका संबंधी स्थितियों में शारीरिक रूप से विकलागंता की कुल प्रतिशतता 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
6. मिश्रित मामलों में उच्चतम स्कारे पर विचार किया जाएगा। निम्नतम स्कार इसमें जोड़ा जायेगा..... ..... और गणना इस सूत्रा द्वारा की जायेगी। 7.

$$\frac{ख(100-क)}{क+100}$$

8. 4 प्रतिशत की अतिरिक्त पर प्रधान अंग्रामों के लिए दी जाएगी।
9. 10 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रत्येक अंग्रायं में संवदन के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत दिया गया हैं किन्तु अधिकतम कुल शारीरिक विकलांगता 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

मोटर प्रणाली विकलांगता

मोनापरेजित 25 प्रतिशत
मोनोप्लेजिया 50 प्रतिशत
हेमीपऐसि
पेरापेसिरा 75 प्रतिशत
पेराप्लेजिया 100 प्रतिशत
हेमीप्लेजिया 75 प्रतिशत
क्वाड्री परेसिस
स्वाड्री प्लेजिया

संवेदन प्रणाली विकलांगता

विकलांगता दर

एनीस्थेसिया
रेप्सीएथेसिस प्रत्येक अंक 10 प्रतिशत
पेरास्थेसि
शामिल करने के लिए हाथ/हाथों /पैर/पैरो
को शामिल करने के लिए 25 प्रतिशत
तंत्रिका संबंधी परिस्थितियों में शरीरिक रूप में विकलांगता का मूलयांकन करने के लिए दिशानिर्देश

1. तंतित्रा संबंधी परिस्थितियों में मूल्यांकन करना बीमारी का मूल्यांकन नहीं हैं परन्तु यह प्रभावों अर्थात क्लीनिकल अभिब्यक्तियों का मुल्यांकन है।
2. कोई तंत्रिाका संबंधी मुल्यांकन प्रारम्भ से छः माह तक करना पड़ता है।
3. इस दिशानिर्देशों का प्रयोग केवल मध्य तथा ऊपरी मोटर तंत्रिाका संबंधी क्षतियों के मुलयांकन के लिए किया जाएगा।
4. प्रोफार्मा ''क'' तथा ''ख'' का उपयोग निचले मोटर तंत्रिाका संबंधि क्षतियों तथा पेशी का अब्यवस्थित होने तथा अन्य चलन संबंधी परिस्थितियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।
5. तंत्रिाका संबंधी स्थितियों में शारीरिक रूप से विकलांगता की कुल प्रतिशता 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 6.

मिक्षित मामलों में उच्चतम स्कोर पर विचार किया जाएगा निम्नतम स्कोर इसमें जोड़ा जाएगा और गणना इस सूत्रा द्वारा की जाएगी।

ख(100–क)
क त्र 100

7. 4 प्रतिशत की अतिरिक्त दर प्रधान अंग्रांगों के लिए दी जायेगी।
8. 10 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रत्येक अंग्रांगों में संवेदन के लिए रिक्त 10 प्रतिशत दिया गया है। किन्तु अधिकतम कुल रिक्त विकलांगता 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वाणी विकलांगता

विकलांगता दर

सामान्य 25 प्रतिशत
मध्यम 50 प्रतिशत
गम्भीर 75 प्रतिशत
बहुत गम्भीर 100 प्रतिशत

100 शब्दों के पाठ
य द्वारा परीक्षा जाए। पढने (शिक्षितों में) की योग्यता पड़ने के बाद उसको समझना पाठ्य से प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देना तथा उसे संक्षेप में लिखने की योग्यता (शिक्षितों में)
काडियों पुल्मोनरी बीमारियों के कारण शारीरिक विकलांगता के मूल्यांकन के लिए दिशा–निर्देश।
मूलभूत दिशा–निर्देश

1. मोडीकाइड न्यूयार्क हार्ट एसोसिएशन वास्तविक श्रेणीकरण कार्यात्मक विकलांगता के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
2. चिकित्सक को, इस तथ्य के प्रति सतर्क होना चाहिए कि वे मरीज जो विकलांगता का दावा करते है। वे अपने लक्षणों बढा–चढा कर कहते है। यदि कोई संदेह हो तो मरीज को विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए भेजा जाना चाहिएं।
3. काडियों पुल्नोनरी मरीजों की विकलांगता का मुल्यांकन उपलब्ध पूरी चिकित्या शल्य चिकित्या तथा पुनर्वास उपचार के बाद किया जाना चाहिए क्योकि इन अधिकांश बीमारियों की उपचार किए जाने की संभावना है।
4. काडियों पुल्मोनरी विकलांगता का मुल्यांकन उन बीमारियों में भी करना चाहिए जो काडियों पुल्मोनरी समस्याओं उदाहरणार्थ विकलांग, मायोपंथीज इत्यादि से सम्बद्ध।

प्रस्तावित संधोधित श्रेणीकरण नीचे दिया गया हैः–
समूह0: काडियों पुल्मोनरी बीमारी से पीड़ित मरीज जो एक लक्षणिक होता है (अर्थात जिसमें सांस की कमी, धड़कन थकान और दाती के दर्द का कोई लक्षण नहीं है)

समूह 1: कार्डियो पुल्मोनरी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो अपने सामान्य शारीरिक कार्यकलापों के दौरान लाक्षणिक हो जाता है लेकिन उसके सामान्य शारीरिक कार्यकलापों में थोड़ा सा अवरोध (25 प्रतिशत) आ जाता है।

समूह 2: काडियों पुल्मोनरी बीमारी से पीड़ित ब्यक्ति जो अपने सामान्य शारीरिक कार्यकलापों के दौरान लेकिन उसकी लक्षणिक हो जाता हैं और उसके सामान्य शारीरिक कार्यकलापों में 25–50प्रतिशत अवरोध आ जाता है।

अनुबंध–5

मानसिक विकृतियां

स्रोतः उनके वर्गीकरण की शब्दावली तथा मार्गदर्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक प्रकाशन।

''मानसिक मंदता'' मस्तिष्क के अवरूद्ध अपूर्ण विकास की वह स्थिति है जिसे विशेश रूप से वृद्धि की असामान्यता कहा जाता है। कोटि निर्धारण ब्यक्ति के कामकाज के वर्तमान स्तर पर इसके कारण कार्य संबंध में स्वभाव जैसे कि मनस्थिति , सांस्कृतिक बंचन डाउन के संलक्षण आदि का ध्यान रखे बिना किया जाना चाहिए। जहां कही विशेश ज्ञानात्मक विकलांगता हो जैसे कि वाणी में, वहां चार अंकों का कोटि निर्धारण ज्ञान के मूल्यांकनों पर विशेश विकलांगता का बाहरी क्षेत्रा आधारित होना चाहिए बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन क्लीनिकल प्रमाण अनुकूली ब्यवहार तथा मनोमित्तीय निष्कर्श सहित जो भी सूचना उपलब्ध हो इस पर आधारित होना चाहिए। दिए गए आई0क्यू0 स्तर 100 के माध्य तथा 15 के मानक विचलन जैसे वेच्सल स्केलों के साथ एक परीक्षण पर आधारित है। वे केवल गार्गदर्शन के रूप में दिए गए हैं अतः इन्हें दृढतापूर्वक लागू नहीं करना चाहिए । मानसिक मंदता में अक्सर मनोंब्यवधान शमिल है। तथा किसी शारीरिक बीमारी अथवा चोट के परिणामस्वरूप विकसित होते है। इन मामलों में सम्बद्ध परिस्थिति मनोमितीय अथवा शारीरिक बीमारी की पहचान करने के लिए एक अतिरिक्त कोड अथवा कोडों का प्रयोग कराना चाहिए विकृति तथा विकलांगता के कोडों का भी ध्यान में रखना चाहिए।

(ख)सामान्य मानसिक मन्दता

– – – – – – – – – – –

कमजोर विचार मोरोन

उच्च ग्रेड कमी आई0क्यू050–70

सामान्य मानसिक अवसामान्यता

(ग)अग्र विशिष्ट मानसिक मन्दता

– – – – – – – – – – – – –

(1)सामान्य मानसिक मन्दता इम्बेसिल कम मानसिक

आई0क्यू0–35–49 अवसामान्यता

(2)गम्भीर मानसिक मंदता गम्भीर मानसिक

आई0क्यू0–20–34

(3)अति गम्भीर मानसिक मंदता अति गंभीर मानसिक

आई0क्यू0.20 से कम अवसामान्यता

(घ)अविनिर्दिष्ट मानसिक मंदता

– – – – – – – – – – – –

मानसिक कमी एच0ओ0एस0 मानसिक अवसामान्यता एच0ओ0एस0

संख्या–8–चार/न्याय अनुभाग/2002
पंजीकृत टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट
rjUr @ egRoi.k
संख्या– 4711 / छः पु0से0–2–522 (94)/95

प्रेशक,

माता प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, / पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस सेवाये) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 1995

विषयः– जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्यालय छोडने की व्यवस्था ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कि शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद के जिला मजिस्ट्रेट एवं बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक दोनों एक ही दिन तथा एक ही समय में जनपद से बाहर चले जाते है। अग्रेत्तर बहुधा यह भी देखा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट तथा बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के भ्रमण की सूचना तथा जनपद से बाहर जाने की जानकारी एक दूसरे को नही देते। यह स्थिति असन्तोशजनक है। शासन ने इस पर गम्भीरता– पूर्वक विचार किया है। प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से निम्नांकित आदेशों का कडाई से पालन तात्कालिक प्रभाव से किया जायः–

(1) भविष्य में जिला मजिस्ट्रेट अथवा बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक जब मुख्यालय छोडे तो वह यह सुनिश्चित करे कि उनमें से एक अधिकारी दूसरे की अनुपस्थिति में जनपद में अवश्य मौजूद रहे।
(2) समस्त मण्डलायुक्त / पुलिस उपमहानिरीक्षक उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।
(3) कृपया इस आदेश की प्राप्ति भी स्वीकार की जाय।

भवदीय,
माता प्रसाद
मुख्य सचिव

संख्या–1253 / छः पु0–15–1997

प्रेशक,

शोभा राय पुष्प,
विशेश कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0
4. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0
5. समस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उ0प्र0
6. समस्त कल्याण अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 लखनऊ गृह (पुलिस) अनुभाग – 15 लखनऊः दिनांक : 4.9.1997

विषयः– अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 व उसके अन्तर्गत बने नियम – 1995 का प्रचलन।

महोदय,

मुझे आपसे पुनः यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दिनांक 30 जनवरी, 1990 से लागू है और उसकी धारा 23 के उपबन्ध (1) में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम, भारत सरकार के असाधारण राज– पत्र में उनके प्रकाशित होने के दिनांक 31 मार्च, 1995 से लागू है। शासन को प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अधिनियम व नियमावली के प्राविधानों की जानकारी के बारे में पुलिस कमियों द्वारा अनभिज्ञता प्रदर्शित की जा रही है जो ग्राहय बचाव नही है। अतः अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 से सम्बन्धित राज–पत्र दिनांक 31 मार्च, 1995 की एक प्रति संलग्न कर भेजते हुए यह अवगत कराना है, कि उक्त नियमावली को प्रदेश सरकार के गृह विभाग के परिपत्र संख्या–6736 ख / छ–4–95–661 वी / टी.सी. दिनांक 27.9.95 द्वारा परिचालित किया जा चुका है। मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस अधिनियम व नियमावली के प्राविधानों का प्रभावी कार्यन्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें और सभी क्षेत्रीय कमियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करे। इस प्रसंग में मुझे आपको अग्रेत्तर यह सूचित करने का निदेश हुआ उत्पीडन की दशा में दी जाने वाली आर्थिक सहायकता इस नियमावली में दिए गये प्राविधानों के अनुसार दिया जाना अपेक्षित हैं ।

भवदीय,
(शोभा राम पुष्प)
विशेष कार्याधिकारी,

संख्या–1253 (1) / छ– पु0–15 / 1997

प्रतिलिपिः– संलग्नक की प्रति संहित निम्नलिखित को पत्र संख्या– 6736ख / छ–4–95–661 वी–टी.सी. दिनांक 27.9.95 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित– :

1– सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ।
2– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ / इलाहाबाद
3– निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

(शोभा राम पुष्प)
विशेश कार्याधिकारी,

'kh'k ikFkfedrk

संख्या–3351 / छः–पु–9–97–30(1) (26)/95

प्रेषक,

राजीब रत्न शाह,
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/ समस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक (रेज)
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (जोन)
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 1997

विषयः उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसका दुरूप्रयोग रोकना ।

महोदय,

कानून व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त करना एवं जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना शासन की प्राथमिकता है। इस उददेश्य की प्राप्ति के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हीकृत कर उनके विरूद्व कडी कार्यवाही सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। सामान्यतः समाज के भले एवं न्यायप्रिय व्यक्ति गुण्डा तत्वों से पीडित रहते है। गुण्डा तत्वों से इनकी सुरक्षा के लिए ही उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 प्राविधानित किया गया था। कानून के इस प्राविधान का दुरूपयोग न हो।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 को लागू करके सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की है जो कि गुण्डा है, एवं

(क) जिनकी गतिविधियां और कार्यवाहियों से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के लिए संत्रास, संकट या अपहानि हो सकती है, अथवा

(ख) यह ऐसी कार्यवाही में लिप्त है या उसके लिए तत्पर है जो अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (1) से (3) के अनुरूप अपराध है, एवं

(ग) ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व दण्ड प्रक्रिया सहिता की निरोधात्मक कार्यवाईयों अथवा भारतीय दण्ड विधान और प्रियवेन्शन आफ इम्मोरल ट्रेपिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट अथवा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत साधारणतः प्रभावी कार्यवाही किया जा सकना संभव नही है, अथवा

(घ) ऐसे व्यक्ति के विरूद्व सामान्यतः विश्वसनीय साक्षी मिल पाना, इसलिए संभव नही हो पाता है, क्योकि साक्षी को अपनी या सम्पत्ति अथवा दोनों की सुरक्षा का भय रहता है,

2. अधिनियम के अन्तर्गत निम्न प्रकृति के व्यक्ति को गुण्डा घोंशित किया जाना हैः–

(क) जो स्वंय किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभयासतः भारतीय दण्ड सहिता की धारा – 153 या धारा – 153 या धारा– 153– ख या धारा 294 या उक्त सहिता के अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17 अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, या

(ख) जो प्रियवेन्शन आफ इम्मारल ट्रेफिक इन वीमेन ऐड गर्ल्स एक्ट, 1956 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्वदोश ठहराया गया हो, या

(ग) जो संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 या पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट, 1867 या आयुध अधिनियम, 1959 की धरा 25, धारा 27 या धारा 29 के अधीन, दण्डनीय किसी अपराध के लिए कम से कम तीन बार सिद्वदोश ठहराया गया हो, या
(घ) जिनकी सामान्य ख्याति है कि वह दु:साहसिक और समुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति है, या
(च) जो अभ्यासतः स्त्रियों या लडकियों के प्रति अशिष्ट उक्त कहता रहा हो या उनसे छेडखानी करता रहा हो, या (छ) जो दलाल (टाउट) है। 3. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम में यह प्राविधानित किया गया है कि जो व्यक्ति गुण्डा की परिभाशा में आता हो उसे अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनपद से छः से चौबीस माह की अवधि के लिए बाहर जाने के आदेश दिये जा सकते है। यह भी प्राविधानित है कि जिस व्यक्ति को गुझा घोशित किया जा चुका है, वह अपनी गतिविधि की सूचना या तो स्वंय उपलब्ध कराये, अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्मुख निर्धारित समय पर उपस्थित हो ऐसे व्यक्ति को, किसी वस्तु विशेश को अपने कब्जे में रखने, अथवा प्रयोग में लाने के लिए प्रतिबद्व या निबन्धित किया जा सकता है एवं निर्धारित रीति के अनुरूप आचरण के लिए निदेश दिया जा सकता है। 4. कुछ प्रकरणों में यह अनुभव रहा है कि बिना ठोस आरोपों के, विधिक दृष्टि से अपरिपक्व नोटिस के आधार पर इस अधिनियम के अन्तर्गत यंत्रवत कार्यवाही की गई है। शासनादेश संख्याः406 / छःपु–9–30–(1) (17) / 90 दिनांक 25 सितम्बर, 1990 एवं शासनादेश संख्या–448 / छ– पु–9–30 (1) (26)/ 95 दिनांक 16 मई, 1996 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि ठोस आरोपों के आधार पर विधिक दृष्टि से परिपूर्ण नोटिस ही जारी की जाय। यह भी निर्देशित किया गया था कि इस अधिनियम के अन्तर्गत यंत्रवत नोटिस न जारी की जाय। (क) यदाकदा सक्रिय गुण्डों का चिन्हीकरण सही रूप से नही हो पाता है तथा यंत्रवत चालान कर दिया जाता है और इसमें भष्टाचार की शिकायते भी प्राप्त होती है। (ग) कभी– कभी भारतीय दण्ड सहिता एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अधीन प्रभावी कार्यवाही करने के स्थान पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का प्रयोग कर लिया जाता है।
5. गुण्डा नियंत्रण अधिनियक के अन्तर्गत निम्न प्रकार के दुरूपयोग के उदाहरण प्रकाश में समय–समय पर आते रहे हैः–
(ख) गुण्डों का सही प्रकार से चिन्हीकरण नहो पाने के कारण कभी–कभी गुण्डा तत्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही से बच जाते है और निदोश या सामान्य स्तर के लोगों के विरूद्व कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है।
उपरोक्त स्थिति में जहां निर्दोश व्यक्ति के प्रताडित होने का भय बना रहता है, वही पैरवी के अभाव में ऐसे व्यक्ति, जो कि समाज के लिए संत्रास, संकट या अपहानि की स्थिति उत्पन्न करते है, उनके बच निकलने से अधिनियम का समुचित उपयोग नही हो पाता है।
6. जनपद स्तर पर गुझा को चिन्हित करने का कार्य अत्यन्त सावधानी से किया जाना होगा ताकि कोई निर्दोश व्यक्ति गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अनावश्यक रूप से उत्पीडन न किया जा सके। कार्यवाही करने के पूर्व यह अवश्यक सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रश्नगत व्यक्ति स्पष्ट रूप से गुण्डा के रूप में परिभाशित हो रहा है एक उसकी कारगुजारी के कारण किसी व्यक्ति एवं सम्पत्ति अथवा दोनों के लिए संत्रास संकट या अपहानि की स्थिति पैदा हो रही है, या ऐसी स्थिति पैदा होना संभावितहै। यह भी सावधानी मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि प्रश्नगत व्यक्ति को जनपद से निष्कासित करने या उसके बिन्द अधिनियम के अन्तर्गत अन्य आदेश पारित करने के उपरान्त उसके द्वारा विधि बिम्द आचरण करने की प्रवृत्ति कुठित होगी, एवं समाज को इस कार्यवाही का लाभ प्राप्त होगा। (क) गुण्डा तत्व के संबंध में थाना स्तर पर सावधानीपूर्वक सूचनाए एकत्र की जायं।
(ख) गुण्डा तत्व के संबंध में थाने से प्राप्त सूचना के आधार पर संबधित परगना मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा सूची की अतिम रूप दिया जाय परन्तु ऐसे व्यक्ति जिनके आचरण में सुधार हुआ हो या यह सक्रिय न हो, को सूची में अकारण सम्मिलित न किया जाय

(ग) सूची तैयार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाय कि प्रश्नगत व्यक्ति को गुण्डा घोशित करके जनपद से निष्कासित करने की कार्यवाही से गुण्डा तत्व को हतोत्साहित करने एवं अपराधिक कृत्यों को रोकने में सहायता मिले।

8. न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने पर जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिलेखों के सावधानीपूर्वक परीक्षण के उपरान्त ही धारा–3 (1) (सी) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने की कार्यवाही करेगे। यह भी सनिश्चित किया जाय कि नोटिस जारी होने के प्रश्चात तत्परता से मुकदमें का विधि अनुम्प निस्तारण किया जाय, एवं दोशी पाये जाने पर '' गुण्डा '' व्यक्ति के विरूद्व समुचित कार्यवाही की जाय। मुकदमों के शीघ्र निस्तारण द्वारा दोशी व्यक्ति का जनपद से निष्कासन सुनिश्चित किया जाय। प्रकरण के उपयुक्त न पाये जाने पर मुकदमों के निस्तारण शीघ्र हो ताकि निर्दोश व्यक्ति को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।

मुकदमें के निस्तारण के दौरारन निम्न बिन्दुओं पर विशेश ध्यान दिया जायः–

(क) अक्सर नोटिस जारी करने के पश्चात प्रश्नगत व्यक्ति की न्यायालय में लम्बे समय तक हाजिरी सुनिश्चित नही हो पाती है। यही स्थिति साक्षियों की है, जिन्हें समय से न्यायालय में प्रस्तुत करने के बिन्दु पर पर्याप्त तत्परता न बरतने क कारण एक लम्बी अवधि के बाद कई मुकदमें बिना सार्थक कार्यवाही के समाप्त हो जाते है। यह सुनिश्चित किया जाय कि आरोपित व्यक्ति एवं साक्षियों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत किया जाय।

(ख) मुकदमें के निस्तारण के दौरान यदि आवश्यक पाया जाता है, तो आरोपित व्यक्ति को शस्त्र लाईसेन्स के निलम्बन के लिए भी पुलिस द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि गुण्डे की परिभाशा में आने वाले किसी व्यक्ति को बिना समुचित साक्ष्य के आरोपित किया जाता है तो वह व्यक्ति न्यायालय से अपने आपको दोशमुक्त कराने में सफल हो जाता है, और पुनः समाज विरोध कार्यो को करने के लिए प्रोत्साहित होता है। यह सुनिश्चित किया जाय कि न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करते समय समुचित साक्ष्य एवं आधार प्रस्तुत किए गए हैं ।

9. प्रमाणों के आधार पर जिस व्यक्ति को गुण्डा घोशित करके निष्कासित किया जाता है, यदि वह व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे अधिनियम की धारा– 11 के अन्तर्गत गिरफतार करके आदेश का पालन कराया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धारा– 10 के अन्तर्गत सक्षम मजिस्ट्रेट धारा 6 माह से 3 वर्ष तक के कठिन कारावास एवं जुरमाने का दण्ड भी दिया जा सकता है। इन प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

10. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति के विरूद्व जॉच की कार्यवाही चल रही हो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करनेहेतु नियम–3,4,5 के अधीन दिये गये आदेश के अनुपालन हेतु, मुचलके एवं प्रतिभूति हेतु बन्धक पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किये जाये। अपील किये जाने पर आयुक्त के सम्मुख उपस्थिति सुनिश्चित करनेहेतु मुचलके एवं प्रतिभूति हेतु नियम–17 के अन्तर्गत प्रपत्र–3 के अनुरूप आदेश पारित किये जा सकते है। अधिनियम में हयह भी प्राविधान है कि प्रतिभूति न दे सकने वाले व्यक्ति को कारागार में निरूद्व करदिया जाय। अधिनियम के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही हेतु इन व्यवस्थाओ ंका विधि अनुरूप प्रयोग अवश्य किया जाय।

11. शासन की यह प्राथमिकता है कि जनता को भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाय एवं इस हेतु गुण्डा प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाय। इस उददेश्य की प्राप्ति के लिए जहॉ एक ओर उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है वहां यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी निर्दोश व्यक्ति को अकारण उत्पीडित कर इस अधिनियम का दुरूपयोग कदापि न हो।

भवदीय,

(राजीव रत्न शाह)

प्रमुख सचिव, गृह।

I[;k&3352 @ N% i& 9&1997

प्रेषक,

राजीव रत्न शाह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट / बरिष्ट पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेंज)
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक (रेंज)
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

गृह पुलिस अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 1997

विषयः– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसका दुरूपयोग रोकना ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिरोहबन्द व्यक्ति द्वारा लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल) आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिसा, या हिंसा को धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीडन द्वारा या अन्य प्रकार से समाज विरोधी क्रियाकलाप करने, क्रिया कलाप करने के पूर्व या पश्चात दुष्प्रेरित करने या उसमें सहायता देने या ऐसे क्रियाकलाप के दोशी व्यक्ति को प्रश्रय देने पर '' उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 '' के अन्तर्गत दो वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और न्यूनतम 5000 रू0 अर्थदण्ड की व्यवस्था की गई है।

2. अधिनियम के अन्तर्गत निम्न कृत्य प्रमुख रूप से समाज विरोधी क्रियाकलापों की श्रेणी में रखे गये है :–

(1) भारतीय दण्ड सहिता के अध्याय 16, या अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध

(2) संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 या एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक दृब्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन या निर्माण या संग्रह या परिवहन या आर्यात या निर्यात या विक्रय या वितरण या किन्हीं पौधों की खेती करना, या

(3) विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वंय याअन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में डक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या

(4) किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, या (5) अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन दण्डनीय अपराध करना या (7) किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से किसी पट्टे या विधिक अधिकार के लिए, या माल के संभरण या किये जाने वाले कार्य के लिए, विधिपूर्वक संचालित किसी नीलाम में बोली लगाने या विधि पूर्वक मांगे गये टेडर देने से किसी व्यक्ति को रोकना अथवा बाधा पहुचाना या

(6) सार्वजनिक छूत अधिनियम,1967 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध करना

(8) किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्व किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना या उसमें विध्न डालना, या

(9) भारतीय दण्ड सहिता की धारा 171 ड के अधीन दण्डनीय अपराध, या मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोंग करने से शारीरिक रूप से रोकर किसी विधिपूर्वक होने वाले किसी सार्वजनिक निर्वाचन को रोकना या उसमें बाधा डालना, या

(10) अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक सांमजस्य में विध्न डालने के लिए हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना या

(11) जनता में दहशत, संत्रास या आंतक फैलाना, या

(12) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या स्वामियों या अध्यासियों को आंतकित करना या उन पर हमला करना अैर उनकी सम्पत्ति को हानि पहुॅचना या

(13) किसी व्यक्ति को इस मिथ्या व्यपदेशन पर कि उसे विदेश में कोई सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी, ऐसे विदेश में जाने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना

(14) फिरौती उद्यापित करने के आशय से किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करना, या

(15) किसी वायुयान या सार्वजनिक परिवहन यानों को उसके पूर्व निर्धारित मार्ग से जाने से पथान्तरित करना या अन्यथा रोकना,

3. अधिनियम के अन्तर्गत गिरोह की परिभाशा के लिए मुख्य तौर पर निम्न तथ्य आवश्श्यक है :–

(अ) दो या अधिक व्यक्तियों का समूह होना चाहिये।

(ब) प्रश्नगत व्यक्ति उस समूह के सदस्य, सरगना, या संगठक के रूप में अधिनियम में वर्णित अपराध / समाज विरोधी क्रियाकलाप को करने, सहायता देने या इन क्रियाकलापों के कर्ता को संश्रय देता हो।

विरूद्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

4. गिरोहक्द व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया अपराधिक कृत्य अपने आप में एक अपराध है। प्रश्नगत अपराध किसी अन्य अधिनियम के अर्न्तगत भी इस कारण से दण्डनीय है, क्योकि यहां पर इस अपराध को गिरोहक्द व्यक्ति द्वारा किया गया है। गिरोहक्द को सहायता करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भी अधिनियम में दण्ड की व्यवस्था की गई है।

5. इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेश न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में संज्ञान लेने के अधिकार है।

विशेश न्यायालय को सेशन न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी। विवेचना के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ– साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भी रिमाण्ड की शक्तियां प्रदान की गई है।

6. इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा–14 के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि गिरोहक्द व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की अधीन विचाराणीय किसी अपराध के फलस्वरूप सम्पत्ति अर्जित की गई है, जिला मजिस्ट्रेट प्रश्नपगत सम्पत्ति की कुर्की करके प्रशासक की तैनाती कर सकते है एवं प्रभावी प्रबन्ध के लिए पुलिस व्यवस्था हेतु भी निर्देशित कर सकते है। इस कार्यवाही के समय यदि विशेश न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान नही भी लिया गया हो तो भी जिला मजिस्ट्रेट उक्त कार्यवाही अधिनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कर सकते है।

7. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 वस्तुत गिरोहबन्द व्यक्तियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्राविधानित है इनका उपयोग समाज विरोधी क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए शासन कटिबद्व है, परन्तु यह भी सुनिश्चित

किया जाना होगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दोश व्यक्ति अनुचित रूप से उत्पीडन न किया जाय।

8. इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय निम्न बिन्दुओं को विशेश रूप से ध्यान मं रखा जाना चाहिए :–

(क) थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों को सक्रिय गिरोहों एवं गिरोह के सदस्यों, सरगना एवं संगठक की सूची बना ले और उनके अपराधिक इतिहास का विवरण तैयार कर ले।

(ख) इस सूची में दिनांक 15.1.86 के बाद हुए अपराधों को ही संज्ञान में लिया जाय।

(ग) गिरोह की सूची के साथ समुचित साक्ष्य एवं आधार का िववरण भी रखा जाय तथा बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक इस संबंध में जिलाधिकारी के साथ भलीभांति परीक्षण के उपरान्त ही इस सूची को अंतिम रूप प्रदान करे।

(घ) सूची पर बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाय। (च) न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व जिलाधिकारी का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाय। इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जाये और यह विशेश रूप से ाध्यान में रखा जाय कि किसी निर्दोश व्यक्ति काइस अधिनियम के अन्तर्गत अनुचित रूप से उत्पीडन न किया जाय।

भवदीय,

(राजीव रत्न शाह)

प्रमुख सचिव,

गृह ।

रजिस्टर्ड पत्र / तत्काल
संख्याः जी.आई.–138 आर / छः–पु0–5–545 / 97

प्रेषक,

श्री शारदा प्रसाद,
सचिव,
गृह,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिला मजिस्ट्रेट (नाम से),
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 25 नवम्बर, 1997

विषय– शस्त्र रखने के लिये लाइसेंस स्वीकृत करना–वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के संगत उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या–5 –11026 / 97–आर्म्स, दिनांकः 03, नवम्बर, 1997 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–34 के अनुसार किसी पशु विहार या राष्ट्रीय पार्क के 10 कि0मी0 के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास शस्त्र लाइसेंस है, को अपना नाम मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी के पास दर्ज कराना होगा तथा यह कि राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन की पूर्व सहमति के बिना किसी पशु विहार या राष्ट्रीय पार्क के 10 किमी0 के अन्दर आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत कोई नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जायगा।

2– इसके साथ ही वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–50 व 51 में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का किसी हथियार से उल्लंघन करने पर दिया जाने वाला दण्ड निर्धारित है तथा उसकी धारा–51 की उपधारा–(4) के अनुसार तब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोशी पाया जाय तो न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के विरूद्ध जिस शस्त्र से अपराध किया है उस शस्त्र को रखने के लिये यदि उस व्यक्ति की आयुध अधिनियम,1959 के अन्तर्गत कोई लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो तो लाइसेंस रद्द कर दिया जायगा और

यह भी कि उक्त व्यक्ति का दोश सिद्ध होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये आयुध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत लाइसेंस का पात्र नहीं होगा।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त प्राविधानों को जनपद के शस्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संज्ञान में तथा उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से एक सप्ताह के अन्दर शासन को सूचित की जाय।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय
(शारदा प्रसाद)
सचिव , गृह।

सख्या–:जी0आई0–138 (1) आर / छः–पु0–5–1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को भी संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त परिक्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4– सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (शस्त्र) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

आज्ञा से
(शारदा प्रसाद)
सचिव , गृह।

संख्या– / 11026 / 26 / 97–आर्म्स क्षेत्र
प्रशासनों के गृह सचिव।
भारत सरकार गृह मंत्रालय
नई दिल्ली 110001 दिनांकः 3.11.97

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य,

विषयः शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करना–वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 के संगत उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि राज्यसरकार / संघ क्षेत्र प्रशासन को मालूम है हालांकि आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 1 की श्रेणी 1(ख) / (ग) के अंतर्गत आने वाले निशिद्ध बोर / सेमी आटोमेटिक अग्नि शस्त्र रखने के लिए शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने का अधिकार दिनांक 8.8.1987 से केवल केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय को है, लेकिन गैर निशिद्ध बोर अग्नि शस्त्र रखने के लिए शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकार राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदत्त किये हैं। अग्नि शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए अनुरोधों पर विचार करते समय आयुध अधिनियिम / नियम और किसी अन्य कानून के भी संगत उपबंधों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता के बारे में केन्द्र सरकार समय समय पर बल देती रही है। इस संबंध में, राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का ध्यान वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों की ओर भी आकर्शित किया जाता है।

2. इस अधिनियम की धारा 34 में यह प्रावधान है, किसी पशुविहार या राष्ट्रीय पार्क के 10 कि0मी0 के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास शस्त्र लाइसेंस है, को अपना नाम मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी के पास दर्ज कराना होगा। उक्त अधिनियम की धारा 34 में यह भी प्रावधान है कि राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन की पूर्व सहमति के बिना किसी पशु बिहार या राष्ट्रीय पार्क के 10 कि0मी0 के अन्दर आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत कोई नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाएगा। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों का किसी हथियार के उल्लंघन करने पर दिया जाने वाला दंड उक्त अधिनियम की धारा 50 और 51 की उप धारा (4) के अन्तर्गत दिए गए उपबंधों में यह प्रावधान भी है कि ''जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोशी पाया जाए तो न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के विरूद्ध जिस शस्त्र से अपराध किया है, उस शस्त्र को रखने के लिए यदि उस व्यक्ति को आयुध अधिनियम,1959 (1959 का 54) के अन्तर्गत कोई लाइसेंस स्वीकृत किया गया हो तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और यह भी कि उक्त व्यक्ति दोशसिद्ध होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत लाइसेंस का पात्र नहीं होगा।

3. राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के उपबंधों को लागू करने के लिए उन्हें सावधानीपूर्वक नोट कर लें तथा शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने से संबंधित सभी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को इनका अनुपालन सावधानी से करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करें।

भवदीय
(अजीत सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

गोपनीय/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–1984 आर/छः–पु0–5–6–678/96

प्रेषक,

सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

विषयः व्यक्तिगत लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया–अतिरिक्त नीति निर्देश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांकः 03 जून, 1998

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर शासन द्वारा समय–समय पर नीति विषयक निर्देश दिये गये हैं। ऐसे व्यक्तिगत आग्नेयास्त्र लाइसेंस, जिनके लाइसेंसिंग का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट में निहित है, के प्रार्थना पत्रों पर शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियमावली 1962 के तत्संबंधी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में समय–समय पर जारी विज्ञप्तियों और शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए, नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाना जिला मतिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

अन्य आदेशों के अलावा इस संबंध में शासनादेश संख्या–संख्या–1083 आर/6–पु0– 5–2ए.क्यू./90 दिनांकः 31–3–92, शासनादेश संख्याःसी.एम. 669 आर/6–पु0–5–739/ 92 दिनांक 17–8–94, शासनादेश संख्या–3059 आर/6–पु0–5–770/92 दिनांकः 23–12–93, शासनादेश संख्या–सी.एम.150 आर/6–पु0–5–521/95 दिनांकः 27–3–95, एवं शासनादेश संख्याः 3520/6/पु.–5–526/95 दिनांक 17–1–97 एवं अधिसूचना संख्याः जी.आई. 16 आर/8–5–1262–87 (टी.सी.) दिनांकः 5–9–89 के क्रम में व्यक्तिगत लाइसेंस जारी करने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

1. आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा सीधे संबंधित थानाध्यक्ष को आयुध अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) के अनुरूप इस निर्देश के साथ भेजा जायेगा कि इस संबंध में समुचित परीक्षण के उपरान्त अधिकतम 20 दिन में आख्या जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी जायेगी। विशिष्ट मामलों में जिला मजिस्ट्रेट इस अवधि के कम समय सीमा भी अपने विवेकानुसार निर्धारित कर सकते हैं।

2. शस्त्र लाइसेंस के संबंध में नियम 51 (शस्त्र नियमावली) के अनुरूप प्राविधानित शिड्यूल के अनुरूप सूचनाओं को प्राप्त किया जाय एवं उनका समुचित परीक्षण किया जाय।

3. पुलिस द्वारा यह अवश्य देखा जायेगा कि संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध अपराधिक इतिहास तो नहीं विद्यमान है।

4. थानाध्यक्ष द्वारा अपनी रिपोर्ट केवल बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इस संबंध में कार्यकारी आदेश एक सप्ताह में पारित करके जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करयेंगे। जब तक ऐसे कार्यकारी आदेश पारित नहीं होते है तब तक थानाध्यक्ष द्वारा यह आख्या जनपद के वरिष्ठतक पुलिस अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को प्रेशित की जायेगी।

5. जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से तहसील को भेजे जाने वाले प्रार्थना पत्रों को सीधी ए स.डी.एम. को भेजा जायेगा। एस.डी.एम. द्वारा नायब तहसील से आख्या प्राप्त करके विलम्बतम एक माह में अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी जायेगी।

6. पुलिस एवं तहसील की जांच आख्यायें किसी भी दशा में दस्ती प्रेशित नहीं की जायेंगी। जांच आख्यायें प्रेशित करने के संबंध में विधिवत पंजिका स्थाई अभिलेख के रूप में रखी जायेंगी।
7. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र संबंधी प्रार्थनापत्रों को यथासम्भव तीन माह में अवश्य निस्तारित कर दिया जायेगा। शस्त्र लाइसेंस के कार्यों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कम्प्यूरीकृत करा दिया जायेगा, जैसा कि शासनादेश संख्याः 712–आर/6–पु0–5/ 98 दिनांक 17–2–98 द्वारा पहले भी निर्देशित किया जा चुका है।
8. विधान सभा/विधान परिशद तथा संसद के ऐसे सदस्य, जिनका आपराधिक इतिहास न हो, ऐसे व्यक्ति जिनके विरूद्ध कोई जघन्य अपराध घटित हुआ हो एवं ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रकृति के कारण आग्नेयास्त्र की आवश्यकता हो, को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समुचित प्रक्रिया उपरान्त लाइसेंस जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
9. ऐसे व्यक्ति, जिनका बड़े स्तर पर व्यवसाय है और उनके अपहरण अथवा लूटे जाने का भय है और उनके पास कोई अन्य शस्त्र लाइसेंस नहीं है तथा शासकीय नीति के अनुसार वह शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने का पात्र है, को लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा शीघ्र लाइसेंस प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।
10. साधारणतः आवेदकों से आयकर एवं व्यापार कर के प्रमाण–पत्र अथवा अन्य अभिलेख प्राप्त करके आवेदन पत्र की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा। जिन व्यक्तियों को वास्तविक जीवन भय है और उनके पास कोई अन्य शस्त्र अथवा सुरक्षा का माध्यम नहीं है, उनके संबंध में ''जीवन भय'' के सही प्रमाणिक मूल्यांकन के बाद ही शासकीय नीति के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।
11. उत्तराधिकार के मामलों तथा ऐसे मामलों में जहां कोई वयोवृद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से अपने वारित को अपना लाइसेंस ''देना'' चाहता है एवं वारित शस्त्र लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए समुचित पात्रता रखता है, लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा एक माह में समुचित आदेश अवश्य पारित किये जायेंगे।
12. शस्त्र लिपिक द्वारा तैयार किए जाने वाले समस्त रजिस्टरों एवं अभिलेखों को प्रभारी अधिकारी शस्त्र द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रमाणित किया जायेगा तथा इन्हें प्रत्येक माह अवलोकित भी किया जायेगा। प्रभारी अधिकारी के स्थानान्तरण की दशा में नये प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तत्काल की जायेगी।
13. जिला मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण के समय कोषागार का कार्यभार दिये जाते समय ही शस्त्र लाइसेंसों के रजिस्टर भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा उनके द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंसों का विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि स्थानान्तरण के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रविष्टियां न की जा सके।

शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति एवं इनका नवीनीकरण एक अत्यन्त संवेदनशील प्रकरण है। जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे कि इस कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाये और किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने दी जाये। इन आदेशों से समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को अवगत भी कराने का कष्ट करें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय
(एन0 रविशंकर)
सचिव गृह।

संख्या– आर/छः–पु0–6–678/96, तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव,गृह।

संख्या–सी एम–277
आर/छः–पु0–5–1998
लखनऊ : दिनांकः 02 सितम्बर, 1998

प्रेषक,

श्री नरेश दयाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,
2–समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0
3–समस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0

(पुलिस) अनुभाग–5

विषयः आग्नेयास्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही आयुध अधिनियम, 1956 की धारा 34 एवं आयुध नियमवाली, 1962 के नियम–54 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्दिष्ट नवीनीकरण प्राधिकारी क्षरा सुनिश्चित की जाती है। इस सम्बन्ध में समय समय पर शासन के संज्ञान में यह शिकायतें आती रहती हैं कि नवीनीकरण हेतु आवश्यक पुलिस एवं राजस्व विभाग से आख्या/संस्तुतियॉ प्राप्त होने में अप्रत्याशित, विलम्ब होने के कारण तथा तदोपरान्त उनके आधार पर नवीनीकरण किये जाने में भी अपेक्षित तत्पराता न बरते जाने के कारण लाइसेंस धारकों को कठिनाई होती है।

2– अतः वर्णित तथ्यों को देखते हुये प्रश्नगत लाइसेंसों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में निम्न अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

क– शासनादेश संख्या–712–7/6–पुलिस–5/98 दिनांकः 17–2–98 के अनुरूप शस्त्रधारकों को समस्त सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्देश दिये गये थें। उपलब्ध सूचना के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट शस्त्र लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व ही थाने से प्रश्नगत लाइसेंस धारक के बारे में आख्या प्राप्त कर लेंगे और यदि कोई तथ्य आपत्तिजनक नहीं है, तो नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

ख– लाइसेंस की वैद्यता अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व अथवा ऐसी अवधि जो नवीनीकरण प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाय, टिकट सहित नवीनीकरण हेतु प्रार्थनापत्र तथा निर्धारित नवीनीकरण शुल्क का ट्रेजरी चालान संबंधित लाइसेंस धारकों से जमा कराया जायेगा।

ग– नवीनीकरण प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर उन्हें वांछित पुलिस तथा राजस्व विभाग की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु भेज दिया जायेगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय कि उक्त अवधि में आख्या/संस्तुति प्राप्त नह होने पर यह मानकर कि लाइसेंसी के विरूद्ध कोई विपरीत तथ्य नहीं है, उसका नवीनीकरण कर दिया जायेगा।

घ– पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट विलम्बतम एक माह अथवा ऐसी कम अवधि जो नवीनीकरण प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

च– वांछित पुलिस एवं राजस्व विभाग की आख्या/संस्तुतियां प्राप्त होने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद लाइसेंसी के विरूद्ध कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में न आने की स्थिति में अधिकतम 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित लाइसेंस का नवीनीकरण जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा निश्चित रूप से कर दिया जायेगा और इस तथ्य की सूचना व0पु0अ0/पु0अ0 को भेज दी जायेगी।

छ– निर्धारित समय के अन्दर वांछित पुलिस रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण यदि किसी अपात्र व्यक्ति के लाइसेन्स का नवीनीकरण हो जाता है तो उक्त आख्या/ संस्तुति न भेजने हेतु

उत्तरदायी अधिकारी को दोशी मानकर उसके विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा।

ज– जो थानाध्यक्ष आदतन समय से आख्या नहीं भेजते है उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

झ– यदि जिला मजिस्ट्रेट/नवीनीकरण प्राधिकारी किसी विशेश मामले में ऐसा अनुभव करते हैं कि इसमें पुलिस आख्या की प्रतीक्षा किया जाना आवश्यक है तो कारण अंकित करते हुये आख्या प्राप्त करने हेतु निर्धारित समय अथवा अपवाद स्वरूप बढ़ाया जा सकता है।

नवीनीकरण के संबंध में शासनादेश संख्या–727 आर/छः पु0–5–516/93 दिनांकः 23–06–93 एवं शासनादेश संख्या–1616 आर/छः पु0–5–94 दिनांक 12–04–94 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। अन्य प्रदेशों एवं जनपदों से प्राप्त समस्त जनपद में दर्ज करने अथवा उनका नवीनीकरण करने के पूर्व उनका सत्यापन पूर्व जारी होने वाले प्रदेश/जनपद से अवश्य कराया जाये एवं यदि कोई लाइसेन्स फर्जी पाया जाये तो फर्जी लाइसेन्सी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कानूनी कार्यवाही भी अवश्य की जाये।

सामान्यतः यह प्रयास किया जाये कि जो स्थान फैक्स अथवा रेडियोग्राम के माध्यम से जुड़े हुये हैं, उन स्थानों से यह पुष्टि कराकर नवीनीकरण 30 दिवस में करा लिया जाये, और जिन स्थानों से उपरोक्तानुसार सम्पर्क किया जाना सम्भव नहीं है वहां यह प्रक्रिया विलम्बतम 2 माह में अवश्य पूरी कर जी जाये। लाइसेंसी के सम्बन्ध में यदि कोई स्थानीय जांच इत्यादि कराया जाना हो तो वह भी विलम्बतम 1 माह पूरी करा ली जाये।

उपरोक्त प्रक्रिया से सही लाइसेन्स धारकों को अनावश्यक कठिनाई न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण आवश्यक है। यदि किसी प्रकरण में समुचित समय तक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो फैक्स/रेडियोग्राम अथवा तार के माध्यम से तथ्यों की पुष्टि कराना आवश्यक होगा। किसी प्रकार का संदेह होने पर पुष्टिकरण आवश्यकतानुसार विशेश पत्रवाहक के द्वारा भी कराया जा सकता है।

इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत शस्त्र लाइसेन्सों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। कृपया इस पत्र की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार की जाये।

भवदीय,
(नरेश दयाल)
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या–सी एम–277 आर/छः–पु0–5–1998, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परक्षेत्र।

आज्ञा से,
(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव, गृह

संख्या–3068 आर/छः–पु0–5–1999 श्री

सेवा में

अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 18 मई, 1999

विषय– आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 1962 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले लाईसेन्सों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज मानते हुए लाईसेन्सों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 3992 आरःछः–पु0–5–520/98 दिनांक 11 सितंबर, 1998 के अनुक्रम में तथा शासन के कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या– क0सं0वि0 5–2110/11–99 –500 (64)/98, दिनांक 10 मई 1999 की ओर आपका ध्यान आकृर्शित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1 बी के अनुच्छेद 38 क के केवल खंड ग में उल्लिखित निम्नांकित आयुधों के नवीनीकरण के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान कर दी गई हैः–

1– रिवाल्वर या पिस्टल
2– राइफल
3– डी0बी0एल0 (आयुध)
4– एस0बी0बी0एल0 (आयुध)
5– एम0एम0 (आयुध)

2– कृपया तदनुसार इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
अतुल कुमार
संयुक्त सचिव, गृह

संख्या– 3068 (1) आर/ छः–पु0–5–1999 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
अतुल कुमार
संयुक्त सचिव, गृह

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5
संख्या–क0सं0वि0–5 – 2110/11–99–500 (64)/98
लखनऊ दिनांक 10 मई, 1999

अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 38–क के खंड (ग) में उल्लिखित आयुध से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से
टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या– क0सं0वि0–5–2110(1)/ 11–99–500(64)/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषक कि वे इसे 11 मई 1999 के असाधारण गजट के भाग–4 खंड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तथा 50 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
डी0सी0डी0 भार्गव
विशेश सचिव

ljdkjh xtV] mRrjkpy
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून शुक्रवार,08 नवम्बर,2002ई0
कार्तिक 17 ,1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
समाज(महिला) कल्याण अनुभाग
संख्या–173म0क0–02–103(महिला कल्याण)/2002
देहरादून, 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

दहेज प्रतिशेध अधिनियम,1961(अधिनियम संख्या 28 जून सन् 1961) की धारा 10 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल ,उत्तरांचल निम्न नियमावली बनाते हः–

mRrjkpy ngt ifr'k/k fu;ekoyh] 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1)यह नियमावली उत्तरांचल दहेज प्रतिशेध नियमावली, 2002 कहलाएगी।

(2)यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त मानी जाएगी।

2. परिभाशाएं

इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों,

(1) अधिनियम का तात्पर्य दहेज प्रतिशेध अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 28 जून,1961) से है।

(2) सलाहकार परिशद का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8(ख)की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त सलाहकार परिशद से है।

(3) मुख्य दहेज प्रतिशध अधिकारी का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से हैं जिसे इस नियमावली के अधीन कर्तब्यों के निर्वहन का दायित्व सौपा गया हा।

(4) दहेज प्रतिशेध अधिकारी से तात्पर्य अधिनियम की धारा8(ख)की उपधरा(1) के अधीन नियुक्त दहेज प्रतिशेध अधिकारी से है।

(5) परिवीक्षा अधिकारी से तात्पर्य अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,1958(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20 जून,1958) के अधीन नियुक्त जिला परिवीक्षा अधिकारी अतिरिक्त जिला परिवीक्षा अधिकारी अथवा परिवीक्षा अधिकारी से है।

(6) पुलिस अधिकारी से तात्पर्य राज्य पुलिस विभाग के अधिकारी से हैं

(7) न्यायप्राप्त कल्याणकारी संस्था अथवा संगठन से तात्पर्य अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड(पप) में वर्णित मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से हैं जिसें इस निमित केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

(8) ''जिला मजिस्ट्रेट और शिकायत'' के क्रमश वही अर्थ होंगे जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1973) के अधीन उनके लिए दिये गये है।

(9) इस नियमावली में प्रयायुक्त किन्तु अपरिभाशित शब्दों व पदों के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये है।

3. देहज प्रतिशेध अधिकारी की अधिकारिता–

राज्य सरकार अधिनियम की धारा 8(ख) की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक दहेज प्रतिशेध अधिकारी को अधिकारिता एवं शक्ति का प्रयोग करने हेतु अधिसूचना जारी कर कार्यक्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

4. शिकायतें दाशिल करने की प्रक्रिया–

कोई शिकायत किसी ब्यक्ति या ऐसे ब्यक्ति के माता–पिता या किसी अन्य सम्बन्धी या किसी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन द्वारा लिखित रूप में दहेज प्रतिशेध अधिकारी के समक्ष वैयक्तिक रूप में या किसी संदेशवाहक के माध्यम से या डाक द्वारा दारशिल की जा सकेगी।

5. अतिरिक्त कृत्य जो दहेज प्रतिशेध अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे–

(i) वह देहज के विरूद्ध जन जागरण हेतु सूचना एवं प्रतारण विभाग पंचायत समितियों अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार एवं कैम्प आयोजित कर स्थानीय जन के सहयोग से दहेज की रोकथाम हेतु प्रयास करेगा।

(ii) वह आकस्मिक निरीक्षक एवं जॉच कर यह श्रान करने का प्रयाग करेगा कि कही ं अधिनियम के उपबन्धों व इसके तहत नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

(iii) किसी पीडित ब्यक्ति या समूह अथवा ब्यक्तियों /संगठनों द्वारा अधिनियम के अधीन कृत किसी अपराध की शिकायत को प्राप्त करेगा।

(iv) वह अधिनियम के प्रयोजन हेतु समस्त शिकायतों सूचनाओं को प्रपत्रा–1 में अभिलिखित करने हेतु एक डायरी रखेगा तथा प्रत्येक मामले की सुसंगत सूचनाओं सहित अभिलेख की अलग–अलग पत्राावली रखेगा।

(v) वह सलाहकार समिति के सदस्य सचिव/ संयोजजक के रूप में कार्य करेगा। वह सलाहकार समिति से सहयोग एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बराबर सम्पर्क में रहेगा। वह अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रत्येक मामले में जब कभी आवश्यक हो जिला मजिस्ट्रेट या इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य ब्यक्ति को सूचित करेगा। (vi) वह अधिनियम के अधीन पक्षकारों द्वारा किसी विवाह में प्रस्तुत किये गये समस्त उपहारों की सूचियां अपनी अभिरक्षा में रखेगा और उस प्रयोजन हेतु रखे जाने वाले एक रजिस्टर में प्रविष्टियां करेगा। वह इन सूचियों की परीक्षा भी करेगा और दहेज प्रतिशेघ (वर–बधू–सूची) नियमवाली,1985(मेन्टीनेन्स ऑफ लिस्टस ऑफ प्रजेन्स ट दि ब्राइड एण्ड ब्राइडग्रूम रूल्स (1985) के उपबन्धों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा।

(vii) वह अपने कर्तब्यों का सम्पादन सावधानी शालीनता एकान्तता और ऐसी रीति से करेगा ताकि पारिवारिक सम्बन्ध एवं बैवाहिक बन्धन बनें रहें।

(viii) दहेज प्रतिशेध अधिकारी की कार्यशैली मुख्यत निरोधक एवं अपचारी होगी और अभियाजन की संस्तुति तभी बकी जायेगी जब कि सभी प्रयास या निर्देश अप्रभावी हो जायें या नियत समय के भीतर पक्षकार आदेशों एवं निर्देशें का पालन करने में असमर्थ हो जाए।

(ix) यह प्राप्त की गई प्रत्येक शिकायत नियमावली के संलग्न प्रपत्रा–1 के अनुसार रजिस्टर में क्रमानुसार संख्याकित और सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(x) वह प्राप्त शिकयतों की संवीक्षा करेगा और यदि प्रथमदृष्ट्या यह पाया जाता है कि शिकायत की प्रकृति और विषयवस्तु प्रकटत अधिनियम की धारा 3 या 4 (क) या 5 या 6 के प्राविधानों के भीतर आती है। तो यह शिकायत की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पक्षकरों और उनके सम्बन्धियों से ऐसे साक्ष्य एकत्रा करने के लिए तत्काल जॉच करेगा।

(xi) वह नियमावली के प्रपत्रा–!! पर अधिनिपयम के अधीन प्राप्त शिकयतें उन पर कृत कार्यवाही एवं निस्तारित शिकायतों की प्रक्रिश की त्रौमासिक सूचना मुख्य देहज प्रतिशेध अधिकारी को प्रेषक करेंगा। दहेज प्रतिशेघ अधिकारी ऐसे विवरण एवं सूचना जो राज्य सरकार अथवा मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी द्वारा समय–समय पर मांगी जाये, भेजेगा।

(xii) वह घटना स्थल का निरीक्षण करेगा और पक्षकारों या साक्षियों से या तो मौखिक या लिखित रूप में साक्ष्य एकत्रित कर सकेगा या पक्षकरों और साथियों की सुनवाई के लिए अपने कार्यालय या किसी सुविधाजनक इस निमित कोई तिथि नियत कर सकेगा।

(xiii) वह पक्षकारों या साक्षियों को शिकायत की सुनवाई के निमित समय दिनांक और स्थान के सम्बन्ध में नियमावली के संलग्न प्रपत्रा–!!! पर सूचना या नोटिस जारी कर सकेगा।

(xiv) प्रज्ञत्येक याचिका का अन्वेशण त्वरित गति से किया जायेगा और शिकयत प्राप्ति कीह एक माह के भीतर सुनवाई कर शियकत कर निष्कर्श तय किया जा सकेगा।

(xv) जहां शिकायत या याचिका पर विचार हेतु नियत दिनांक पर शिकायकर्ता या याचिकाकर्ता दहेज प्रतिशेध अधिकारी के समक्ष उपस्थित नही होते दहेज प्रतिशेध अधिकारी के विचार पर निर्भर करेगा कि वह शिकायत या याचिका को या तो निरस्त कर दे या विचार कर कोई अभिमत पत्राावली में अंकित कर दे।

(xvi) दहेज प्रतिशेध अधिकारी दहेज प्रतिशेध अधिनियम के अधीन किसी शिकायत या आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाही में पूछताछ करने के लिये या अन्वेशण हेतु जिला परिवीक्षा अधिकारियों अतिरिक्त जिला परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाओं का प्रयोग कर कसकेगा। (गगप) वह समुचित साधनों के माध्यम से यह ज्ञात कर सुनिश्चित करेगा कि उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत जो भी विवाह हुए हैं में अधिनियम के उपबन्धों का अनुसंरक्षण किया गया हैं और कोई उनका उल्लंघन नहीं हुआ है।

(xvii) दहेज प्रतिशेध अधिकारी से वांछित जॉच की सूचना मिलने पर पर्वीक्षा अधिकारी आवश्यक जॉच की सूचना कएत्रा करेगा और विस्तृत विवरण या सूचना प्रेषक करेगा जैसा कि उसके द्वारा निवेदित किया गया हों।

(xviii) दहेज प्रतिशेध महिला के अतिरिक्त अन्य ब्यक्ति द्वक्षरा प्राप्त किया गया हो और ऐसा दहेज जो उस महिला को जो अधिनियम की धारा 6 के अधीन उसकी हकदार है। को हस्तान्तरित न किये जाने से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त होती है। तो दहेज प्रतिशध अधिकारी निर्धारित समय के भीतर उसे हस्तान्तरित करने के लिये उपक्षकारों को निर्देश जारी कर सकेगी।

(xix) वह विशेशतया स्वयं अथवा अपने कर्मचारी या पुलिस को भेजकर यह सुनिश्चित करेंगा कि उसके अधिकारिता के अन्तर्गत सम्पन्ना विवाहों में किसी प्रकार अधिनियम के उपबन्धों उल्लंघन तो नहीं हुआ है।

(xx) दहेज प्रतिशेध अधिकारी अपनीअधिकारिता के अन्तर्गत सम्पन्न या सम्पन्न होने वाले में अधिनियम के उपबन्धों को नजरअंदाज किये जाने पर आवश्यक जाूच करेगा।

(गगपप) दहेज प्रतिशेध अधिकारी यदि अधिनियम के अधीन जांच हेतु किसी विवाह में सम्मिलित होता है और किसी पुलिस अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी का सहयोग अपने कार्य के सम्पादन हेतु प्राप्त करना चाहता हैं तो वह पुलिस अधिकारी दहेज प्रतिशेध अधिकारी की पूर्ण वांछित सहायता करेगा।

(xxiii) वह पुलिस को अधिनियम के अधीन दायर शिकायत की जांच और न्यायालय में शिकायत के परीक्षण के दौरान सहायता प्रदान करेगा।

(xxiv) वह अधिनियम के अधीन सहलाहकार परिशद के कार्यकलापों से संबंधित मामलों में उनसे दिशानिर्देश प्राप्त करेगा।

(xxv) दहेज प्रतिशेध अधिकारी (सलाहकार परिशद का सदस्य सचिव/संयोजनक) सलाहकार परिशद की प्रत्येक बैंठक की कार्यवाही की प्रति बैंठक की तिथि से 15 दिन अन्दर जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगा।

(xxvi) वह ऐसे अन्य कृत्यों का भी सम्पादन करेगा जो जो इस निमित राज्य सरकार द्वारा सौपे जाये।

6. मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया कर्तब्य एवं कार्य–

(1) राज्य सरकार महिला कल्याण विभाग में तैनात मुख्य परीवीक्षा अधिकारी या अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रतिशेध अधिकारी के रूप में पदामिहित कर सकेगी।

(2) मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी के कार्य का समन्यवय करेगा और जनता में दहेज प्रथा को रोकने चेतना और जागरूकता सृजन करने के लिए दहेज प्रथा की बुराई को समाप्त करने की दृष्टि से कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी अधिनियम के उपबन्धों के कियान्वयन की प्रगति की वार्शिक रिपोर्ट और संबंधित मामलों और आंकडो को जिनकी समय समय पर सरकार द्वारा अपेक्षा की जाये तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी राज्य सरकार के सभी विभागों को निम्नांकित निर्देश जारी करेगा–

(i) प्रत्येक राज्य कर्मचारी विवाह करने के पश्चात एक घोशणा पत्रा भरकर विभागाध्यक्ष को देगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया हैं घोशणा पत्रा पत्नी पिता तथा स्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(ii) वर्ष में एक विशेश दिवस दहेज प्रतिशेध दिवस के रूप में मनाया जाये।

(iii) स्कूलों कालेजों एवं अन्य संस्थाअें के विद्यार्थियों में दहेज नहीं लेन–देन की प्रति प्रण की भावना जागृत करने का प्रबन्ध किया जाये। (1) कोई कल्याणकारी संस्था या संगठन जो मुख्यतया निम्नांकित प्रकार के कार्यो से किसी के प्रति समर्पित हो और जिसने कम से कम तीन वर्ष तक इस क्षेत्रा में उल्लेखनीय सेवा की हो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (II) के अधीन मान्यता पाने के लिए अर्ह होगीः–

7. विवाह में पक्षकारों या माता–पिता में से कोई या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिशेध अधिकारी को विवाह के दिनांक के एक माह के भीतर दहेज प्रतिशेध (बर–बधू भेट सूची) नियमावली, 1985 के अनुसार तैयार की गई उपहारों की सूची प्रस्तुत की जायेगी।

8. अपराधियों के अभियोजन के के लिए प्रक्रिया–

दहेज प्रतिशेध अधिकारियों द्वारा अन्वेशण की शिकायतों के सभी मामलों में प्रथम दृष्टया निष्कर्श में अपराध का किया जाना पाया जाता हैं तो अपराध्यिों को अभियोजित करने के लिए अभिलिखित कथनों कार्यवाही के साथ अन्य संबंधित दस्तावेजों और उनके निष्कर्श के सिंक्षिप्त विवरण के साथ दहेज प्रतिशेध अधिकारी सक्षम मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । यह रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 (अधिनियम संख्या–2 सन्1973)की धारा 173 के अधीन दी गई रिपोर्ट समझाी जायेगी।

9. कल्याणकारी संस्थाओं को मान्यता–

(क) समाज कल्याण जिसमें महिलाओं की देख–रेख सुरक्षा एवं प्रशिक्षण सम्मिलित है।

(ख राज्य या अखिल भारतीय प्रकृति का महिलाओं का संगठन या ख्याति प्राप्त महिला समाज या महिलाओं के संगठन।

(ग) सामाजिक सुरक्षा जिसमें निराश्रितों छुड़ाई गयी महिलाओं और बच्चों की देख–रेख व सुरक्षा सम्मिलित हो।

(घ) अधिवक्ताओं का कोई संगठन जो सामाजिक बुराईयों के निवारण का इच्छुक हो।

(2) उप नियम (1) के अधीन अर्ह और मान्यता की इच्छुक कोई कल्याणकारी संस्था या संगठन नियमों उपविधियों और संगम अनुच्देद की एक प्रति उसके सदस्यों और पदाधिकारियों की सूचियों कियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट और सामाजिक या सामुदायिक सेवाओं के पूर्व अभिलेखों के साथ नियमावली के संलग्नक प्ररूप–iv पर राज्य सरकार को आवेदन करेगा। (3) राज्य सरकार मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी या महिला कल्याण विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट पर इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने वाले संगठन या संस्था की प्रकृति या पिछले अभिलेखों के आधार पर विचाार करने के पश्चात पांच वर्ष के लिए मान्यता प्रदान करेगी जो आवेदन करने पर नवीकृत की जा सकेगी। (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय पांच के उपबन्धेां अथार्थ बिना वारन्ट के किसी ब्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति के सिवाय दहेज प्रतिशेध अधिकारी को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अन्वेशण करने और सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्राप्त होगी।

(4) नवीनीकरण मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन नियमावली के साथ संलग्न प्ररूप अ पर नियम 9 के उपनियम (2) तथा (3) की निर्धारित ब्यवस्थानुसार किया जायेगा। मान्यता/नवीनीकरण ताकि स्वीकृत किया जायेगा जब संस्था या संगठन के संबंध में कार्यकलापों की सन्तोशजनक रिपोर्ट प्राप्त हों।

(5) राज्य सरकार किसी संस्था या संगठन को दी गई मान्यता वापस ले सकती हैं यदि उस संस्था या संगठन का कार्यकलाप मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी या अन्यथा द्वारा
असन्तोशजनक पाया जाता हैं या बताया जाता है।

10. सीमाएं और शर्ते जिनके आधीन रहते हुए दहेज प्रतिशेध अधिकारी पुलिसअधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता हैं

(2) जब कभी दहेज प्रतिशेध अधिकारी को तर्क पूर्ण आधार पर यह विश्वास हे जाये कि उसकी अधिकारिता अन्तर्गत अधिनियम के अधीन उपराध हुआ है या होने को है या होगा और पाता है कि स्थल की तलाशी वारन्ट के साथ तत्काल नहीं की जा सकेगी वह मामले की विश्वसीनयता के आधारों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भेज कर बिना बारन्ट ऐसे स्थल की तलाशी कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन तलाशी से पूर्व दहेज प्रतिशेध अधिकारी उस क्षेत्रा के दो निवासियों जिसमें तलाशी स्थल स्थित है को तलाशी के समय साथी के रूप में उपस्थित रहने को कह सकेगा। इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे ब्यक्तियो के लिखित आदेश दे सकेगाा

(4) कोई ब्यक्ति बिना किसी तर्क पूर्ण कारण के लिखित ओदश प्राप्त होने परीक्षा साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होता हैं या मना करता है या अरूचि दर्शाता हैं तो उसका यह कृत्य उपस्थित नहीं होता है या मना करता है या अरूचि दर्शाता है। तो उसका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1960 का 45) की धारा 187 के अधीन किया गया अपराध माना जायेगा।

11. दहेज प्रतिशेध अधिकारी को लोक सेवक घोशित किया जाना–

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन प्रत्येक दहेज प्रतिशेध अधिकारी लोक सेवक समझाा जायेगा।

12. सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण–

सरकार मुख्य दहेज प्रतिशेध अधिकारी या महिला कल्याण विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी दहेज प्रतिशेध अधिकारी परिवीक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारी के विरूद्ध अधिनियम या नियमावली के अनुसरण में सद्भावना में की गई किसी बात या करने के लिए आशयिक हो के संबंध में कोई वाद या अन्य विधि कर्यावाही नहीं की जायेगी।

13. निर्वाचन–

यदि कोई प्रश्न नियमावली की ब्याख्या से संचधित उत्तपन्न होता है तो वह सरकार को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्रपत्र–1

(नियम–5 उपनियत(4))

शिकायत/याचितका की पंजिका

क्र. सं.	शिकायतों की सूची	शिकायत कर्ता का नाम व पता से सम्ब	विवाहित दम्पति न्ध शिकायत/ अम्युक्ति विवाह होने की या होने वाली तिथि	याचिकाकी प्राप्ति तिथि	सुनवाई की तिथि	निस्तारण का प्रकरण	अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

दहेज प्रतिशेध अधिकारी (नियम–5 उपनियम (9)) क्रसंतिथि निस्तारण का स्वरूप

प्रपत्रा–II

दहेज प्रतिशेध अधिनियम,1961 के कियान्वयन सम्बन्धी त्रौमासिक प्रगति आख्या

शिकायत /याचिका की पुनरीक्षित शिकायत	किससे प्राप्त हुई नाम व पता	शिकायत का स्वरूप	पंजीकरण की	कृत कार्यवाही	अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4 5 7 6		8	9

देहज प्रतिशेध अधिकारी

(नियम–5 उपनियम(12))

दहेज प्रतिशेध अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस

सेवा में,

ब्यक्ति का नाम.....

जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई

श्री .....द्वारा.....(अपराध का संक्षिप्त विवरण) के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना तथा साक्ष्य एकत्रित करने हेतु आप दहेज प्रतिशेध अधिकारी के समक्ष दिनांक..... .....को .....बजे उनके कार्यालय में उपस्थित हों।

दिनांक.....

स्थान..... दहेज प्रतिशेध अधिकारी,

मोहर।

प्रपत्रा–iv

(नियम 6 उपनियम(2))

कल्याणकारी संस्था/संगठन द्वारा मान्यता हेतु प्रार्थना –पत्रा का प्रारूप

1. कल्याणकारी संस्था/संगठन का नाम.....
2. पूर्ण पता.....
3. उद्देश्य.....
4. संस्था/संगठन के अध्यक्ष का नाम व पता.....
5. किया कलापों का संक्षिप्त विवरण.....
6. मान्यता के पक्ष में प्रमाण.....
7. यदि कोई प्रार्थना–पत्रा इससे पूर्व प्रेषक किया हों उसका विवरण तिथि, मास एवं वर्ष.....
8. कोई अन्य विवरण.....

संलग्नक–

(1)

(2)

(3)

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर कल्याणकारी संस्था/संगठन का अध्यक्ष।

प्रपत्रा–v

(नियम 9 उपनियम(4))

मान्यता प्राप्त पत्रा के नवीनीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप

1. कल्याणकारी संस्था/संगठन का नाम.....
2. पूर्ण पता.....
3. गत 5 वर्शो के किया–कलापों का संक्षिप्त विवरण.....

4. संस्था/संगठन के अध्यक्ष का नाम एवं पूरा पता.....
5. प्रमाण–पत्रा संख्या पूर्णता का दिनांक व वर्ष.....
6. अन्य कोई विवरण.....
स्थान.....
दिनांक.....
संस्था/संगठन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर।

आज्ञा से
आर0के0वर्मा,
सचिव,
समाज(महिला)कल्याण।

l[;k&8&pkj@U;k; vuHkkx@2002
mRrjkpy 'kklu
U;k; vuHkkx
l[;k&14&,d¼1½@U;k; vuHkkx@2003 ngjknwu%fnukd 31 tuojh] 2003
vf/klpuk
fofo/k

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन्, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अैर समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम,1986(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–7 सन् 1986) की धारा–5 की उपधारा(1) (जो कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा–86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1185/सात–अ0 न्या0 –701/86 दिनांक 31.07.1989 को उत्तरांचल के राज्यपाल परिपेक्ष्य में अतिक्रमित करके ,श्री राज्यपाल निम्न अनुसूची के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रा के लिए स्तम्भ–2 में उल्लिखित विशेश न्यायालयों का गठन करते है। जिनकी बैंठक का सामान्य स्थान स्तम्भ–4 में है।

vulph

क्रम संख्या बैंठक का सामान्य स्थान विशेश न्यायालय का नाम स्थानीय अधिकारता का क्षेत्रा
विशेष न्यायालय नैनीताल नैनीताल नैनीताल,अल्मोड़ा,बागेश्वर,चम्पावत,पिथौरागढ़ व उधमसिंहनगर
विशेश न्यायालय देहरादून देहरादून, चमोली, रूद्रप्रयाग, पोड़ी टिहरी व उत्तरकाशी देहरादून

आज्ञा से
भरोसी लाल,

सचिव।

संख्या– एक(1)/न्याय अनुभाग/2002–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुराध के साथ प्रेषक कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के (विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड(ख) परिनियत आदेश) में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 100 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से
(यू0 सी0 ध्यानी),
अपर सचिव।

संख्या–एक(1)/न्याय अनुभाग/2002–तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नांलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रशितः–

1. निबन्धक, मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. प्रमुख सचिव,गृह उत्तरांचल शासन।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिला अधिकारी/समस्त जिला जज/समस्त पुलिस अधीक्षक,उत्तरांचल।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से
(यू0 सी0 ध्यानी),
अपर सचिव।

तत्काल

संख्या–295 / गृह–1 / सुरक्षा / 2003

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल। नैनीताल।
2–आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूं मण्डल,
3– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक : 04 मार्च, 2003

विषय : शस्त्र अधिनियम एवं नियम खेल (शिकार) जंगली जानवरों से मवेशी एवं फसल की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ किसी निशिद्ध शस्त्र एवं गोलाबारूव का लाइसेंस जारी किए जाने या उसका नवीकरण किए जाने के बारे में सिविल रिट याचिका सं0 2491 / 2001–प्यूपल फॉर एनीमल्स– बनाम–भारत संघ एवं अन्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–V-11024 / 6 / 2000–आई0एस0IX, दिनाक 27 जनवरी, 2003 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– संघ सरकार द्वारा इंगत किया गया है कि सा0का0नि0 सं0 695(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 8.8.1987 की अधिसूचना सं0 V–11012 / 1 / 86–शस्त्र के तहत शस्त्र नियम, 1962 के नियम 5 के नीचे संलग्न अनुसूची–।। की श्रेणी । (ख) और । (ग) के हथियारों के सम्ब्ध में लाइसेंस संबंधी शक्तियां राज्य प्राधिकारियों से वापस ले ली गई थी तथा राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केवल उक्त श्रेणियों के लाइसेंसों का नवीकरण करने की ही शक्तियां प्राप्त हैं।

3– उपरोक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संघ सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अविलम्ब शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या व दिनाक उपरोक्त। प्रतिलिपि– श्री उमेश कुमार कालरा, निदेशक (आई0एस0–।।), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2003 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

पंजीकृत डाक द्वारा/अति तत्काल

सं0 V–11024/6/2000–आई0एस0–IX

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी, 2003

सेवा में,

मुख्य सचिव/गृह सचिव,
सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

विषय : शस्त्र अधिनियम एवं नियम–खेल (शिकार) जंगली जानवरों से मवेशी एवं फसल की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ किसी निशिद्ध शस्त्र एवं गोलाबारूद का लाइसेंस जारी किए जाने या उसका नवीकरण किए जाने के बारे में सिविल रिट याचिका सं0 2491 / 2001 –प्यूपल फॉर एनीमल्स बनाम–भारत संघ एवं अन्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश।

महोदय,

सा0का0नि0 सं0 695(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 8.8.1987 की अधिसूचना सं0 ट–11012/1/86–शस्त्र के तहत शस्त्र नियम, 1962 के नियम 5 के नीचे संलगन अनुसूची ।। की श्रेणी । (ख) और । (ग) के हथियारों के संबंध में लाइसेंस संबंधी शक्तियां राज्य प्राधिकारियों से वापस ले ली गई थीं तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केवल उक्त श्रेणियों के लाइसेंसों का नवीकरण करने की ही शक्तियां प्राप्त है।

2– उपरोक्त संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदश हुआ है कि खेल (शिकार) या मवेशी तथा फसल की सुरक्षा के लिए निशिद्ध बोर शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने/उनके नवीकरण के प्रश्न पर, एक स्वयंसेवी संगठन ''प्यूपल फॉर एनीमल्स'' द्वारा दायर सिविल रिट याचिका सं0 2491/2000 में, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 30.7.2002 के निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ सरकार को निम्न प्रकार निदेश दिया है :–

''.....शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह निदेश दिया जाता है कि खेल (शिकार) या जंगली जानवारों से मवेशी तथा फसल की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ कोई निशिद्ध शस्त्र या गोलाबारूद का लाइसेंस जारी किए जाने या उसका नवीकरण किए जाने कीअनुमति नहीं दी जाए। इस प्रकार की अनुमति अत्यधिक विशम परिस्थितियों में ही दी जाय।''

(शिकार) या मवेशी और फसल की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ जारी किए गए इस प्रकार के निशिद्ध बोर लाइसेंसों का नीवकरण करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें तथा इस संबंध में अब से निम्नलिखित उपाय करें :–

3– इस मामलें पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाए। तद्नुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिन्हें इस समय निशिद्ध बोर शस्त्र लाइसेंसों का नवीकरण करने की शक्तियां प्राप्त हैं, से अनुरोध है कि वे खेल

3.1. राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि फसलों और पशुओं की सरुक्षा के लिए प्रतिबंधित बोर लाईसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा कवेल फसलों और पशुओं की सुरक्षा के वास्तविक कारणों के आधार पर दी जाए और क्रमशः कृशि विभाग या वन विभाग के जिला स्तर के अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा इसे प्रमाणित किया जाए। इस संदर्भ में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र में क्षेत्रों/जिलों की पहचान करनी चाहिए जहां ऐसे

लाइसेंसों के नीवकरण को आवश्यकता–आधारित समझा जाता हो जिससे कि लाइसेंस का नीवकरण करने वाले प्राधिकारियों का मार्गदर्शन हो सके।

3.2. शिकार करने या फसलों अथवा पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित बोर हथियारों के लाइसेंस धारकों को यह विकल्प दिया जाए कि वे प्रतिबंधित बोर लाइसेंस/हथियार के नवीकरण के समय प्रतिबधित बोर लाइसेंस/हथियार वापस कर दें और अप्रतिबंधित बोर लाइसेंस के लिए आवेदन करें। ये लाइसेंस/हथियार अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जांएगें और वे उस आवेदन पत्र नए लाइसेंस के बजाए नवीकरण के मामलें के तौर पर विचार करेंगें।

3.3. लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन में उपयुक्त सुधार किया जाए ताकि उसमें यह व्यवस्था की जा सके कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण अधिनियम, 1960 में किए गए उपबंधों का लाइसेंस धारकों द्वारा अनुपालन किया जा सके। संशोधित आवेदन पत्र राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की सूचना और उनके इस्तेमाल के लिए संलग्न है। लाइसेंस धारकां को जारी की जाने वाली लाइसेंस पुस्तिका में इस शर्त को भी शामित किया जाना चाहिए। इस शर्त का अनुपालन न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। जब तक नए आवेदन पत्र/लाइसेंस पुस्ताकाएं पुनः मुद्रित नहीं हो जातीं तब तक इस शर्त को रबड़ की मोहर/सील का उपयोग करके आवेदन पत्र में शामिल किया जाना चाहिए।

4– अतः राज्य सरकारों/संघा शासित क्षेत्राों में प्रशासनो से यह अनुरोध है कि वे अप्रतिबंधित बोर हथियारों के संदर्भ में और प्रतिबंधित बोर/अप्रतिबंधित बोर हथियारों के लाइसेंसों के संदर्भ में हथयार रखने की अनुमति देने वाले सभी लाइसेंसिंग/फील्ड प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार कालरा)
निदेशक (आई0एस0।।)
दूरभाषः 23092998

भाग–घ––

आयात/निर्यात/परिवहन/पुर्निर्यात तथा पुनर्आयात के लिए लाइसेंस की अपेक्षा वाले बावेदकों के लिए।

17. (क) क्या नियम 50 के अधीन अपेक्षित संबंधित प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन, यदि काई हो, प्राप्त कर लिया गया था, यदि ऐसा है तो, (ख) उसके समर्थन में साक्ष्य

?kk"k.kk

मैं एतद्द्वारा यह घोशण करता हूं कि इस आवेदन फार्म में दिए गए उक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण तथा ठीक है। मुण्े यह जानकारी है किि किसी भी स्तर पर उक्त जानकारी झूठी या गलत पाई जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है और शस्त्र अधिनियम 1959, शस्त्र नियम 1962 और तत्समय लागू अन्य केन्द्रीय कानूनों के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

स्थान :

(टिप्पणी : असंगत प्रविष्टियों को काट दें)

(निशिद्ध लाइसेंस खेल (शिकार) या जंगली जानवरों से मवेशी और फसल की सरुखा के लिए अपेक्षित होने प प्रयोज्य)

मैं एतद्द्वारा यह बचन देता हूं कि मैं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और पशु अत्याचार संरक्षण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के आबद्ध रहूंगा और यह भी बचन देता हूं कि मैं पर्यावरण का संरक्षण और उसे उन्नत करूंगा तथा वन और वन्य जीवन के लिए सुरक्षा उपाय अपनाऊंगा, तथा प्राणी–जगत के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील रहूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का उल्ललंघन किए जाने की स्थिति में मेरे विरूद्ध शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम 1962 के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

चेतावनी : नियम 51 क का उल्लघन करते हुए आवेदन फार्म में किसी त्थ्यपरक जानकारी का शमन करना अथवा झूठी या गलत जानकारी देना शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अधीन आवेदक के लिए दंडनीय है।

गोपनीय / महत्वपूर्ण
संख्या–811 / गृह–1 / श0ला0 / 55 / 2003

प्रेशक,

ओ0पी0तिवारी
उप सचिव,
गृह अनुभाग–एक
उत्तरांचल शासन
देहरादून ।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

दिनांकः 18 मई, 2004

विषय– शस्त्र लाइसेंसों का सीमा विस्तार सम्पूर्ण भारतवर्ष किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा शासन को सन्दर्भित सम्पूर्ण भारतवर्ष किये जाने सम्बन्धी संस्तुतियों को आपको वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रकरण पर निम्न बिन्दुओं में जांच पूर्ण करने के उपरान्त ही शासन को प्रेशित किये जांय। सरसरी तौर पर कोई प्रकरण शासन को सन्दर्भित न किये जांय।

1– आवेदक का नवीनतम पुलिस सत्यापन किया जाय।
2– आवेदक की जान–माल को खतरे से सम्बन्धित आख्या।
3– आवेदक को किन–किन राज्यों में किस प्रकार के व्यवसाय आदि कार्य से जाना पड़ता है।
4– आवेदक के पास या उसके परिवार में लाइसेंसों का सम्पूर्ण विवरण आदि।
5– केवल उत्तरांचल में बने शस्त्र लाइसेंसों की संस्तुति शासन को प्रेशित की जांय।
6– जिले से केवल जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से ही संस्तुति शासन को भेजी जाय।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय
(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव,

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिप / अपर सचिव, गृह को सूचनार्थ प्रेशित।

आज्ञा से
(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव,

क्रम संख्या–14
पंजीकृत संख्या––यु0ए0/डी0एन0–30/
(लाईसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीमेन्ट)

ljdkjh xtV]
mRrjkpy vlk/kkj.k Hkkx&1 [k.M ¼d½ ngjknu]
ogLifrokj]27 tuojh] 2005 b0
mRrjkpy ljdkj }kjk izdkf'kr
fo/kk;h ifjf'k"V
¼mRrjkpy vf/kfu;e½
ek?k] 07]1926 'kd lEor~
mRrjkpy 'kklu
fo/kk;h ,oa lalnh; dk;Z foHkkx
la[;k&417@fo/kk;h ,oa lalnh; dk;Z@ 2005
vf/klwpuk
fofo/k

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद, 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ताकल्याणनिधि अधिनियम,1974) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27.01.2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या–07,सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974)
(संशोधन) अधिनियम , 2005
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या–07सन्,2005)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य की विधान सभी द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियममित हों:–

1– (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम,1974) (संशोधन) अधिनियम, 2005 होगा।

संक्षिप्त नाम और विस्तार मूल अधिनियम संख्या–6 सन 1974 की धारा 9 का संशोधन

(2)इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

2–उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है।) की धारा–9 में।

(क)उपधारा (1) में शब्द''पॉच रूपये'' के स्थान पर शब्द ''दस रूपये'' रख दिये जायेगें।

(ख)उपधारा(4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात–''(5) जहां किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या उसे दाखित नहीं किया जाता हैं वहां न्यायाल में ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही की अनुज्ञा नही देगा।''

आज्ञा से
आई0 जे0 मल्होत्राा,
प्रमुख सचिव।

I¡[;k&1688@xx¼6½@26@fof/k@2005

प्रेषक,

आर0के0 तोमर,
अनु0 सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल, देहरादून।
2. मंडलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मडल, उत्तरांचल।
3.समस्त जिलाधिकारी,
4.समस्त वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–6 देहरादून दिनांक 21 जून, 2005

विषय– नागरिकता अधिनियम 1956 में नागरिकता (संशोधन) नियम, 2005 में दिये गये आवश्यक निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार, गृह मंत्राालय के पत्रा संख्या–26011/03/2005–पब.प दिनांक 26 मई, 2005 एवं भारत का राजपत्रा की छाया प्रति संलग्नक सहित भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नागरिकता अधिनियम, 1956 में नागरिकता (संशोधन)नियम, 2005 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(आर0 के0 तोमर),
अनु सचिव।

संख्या–725 / सतर्कता / 2005

प्रेषक,

श्री एस0 के0 दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिवागण,
उत्तरांचल शासन।
2.समस्त विभागध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3.समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तरांचल।
4.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सतर्कता अनुभाग देहरादूनः दिनांक 12 सितम्बर, 2005

विषय– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत लोक सेवकों के विरूद्व अभियोजन चलाये जाने क लिए नियुक्ति प्राधिकारी / सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिक पूर्व स्वीकृति दिया जाना।

महोदय,

कतिपय मामलों में यह देखने में आया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों के विरूद्व अभियोजन हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 और कर्तब्य निर्वहन के दौरान किये गये अपराध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत अपेक्षित सक्षम अधिकारी की विधिक पूर्व स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलम्ब किया जाता है। मा0 उच्च्तम न्यायालय द्वारा इस विषय पर दी गयी ब्यवस्थाओं में लोक सेवकों के विरूद्व अभियोजन हेतु विधिक पूर्व स्वीकृति दिए जाने के लिए सामान्यतया 3 माह का समय निर्धारित किया गया है एवं सक्षम प्राधिकारी / नियुक्ति प्राधिकारी हेतु कतिपय मार्गदर्शक सिद्वांत भी बताए गए है, जिनका सार निम्नवत है। जिसमें विधिक पूर्व स्वीकृति जारी करने में विलम्ब होंः–

1. अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया जाना एक प्रशासकीय कृत्य हैं जिसका उद्देश्य लोक सेवक को अनुचित रूप से हैरान–परेशान करने वाले अभियोजन से बचाना है और भ्रष्ट को संरक्षण देना नहीं है।

2. अभियोजन की स्वीकृति देने से पूर्व संबंधित लोक सेवक को सुनने का प्रश्न ही नहीं उठताा। अन्वेशण में जो तथ्य प्रकाश में आये है उनके आधार पर सक्षम प्राधिकारी के यह देना है कि अपराध का प्रकरण प्रथम दृष्टया हुआ है अथवा नहीं।

3. अभियुक्त से प्राप्त प्रत्यावेदनों मे उल्लिखित आरोपों की जांच सक्षम प्राधिकारी को नहीं करनी है तथा अन्वेशण करने वाले अधिकारी के लिए यह आदेश नही देने है। कि वह उन प्रत्यावेदनों अथवा उनमें उलिलखित आरोपों पर अपना मत प्रकट करें। अथवा उनके सम्बन्ध में अग्रत्तर अन्वेशण करें। सक्षम प्राधिकारी को से अभिलेख / आख्या मंगाकर समानान्तर अन्वेशण / जांच नहीं करनी चाहिए।

4. यह उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रायः सतर्कता अन्वोशण किया जाता है जिसका पर्यवक्षण सर्तकता अधिष्ठान अधिकारियों द्वारा किया जाता है। सतर्कता अधिष्ठटान स्थित विधि अधिनियम भी मामले को विधिक रूप से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त शासन में विभाग द्वारा भी यथा आवश्यकता राज्य सरकार के विधि परामर्शी से भी द्वारा अपराध कारित किए जाने के संबंध में अन्वेशण के दौरान संग्रहीन प्राधिकारी के स्तर पर अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने में कोई होना चाहिए । यहां यह उल्लेख करना प्रासांगिक एवं उपयुक्त है कि दौरान अभियुक्त प्रतिवेदन देने के लिए स्वतंत्रा है, जिनमें उल्लिखित तथा में भी अन्वेशण किया जाता है। इसके बाद अभियोजन की स्वीकृति अन्वेशण अधिकारी से अभियुक्त के प्रतिवेदनों पर टिप्पणी मांगे जाने औचित्य नहीं रहा जाता है। अन्वेशण पूर्ण होने पर अपचारी लोग प्रतिवेदन दिये जाने का विधि में कोई प्रावधान नहीं है तथा प्रतिवेदन विधि परम्परागत नहीं है। अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते समय सक्षम अधिकारी को अन्वेशण के दौरान संग्रह की गई सामग्री जो उसके समक्ष प्रस्तुत पर ही विचार करना होता है।

5. यदि किसी मामले में अपने समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्रीक के सम्बन्ध किसी बिन्दु पर सक्षम प्राधिकारी को कोई शंका हो तो वह अभियोजन की स्वीकृति मांगने वाले अधिकारी से उन शंकाओं का

निवारण करने की सकता है। परन्तु शंका के समाधान के लिए ही ऐसा किया जा सकता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा मस्तिष्क का समुचित प्रयोग किया जा सकता अभियोजन की स्वीकृति का प्रकरण लम्बित रहने के दौरान अपचारी कर्मचारी को प्राप्त प्रतिवेदन के दृष्टिगत ऐसा करना चाहिए।

6. यदि अभियोजन की स्वीकृति का प्रकरण लम्बित रहने के दौरान अधिहारी के सक्षम प्राधिकारी आख्या मंगाते है तब माननीय उच्चतम न्यायालय निर्धारित की गई अवधि के भीतर अभियोजन स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है प्राधिकारी के लिए लगभग असम्भव होगा। 7. अभियोजन की स्वीकृति देने के उपरान्त उसे इस आधार पर दद्द नहीं कर सकता कि अपचारी लोक सेवक के विरूद्व अनुशासनिक जांच/विभागीय आरोप सिद्व नहीं हुए।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते समय उपर्युक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में अपेक्षानुसार 3 माह की अवधि के भीतर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करना सुनिश्चित की जाएं।

भवदीय,
(एस0के0दास),
प्रमुख सचिव।

i`thd`r l`[;k&;0,0@Mh0,u0&30@03

¼ykbZlsUl VS ikLV fonkmV iheUV½

ljdkjh xtV] mRrjkpy

mRrjkpy ljdkj }kjk izdkf'kr

vlk/kkj.k

fo/kk;h ifjf'k"V

Hkkx&1 [k.M¼d½

¼mRrjkpy vf/kfu;e½

nsgjknwu] o`gLifrokj]16 ekpZ] 2006 bZ0

QkYxqu]25] 1927 'kd lEor~ mRrjkpy 'kklu la[;k&691@fo/kk;h ,oa lalnh; dk;Z@2005

vf/klwpuk

fo/kk;h ,oa lalnh; dk;Z foHkkx

nsgjknwu] 16 ekpZ 2006

fofo/k

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 201 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित सिविल प्रक्रिया संहिता(उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 को दिनांक 28 फरवारी, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या–01 सन्, 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ¼mRrjkpy vf/kfu;e la[;k&01 o"kZ] 2006½ अधिनियम संहिता उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2005 है। 2.सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 जिसे आगे मूल अधिनियम''मूल अधिकार'' कहा गया है, की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात– ''115(1) –किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मूल बाद या अन्य कार्यवाही में विनिश्चय किसी मामलें में जहां आदेश के विरूद्व कोई अपील नहीं होती है। और जहां अधीनस्थ न्यायालय ने– (ख)इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है।

अथवा

flfoy izfdz;k lafgrk¼mRrjkpy la'kks/ku½vf/kfu;e] 2005

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधन करने के लिए–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ अधिनियम संख्या 5सन्1908 की धारा 115का प्रतिस्थापन पुनरीक्षण

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्षमें उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1– (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया

(2)इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर होगा।

(3)यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(क) ऐसा अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नही हैः अथवा (ग)अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनिययमितया से कार्य किया हैः

वहां से पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

(2)जब उच्च न्यायालय में उपधारा (1) के अधीन कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया जाता है तो ऐसे आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर मामले के शीर्श के नीचे, इस आशय का ऐ प्रमाण पत्रा अन्तर्विष्ट होगा कि जिला न्यायालय मामलें का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है किन्तु केवल उच्च न्यायालय मूल्यांकन के कारण या पुनरीक्षण के लिए ईप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। के कारण मामलें का पुनरीक्षण कर सकता हैं

(3)उच्चतर न्यायालय इस धारा के अधीन किसी आदेश को परिवर्तित या उलट देगा जहां।

(एक)आदेश, यदि पुनरीक्षण दायर करने वाले पक्षकार के पक्ष में पारित किया गया हो

वाद अथवा कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करता हो या

(दो) आदेश, यदि बरकरार रहेन की अनुमति दी गयी हो उस पक्षकार को न्याय की असफलता उत्तपन्न होगी अथवा अपूरणीय क्षति होगी जिसके विरूद्व उसे पारित किया गया था।

(4)पूनरीक्षण न्यायालय के समक्ष बाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय जहां ऐसा बाद या अन्य कार्यवाही, उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी जाती है।

(एक)पद''उच्चतर न्यायालय'' का तात्पर्य–

(क) जिला न्यायालय से है, जो उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले का मूल्यांकन पॉच लाख रूपये से अधिक हों।

(ख) उच्च न्यायालय से है, जहां पुनरीक्षण के लिए ईप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया था या किसी मामले में मूल वाद का या अन्य कार्यवाहियों का मूल्यांकन जो कि जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था पॉच लाख रूपये से अधिक।

(दो) पद''आदेश'' के अन्तर्गत किसी मूल वाद में किसी विवाद का अन्य कार्यवाही को विधिश्चित करने वाला आदेश है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात ऐसे मूल वादों या संस्थित अन्य कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पूर्व पारित आदेश पर भी इस धारा के उपबन्ध लाभ होगा।''

स्पष्टीकरण– तीन,–धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व, उच्च न्यायालय में दायर किये गये पुनरीक्षणो पर इस धारा के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से
यू0सी0 ध्यानी
सचिव।